एन एच पी सी
NHPC

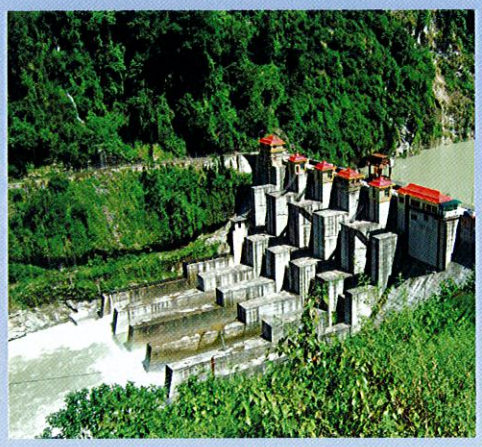

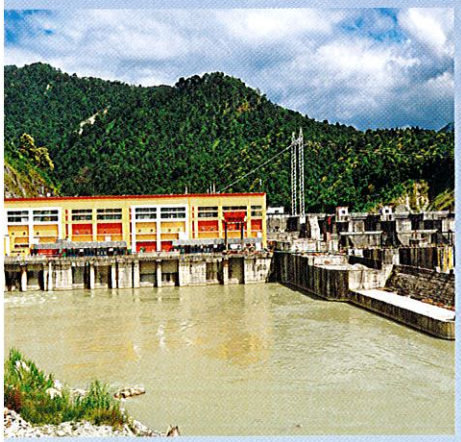

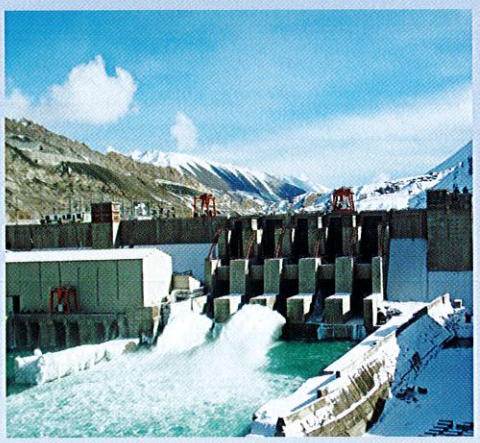

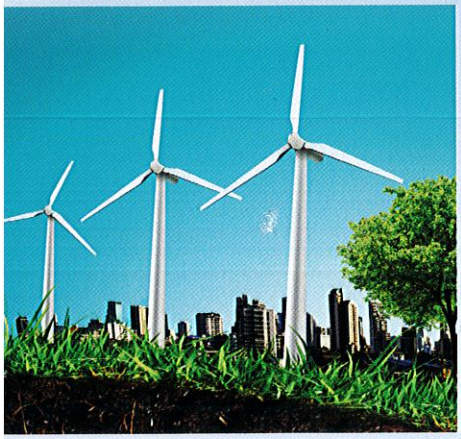

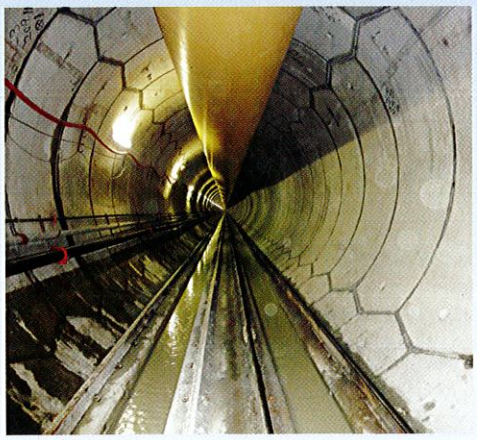

40वीं वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

निगम का दृष्टिकोण

सक्षम, उत्तरदायी और नवीन मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत का सतत विकास करने वाला विश्वस्तरीय अग्रणी संगठन बनना ।

निगम का लक्ष्य

* विद्युत के विकास में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
* दक्ष एवं सक्षम संविदा प्रबंधन, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल नवोन्मेषी अनुसंधान एवं विकास और सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन करना।
* अपनी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए मानव पूंजी को विकसित, संपोषित एवं सशक्त करना।
* सशक्त निगम की पहचान के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धति और मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था को अपनाना और कार्मिकों, उपभोक्ता, पर्यावरण और समाज के सरोकारो के प्रति सचेत रहना।
* अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री के.एम. सिंह (केन्द्र में), निदेशक (कार्मिक) श्री आर.एस. मीना, निदेशक (वित्त) श्री जयंत कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) श्री रतीश कुमार, निदेशक (तकनीकी) श्री बलराज जोशी 2 जून 2016 को मुंबई में आयोजित एनालिस्ट मीट के अवसर पर

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2
संदर्भ सूचना 3
महत्वपूर्ण वित्तीय आकड़ों का सार (5 वर्ष) 4
अध्यक्षीय वक्तव्य 7
निदेशकों का प्रोफाइल 11
निदेशकों की रिपोर्ट 17
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 32
कारपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र 57
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 58
ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय 74
व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 76
एनएचपीसी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीय विकास (एसडी) 85
वार्षिक रिटर्न का सार 93
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 104
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणियां 109
वित्तीय विवरण 116
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर 168

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 169
वित्तीय विवरण 174

एनएचडीसी

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 233
वार्षिक लेखे 238
नगदी प्रवाह विवरण 273

एलडीएचसीएल

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 274
वार्षिक लेखे 278
नगदी प्रवाह विवरण 306

बीएसयूएल

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 307
वार्षिक लेखे 312
नगदी प्रवाह विवरण 344

निदेशक मंडल

31 जुलाई 2016 को

श्री के. एम. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री राधेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)

श्री जयंत कुमार
निदेशक (वित्त)

श्री रतीश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री बलराज जोशी
निदेशक (तकनीकी)

श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सरकारी नामित निदेशक

श्रीमती कुष्णा त्यागी
सरकारी नामित निदेशक

प्रो. अरुण कुमार
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. कनिका टी. माल
स्वतंत्र निदेशक

सीए सत्य प्रकाश मंगल
स्वतंत्र निदेशक

श्री फारुक खान
स्वतंत्र निदेशक

श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सैक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, + 91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2277941
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई32564

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :
मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा,
हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67161500
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

अन्य बांड हेतु:
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.
बी-25/1, प्रथम तल
ओखला फेज - I I
नई दिल्ली - 110020
टेलीफोन : 011-26387320
ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

शेयर और कर मुक्त बांड निम्नलिखित में सूचीबद्ध है :
बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोजिटरीज
नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

अन्य बांड निम्नलिखित में सूचीबद्ध है :
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
(थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी
जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा - 201301

मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी
ए-1-बी/49-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी
बी-25, सैक्टर-23, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

मैसर्स एस.के.आर. एंड एसोसिएटस
डी-9/177, गोविंद मार्ग, चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर-302021

मैसर्स जुगल के. पुरी एण्ड एसोसिएटस
के-19(भूमि तल), साउथ एक्सटेंशन पार्ट- I I,
नई दिल्ली - 110049

मैसर्स एन.के.जैन एण्ड एसोसिएटस
2डी, ओसीएस अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज- I, दिल्ली-110091

मैसर्स एस.पी. भट्टाचार्य एंड कंपनी
ए-202, केवी वसुंधरा, वीआईपी रोड,
कोलकाता - 700052

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
119 और 127, वर्धमान स्टार सिटी मॉल,
सैक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री के.के.गोयल, प्रमुख (वित्त)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
410, अंसल भवन,
16, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
142/3, त्रिकूट नगर,
जम्मू तवी,
जम्मू एवं कश्मीर - 180012

मैसर्स रे एंड रे
सनदी लेखाकार,
वेबल भवन, ग्राउंड फ्लोर,
ब्लाक ईपी और जीपी, साल्ट लेक,
कोलकाता - 700091

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बडौदा
ड्यूश बैंक
बैंक ऑफ भूटान

डिबेंचर ट्रस्टी

7.70 प्रतिशत ओ सिरीज	**एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.** दूसरा तल, रेड फोर्ट कैपिटल पार्श्वनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली - 100001 टेलीफोन : +91 11 47396656 ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.com
9 प्रतिशत पी सिरीज, 9.25 प्रतिशत क्यू सिरीज, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013 (सिरीज 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए और 3बी) और 8.49 प्रतिशत एस1, 8.54 प्रतिशत एस2 सिरीज, 8.50 टी सिरीज बाण्ड	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.** एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 टेलीफोन :+91 22 40807000 ई-मेल : itsl@idbitrustee.com
8.70 प्रतिशत आर1, 8.85 प्रतिशत आर2 और 8.78 प्रतिशत आर3 सिरीज, 8.24 यू सिरीज, 8.17 यू1 सिरीज बाण्ड	**एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि.** एपीजे हाउस, 6ठां तल, 3 दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020 टेलीफोन :+91 22 43025553 ई-मेल : helpdesk@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का सार (एकल लेखा)

(करोड़ रूपए में)

	वित्तीय	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
ए	ऊर्जा की बिक्री	7,346.77	6,736.64	5,335.11	5,049.13	5,509.65
बी	अन्य प्रचालन आय और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	87.29	65.61	201.93	257.51	409.83
सी	अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	919.76	861.33	1,456.95	1,232.79	871.26
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**8,353.82**	**7,663.58**	**6,993.99**	**6,539.43**	**6,790.74**
ई	उत्पादन एवं अन्य व्यय	3,187.57	2,753.72	3,177.77	1,982.63	2,038.72
एफ	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,452.14	1,425.87	1,210.76	969.29	892.74
जी	वित्त लागत	1,067.37	1,179.77	1,022.40	385.38	342.24
एच	**कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ (डी-ई-एफ-जी)**	**2,646.74**	**2,304.22**	**1,583.06**	**3,202.13**	**3,517.04**
आई	दर विनियमित आय/व्यय	549.94	521.95	-	-	-
जे	**कर पूर्व लाभ (एच)+(आई)**	**3,196.68**	**2,826.17**	**1,583.06**	**3,202.13**	**3,517.04**
के	कर	756.54	701.70	604.27	853.91	745.27
एल	**कर उपरान्त लाभ (जे) -(के)**	**2,440.14**	**2,124.47**	**978.79**	**2,348.22**	**2,771.77**
एम	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
एन	इक्विटी चुकता शेयर पूंजी	11,070.67	11,070.67	11,070.67	12,300.74	12,300.74
ओ	आरक्षित एवं अधिशेष	17,681.28	17,215.72	14,996.98	15,539.76	14,052.79
पी	दीर्घावधि ऋण	18,385.28	18,171.03	18,580.52	17,417.52	16,272.80
क्यू	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	1,644.81	2,224.12	2,420.51	2,427.61	3,139.25
आर	विलंबित कर देयताएं	845.68	810.44	766.67	460.69	204.04
एस	सकल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	34,614.81	32,982.14	32,931.02	25,720.04	23,060.93
टी	मूल्यह्रास (प्रावधान)	11,730.96	10,286.98	8,851.48	7,680.08	6,692.61
यू	**निवल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (एस)-(टी)**	**22,883.85**	**22,695.16**	**24,079.54**	**18,039.96**	**16,368.32**
वी	चालू पूंजीगत कार्य	16,575.66	16,054.72	14,657.13	19,709.04	19,349.74
डब्ल्यू	निवेश (गैर-वर्तमान)	1,596.36	1,977.75	2,227.02	2,400.61	2,499.14
एक्स	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां दर विनियमित परिसंपत्तियों सहित	4,251.04	3,608.49	1,986.06	2,183.11	2,610.55
वाई	कार्यशील पूंजी	4,320.81	5,155.86	4,885.60	5,813.60	5,141.87
जेड	**सकल पूंजी नियोजित (यू)+(वी)+(डब्ल्यू)+(एक्स) +(वाई)**	**49,627.72**	**49,491.98**	**47,835.35**	**48,146.32**	**45,969.62**
एए	**निवल मूल्य (एन)+(ओ)**	**28,751.95**	**28,286.39**	**26,067.65**	**27,840.50**	**26,353.53**
एबी	**लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)**	**1,660.60**	**664.27**	**332.12**	**738.04**	**861.05**

	अनुपात	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((जे)+(जी))/(जेड)	8.59%	8.09%	5.45%	7.45%	8.40%
	निवल मूल्य पर प्रतिफल (एल)/(एए)	8.49%	7.51%	3.75%	8.43%	10.52%
	ऊर्जा की निवल बिक्री पर निवल लाभ (एल)/(ए)	33.21%	31.54%	18.35%	46.51%	50.31%
	प्रति शेयर बही मूल्य (रूपए)	25.97	25.55	23.55	22.63	21.42
	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	2.20	1.92	0.82	1.91	2.25
	प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) (रूपए में)	1.50	0.60	0.30	0.60	0.70
	ऋण तथा इक्विटी अनुपात (पी)/((एन)+(ओ))	0.64	0.64	0.71	0.63	0.62
	वर्तमान अनुपात	1.78	2.08	1.80	1.91	1.76

	प्रचालन कार्य-निष्पादन	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
	उत्पादन (एमयू)	23683	22038	18386	18923	18683
	क्षमता (मेगावाट में)	5067	4987	4857	4050	3775
	संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	81.6	77.3	77.7	85.3	83.3
	जनशक्ति (सं.)	8654	9211	9838	10410	11036

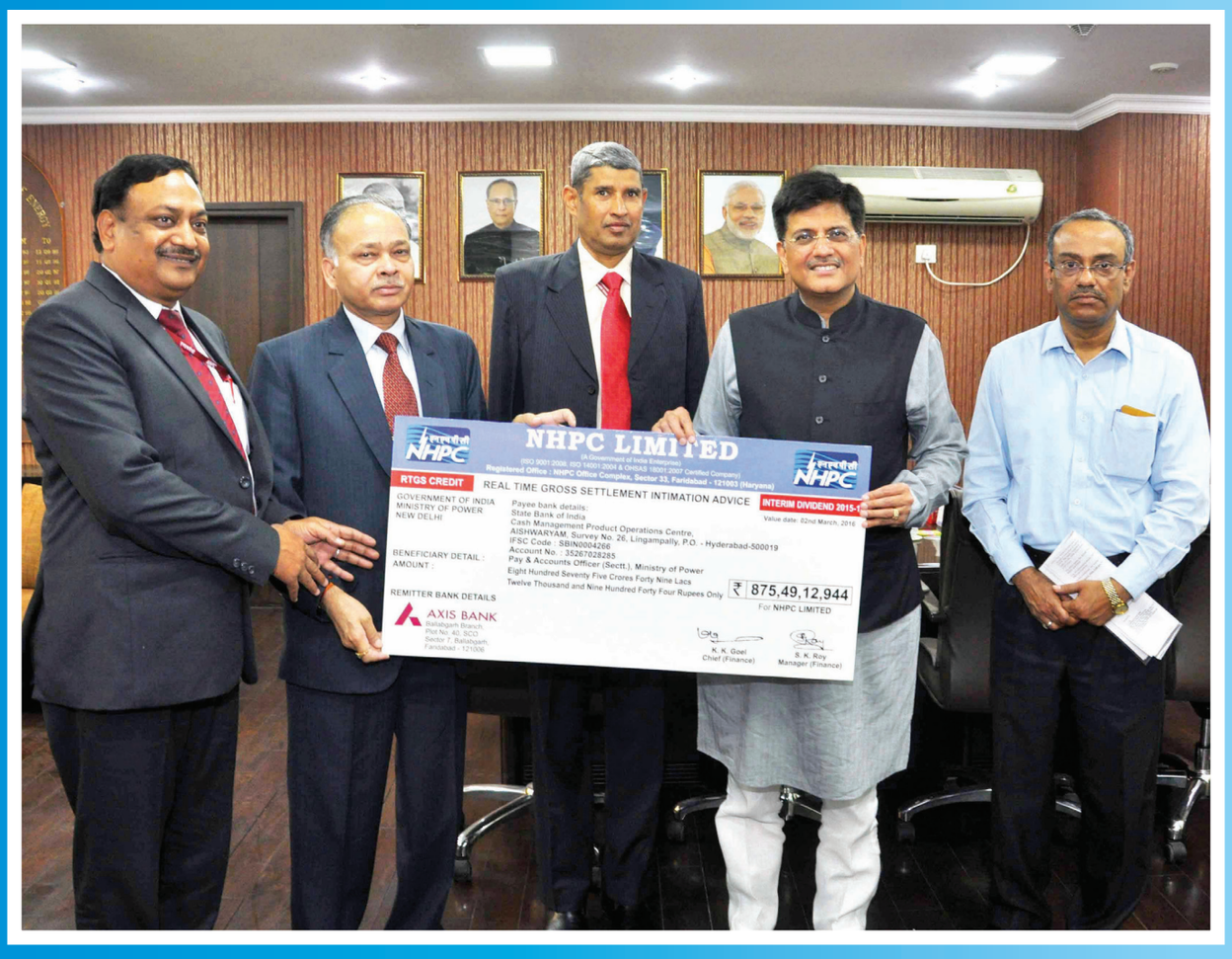

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को 18 मार्च 2016 को 875.49 करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान बैंक एड्वाइस सौंपते हुए।

एनएचपीसी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2016-17 के लिए 8 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, दस्तावेजों के साथ श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी और श्री प्रदीप कुमार पुजारी, सचिव (विद्युत), भारत सरकार

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मैं निदेशक मण्डल की ओर से आपकी कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वार्षिक आम बैठक विशेष बैठक है और व्यक्तिगत रूप से भी इसका मेरे लिए विशेष महत्व है क्योंकि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में आप सभी को संबोधित करने का मेरे लिए यह पहला अवसर है। सितंबर, 2015 से आपकी कंपनी के शीर्षस्थ पद पर कार्य करने का अब तक का मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा है। काफी मुश्किलों से भरा होने के कारण विगत वित्त वर्ष हमारे धैर्य और प्रतिबद्धता की परीक्षा का साल रहा है। इसलिए एक बहुस्तरीय योजना को अमल में लाया गया ताकि आपकी कंपनी चुस्त-दुरुस्त और बहुआयामी बनी रहे। निगम के समस्त पदक्रम में निर्णय लेने, लचीलेपन और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है जिससे विभिन्न स्तरों पर हो रहे विलंबों को रोक कर त्वरित परिणाम प्रस्तुत किए जा सकें। हमने बेहतर नियत्रंण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश प्रक्रियाओं को सरलीकृत एवं सभी प्रणालियों को वास्तविक समयाधार पर मॉनिटर किया है।

मैं ऐसे समय में कंपनी के शीर्ष पद पर अपने को पाकर सौभाग्यशाली मानता हूँ जब एनएचपीसी जलविद्युत के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को कायम रखते हुए एक बहुविध संस्था के रूप में विकसित हो रही है। आपकी कंपनी आज उस चौराहे पर खड़ी है जहां वह नवीकरणीय ऊर्जा के समन्वेषण के साथ-साथ तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर तरक्की के नए अवसरों की ओर बढ़ रही है।

मेरा यह निजी दृढ संकल्प रहा है कि मैं एनएचपीसी को ऐसी अनुकरणीय कंपनी, जो न केवल शानदार परिणाम देने वाली कंपनी हो, अपितु एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित कर सकूं जो समग्र व्यावसायिकता और मूल्यों पर खरी उतरती हो। आपको सूचित करते हुए मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आपके सतत् विश्वास, प्रोत्साहन और न्यायोचित समालोचना ने मुझे आपकी कंपनी को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए ऊर्जा, उत्साह, आत्मबल और प्रेरणा प्रदान किया है। हमारे कुशल कार्यबल की तकनीकी सक्षमता और प्रतिबद्धता के कारण ही हम विद्युत उत्पादन और प्लांट उपलब्धता कारक दोनों ही क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम देने में सफल रहे हैं। वस्तुतः वित्त वर्ष 2015-16 आपकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है।

आपको जानकर हर्ष होगा कि आपकी कंपनी ने अपने इतिहास में पहली बार एकल आधार पर 5000 मेगावाट संस्थापित क्षमता को पार कर नया कीर्तिमान बनाया है और अब हम 7000 मेगावाट संस्थापित क्षमता की कंपनी बनने की राह में अग्रसर है। निवल लाभ और बिक्रियों की दृष्टि से आपकी कंपनी की ठोस प्रगति कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को ही रेखांकित करती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुदृढ पहचान बनाते हुए आपकी कंपनी ने जलविद्युत के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को कायम रखा है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के प्रति संवेदनशील रवैए के साथ कॉरपोरेट अभिशासन की श्रेष्ठतम पद्धतियों को समाहित करते हुए आपकी कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा को नया आयाम दिया है। मुझे विश्वास है कि अब तक आपको वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मिल गई होगी और आपने इसकी समीक्षा भी कर ली होगी। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ इसके भावी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

निष्पादन समीक्षा

- इस वर्ष का लाभ गत वर्ष के लाभ 2,124.47 करोड़ रुपए की तुलना में 2,440.14 करोड़ रुपए हो गया है।
- 22000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 23683 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध है।
- 78.5% के लक्ष्य की तुलना में 81.6% प्लांट उपलब्धता कारक की प्राप्ति कर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध है।
- बिक्री उपलब्धि 8,031 करोड़ रुपए रही है।
- तीस्ता लो डैम-IV परियोजना (40 मेगावाट x 4), पश्चिम बंगाल की दो इकाइयों (40 मेगावाट प्रति इकाई) को वर्ष के दौरान कमीशन कर आपकी कंपनी ने संस्थापित समग्र क्षमता मे 80 मेगावाट की बढ़ोत्तरी की है। शेष दो इकाइयों को भी कमीशन कर दिया गया है और इस परियोजना को चालू वित्त वर्ष के दौरान पावर स्टेशन घोषित कर दिया गया है।

पिछले चार दशकों के दौरान आपकी कंपनी के शानदार प्रदर्शन के कारण ही हम नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के दोनों व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास के लिए नए गठबंधन बनाने में सफल रहे हैं। इसी दिशा में अगाली, जिला-पलक्कड, केरल में 72 मेगावाट (±10%) क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए केरल की राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ भी 30 नवंबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने 1200 मेगावाट तीस्ता चरण-III एच.ई. जलविद्युत परियोजना, सिक्किम के परियोजना निर्माण प्रबंधन को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी भूटान में 770 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए ड्रुकग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ निरंतर संपर्क में है।

आपकी कंपनी इस कहावत का स्वर्णिम उदाहरण है और उसे चरितार्थ भी करती है कि 'सफलता और असफलता ही अंतिम मंजिल नहीं, जीवन में निरंतर प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है।' जलविद्युत के क्षेत्र में प्रकृति के प्रकोप से सामना जब-तब होना स्वाभाविक ही है, आपकी कंपनी तो प्रकृति प्रदत्त विध्वंस को झेलकर और अधिक सशक्त होकर उभरी है। आपको सूचित करते हुए मुझे गर्वानुभूति हो रही है कि उड़ी-II पावर स्टेशन (60 मेगावाट x 4), जोकि भीषण अग्निकांड के कारण 20 नवबंर, 2014 से पूरी तरह ठप्प हो गया था, अब उसे पूरी तरह पुनः चालू कर दिया गया है और इस पावर स्टेशन ने अपनी वार्षिक डिजाइन एनर्जी (1,124 मिलियन यूनिट) और वार्षिक मानकीय प्लांट उपलब्धता कारक (55%) का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है। हम 800 मेगावाट क्षमता की पार्बती-II परियोजना में टनल बोरिंग मशीन को पुनः प्रारंभ करने में भी कामयाब रहे हैं और शियर जोन, जहां मशीन फंसी हुई थी, को भी सफलतापूर्वक अनुप्रस्थ कर दिया गया है। इस परियोजना को दिसंबर, 2018 में कमीशन करने का लक्ष्य है। कंपनी 2000 मेगावाट क्षमता के सुबनसिरि लोअर परियोजना के निर्माण कार्य को पुनर्गाम्भ करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है।

लाभांश

वर्ष 2015-16 के लिए 1.50 रुपए प्रति शेयर (लाभांश कर छोड़कर) का लाभांश आज तक का सिफारिश किया गया सबसे अधिक लाभांश है, जो यह दर्शाता है कि आपकी कंपनी की व्यापारिक नींव कितनी मजबूत है। इस लाभांश राशि में मार्च, 2016 में भुगतान किए गए 0.92 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी शामिल है। कुल लाभांश का भुगतान 1,660.60 करोड़ रुपए रहेगा जो कर पश्चात् लाभ का 68.05% है।

कारपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी के कारपोरेट अभिशासन की धारणा हमारे निवेशक और उपभोक्ताओं के हम पर किए गए विश्वास को कायम रखने को ही श्रेष्ठ अभिशासन की कुंजी मानने के विचार से पैदा होती है। आपकी कंपनी शेयर धारकों के साथ-साथ सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही, नीतिपरक व्यावसायिक आचरण, विधि के अक्षरशः अनुपालन, समुचित प्रकटीकरण, कारपोरेट निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और संगठन के प्रति वचनबद्धता के सर्वोच्च मानकों में दृढ विश्वास रखती है। कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को सक्रिय दृष्टिकोण से अपनाने से भी यही परिलक्षित होता है। यह आपकी कंपनी के सक्रिय दृष्टिकोण में भी परिलक्षित होता है। आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) की कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश का अनुपालन किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने कारपोरेट अभिशासन धारणा को अपने कारपोरेट संरचना, व्यवसाय संबंधी आचरण एवं प्रकटीकरण प्रणाली में भी अपनाया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

आपकी कंपनी अपने नीतिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों तथा इसकी परिधि में आने वाले समुदायों को अवलंब देने के प्रति बहुत सचेत है। आपकी कंपनी अपने हितधारकों, उन समुदायों सहित जो हमारे प्रचालन, परिचालनों और गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, के सभी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी आशंकाओं का निराकरण करना अपना उद्देश्य मानती है। ऐसा करते हुए कंपनी समाज के शोषित तबके के लिए जीवन का एक बेहतर और स्थायी तरीका प्रदान कर रही है और देश के मानव सूचकांक को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों एवं सतत विकास संबंधी गतिविधियों पर 72.68 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपकी कंपनी ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में सक्रिय रूप से भाग लिया है और देश के विभिन्न हिस्सों में 7045 शौचालयों का निर्माण किया है। आपकी कंपनी ने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भावी संभावनाएं

तीव्रता से बदलते व्यावसायिक वातावरण में बदलते परिवेश के साथ आगे चलना और स्वयं के लिए उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। आपकी कंपनी केन्द्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जलविद्युत उत्पादक कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए विश्वस्तरीय तकनीक, मानवशक्ति और विशेषज्ञता है। प्रतिस्पर्धी दौर का लाभ लेने के लिए हमें अनुकूल क्षमता के प्रयोग के महत्व का एहसास हो गया है। आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए थर्मल, सौर, पवन जैसे अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में रणनीतिक पदार्पण कर रही है। आपकी कंपनी इस वर्ष विविधीकरण से देश के समक्ष आ रही ऊर्जा की कमी को पूरा करने में सहायता करेगी और भारत सरकार की पहल 'सभी के लिए ऊर्जा' में योगदान करेगी।

वर्तमान में, आपकी कंपनी 3130 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली तीन जलविद्युत परियोजनाओं नामतः किशनगंगा, पार्बती-II और सुबनसिरि लोअर के निर्माण कार्य में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त 4995 मेगावाट की क्षमता वाली पांच भावी परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रियाधीन है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान के जिला जैसलमेर में 50 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना पूरी होने वाली है और राजस्थान डिस्कम्स के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् यह परियोजना कमीशन की जाएगी। आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट क्षमता की एक सौर ऊर्जा परियोजना और संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से चार जलविद्युत परियोजनाएं नामतः जम्मू व कश्मीर में कीरू, क्वार व पकलदुल (2164 मेगावाट) और भूटान में चमखारचू-I (770 मेगावाट) परियोजना के विकास की परिकल्पना की है।

आभार

आपकी कंपनी पारंपरिक व गैर पारंपरिक स्रोतों और बहुविधि व्यवसाय के माध्यम से विद्युत विकास में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने में निगम के लक्ष्य को बनाए रखती है। आज हम भारतीय विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहे हैं, जहां भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्साह और संकल्प के साथ कंपनी के विकास में ध्यान केंद्रित करें।

मैं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए मूल्यवान सहायता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभारी हूं। मैं अपने सभी शेयरधारकों, मंत्रालयों, संघ सरकार के प्राधिकारी और एजेंसियों, राज्य सरकारों, माननीय शेयर धारकों और अपने सम्मानीय ग्राहकों को कंपनी पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं एनएचपीसी के सभी कार्मिकों को कंपनी के प्रति कठिन परिश्रम करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

मैं, निदेशक मण्डल की ओर से सभी शेयरधारकों का निरंतर सहयोग और कंपनी पर विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी कंपनी और कंपनी के सभी शेयर धारकों के बीच लम्बे समय तक उपयोगी एवं सहयोगी संबंध बना रहेगा।

जय हिंद

भवदीय,

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

दिनांक : 22 सितम्बर, 2016
स्थान : फरीदाबाद

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओकराम इबोबी सिंह का नई दिल्ली में अभिनंदन करते हुए।

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री डा. पवन कुमार चामलिंग का 18 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में अभिनंदन करते हुए ।

निदेशकों का प्रोफाइल

श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन 02223301

श्री के.एम.सिंह. (59 वर्ष) आपकी कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह जून, 2008 से एनएचडीसी, एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, में मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में इसकी अगुवाई कर रहे थे। श्री सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से एक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरींग में स्नातक हैं। उन्होंने अपना पेशेवर करियर 1979 में एनएचपीसी में लोकतक पावर स्टेशन में कार्यकारी प्रशिक्षक के रूप में प्रारंभ किया।

श्री सिंह के पास जल विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का समृद्ध तथा व्यापक अनुभव है। एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय में अपनी तैनाती के दौरान वह विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निर्माण, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने, गुणवत्ता आश्वासन और प्रचालन तथा अनुरक्षण में कार्यरत रहे हैं। वे हाइड्रो पावर विकास के विभिन्न पहलुओं से भलीभांति परिचित हैं और जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रचालन तथा अनुरक्षण में श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रतिपादित करने में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने एनएचपीसी को एक समृद्ध तथा ऊर्जावान संगठन बनाने में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्हें 23 सितम्बर, 2015 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में एनएचपीसी बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

श्री राधेश्याम मीना, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन 0149956

श्री राधेश्याम मीना (आयु 59 वर्ष) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अब एमएएनआईटी के रूप में विख्यात), भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

श्री मीना ने विद्युत क्षेत्र में तकनीकी तथा शासन स्तर पर अपने 35 वर्ष से अधिक के अनुभव के दौरान, डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण एवं ट्रांसमिशन लाइनों तथा जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने जैसे विविध कार्यों को संबहला है। वे एनएचपीसी लिमिटेड में कई अन्य विभागों के प्रमुख भी रहे हैं।

वर्तमान में वे मानव संसाधन प्रबंधन, राजभाषा, मानव संसाधन विकास, संपदा प्रबंधन सेवा प्रभाग, विधि और कारपोरेट संचार के दायित्व को संबहले हुए हैं। वह 08.05.2013 से 05.05.2015 और फिर 09.11.2015 से पुनः एनएचडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी धारित किए हुए हैं।

श्री मीना कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों तथा सम्मानों के विजेता हैं। उनमें से कुछेक का उल्लेख किया जा सकता है जैसे श्री आर.एस.मीना को संगठनात्मक विकास, नेतृत्व, नवाचार एवं परिवर्तन प्रबंधन एप्रोच के माध्यम से मानव संसाधन क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए आईपीई (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइस) द्वारा संस्थापित एचआर नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिल कर मानव संसाधन अग्रणी के रूप में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया था।

वह वर्ष 2013-15 तथा 2015-16 हेतु सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और वह 1991 से 1998 तक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। उन्होंने वर्ष 1998 में पुनः एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और 28 अप्रैल, 2009 को निदेशक (कार्मिक) के रूप में में अपनी नियुक्ति तक विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया।

श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)

डीआईएन 03010235

श्री जयंत कुमार (59 वर्ष) पेशे से एक लागत लेखाकर हैं तथा इनका एनएचपीसी में प्रतिष्ठित करियर रहा है। उनके पास कारपोरेट वित्तीय प्रबंधन में 3 दशक से अधिक का प्रचुर एवं विविध अनुभव रहा है।

श्री कुमार संगठन के वित्तीय प्रबंधन की समूची श्रृंखला हेतु उत्तरदायी हैं जिसमें संसाधन जुटाना, निधियों का ईष्टतम उपयोग, बजटीय नियंत्रण और निवेश निर्णय, टैरिफ आदि शामिल हैं। श्री कुमार विद्युत बिक्री व्यवस्थाएं, सीईआरसी से उचित मूल्य निर्धारण, लाभग्राहियों से देयों की वसूली और सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लाभग्राहियों के विरूद्ध चूक के मामले में उचित उपाय करने सहित वाणिज्यिक रणनीतियों के निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी हैं।

इन्होंने निगम हेतु कई महत्वपूर्ण संव्यवहारों का नेतृत्व किया है जैसे कि वर्ष 2009 में इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ), 2013 में करमुक्त बॉण्ड जारी करना, 2013 में शेयरों की पुनः खरीद का प्रस्ताव, एनएचपीसी पहला सीपीएसई था जिसने शेयरों की पुनः खरीद का विकल्प चुना।

मुख्य वित्त अधिकारी के रूप् में वह पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और कम्पनी द्वारा ठोस कारपोरेट शासन व्यवहारों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी हैं। वह निवेशक समुदाय और कम्पनी के प्रबंधन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शमिल होने से पूर्व श्री कुमार ने एनएचपीसी में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें कार्यकारी निदेशक (वित्त) शामिल है। श्री कुमार एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी) के बोर्ड में एक अंशकालिक निदेशक हैं। एनएचपीसी के अतिरिक्त, वह यूजेवीएन लिमिटेड (उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम) के निदेशक (वित्त) के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।

उनके कुशल मार्गदर्शन में एनएचपीसी ने प्रभावी लागत प्रबंधन व्यवहारों को कार्यान्वित करने के लिए लागत लेखाकार संस्थान द्वारा लागत प्रबंधन ने उत्कृष्टता हेतु 13वें राष्ट्रीय पुरस्कार-2015 में सार्वजनिक विनिर्माण (बड़े) की श्रेणी के अंतर्गत दूसरा पुरस्कार जीता है।

श्री कुमार ने 26 मई, 2015 से एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएन 06852735

श्री रतीश कुमार (55 वर्ष) जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तराखंड) से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में बी.टेक हैं। श्री रतीश कुमार ने अपना पेशेवर करियर अक्तूबर, 1982 में एनएचपीसी लिमिटेड में बैरास्यूल परियोजना में एक प्रशिक्षक अभियंता के रूप में प्रारंभ किया।

श्री रतीश कुमार के पास एनएचपीसी में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है जहां वे उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपर के सोपान पर पहुंचे। निदेशक (परियोजनाएं) के अपने वर्तमान कार्य में श्री रतीश कुमार सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन तथा निर्माण-पूर्व चरणों में हैं। इसमें हाइड्रो तथा साथ ही साथ सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। वह कंपनी द्वारा लिए जा रहे संयुक्त उद्यमों तथा परामर्शी कार्यों हेतु भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख कार्य अर्थात संविदाएं (ई एण्ड एम), लागत अभियांत्रिकी और डिजाइन (ई एण्ड एम) भी उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व श्री रतीश कुमार ने विभिन्न क्षमताओं में एनएचपीसी में कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (डिजाइन-ई एण्ड एम) भी शामिल है। उनके प्रमुख योगदानों में सलाल विद्युत स्टेशन चरण-2 का निर्माण तथा स्थापन, धौलीगंगा और उड़ी-2 विद्युत स्टेशनों को बहाल करना, जल विद्युत संयंत्रों का ओ एण्ड एम और परियोजनाओं के ई एण्ड एम पैकेज की अभियांत्रिकी यथा पार्बती-2, पार्बती-3, सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, तीस्ता-5, सेवा-2, चमेरा-3, धौलीगंगा परियोजनाएं आदि शामिल हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के साथ भी संबद्ध थे जिसमें म्यानमार में तमांथी और शुवेजये, भूटान में कूरी-गोंगरी, चमखारचू तथा मंगडेचू की डीपीआर तैयार करना शामिल है। श्री रतीश कुमार 24.03.2014 से 08.02.2016 तक नैशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में एक नामित निदेशक रहे हैं।

श्री रतीश कुमार की जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा स्थापन, ई एण्ड एम उपकरणों के डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता तथा ईष्टतम अध्ययनों, जल विद्युत परियोजनाओं के विन्यास, पूर्व अर्हता तैयार करने तथा आईसीबी या एनसीबी के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं की बड़ी संविदाएं देने सहित जल विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य सभी पहलुओं पर उत्कृष्ट पकड़ है। श्री रतीश कुमार भारतीय मानक ब्यूरो के इलैक्ट्रो-तकनीकी खंड परिषद (ईटीडीसी) में एक योगदानकर्ता सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह उच्च वोल्टेज स्विच गियर तथा कंट्रोल गियर 17ए, 17सी (बीआईएस ईटीडी 08) के क्षेत्र में भारतीय मानकों के निरूपण हेतु तकनीकी समिति में एक सदस्य भी हैं। वह कई राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों, जीआईएस 2013, बस डक्ट 2013 और ट्रंसफार्मर 2013 संबंधी सीबीआईपी मैनुअल में एक विशेषज्ञ सदस्य भी हैं।

श्री रतीश कुमार ने 6 जनवरी, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन 07449990

श्री बलराज जोशी (57 वर्ष) गर्वनमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कराड, महाराष्ट्र से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक हैं। वे जल विद्युत विकास और आयोजना में प्रतिष्ठित नार्वेजियन टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, ट्रंडीहम, नार्वे से नौराड छात्रवृत्ति के अंतर्गत स्नातकोत्तर अर्हता धारक हैं। श्री जोशी ने एनएचपीसी में अक्तूबर, 1982 में सलाल परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) में परिवीक्षार्थी कार्यपालक (इंजीनियरिंग) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

33 वर्ष से अधिक के अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान श्री जोशी ने नई ऊंचाइयों को छुआ और कई परियोजनाओं नामतः सलाल, दुलहस्ती, कुरीचु परियोजना (भूटान), तीस्ता-V, तीस्ता लो डैम-III तथा IV, पार्बती-III, चुटक, चमेरा-III, पार्बती-II आदि में कार्य करते हुए एनएचपीसी के विकास में योगदान दिया और एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक (डिजाइन एवं अभियांत्रिकी) के पद तक पहुंचे। वह कई परियोजनाओं हेतु एनएचपीसी के परामर्शी कार्यों से भी जुड़े हुए हैं जैसे मयानमार में 1200 मेगावाट तमांथी और 880 मेगावाट शेवेजे, भूटान में 720 मेगावाट मंगडेचू और मैसर्स पश्चिम बंगाल विकास निगम की बाकरेश्वर तापीय विद्युत परियोजना आदि। उन्होंने किशनगंगा परियोजना हेतु हेग में माध्यस्थम कार्यवाही की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एनएचपीसी का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रतिबद्धता के एक असाधारण प्रदर्शन में श्री जोशी ने धौलीगंगा विद्युत स्टेशन के बाढ़ के पश्चात बंद हो जाने के बाद इसे पुनः चालू करने के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतपूर्वक पूरा किया।

श्री बलराज जोशी ने 01 अप्रैल, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकार नामित निदेशक

डीआईएन 02105906

श्रीमती अर्चना अग्रवाल (49 वर्ष) संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को 6 मार्च, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अग्रवाल 1990 बैच की उत्तर प्रदेश काडर की एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री और इतिहास, लोक प्रशासन तथा राजनीति शास्त्र में स्नातक डिग्री धारक हैं। उक्त के अतिरिक्त वह कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में भलीभांति प्रशिक्षित हैं।

आईएएस अधिकारी के रूप में 26 वर्षों के अपने प्रतिष्ठित कैरियर के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों को धारित किया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- प्रधान सचिव - जीएडी तथा डेयरी विकास
- सचिव - अवसंरचनात्मक ढांचा और निवेश, उद्योग, कराधान, समन्वय
- आयुक्त - परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और औषधि, दूध आयुक्त
- प्रबंध निदेशक - पिकअप, उद्योग बंधु, पीसीडीएफ
- परियोजना समन्वयक - विविधीकृत कृषि सपोर्ट परियोजना (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित)
- विशेष सचिव - औद्योगिक विकास तथा शिक्षा विभाग
- उपाध्यक्ष - वाराणसी विकास प्राधिकरण, फैजाबाद - अयोध्या विकास प्राधिकरण
- जिलाधीश - सुल्तानपुर, फैजाबाद
- मुख्य विकास अधिकारी - फैजाबाद, आगरा, मैनपुरी

श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकार नामित निदेशक

डीआईएन 07230978

श्रीमती कृष्णा त्यागी (55 वर्ष) बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंग्डम से लोक नीति पर प्रमुख फोकस के साथ लोक सेवा में एमबीए डिग्रीधारक और दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। श्रीमती त्यागी ने अपना करियर 17 दिसम्बर, 1987 को भारतीय सिविल लेखा सेवा में एक परिवीक्षार्थी के रूप में प्रारम्भ किया और उनके पास लेखापरीक्षा, वित्त, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, कार्मिक प्रबंधन में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय सिविल लेखा सेवा की अधिकारी होने के चलते वित्तीय प्रबंधन उनका मजबूत क्षेत्र है। श्रीमती त्यागी के पास नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास तथा अन्य मंत्रालयों में भी वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का विविध प्रकार का अनुभव है। वर्तमान में वह विद्युत मंत्रालय, दिल्ली में संयुक्त सचिव के समतुल्य स्तर पर मुख्य नियंत्रक (लेखा) के रूप में कार्य कर रही हैं।

=

प्रो. अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07346292

प्रो. अरूण कुमार (56 वर्ष) आईआईटी, रूड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, आईआईएससी बंगलुरू से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईटी रूड़की से जल विद्युत विकास में पी.एचडी धारक हैं। उन्होंने एनटीएच, ट्रंडेहम (नार्वे) से जल विद्युत विकास में डिप्लोमा अध्ययन किया है। जल विद्युत तथा नदियों और झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उनका योगदान भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर सुविख्यात है। वे 1998 से 2011 तक वैकल्पिक जलीय ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी रूड़की के प्रमुख रहे थे।

प्रो. कुमार के पास जल विद्युत विकास और नदियों तथा झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2099-11 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर विशेष रिपोर्ट संबंधी जल विद्युत हेतु तीसरे कार्य समूह के लिए समन्वयक अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान प्रो. कुमार को अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए थे जैसे कि वर्ष 1991 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कैश योर आइडिया पुरस्कार, 2001 में आईआईआरडीएसएस, नई दिल्ली से सूर्य पुरस्कार।

प्रो. कुमार वर्तमान में एएचईसी, आईआईटी रूड़की के प्रो. के रूप में कार्य कर रहे हैं और एमएनआरई चेयर प्रोफेसर (नवीकरणीय ऊर्जा) धारित किए हुए हैं।

प्रो. कुमार ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

प्रो. कनिका टी.भाल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 06944916

प्रो. कनिका टी. भाल (51 वर्ष) आईआईटी, दिल्ली में मोदी चेयर प्रोफेसर और प्रबंधन अध्ययन विभाग की विभाग प्रमुख हैं। आईआईटी, कानपुर से पी.एचडी धारक और स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग फेलो, वह सामान्यतः व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से नेतृत्व में एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों तथा सम्मेलनों में कई लेख प्रकाशित करवाए हैं और कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के संपादक मंडल में शामिल हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्त पोषित (फोरधम यूनिवर्सिटी तथा वहारटन बिजनेस स्कूल) परियोजनाओं हेतु प्रायोजित अनुसंधान किया है। विभिन्न संगठनों जैसे कि भारत के 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, डीआरडीओ, यूपीएससी, डीजीएस एण्ड डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसीडी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए परामर्शदाता होने के अतिरिक्त उन्हें सरकारी समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है और वह एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन एण्ड साइकोलॉजी तथा ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्लेक्सीबल सिस्टमस मैनेजमेंट की एक सदस्या हैं।

उन्हें हेडलाइन्स टुडे द्वारा 2013 में प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रोफेसर, आईईएस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, भोपाल द्वारा 2009 में प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु डा. हरी सिंह गौड़ पुरस्कार, जनवरी, 2012 में आईआईटी, दिल्ली द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

अनुसंधान के अतिरिक्त वह आईएल एण्ड एफएस इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

प्रो. भाल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

सीए सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 01052952

सीए सत्य प्रकाश मंगल (56 वर्ष) एक पेशेवर सनदी लेखाकार और मैसर्स सत्य प्रकाश मंगल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंटस, नई दिल्ली के संस्थापक, भागीदार हैं। उनके पास कराधान तथा लेखापरीक्षा में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय अभियांत्रिकी तथा वित्तीय पुनर्संरचना तथा परियोजना के पुनरूद्धार हेतु ईष्टतम मार्ग निर्धारित करने में है। वह भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज एसोसिएशन, हैदराबाद के आजीवन सदस्य भी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) और यूको बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह बैंकिंग उद्योग हेतु एएएस (उन्नत लेखापरीक्षा प्रणाली) परियोजना पर कार्य कर रहे हैं जो एनपीए को रोकने हेतु निवारात्मक उपाय मुहैया करवाती है।

इसके अतिरिक्त, उनके पास आश्वासन तथा अनुपालन, सेबी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का व्यापक ज्ञान है। उन्होंने प्रबंधन लेखापरीक्षा के पाठयक्रम को पूर्ण किया है जिसमें वित्त, मानव संसाधन, विपणन, सूचना प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रबंधन लेखापरीक्षा शामिल होती है। उनके पास कारपोरेट अभिशासन और सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के श्रेष्ठ व्यवहारों संबंधी मार्गदर्शन की योग्यताएं हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंडल वृक्ष वंदना (एक ऐसी परियोजना जो 100,000 वृक्षों के पौधरोपण तथा उनकी देख-रेख के माध्यम से मथुरा जिले (उत्तर प्रदेश) के गोवर्धन क्षेत्र में हरित क्रांति तथा पर्यावरण के बचाव के उद्देश्य से चलाई जा रही है) के परियोजना समन्वयक हैं। उन्हें पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृष्ण सर्किट की राष्ट्रीय समिति (स्वदेश दर्शन) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। श्री मंगल **'भारतीय आरोग्य फाउंडेशन'** (जो भारत के 43000 से अधिक जनजातीय तथा पिछड़े गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चला रहा है) के संस्थापक न्यासी, **'महाराजा अग्रसेन नेचुरोपैथी एवं योग साधना अनुसंधान ट्रस्ट'** (बालाजी निरोग धाम दिल्ली) के न्यासी भी हैं। **जीवना** के सचिव के रूप में वह 'व्यवहार खेल सिद्धांत तथा मानव मूल्यों संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला' के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में वह रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एसपीएमसी ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एडविंग्स रेल एण्ड इफ्रा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री फारूक खान, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07348921

श्री फारूक खान (62 वर्ष) एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी तथा जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।

श्री खान ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के आंतकवाद निरोधी दस्ते के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी उद्यमपुर के प्रमुख थे। उन्हें साहस, वीरता तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है।

श्री फारूक खान ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का 8 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में अभिनंदन करते हुए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर 40वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयीन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को तालिका 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय विशिष्टताएं

(रु.करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
बिक्री	7,346.77	6,736.64
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-पूर्व लाभ	5,166.25	4,909.86
मूल्यह्रास	1,452.14	1,425.87
मूल्यह्रास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,714.11	3,483.99
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,067.37	1,179.77
मूल्यह्रास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,646.74	2,304.22
दर विनियमित आय	549.94	521.95
कर	756.54	701.70
मूल्यह्रास, ब्याज और कर-उपरान्त लाभ	2,440.14	2,124.47
दर विनियामक परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु पारगमन प्रावधानों से निकलने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)	-	876.10
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण का अधिशेष	1,745.79	7,447.16
बांड विमोचन रिजर्व से पश्च लिखित राशि	109.43	15.96
स्व बीमा रिजर्व से पश्च लिखित राशि	-	5.65
सीएसआर निधि से पश्च लिखित राशि	13.33	4.59
लाभांश पर कर-पश्च लिखित	24.08	10.05
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष राशि	4,332.77	10,483.98
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	185.74	379.10
स्व-बीमा निधि को अंतरण	-	55.77
सामान्य आरक्षित को अंतरण	-	7,500.00
सीएसआर रिजर्व को अंतरण	-	-
आर एण्ड डी निधि को अंतरण	9.91	4.63
प्रस्तावित/अंतिम लाभांश	1,660.60	664.27
प्रस्तावित लाभांश पर कर	338.06	134.42
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रेनीत शेष राशि	2,138.46	1,745.79

2. लाभांश :

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रु. 1.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (लाभांश कर के अतिरिक्त) की सिफारिश की है। उक्त राशि में मार्च, 2016 में 0.92 रुपया प्रति इक्विटी शेयर की दर से अदा किया गया अंतरिम लाभांश शामिल है। अंतिम लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा। अनुमोदन पर, वर्ष के लिए लाभांश का कुल भुगतान कर पश्चात लाभ का 68.05 प्रतिशत होगा।

3. विद्युत उत्पादन

वर्ष के दौरान टीएलडीपी-IV (4X40 मेगावाट) की 40 मेगावाट प्रत्येक की 2 यूनिटों को चालू किए जाने के साथ आपकी कंपनी की स्थापित क्षमता बढ़कर 5041.2 मेगावाट हो गई है। इन यूनिटों को चालू किए जाने के साथ आपकी कंपनी की चालू की गई यूनिटों की कुल संख्या बढ़कर 65 हो गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान टीएलडीपी-IV की तीसरी यूनिट को भी चालू किया गया है।

बोर्ड यह सहर्ष सूचित करता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने 81.6 प्रतिशत के संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के साथ **23,683 मिलियन यूनिट** (एमयू) का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया है जबकि उत्कृष्ट रेटिंग हेतु समझौता ज्ञापन में 78.5 प्रतिशत पीएएफ के साथ **22,000 एमयू** निर्धारित किया गया था।

यह अत्यधिक संतुष्टि का विषय है कि उड़ी-II विद्युत स्टेशन (4X60 मेगावाट) जो भीषण आग के कारण 20 नवम्बर, 2014 से पूर्णतः बन्द था, उसे वर्ष 2015-16 के दौरान पूरी तरह से चालू कर लिया गया है। विद्युत स्टेशन में वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (1,124 मेगावाट) और मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (55 प्रतिशत) को प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी ने दक्ष प्रचालन और ग्रिड फ्री-क्वेंसी में परिवर्तनों पर समय से प्रतिउत्तर के चलते 176.72 करोड़ रूपये (लगभग) के निवल विपथन प्रभार अर्जित किए हैं।

बैरास्यूल पावर स्टेशन (180 मेगावाट) वर्ष 2016-17 में अपनी वाणिज्यिक प्रचालन के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। विद्युत स्टेशन के जीवनकाल के विस्तार हेतु नवीकरण, आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षा की गई है। वर्तमान में मुख्य संयंत्र इलैक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एण्ड एम) पैकेज हेतु संविदा को दिए जाने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

4. वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कम्पनी का वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था :

4.1 बिक्री तथा वसूली

वर्ष के दौरान कंपनी की बिक्री 7347 करोड़ रूपये थी और यह 8031 करोड़ रूपये की राशि को वसूल करने में समर्थ थी जिसमें पिछले वर्षों की बकाया राशि का परिसमापन शामिल है।

31 मार्च, 2016 के अनुसार 60 दिवस से अधिक हेतु लम्बित बकाया देय 835 करोड़ रूपये के थे। उपर्युक्त में से 580 करोड़ रूपये विद्युत विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू एवं कश्मीर और 206 करोड़ रूपये बीएसईएसयमुना पावर लिमिटेड से संबंधित हैं। आपकी कंपनी ने बकाया देयों की वसूली के लिए सभी प्रयास किए हैं जिसमें चूककर्ता लाभग्राहियों को विद्युत आपूर्ति का विनियमन शामिल है। भारत सरकार की उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन में भी लाभग्राहियों द्वारा बकाया देयों के परिसमापन को सुगम, सरल बनाया है।

4.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका

आपकी कंपनी ने अपने 17 विद्युत स्टेशनों हेतु 2014-19 की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण हेतु टैरिफ याचिकाएं (दुरूस्त करने की याचिकाओं सहित) प्रस्तुत की हैं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 7 पावर स्टेशनों यथा बैरास्यूल, सलाल, चमेरा-1, टनकपुर, धौलीगंगा, रंगित तथा लोकतक हेतु टैरिफ आदेश जारी किए हैं। शेष याचिकाओं पर आदेश शीघ्र प्रत्याशित हैं।

टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना (4X40 मेगावाट प्रत्येक) की यूनिट-1, 2 तथा 3 को क्रमशः 14 फरवरी, 2016, 16 मार्च, 2016, तथा 3 जुलाई, 2016 को चालू किया गया है। यूनिट 1, 2 तथा 3 को क्रमशः 11 मार्च, 2016, 31 मार्च, 2016 तथा 17 जुलाई, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया है।

5. पूंजीगत ढांचा तथा निवल मूल्य

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी की प्रदत्त पूंजी और निवल मूल्य क्रमशः 11,070.67 करोड़ रूपए और 28,751.95 करोड़ रूपए था।

भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए अप्रैल, 2016 में स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) तंत्र के द्वारा कंपनी में अपनी धारिता के 11.36 प्रतिशत का विनिवेश किया था। ओएफएस के पश्चात कंपनी ने भारत सरकार की शेयरधारिता 85.96 प्रतिशत से कम होकर 74.60 प्रतिशत रह गई है।

6. चालू परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी वर्तमान में 4 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यरत है और उनकी स्थिति निम्नानुसार है :

6.1 तीस्ता लो डैम-IV जल विद्युत परियोजना (160 मेगावाट), पश्चिम बंगाल :

सभी प्रमुख सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल (एचएम) कार्य पूरे हो चुके हैं और परियोजना की तीन यूनिटों को चालू किया गया है। चौथी यूनिट सितम्बर, 2016 में चालू किए जाने की आशा है।

6.2 किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर :

इस परियोजना से 90 प्रतिशत निर्भर योग्य वर्ष में 1705.60 एमयू ऊर्जा उत्पन्न किए जाने का अनुमान है। परियोजना के निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहे हैं। ई एण्ड एम तथा एचएम कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना को नवम्बर, 2016 में चालू किए जाने की आशा है।

6.3 पार्बती-II जल विद्युत परियोजना (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश :

पार्बती-2 जल विद्युत परियोजना पार्बती नदी पर एक रन-ऑफ-द रिवर योजना है। इस परियोजना से 90 प्रतिशत निर्भर योग्य वर्ष में 3108.66 एमयू ऊर्जा उत्पन्न किए जाने का अनुमान है। परियोजना के निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहे हैं। बांध तथा विद्युत गृह के प्रमुख सिविल कार्यों को पूरा कर लिया

गया है। शेष सिविल, ई एण्ड एम तथा एचएम कार्य प्रगति पर हैं। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा शेष हेड रेस टनल (एचआरटी) का उत्खनन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्र उपचार जहां टीबीएम फंसा था, उसे पूरा कर लिया गया है और टनल बनाने के कार्य को अक्तूबर, 2015 में पुनः प्रारंभ किया गया है। परियोजना को अब दिसम्बर, 2018 में चालू किए जाने की आशा है।

6.4 सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), असम/अरूणाचल प्रदेश :

परियोजना कार्य असम राज्य के विभिन्न दबाव समूहों द्वारा आंदोलन के चलते दिसम्बर, 2011 से रूके हुए हैं जिसने परियोजना पूर्णता कार्यक्रम को प्रभावित किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने मुद्दों के समाधान हेतु विभिन्न समितियां गठित की हैं। कंपनी परियोजना में निर्माण क्रियाकलापों को तत्काल पुनः शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार तथा असम राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन कर रही है। परियोजना कार्य को पुनः शुरू किए जाने से 4 वर्ष के समय में पूरा किया जाना प्रत्याशित है। इस परियोजना से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन किसी 90 प्रतिशत निर्भर योग्य वर्ष में 7421 एमयू होने का अनुमान है। परियोजना के विरूद्ध एक याचिका राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की कोलकाता शाखा के समक्ष लम्बित है। याचिकाकर्ता ने एनजीटी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार न्यूनतम डाउनस्ट्रीम प्रवाह को जारी करने और डाउनस्ट्रीम में नदी तटबंधों की रक्षा हेतु निर्णय दिए जाने तक परियोजना निष्पादन पर स्थगन हेतु प्रार्थना की है।

7. नई परियोजनाएं

तालिका 2. अनुमोदन की विभिन्न अवस्थाओं के अधीन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	क. एकल आधार पर		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	कोटली भेल I-ए	उत्तराखंड	195
ii	तीस्ता-IV	सिक्किम	520
iii	दिबांग*	अरूणाचल प्रदेश	2,880
iv	तवांग-I		600
v	तवांग-II		800
उप-जोड (क)			**4,995**
(ख)	**पवन विद्युत परियोजनाएं**		
i	पवन विद्युत परियोजना, पलकाड	केरल	72
ii	पवन विद्युत परियोजना	आंध्र प्रदेश	16
उप-जोड (ख)			**88**
(ग)	**सौर परियोजनाएं**		
i	सौर परियोजना	तमिलनाडू	50
उप-जोड (ग)			**50**
कुल क (क+ख+ग)			**5,133**
	ख. अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना	मणिपुर	66
उप-जोड (क)			**66**
(ख)	**सौर परियोजनाएं**		
i	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा सौर सौर विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	50
उप-जोड (ख)			**50**
(ग)	**तापीय परियोजनाएं**		
i	पीरपंती तापीय विद्युत परियोजना (बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और पीरपंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम)	बिहार	1,320
उप-जोड (ग)			**1,320**
कुल ख (क+ख+ग)			**1,436**
	ग. संयुक्त उद्यम के माध्यम से		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	कीरू[$] (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)	जम्मू एवं कश्मीर	624
ii	कवार[$] (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)		540
iii	पकल दुल (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)		1,000
iv	भूटान में चमखरचू-I (ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम)		770
उप-जोड (क)			**2,934**
कुल ग (क)			**2,934**
सकल योग (क+ख+ग)			**9,503**

टिप्पणियां :

* दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना को प्रारंभ में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 3000 मेगावाट के लिए सहमति प्रदान की गई थी। बाद में दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 19 मई 2015 को बांध की ऊंचाई में 10 मीटर की कमी के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। बांध की ऊंचाई में कमी के कारण स्थापित क्षमता अब 2880 मेगावाट होगी।

$ कीरू तथा कवार जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पहले की क्षमताएं क्रमशः 600 मेगावाट तथा 520 मेगावाट के रूप में परिकल्पित की गई थी। 624 मेगावाट हेतु कीरू जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीईए द्वारा 13 जून, 2016 को स्वीकृत की गई है और 24 जून 2016 को पर्यावरण स्वीकृति भी प्रदान की गई है। 540 मेगावाट हेतु कवार जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीईए द्वारा मूल्यांकन के अधीन है।

उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्तराखंड में 2 परियोजनाएं अर्थात कोटली भेल चरण-1बी (320 मेगावाट) और कोटली भेल चरण-2 (530 मेगावाट) स्वीकृति के अधीन थी। सीईए ने इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और परियोजना निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने वर्ष 2007 में इन परियोजनाओं की सिफारिश की थी। तथापि, कोटली भेल-1बी की पर्यावरणीय स्वीकृति को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वापिस ले लिया गया है। एनएचपीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केबी-1बी तथा केबी-2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमति को भी अस्वीकृत कर दिया है। एनएचपीसी ने इन परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृति पर पुनः विचार करने हेतु मुद्दे को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/विद्युत मंत्रालय/राज्य के साथ उठाया है।

8. विविधीकरण

आपकी कंपनी अपने क्रियाकलापों का जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य स्रोतों अर्थात पवन, सौर तथा तापीय में विविधीकरण कर रही है। ऐसी परियोजनाओं के स्थापन हेतु कम्पनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

8.1 पवन विद्युत परियोजनाएं

राजस्थान के जैसलमेर जिले में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए ईपीसी संविदा फरवरी 2015 में 10 वर्षों हेतु इसके व्यापक प्रचालन तथा अनुरक्षण के साथ दी गई थी। परियोजना को राजस्थान डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात चालू किया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है।

केरल सरकार और एनएचपीसी के मध्य केरल राज्य के अगाली स्थल, अलकाड जिले में एक 72 मेगावाट (+10 प्रतिशत) क्षमता की पवन विद्युत परियोजना के विकास हेतु केरल सरकार तथा एनएचपीसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पवन विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए डीपीआर तैयार की गई है।

आपकी कंपनी ने आंध्र प्रदेश के नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (नोडल एजेंसी) से आंध्र प्रदेश में 16 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र के आवंटन हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त किया है।

8.2 सौर विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने पारासौं गांव, तहसील-कालपी, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के साथ एक अनुषंगी कम्पनी यथा बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड को अधिनिगमित किया है।

आपकी कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य में एक सौर संयंत्र को स्थापित करने के लिए 10 फरवरी, 2016 को महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में 250 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु 30 नवम्बर 2015 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8.3 तापीय विद्युत परियोजनाएं

22 फरवरी, 2014 को एनएचपीसी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) और पिरपेंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (पीबीसीपीएल) के मध्य बिहार के भागलपुर जिले में 1320 (2X660) मेगावाट पिरपेंथी तापीय विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाना है और पीबीसीपीएल (परियोजना कंपनी) में एनएचपीसी की इक्विटी भागीदारी 74 प्रतिशत तथा शेष 26 प्रतिशत इक्विटी अंश बीएसपीजीसीएल का होगा। उक्त हेतु निवेश अनुमोदन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में दोइचा-पचामी-दिवानगंज-हरसिंगा ब्लाक से कोयले का आवंटन 6 सितम्बर, 2013 को अन्य राज्यों के साथ परियोजना को किया गया है। कोयला ब्लाक के विकास हेतु आवंटियों (6 राज्यों के 7 पीएसयू) द्वारा 'बंगाल वीरभूमि कोलफील्ड लिमिटेड' के नाम से 29 सितम्बर, 2015 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी अधिनिगमित की गई है।

8.4 पम्पड स्टोरेज स्कीम

आपकी कंपनी महाराष्ट्र राज्य में पम्पड स्टोरेज स्कीम के विकास हेतु सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश कर रही है। प्रस्तावित परियोजनाओं के डीपीआर को तैयार किए जाने हेतु प्रारंभिक लागत अनुमान निकाले गए हैं। संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयारी प्रारंभ की गई है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के संबंध में मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

9. डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया है :

तालिका-3 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अधीन होने वाली परियोजनाएं

क्र. स.	परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	बरसर जल विद्युत परियोजना*, जम्मू एवं कश्मीर	800
2	धौलीगंगा इंटरमीडिएट जल विद्युत परियोजना**, उत्तराखंड	225
3	गौरीगंगा।।।ए जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड	120
	कुल	**1,145 मेगावाट**

* पहले बुरसर की स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट परिकल्पित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संदर्भ की शर्तों के अनुसार बुरसर की क्षमता को कम करके इसे 812 मेगावाट कर दिया गया है। तदनुसार, परियोजना की अर्थक्षमता की समीक्षा डीपीआर के पूर्ण होने पर की जाएगी।

** जून, 2013 माह में आई भारी बाढ़ और बांध क्षेत्र में नदी द्वारा लाई गई सामग्री के बड़ी मात्रा में जमा होने के चलते वैकल्पिक बांध स्थल की पहचान की गई है। नई जल श्रृंखला के अनुसार धौलीगंगा मध्यवर्ती जल विद्युत परियोजना की क्षमता 210 मेगावाट से बढ़कर 225 मेगावाट हो सकती है जो विस्तृत अभियांत्रिकी के अधीन है।

10. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (तत्कालीन आरजीजीवीवाई)

आपकी कंपनी ने 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान 5 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा ओडीशा में फैले 27 जिलों में लगभग 2800 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (तत्कालीन आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

31 मार्च, 2016 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार थी -

- 9077 विद्युत रहित/वि-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- 18693 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- 16.10 लाखों गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सर्विस कनेक्शन मुहैया करवाए गए।
- लेह तथा कारगिल में 66/11 केवी के 11 नए सब-स्टेशनों का निर्माण।
- 33/11 केवी के 48 नए सब-स्टेशनों का निर्माण।

* विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं की समापन रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान करते समय परियोजना लागत और गांवों तथा बीपीएल कनेक्शनों की संख्या को स्कीम हेतु नोडल एजेंसी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संशोधित/कम किया गया है।

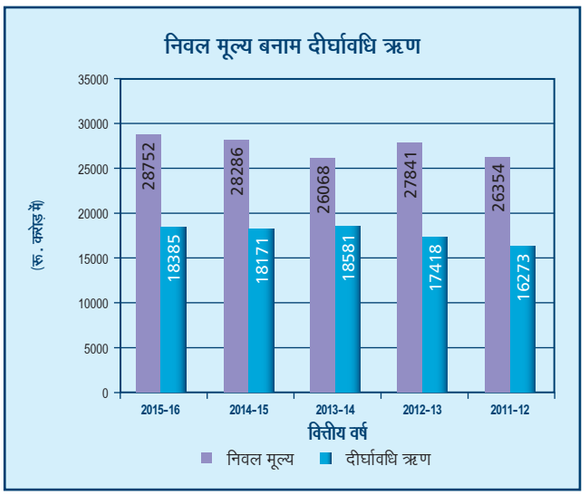

11. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों नामतः वैशाली, मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारन, सिओहर और पश्चिमी चम्पारन में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ वर्ष 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इन सड़कों का निर्माण के पश्चात 5 वर्षों तक रख-रखाव एनएचपीसी द्वारा किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 3,228 किलोमीटर कवर करने वाली 758 सड़कों हेतु 1,725.65 करोड़ रूपए की लागत पर निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। 31 मार्च, 2016 तक 3221 किलोमीटर लम्बाई वाली 752 सड़कें पूरी हो चुकी है तथा सौंपी जा चुकी है। उक्त में से, 1,637 किलोमीटर लंबाई की 338 सड़कों के संबंध में 5 वर्ष की रखरखाव अवधि समाप्त हो चुकी है।

12. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी देश के भीतर तथा देश से बाहर समूचे विश्व में वैश्विक रूप से प्रमुख संगठनों को जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-वैज्ञानिक अध्ययन, भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक टैन्सिऐन्ट स्टॅडीज), जलविज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपकरण आयोजना, भूमिगत निर्माण, परीक्षण और उत्पादन प्रारंभ कराना तथा प्रचालन एवं रखरखाव में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करती है।

आपकी कंपनी ने 1200 मेगावाट तीस्ता चरण-III जल विद्युत परियोजना, सिक्किम को परियोजना निर्माण प्रबंधन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख परामर्शी कार्यों में भारत तथा भूटान में केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां, सीपीएसयू और अन्य एजेंसियां शामिल हैं।

13. वैश्विक पहलें

भूटान में कूरी गोंगरी जलाशय परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य एनएचपीसी को सौंपा गया था। रिपोर्ट शाही भूटान सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भूटान में मंगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु मंगडेचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को डिजाइन तथा अभियांत्रिकी परामर्शी सेवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। इस प्रतिष्ठित कार्य ने निविदा प्रक्रिया के प्रारंभ से परियोजना के निष्पादन तक समूची डिजाइन तथा अभियांत्रिकी शामिल है।

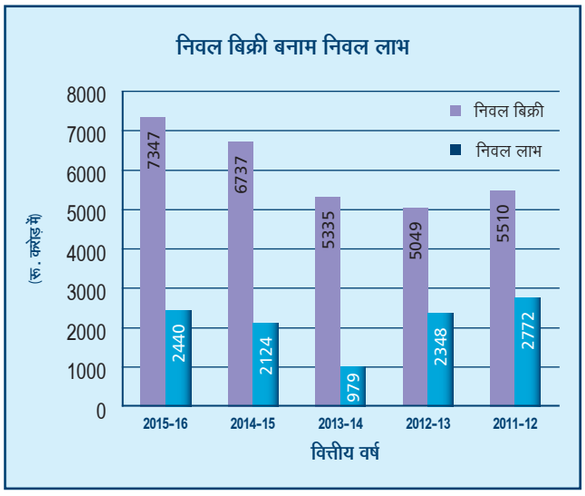

एनएचपीसी भारत सरकार तथा शाही भूटान सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के अंतर्गत संयुक्त उद्यम मोड में भूटान में 770 मेगावाट चमखरचू-1 जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को लेने की प्रक्रिया में है। ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु विचार-विमर्श अग्रिम चरण में है।

वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने इथोपिया में इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (ईपको) के साथ प्रबंधन परामर्शी संविदा में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले भारतीय संघ में एक भागीदार के रूप में परामर्शी सेवाएं भी मुहैया करवाई हैं।

14. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70 : 30 का होना चाहिए। आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की उपलब्ध आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं।

कंपनी अपनी मजबूत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है।

15. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

आपकी कंपनी का एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आधारभूत ढांचा है। इसके विभिन्न स्थल अब एमपीएलएस-वीपीएन/वीसैट-केयू बैण्ड/ब्रॉड बैण्ड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मल्टी मोड/विफलता रहित सप्रेषण के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। एनएचपीसी ने वर्तमान में अपने प्रमुख सर्वरों को नई दिल्ली में मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा समाहर्ता (एनआईसीएसआई) और फरीदाबाद में मैसर्स बीएसएनएल के टियर-3 डाटा सेंटरों में सह-स्थापित किया है। कोलकाता में एनएचपीसी कार्यालय में आपदा रिकवरी (डीआर) स्थल भी कार्य कर रहा है और एक निकट डीआर स्थल को फरीदाबाद में मैसर्स बीएसएनएल डाटा सेंटर में प्रचालनशील किया गया है। एनएचपीसी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के ईष्टतम तथा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा नीति विद्यमान है।

सभी प्रमुख व्यापार कार्य यथा वित्त, मानव संसाधन, खरीद तथा संविदाएं, माल-सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन तथा अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री और लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि को नवीनतम उपकरण तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आईएफएस-ईआरपी प्रणाली में कार्यान्वित किया गया है।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार कंपनी में ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया चालू है। एनएचपीसी सीईआरटी-हाइड्रो हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है जिसमें यह घटक सदस्य संगठनों को साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में मार्गदर्शन देता है तथा निगरानी का कार्य करता है।

16. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण कार्य-निष्पादन में सुधार करने और किसी व्यक्ति, टीम तथा संगठन की आंतरिक प्रतिभा को निखारने हेतु एक प्रभावी अस्त्र है। एनएचपीसी ने एएससीआई हैदराबाद, आईआईएम, आईएमटी गाजियाबाद, एफएमएस दिल्ली, आईआईटी रूड़की, आईएसएम धनबाद, आईआईएससी बंगलौर, एबीबी, अल्सटोम, जीई इलेक्ट्रिक, बीएचईएल आदि के साथ मिलकर नियमित रूप से बहु विधा कार्यक्रमों का आयोजन कर्मचारियों की व्यवहारात्मक, प्रबंधकीय तथा कार्यात्मक दक्षता को विकसित करने के लिए करता है।

एनएचपीसी ने प्रमुख पदों को धारित कर सकने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान करके उत्तराधिकार आयोजना के संबंध में एक विशेष पहल की है। वर्ष के दौरान उत्तराधिकार आयोजना संबंधी एक विशेषीकृत कार्यक्रम जिसे प्रबंधन अध्ययन संकाय (एफएमएस), दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ परामर्श से तैयार किया गया था, का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 4 दिन प्रत्येक के 4 मॉडयूल शामिल थे जिनमें यूनिटों के प्रमुख/यूनिटों के संदर्शी प्रमुखों ने भाग लिया था।

17. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सामंजस्य पूर्ण रहे।

18. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

आपकी कंपनी नए बनाए गए 'उचित मुआवजे का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास में पारदर्शिता अधिनियम, 2013' में यथा उल्लिखित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

19. सतर्कता कार्यकलाप

सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में क्रमशः 100 लाख

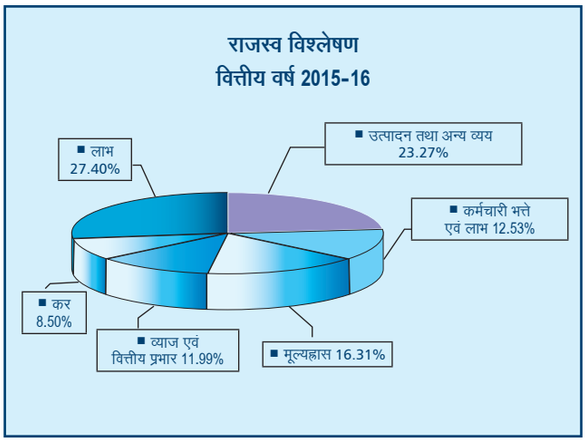

रूपये, 7 लाख रूपये तथा 15 लाख रूपये मूल्य की या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए सत्यनिष्ठा समझौते का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, एनएचपीसी ने पारदर्शी खरीद प्रणाली के एक भाग के रूप में समूचे संगठन में ई-खरीद का विकल्प चुना है। 5 लाख रूपए मूल्य से अधिक की आपूर्ति/कार्य/संविदाओं की प्रक्रिया ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है। अब ई-निविदा हेतु 5 लाख रूपये की अंतिम सीमा को कम करके 2 लाख रूपये कर दिया गया है।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में निरीक्षण/गहन परीक्षण पर आधारित परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों को नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित तथा औचक निरीक्षण किए जाते है। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्रवाई योग्य बिंदुओं को समय-समय पर परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है। समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा कार्यों का गहन परीक्षण भी किया जाता है।

विद्यमान कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और नीति-शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

20. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

21. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति जो वर्ष 2009-10 से कार्यान्वयनाधीन थी, में जुलाई, 2015 में संशोधन किया गया है। नीति जोखिम संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मार्ग-दर्शन के लिए एक जोखिम रजिस्टर विकसित करने सहित जोखिम प्रबंधन के प्रति एक ढांचाबद्ध तथा अनुशासित एप्रोच स्थापित करती है। कुल 53 प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके न्युतीकरण उपायों सहित की गई है और उन्हें संशोधित नीति के जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयकों की पहचान की गई है जो कंपनी के व्यापार पर किसी गम्भीर प्रभाव से बचने के लिए जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्यवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन कारपोरेट अभिशासन पर वृद्धित फोकस और विद्युत स्टेशनो के निर्माण तथा प्रचालन के दौरान जोखिमों के प्रबंधन में परिणत हुआ है। कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर आवधिक अनुपालन लेखापरीक्षा द्वारा विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं संबंधी अनुपालन में भी सुधार किया है।

22. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) हेतु लोक खरीद नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लोक खरीद नीति के समन्वय तथा क्रियान्वयन हेतु एनएचपीसी की ओर से नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

एनएचपीसी में लोक खरीद नीति के अंतर्गत निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लोक खरीद नीति के अंतर्गत एनएचपीसी ने कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 20.1 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की जिसमें ऐसी मदों/उपकरणों/सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं था जो या तो मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के स्वामित्व वाले थे और/अथवा जिन्हें एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किया जा रहा था/मुहैया नहीं करवाया जा रहा था, और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत के बाध्यकारी लक्ष्य के प्रति था।

सूक्ष्म, लघु उपक्रम के साथ मिलकर एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/यूनिटों में कुल 19 विशेष वैन्डर विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।

23. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और संगत नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), फरीदाबाद की बैठकों का आयोजन हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें हिंदी पखवाड़ा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी 'पुस्तक पठन सप्ताह', हिंदी कवि सम्मेलन आदि शामिल है। हिंदी कार्यशालाओं तथा विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाओं का कारपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से से आयोजन किया गया था। हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'राजभाषा ज्योति' और 'नगर सौरभ' नामक राजभाषा पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति ने 2 जून, 2015 को जम्मू में सलाल विद्युत स्टेशन का राजभाषा निरीक्षण किया और कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की गहन निगरानी और राजभाषा निरीक्षण कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किए गए थे।

24. जन-संपर्क अभियान/जागरूकता गतिविधियां

समय-समय पर प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आपकी कंपनी की उपलब्धियों और जल विद्युत की आवश्यकता को प्रचारित किया गया।

एनएचपीसी के विकासात्मक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए कई मंचों पर एनएचपीसी पर कारपोरेट फिल्मों का प्रसारण किया गया था। एनएचपीसी ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर कई प्रदर्शनियों में भी प्रतियोगिता की थी।

एनएचपीसी ने 16 से 18 मार्च, 2016 तक अपने आवासीय परिसर, फरीदाबाद में 21वें अंतर सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। एनएचपीसी की टीमों ने वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित अन्य विभिन्न अंतर सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी प्रतियोगिता की थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्ग-दर्शन में सीपीएसयू की सहायता से समूचे देशभर में ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाता है। एनएचपीसी ने जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में स्कूल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग प्रतियोगिताओं का समन्वय किया है।

25. पुरस्कार तथा सम्मान

आज के इस सदैव बदलते व्यापार परिवेश में प्रत्येक संगठन एक प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने के लिए नए क्षितिजों की तलाश कर रहा है। एनएचपीसी एक समग्र वृद्धि हेतु प्रयास करती है और यह वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों तथा उपलब्धियों की सूची से झलकता है। एनएचपीसी समग्र विकास हेतु प्रयास करती है और यह पुरस्कारों एवं उपलब्धियों की एक लम्बी सूची में प्रदर्शित होता है।

प्रबंधन तथा नेतृत्व में पुरस्कार :

- 29 दिसम्बर, 2015 को सीबीआईपी पुरस्कारों में 'जल विद्युत क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादक उपयोगिता' हेतु सीबीआईपी पुरस्कार।
- 23 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे आईपीएसई पुरस्कारों में 'वर्ष का विद्युत क्षेत्र पीएसई पुरस्कार'।
- विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय ऊर्जा) श्रेणी में 'डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट एवरेस्ट इन्फ्रा पुरस्कार, 2015'।
- 3 जून, 2015 को निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना को पहले पूरा करने हेतु उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन (वर्ष 2013-14 हेतु) के लिए 'स्वर्ण शील्ड' जिसे श्री पीयूष गोयल, माननीय केन्द्रीय विद्युत, कोयला और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा प्रदान किया गया।
- 14 दिसम्बर, 2015 को आयोजित दूसरे इंडिया टुडे समूह पीएसयू पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी में 'सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल पुरस्कार' और 'सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी पुरस्कार'।
- उल्लेखनीय कार्य तथा कर्मचारी अनुकूल नीतियों को मान्यता देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम द्वारा मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत 'श्रेष्ठ उद्यम हेतु विशेष जूरी पुरस्कार'।
- 14 सितम्बर, 2015 को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' नामक एक नई पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार।
- राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु गृह मंत्रालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद (एनएचपीसी के संरक्षण में कार्यरत) को 'द्वितीय पुरस्कार'।
- क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू को वर्ष 2014-15 में राजभाषा कार्यान्वयन में किए गए सराहनीय कार्य हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सलाल विद्युत स्टेशन और टनकपुर विद्युत स्टेशन को भी उक्त के लिए तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया था।

26. कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) की अनुसूची 5(ग) और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीजीडीपीई) हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन पर एक पृथक अध्याय **अनुबंध- I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलओडीआर और सीजीडीपीई की अनुसूची 5(ङ) के अनुसार कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के पालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र **अनुबंध- II** में दिया गया है।

27. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

एलओडीआर और सीजीडीपीई की अनुसूची 5(ख) के अनुपालन में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दी गई है।

28. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी प्रेक्षण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम), जिसे कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है, के अतर्गत प्रकटीकरण हेतु यथापेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी प्रेक्षण, विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में ब्यौरों को **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

29. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

एलओडीआर के विनियम 34(2) के अनुपालन में कम्पनी द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक तथा शासन मुद्दों पर की गई पहलों के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट **अनुबंध-V** में दी गई है।

30. सम्बन्धित पक्षों के संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार इसकी सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के साथ परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं मुहैया करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्ष संव्यवहार का फार्म एओसी-2 में प्रकटीकरण किया जाना लागू नहीं होता है।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो लेखांकन मानक-18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करता है।

31. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास (एसडी) संबंधी रिपोर्ट

आपकी कंपनी अपने व्यापार का संचालन एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से संगठनात्मक सत्यनिष्ठा और नैतिकतापूर्ण व्यवहार के उच्च स्तरों को और क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण में पारदर्शिता के प्रत्याशित मानकों के अनुरूप अपनाकर कर रही है। आपकी कंपनी के सीएसआर प्रयास इसके हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय चिन्ताओं पर ध्यान देने पर केन्द्रित है जिसमें इसके प्रचालनों तथा क्रियाकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जिसे कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप एक सुपरिभाषित सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीति है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत को सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय किया जाना होता है। वित्त वर्ष 2015-16 हेतु 43.28 करोड़ रूपये की अपेक्षित राशि के प्रति कंपनी ने 72.68 करोड़ रूपये व्यय किए हैं। इस प्रकार, सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 3.36 प्रतिशत होता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए कापोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीय विकास क्रियाकलापों पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध-VI** में दी गई है।

32. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3), जिसे कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़े जाने के अनुसार वार्षिक रिटर्न का उद्धरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

33. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी ने विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्डों को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कारपोरेट कार्यालय में अपीलीय अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान, आरटीआई के अंतर्गत 744 आवेदन और 84 प्रथम अपीले प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्रमशः 735 (98.79 प्रतिशत) आवेदनों और 75 प्रथम अपीलों (89.28 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष तीन द्वितीय अपीलें दायर की गई थी जिनका निर्णय एनएचपीसी के पक्ष में हुआ था।

34. लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

34.1 सचिवालयीन लेखापरीक्षक

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु कम्पनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस को नियुक्त किया। सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-VIII** में दी गई है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां/अभिमत व्यक्त किए हैं। टिप्पणियां/अभिमत और उसका उत्तर निम्नानुसार है :

क्र. सं.	टिप्पणी/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1) (ख) (तत्कालीन सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)) और कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुरूप होनी चाहिए। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।	कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 34, जिसे एमसीए की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। मामले का नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	कंपनी के निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के अनुपालन में होना अपेक्षित है।	निदेशक मंडल ने 26 अप्रैल 2016 को हुई अपनी बैठक में "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति" को अनुमोदित किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।
3.	बोर्ड ने 2 स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार उन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करके किया है। प्रशासनिक मंत्रालय से अपेक्षित स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है।	बोर्ड ने 2 स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार उन्हें बोर्ड में नए स्वतंत्र निदेशकों के कार्यभार ग्रहण करने अथवा अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि की अवधि तक के लिए उन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करके किया है। बोर्ड के निर्णय से मंत्रालय को अवगत कराया गया था और मंत्रालय से कोई निदेश/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई थी।

34.2 सांविधिक लेखा परीक्षक

एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी होने के चलते, इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स रे एंड रे, कोलकाता और मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट, जम्मू को संयुक्त रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और उन पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई टिप्पणी, शर्त या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत धोखाधड़ी के किसी मामले को सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट **अनुबंध-IX** में दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-X** में दिए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण **अनुबंध-XI** मे दिए गए हैं।

34.3 लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी विद्युत स्टेशनों द्वारा किया जा रहा है। लागत लेखा परीक्षक की निम्नलिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत स्टेशन के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है :

फर्म का नाम	विद्युत केन्द्र का नाम
मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	सलाल, उड़ी-I और उड़ी-II
मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी, नई दिल्ली	चमेरा-I, बैरास्यूल और पार्बती-III
मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी, नोएडा	चमेरा-II और सेवा-II
मैसर्स एस.के.आर. एंड एसोसिएटस, जयपुर	टनकपुर, चमेरा-III और धौलीगंगा
मैसर्स जुगल के. पुरी एंड एसोसिएटस, नई दिल्ली	चुटक और निम्मो बाजगो
मैसर्स एन.के.जैन एंड एसोसिएटस, नई दिल्ली	दुलहस्ती, लोकतक और टीएलडीपी-IV
मैसर्स एस.पी.भट्टाचार्य एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए समेकित की गई लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट 01 अक्तूबर, 2015 को फाइल की गई थी। जिन लागत लेखपरीक्षा फर्मों के ब्यौरे वित्त वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तुत किए गए, उन्हें नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक का नाम	सदस्यता संख्या	पता
1	सलाल, उड़ी-I और उड़ी-II	मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी	16339	सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032
2	चमेरा-I और बैरास्यूल	मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी	5574	दुकान नं. 25, डीडीए मार्किट, 'बी' ब्लाक, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
3	टनकपुर, धौलीगंगा और चमेरा-III	मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस, भुवनेश्वर	10924	511, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007
4	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III	मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी	1222	जे-7, सेक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा-201301
5	चुटक, निम्मो बाजगो और पार्बती-III	मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी	17321	ए-1-बी/49-बी पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063
6	दुलहस्ती और लोकतक	मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी	1917	बी-25, सेक्टर-23, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301
7	चमेरा-II और सेवा-II	मैसर्स एस.के.आर. एंड एसोसिएट्स	5966	शॉप नं.-5, प्रथम तल, जेडीए मार्किट, निकट एसबीबीजे चौराहा, चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर - 302 021

35. समेकित वित्तीय विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 और लेखांकन मानक एएस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एएस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण मुहैया करवाए गए है।

36. दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौरे

दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण में दिए गए हैं (कृपया एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 4, 12 और 15 देखें)।

इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 लागू नहीं होती है (सिवाय उप धारा (1) के)।

37. अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

31 मार्च, 2016 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों, संबद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यम है :

क. अनुषंगी कंपनियां

(1) एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश सरकार (49 प्रतिशत) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसके मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील विद्युत स्टेशन है अर्थात इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन तथा ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन से उत्पादन क्रमशः 1,974.28 एमयू तथा 958.61 एमयू था।

अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण में कंपनी मध्य प्रदेश राज्य में सौर विद्युत विकास में प्रवेश कर रही है।

(ii) लोक्तक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत निगम लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत निगम लिमिटेड (एलडीएचसीएल) को एनएचपीसी तथा मणिपुर सरकार के मध्य क्रमशः 74 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत की इक्विटी शेयरधारिता के साथ मणिपुर के तमेंगलॉग जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु

एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में प्रमोट किया गया था। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इच्छा व्यक्त किए गए अनुसार नई डीपीआर 25 मार्च, 2015 को प्रस्तुत की गई थी जो जांच के अधीन है। परियोजना के टर्नकी निष्पादन हेतु बोलियां कंपनी द्वारा आमंत्रित की गई थी। चूंकि निम्नतम बोलीदाता से प्राप्त दर-सूची अनुमानित लागत से काफी अधिक थी, एलडीएचसीएल बोर्ड में निविदाओं को निरस्त करने और परियोजना को दो ईपीसी पैकेजों अर्थात एक सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल और दूसरा इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों हेतु, को निरस्त करने का निर्णय लिया था।

इसके अतिरिक्त, मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल बहुउद्देश्य योजना के जल विद्युत घटक (7.5 मेगावाट) को कंपनी को आंवटित किया है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना फील्ड अन्वेषण चरण के अधीन है।

(iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड**

बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार परियोजना की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परियोजना हेतु यूपीएनईडीए द्वारा निर्दिष्ट की गई भूमि को वापिस ले लिया गया है और अन्य भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, निर्दिष्ट भूमि के आधार पर दी जाने वाली संविदा को निरस्त कर दिया गया था।

50 मेगावाट सौर क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक ग्रिड से कनेक्टिड विद्युत संयंत्र तथा संबद्ध 132 केवी विद्युत निकासी उपकरण के विकास हेतु ईपीसी संविदा को दिए जाने के लिए नई बिडिंग प्रक्रिया को यूपीएनईडीए द्वारा भूमि के आवंटन के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा।

ख. संबद्ध/संयुक्त उद्यम कंपनी

(i) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड**

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड को जम्मू एवं कश्मीर में एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी है के रूप में पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), कीरू जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) और कवार जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) के विकास हेतु अधिनिगमित किया गया था।

पकल दुल जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए 19 जून, 2013 को आमंत्रित की गई बिडों को निरस्त कर दिया गया है। प्रमुख घटकों यथा अपवर्तन टनल, एचआरटी-टीबीएम, बांध, विद्युत गृह, एचएम तथा ई एण्ड एम के पैकेजों के माध्यम से परियोजना के लिए नई बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कीरू जल विद्युत परियोजना हेतु तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन (टीईए) प्रदान कर दिया है। परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति 24 जून, 2016 को प्रदान की गई है। कवार जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए द्वारा जाँच के अधीन है और परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

कंपनी ने आधारभूत ढांचा विकास कार्यों (परियोजना सड़कों, पुल, भवन आदि) को प्रारंभ किया है। तथापि, प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों को अभी प्रारंभ किया जाना है।

(ii) **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)**

एनएचपीटीएल को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में देश में शार्ट शर्किट जांच सुविधा हेतु एक उच्च शक्ति वाली विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। बाद में अनुपूरक संयुक्त उद्यम समझौते के निष्पादन के पश्चात कम्पनी में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान शामिल हुआ।

कम्पनी 765 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मरों के शार्ट सर्किट परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश राज्य में बीना में उच्च वोल्टेज ट्रांसफोर्मर (एचवीटीआर) और मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) प्रयोगशाला का निर्माण कर रही है। अद्यतन तिथि तक लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रयोगशाला को वर्ष 2016 में चालू किया जाना प्रत्याशित है।

(iii) **नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड**

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड को 11 दिसम्बर, 2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज के प्रचालन हेतु स्थापित किया गया था। कंपनी वर्तमान में परिसमापन के अधीन है। कंपनी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागित 16.67 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कोई कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी नहीं बनी है/बने रहना समाप्त भी नहीं हुआ है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक अनुषंगी, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में मुहैया करवाई गई है और इसलिए संक्षिप्तता के मद्देनजर उसे दोहराया नहीं गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी सचिव, एनएचपीसी लिमिटेड को लिख सकता है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.nhpcindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित भौतिक अनुषंगियों पर नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर देखा जा सकता है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf

38. प्रकटीकरण :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति तथा लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में 31 मार्च, 2016 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नवत है :

38.1 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. प्रो. अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)
3. श्री डी.पी.भार्गव, निदेशक (तकनीकी)

38.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री फारूख खान, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

38.3 सतर्कता तंत्र

आपकी कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और उनकी जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु एक व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्कता तंत्र) को परिभाषित तथा स्थापित किया है। व्हिसिल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf लिंक पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 22 के अनुरूप हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से रोका नहीं गया है।

39. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतदद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को एक अनवरत संबंध के आधार पर तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और

(च) कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से सकार्य कर रही हैं।

40. निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

- **कार्यात्मक निदेशक**

23 सितम्बर, 2015 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम बैठक के पश्चात से तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आर.एस.टी.साई ने 23 सितम्बर, 2015 से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया जो 23 सितम्बर, 2015 से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि से कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद को धारित करने के लिए एक अपर निदेशक के रूप में श्री कृष्ण मोहन सिंह की नियुक्ति के परिणामस्वरूप हुआ था।

श्री आर.एस.टी.साई, तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक जिन्हें निदेशक(परियोजनाएं) का अतरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था,

उन्होंने 23 सितम्बर, 2015 को सीएमडी, एनएचपीसी न रहने पर उक्त पद को भी त्याग दिया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 6 जनवरी, 2016 के आदेश के माध्यम से श्री रतीश कुमार को निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें 6 जनवरी, 2016 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात 7 जनवरी, 2016 से एक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री दिनेश प्रसाद भार्गव, तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) ने 31 मार्च, 2016 को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। श्री बलराज जोशी को 1 अप्रैल, 2016 से बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- **सरकार नामित निदेशक**

श्री अरूण कुमार वर्मा, सरकार नामित निदेशक जिन्हें 17 दिसम्बर, 2014 को एनएचपीसी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था, विद्युत मंत्रालय के आदेशों के परिणामस्वरूप 19 अक्तूबर, 2015 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। उनका स्थान विद्युत मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव (हाइड्रो) श्री अनिरूद्ध कुमार ने लिया था जो 28 अक्तूबर, 2015 को एनएचपीसी बोर्ड में शामिल हुए। विद्युत मंत्रालय के आदेशों के परिणामस्वरूप 29 फरवरी, 2016 से श्री अनिरूद्ध कुमार कंपनी के निदेशक नहीं रहे। विद्युत मंत्रालय की संयुक्त सचिव (हाइड्रो) श्रीमती अर्चना अग्रवाल को 6 मार्च, 2016 से कंपनी के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

- **स्वतंत्र निदेशक**

श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार 23 सितम्बर, 2015 को अपने पद त्याग दिए। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के पत्र के माध्यम से श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. कनिका टी. भाल, प्रो. अरूण कुमार और श्री फारूक खान को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी के निदेशक मंडल में आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड श्री आर.एस.टी.साई, श्री के.एन.गर्ग, श्री अरूण कुमार वर्मा, श्री अनिरूद्ध कुमार, श्री अशोक कुमार दत्ता, श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री दिनेश प्रसाद भार्गव द्वारा निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट योगदान हेतु अत्यधिक सराहना को रिकार्ड करता है।

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम, 16(1)(ख) में यथानिर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

बोर्ड तथा समिति बैठकों के ब्यौरे कारपोरेट शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में छूट दी है/संशोधन किया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड, उनकी पारिश्रमिक नीति और कुछ मामलों में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों के बोर्ड से निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है यदि उनका मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उक्त अधिसूचना के अनुपालन में रिपोर्ट में कर्मचारियों के विवरण तथा संबंधित प्रकटीकरण को मुहैया नहीं करवाया गया है।

जहां तक केएमपी (निदेशकों के अतिरिक्त) और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का संबंध है, उनके वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभ संगत डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के संगत दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन-रिकार्डिंग तथा अभिरक्षा' नियमों के अनुसार किया जा रहा है। कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम के ब्यौरे कम्पनी की वेबसाइट पर http://www. nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FamiliarProg-BOD.pdf लिंक पर रखे गए हैं।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे कारपोरेट शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

41. बोर्ड की बैठक

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें आयोजित की गई थी। और ब्यौरों हेतु कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट को देखें।

42. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करती है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, से निपटने और उनकी जाँच करने के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

1 अगस्त, 2015 को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत लम्बित नहीं थी। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जाँच की गई तथा निपटान किया गया।

43. निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) ब्यौरे

आईईपीएफ (कंपनियों के पास पड़े भुगतान न किए गए तथा अदावाकृत राशियों के संबंध में जानकारी को अपलोड करना) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में 23 सितम्बर, 2015 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) के अनुसार कंपनी के पास भुगतान न की गई तथा अदावाकृत राशियों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.nhpcindia.com/IEPF.htm पर उपलब्ध हैं और उन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

44. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संव्यवहार नहीं किए गए थे :

1. अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत कवर किए गए जमा से संबंधित ब्यौरे।
2. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।
3. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।
4. न तो अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और न ही कंपनी के किसी क्रियात्मक निदेशक को इसकी किसी अनुषंगी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त हुआ है।
5. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जो कम्पनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।
6. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

45. आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल तहेदिल से भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं तथा निवेशकों का उनसे प्राप्त सतत सहयोग तथा मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भी उनके द्वारा कंपनी पर जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल हमारे मूल्यवान ग्राहकों, राज्य विद्युत बोर्डों और डिस्कॉम तथा और परामर्शी कार्यों हेतु अन्य मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता है।

आपके निदेशक सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग तथा सतत सपोर्ट हेतु कृतज्ञता व्यक्त करते है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के प्रति उनके उत्साह, टीम प्रयासों, समर्पण तथा अपनत्व की भावना हेतु अत्यधिक आभार प्रकट करता है जिससे आपकी कंपनी गौरवांवित हुई है।

निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

तारीख : 4 अगस्त, 2016
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

अनुबंध - I

1. कारपोरेट अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :

एनएचपीसी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण, शेयरधारकों की सम्पत्ति में अधिकतम वृद्धि और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। यह इसके सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में सहायता करना है और सभी घटकों के मध्य भरोसे तथा विश्वास के एक परिवेश को बनाता है।

एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को एक विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है।

स्टॉक एक्सचेजों के साथ सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त, एनएचपीसी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करता हैं।

2. निदेशक मंडल

(i) **निदेशकों की संरचना और श्रेणी :** एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 2(45) के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी मोटे तौर पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 का अनुपालन कर रही थी सिवाय विनियम 17(1) के अर्थात बोर्ड की संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विनियम 18(1) तथा 18(2) का वर्ष के कुछ भाग हेतु अनुपालन नहीं किया जा सका था। यह अनुपालन मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण था।

31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल 11 निदेशक थे जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित 5 क्रियात्मक निदेशक, 2 सरकारी नामिति निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

निदेशक मंडल ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आदेशों के परिणामस्वरूप श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) और श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी) को क्रमशः 6 जनवरी, 2016 तथा 1 अप्रैल, 2016 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री डी.पी.भार्गव, तत्कालीन निदेशक(तकनीकी) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मार्च, 2016 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के आदेश के प्राप्त होने के अनुपालन में निदेशक मंडल ने श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को कंपनी के एक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री आर.एस.टी.साई, तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल ने सुश्री अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को 6 मार्च, 2016 को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें श्री अनिल कुमार, तत्कालीन संयुक्त सचिव (हाइड्रो) विद्युत मंत्रालय के 29 फरवरी, 2016 से निदेशक न रहने के फलस्वरूप नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्री अनिरूद्ध कुमार को 28 अक्तूबर, 2015 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 के आदेश के अनुपालन में श्री अरूण कुमार वर्मा, तत्कालीन संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के निदेशक न रहने के फलस्वरूप नियुक्त किया गया था।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के पत्र संख्या 9/3/2015-एनएचपीसी के माध्यम से श्री फारूख खान, प्रो. कनिका टी.बहल, प्रो. अरूण कुमार और श्री सत्य प्रकाश मंगल को कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। परिणामस्वरूप निदेशक मंडल ने उक्त 4 निदेशकों को 26 नवम्बर, 2015 के परिपत्र संकल्प द्वारा स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री अतुल कुमार गर्ग, तत्कालीन स्वतंत्र निदेशक, 23 सितम्बर, 2015 को आयोजित 39 वार्षिक आम बैठक के प्रारंभ होने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे क्योंकि उन्हें कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष के दौरान नियुक्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल की संरचना नीचे **तालिका-1** में दी गई है।

तालिका 1 : 31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल की संरचना

विवरण	निदेशक मंडल की संरचना	31.03.2016 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1	1
कार्यात्मक निदेशक	4	4
सरकारी नामित निदेशक	2	2
स्वतंत्र निदेशक	7	4
कुल	**14**	**11**

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की प्रत्येक बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की श्रेणी तथा उपस्थिति **तालिका-2** में दी गई है। अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों के नाम तथा उनकी संख्या, जिनमें एनएचपीसी के निदेशक 31 मार्च, 2016 को सदस्य अथवा अध्यक्ष हैं तथा साथ ही गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या, **तालिका 3** में दी गई है।

तालिका-2 : वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की श्रेणी और उपस्थिति

निदेशक का नाम (सर्वश्री)	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम (23 सितम्बर, 2015 को हुई)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यात्मक निदेशक			
के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक[1]	5	5	लागू नहीं
आर.एस.टी.साई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक[1]	5	5	हां
श्री डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	10	10	हां
श्री आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	10	10	हां
श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)[2]	9	9	हां
श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)[2]	2	2	लागू नहीं
सरकार नामित निदेशक			
अरूण कुमार वर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय [3]	6	6	नहीं
के.एन.गर्ग, पूर्व सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण [3]	3	1	लागू नहीं
अनिरूद्ध कुमार पूर्व संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय [4]	4	4	लागू नहीं
कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय [5]	7	6	हां
अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय [6]	0	0	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक			
अशोक कुमार दत्ता [7]	5	5	हां
अतुल कुमार गर्ग [7]	5	4	हां
सत्य प्रकाश मंगल [8]	3	3	लागू नहीं
फारूक खान [8]	3	3	लागू नहीं
कनिका टी. भाल [8]	3	3	लागू नहीं
अरूण कुमार [8]	3	3	लागू नहीं

टिप्पणियां:

1. श्री के.एम.सिंह ने श्री आर.एस.टी.साई के स्थान पर 23 सितम्बर, 2015 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
2. श्री जयंत कुमार और श्री रतीश कुमार ने क्रमशः 26 मई, 2015 और 6 जनवरी, 2016 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
3. श्री के.एन.गर्ग और श्री अरूण कुमार वर्मा क्रमशः 30 जून, 2015 और 19 अक्तूबर, 2015 से निदेशक नहीं रहे।
4. श्री अनिरूद्ध कुमार ने 28 अक्तूबर, 2015 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया और 29 फरवरी, 2016 से निदेशक नहीं रहे।
5. श्रीमती कृष्णा त्यागी ने 8 जुलाई, 2015 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
6. सुश्री अर्चना अग्रवाल ने 6 मार्च, 2016 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
7. श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री अतुल कुमार गर्ग 23 सितम्बर, 2015 से निदेशक नहीं रहे।
8. श्री सत्य प्रकाश मंगल, श्री फारूक खान, प्रो. कनिका टी.भाल और प्रो. अरूण कुमार ने 26 नवम्बर, 2015 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

तालिका 3 : अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों* के नाम तथा उनकी संख्या जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक 31 मार्च, 2016 को सदस्य या अध्यक्ष है और उनकी शेयरधारिता

निदेशक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता तथा समिति अध्यक्षता के ब्यौरे*	निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत
के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	(1) एनएचडीसी लिमिटेड (2) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	कोई नहीं	कोई नहीं
डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	(1) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं	19999
जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)	(1) एनएचडीसी लिमिटेड (2) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति - एनएचडीसी लिमिटेड	कोई नहीं
आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	(1) एनएचडीसी लिमिटेड (2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं	42000
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	कोई नहीं	कोई नहीं	18200
अर्चना अग्रवाल, सरकार नामित निदेशक	एसजेवीएन लिमिटेड	कोई नहीं	कोई नहीं
कृष्णा त्यागी, सरकार नामित निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक	क) एडविंग्स रेल एंड इन्फ्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ख) एसपीएमसी ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ग) रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड घ) एनएचडीसी लिमिटेड	सदस्य, लेखापरीक्षा समिति - रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	1500
फारूक खान, स्वतंत्र निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक	आईएल एण्ड एफएस इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	कोई नहीं	कोई नहीं
अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

*लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को लिया गया है।

टिप्पणी :

क) कंपनी का कोई निदेशक एक समय में दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

ख) कंपनी के निदेशकों का पारस्परिक संबंध नहीं है।

ग) कोई भी निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

(ii) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, जिस तिथि को वह आयोजित की गई :

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुई। बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिन से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे **तालिका-4** में दिया गया है।

तालिका-4 : वर्ष 2015-16 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	383	14 मई, 2015	7	6
2.	384	29 मई, 2015	8	7
3.	385	29 जून, 2015	8	7
4.	386	29 जुलाई, 2015	8	8
5.	387	21 सितम्बर, 2015	8	8
6.	388	12 अक्तूबर, 2015	6	6
7.	389	9 नवम्बर, 2015	6	6
8.	390	11 दिसम्बर, 2015	10	9
9.	391	10 फरवरी, 2016	11	11
10.	392	26 फरवरी, 2016	11	11

(iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि :** कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति विद्युत, मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

(iv) **निदेशकों का जीवन-वृत :** चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों और वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे अपर निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं पर दी गई है।

(v) **बोर्ड की बैठकें, समिति की बैठकें और प्रक्रियाविधि :**

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया :** कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों से बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

(ख) **बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मदों का निर्धारण और चयन :**

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटस पटल पर रखे जाते हे या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतिकरणों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :** प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिवस के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के पश्चात कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

(घ) **अनुवर्तन तंत्र :** बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के आधार पर, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जो निर्णयों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) **अनुपालन :** हमारा यह प्रयास होता है कि विधि, नियमों, और दिशा-निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू होते है), सेबी विनियमनों तथा दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल, कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है। विधियों के अनुपालन प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए विधि विभाग और कंपनी सचिवालय से अधिकारियों के एक दल ने अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों का दौरा किया। अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और साथ में उस पर प्राप्त उत्तरों को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

आम तौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन और निदेशकों के वेतन निर्धारण के मामलों को आवधिक अंतरालों पर निदेशक मंडल को सूचित किया जाता है।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत
- अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कारोबार और समझौतों का विवरण।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण होने वाले कारण बताओं, मांग, अभियोजन तथा शास्ति नोटिस।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विभिन्न विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनके हितों का प्रकटीकरण।
- बड़े पूंजी निवेश प्रस्ताव अथवा बड़ी संविदाओं को प्रदान किया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।
- मध्यस्था मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण।
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य कोई सूचना या तो सूचनार्थ अथवा लागू विधियों की आवश्यकतानुसार अनुमोदन हेतु।

(vi) **आचार संहिता :** बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वर्ष 2015-16 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

सूचीकरण समझौते के खंड 49 तथा विनियमन 34(3), जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अनुसूची-5 के (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 तथा कारपोरेट अभिशासन लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

दिनांक : 13 जून, 2016
स्थान : फरीदाबाद

(vii) **धोखाधड़ी निवारण एवं पता लगाने संबंधी नीति:**

धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसे रोकने, पता लगने वाले या संदेह होने वाली किसी धोखाधड़ी को सूचित करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के उचित निपटान हेतु एक प्रणाली मुहैया करवाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक स्थल अर्थात परियोजनाएं/पावर स्टेशन/क्षेत्र/सम्पर्क कार्यालयों में मानव संसाधन प्रभारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(viii) **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :**

कंपनी की अपनी बोर्ड के सदस्यों हेतु एक प्रशिक्षण नीति है जिसका उद्देश्य नेतृत्व क्षमताओं का विकास, ज्ञान, कौशल तथा अनुभवों को सांझा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाना है। नीति बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों को कंपनी के व्यापार की जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के व्यापार मॉडल में अपने ज्ञान को अद्यतन करने का एक अवसर मुहैया करवाती है तथा उनके उत्तरदायित्वों को एक प्रभावी ढंग से निर्वहन किए जाने को सुनिश्चित करती है। नीति कारपोरेट अभिशासन, व्यापार नीतिशास्त्र तथा आचार की मॉडल संहिता, जो अन्य निदेशकों पर लागू है, के संबंध में प्रशिक्षण मुहैया करवाने का प्रावधान करती है।

जब कभी भी कोई निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया जाता है तो उसे कंपनी के दृष्टिकोण, सामरिक दिशा, कोर मूल्यों, वित्तीय मामलों तथा व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक ज्ञान तथा अभिमुखीकरण आवश्यक दस्तावेजों/ब्राउशरों, रिपोर्ट तथा आंतरिक नीतियों के माध्यम से मुहैया करवाया जाता है, जो उनकी कंपनी की प्रक्रियाविधियों, व्यवहारों तथा जोखिम प्रोफाइल से परिचित होने में सहायता करता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान एनएचपीसी के बोर्ड सदस्यों को स्कोप, भारतीय कारपोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), लोक उद्यम विभाग और लोक उद्यम संस्थान आदि द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु नामित किया गया था। ये कार्यक्रम विकास पहलुओं जैसे कि जोखिम प्रबंधन, निगमित अभिशासन, व्यापार के पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों पर केन्द्रित थे।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FP-Indirectors2015-16.pd लिंक पर उपलब्ध है।

(ix) **एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता :** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु भीतरी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, प्रबोधन तथा सूचित करने और उचित प्रकटीकरण व्यवहारों हेतु संहिता के लिए एक आचार संहिता बनायी तथा क्रियान्वित की है। इस संहिता के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना रखे जाने के समय नामित व्यक्तियों हेतु व्यापार विंडो बन्द रहती है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए बाध्यकारी तथा गैर-बाध्यकारी समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया गया है :

बाध्यकारी समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर-बाध्यकारी समितियां

6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. परियोजना निवेश समिति *
8. प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति
9. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण

* बोर्ड ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को हुई अपनी 390वीं बैठक में परियोजना निवेश समिति को भंग कर दिया।

उक्त समितियों में से प्रत्येक समिति के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

3.1 लेखा-परीक्षा समिति :

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है सिवाय 9 नवम्बर, 2015 को हुई बैठक के जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं हो पाया था।

31 मार्च, 2016 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री फारूक खान	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

समिति की बैठक वर्ष में 6 बार अर्थात 14 मई, 2014; 29 मई, 2015; 29 जुलाई, 2015; 9 नवम्बर, 2015; 10 फरवरी, 2016 और 18 मार्च, 2016 को हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री अतुल कुमार गर्ग *	3	3
2.	श्री अशोक कुमार दत्ता *	3	3
3.	श्री डी. पी. भार्गव **	4	4
4.	श्रीमती कृष्णा त्यागी ***	1	1
5.	श्री अनिरूद्ध कुमार ***	2	2
6.	श्री सत्य प्रकाश मंगल **	2	2
7.	श्री फारूक खान **	2	2
8.	श्री रतीश कुमार ****	1	0

* श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री अशोक कुमार दत्ता 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** श्री सत्य प्रकाश मंगल और श्री फारूक खान को 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री डी.पी. भार्गव, 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

*** श्रीमती कृष्णा त्यागी 28 अक्तूबर, 2015 से 11 दिसम्बर, 2015 तक समिति की सदस्य थी। इसके अतिरिक्त श्री अनिरूद्ध कुमार को 28 अक्तूबर, 2015 से लेखापरीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था जो 29 फरवरी, 2016 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

**** श्री रतीश कुमार को परिचालन द्वारा संकल्प पारित कराकर निदेशक मंडल द्वारा 8 मार्च 2016 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एंव आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख, सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। समिति को आवश्यक आदान (इनपुट) मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक ने 23 सितम्बर, 2015 तक आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। 9 नवम्बर, 2015 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री अनिरूद्ध कुमार, सरकारी नामित निदेशक द्वारा की गई। इसके पश्चात, वित्त वर्ष 2015-16 के शेष भाग हेतु श्री सत्य प्रकाश मंगल समिति के अध्यक्ष बने। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल 120 दिवस से अधिक का नही था। निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख वर्ष के दौरान आयोजित सभी लेखापरीक्षा समिति बैठकों में आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। कम्पनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें :

कम्पनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित सूचीकरण समझौते, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्नू वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
   छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
   - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
   - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
19. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
   - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
   - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा और निगरानी।

21. अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।

22. कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइटस इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

25. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2016 के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन निम्नानुसार था:

i)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य

बैठकें तथा उपस्थिति:

समिति ने वर्ष के दौरान 14 जुलाई, 2015 और 14 जनवरी, 2016 को दो बैठकें की थी। सदस्यों द्वारा भाग ली गई हितधारक संबंध समिति बैठकों के ब्यौरे तालिका-6 में दिए गए हैं।

तलिका 6 : हितधारक संबंध समिति की बैठकें

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अतुल कुमार गर्ग *	1	1
2	श्री अशोक कुमार दत्ता *	1	1
3	श्री आर.एस.मीना **	1	1
4	श्री सत्य प्रकाश मंगल***	1	1
5	प्रो. कनिका टी. भाल***	1	1
6	श्री जयंत कुमार ***	1	1

*श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री अशोक कुमार दत्ता 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** समिति के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप श्री आर.एस.मीना 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

*** समिति का 11 दिसम्बर, 2015 को पुनर्गठन किया गया जिसमें श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. कनिका टी.भाल और श्री जयंत कुमार समिति के सदस्य हैं।

विचारार्थ विषय

1. हितधारक संबंध समिति कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।

2. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

अनुपालनकर्ता अधिकारी नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के संदर्भ में समिति के अनुपालनकर्ता अधिकारी हैं।

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की, सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा **तालिका-7** में दिया गया है।

तालिका-7: शेयर धारकों की शिकायतें :

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2016 को लंबित शिकायतें
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	113	113	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2035	2035	शून्य
सेबी शिकायतें	शून्य	25	25	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	5	5	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	शून्य	शून्य	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**2**	**2178**	**2178**	**2**

31 मार्च, 2016 को लंबित शेयरधारकों की शिकायतें उपभोक्ता मंच के समक्ष मामलों से संबंधित है।

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी का ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ''स्कोर्स'' नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ ही है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत की स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रानिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते है और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते है। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत प्रत्यक्ष रूप में दर्ज करवा सकता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या :

31 मार्च, 2016 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एनएचपीसी एक केन्द्रीय लोक क्षेत्र का उद्यम होने के चलते, निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों, (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, एक पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य विहित सीमाओं को भीतर वितरण हेतु नीति का निर्णय लेने के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2016 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें - 23 अप्रैल, 2015 और 9 मार्च, 2016 को हुई। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे **तालिका-8** में दिया गया है।

तालिका-8 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री अशोक कुमार दत्ता **	1	1
2.	श्री अतुल कुमार गर्ग **	1	1
3.	श्री के.एन.गर्ग *	1	0
4.	प्रो. कनिका टी. भाल ***	1	1
5.	श्रीमती कृष्णा त्यागी ****	1	1
6.	प्रो. अरूण कुमार ***	1	1

* श्री के.एन.गर्ग 30 जून, 2015 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री अशोक कुमार दत्ता 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

*** प्रो. कनिका टी.भाल और प्रो. अरूण कुमार को 11 दिसम्बर, 2015 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

**** श्रीमती कृष्णा त्यागी को 29 जुलाई, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

विचारार्थ विषय :

(i) किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना।

(ii) वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण संबंधी नीति की अनुशंसा करना।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड बनाना।

(iv) बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।

(v) निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।

(vi) अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड सदस्यों के निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड में निम्नलिखित का प्रावधान है :

क. प्रत्येक निदेशक को बोर्ड , स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल की समितियों के मूल्यांकन हेतु विभिन्न मानदण्डों पर रेटिंग देनी होती है तथा उक्त को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

ख. रेटिंग को कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु 5 के स्केल पर निम्नानुसार दिया जाना होता है :

रेटिंग स्केल

स्केल	कार्य-निष्पादन
5	अत्यधिक अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता
1	अस्वीकार्य

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करेगी और परिणामों का सार बनाएगी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या की अपेक्षा होने पर किसी पृथक निदेशक के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।

घ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष प्राप्त मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। समिति परिणाम की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिश को बोर्ड के विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

ङ. बोर्ड नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगा और आवश्यक निदेश जारी करेगा।

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2016 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

i)	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
iii)	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठक - 13 जुलाई, 2015, 27 अगस्त, 2015, 11 दिसम्बर, 2015 और 18 मार्च, 2016 को हुई। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 9** में दिए गए है।

तालिका-9 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठकें:

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री डी. पी. भार्गव	4	4
2.	श्री जयंत कुमार *	2	2
3.	प्रो. अरूण कुमार *	2	2
4.	श्री अतुल कुमार गर्ग **	2	2
5.	श्री आर.एस.मीना ***	2	2

* श्री जयंत कुमार और प्रो. अरूण कुमार को 1 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

** श्री अतुल कुमार गर्ग समिति के अध्यक्ष थे जो 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

*** श्री आर.एस.मीना 1 सितम्बर, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2016 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	प्रो. अरूण कुमार	स्वंतत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

बैठकें तथा उपस्थिति :

समिति ने वर्ष के दौरान 6 मई, 2015, 24 जुलाई, 2015, 23 अक्तूबर, 2015 और 9 मार्च, 2016 को चार बैठके की थी। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 10** में दिए गए हैं।

तालिका 10 - जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री सत्य प्रकाश मंगल *	1	1
2	प्रो. कनिका टी. भाल *	1	1
3	प्रो. अरूण कुमार *	1	1
4	श्री डी. पी. भार्गव	4	3
5	श्री आर.एस.मीना **	3	3
6	श्री जयंत कुमार ***	1	1

* श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. कनिका टी.भाल और प्रो. अरूण कुमार को 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

** श्री आर.एस.मीना 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

*** श्री जयंत कुमार 29 जुलाई, 2015 से 11 दिसम्बर, 2015 तक समिति के सदस्य थे।

विचारार्थ विषय:

1. प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यवहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
3. किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2016 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

i)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष
ii)	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
iii)	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की 24 बैठकें हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-11** में दिया गया है।

तालिका-11 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें :

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री डी. पी. भार्गव	24	20
2	श्री आर. एस. मीना	24	24
3	श्री जयंत कुमार *	16	16

* श्री जयंत कुमार को 29 जुलाई, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

विचारार्थ विषय:

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों का री-मेटीरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एचएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

3.7 परियोजना निवेश समिति

निदेशक मंडल ने 11 दिसम्बर, 2015 को आयोजित अपनी 390वीं बैठक में परियोजना निवेश समिति को भंग करने का निर्णय लिया। भंग होने के समय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य
ii)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
iii)	श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

28 मई, 2015 को परियोजना निवेश समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

विचारार्थ विषय:

समिति नई/विस्तार परियोजनाओं में निवेश संबंधी प्रस्तावों और नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों की जांच करेगी और उन पर सिफारिशे करेगी।

3.8 प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति :

31 मार्च, 2016 को प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
ii)	श्री फारूक खान	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 21 सितम्बर, 2015 को हुई। एनएचपीसी की प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्योरे **तालिका 12** में दिए गए है।

तालिका-12 : प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकें :

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री सत्य प्रकाश मंगल *	0	0
2	प्रो. अरूण कुमार *	0	0
3	श्री फारूक खान *	0	0
4	श्री डी. पी. भार्गव	1	1
5	श्री अतुल कुमार गर्ग **	1	1
6	श्री आर.एस.मीना ***	1	1

* श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. अरूण कुमार और श्री फारूक खान को 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

** श्री अतुल कुमार गर्ग 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

*** समिति के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप श्री आर.एस. मीना 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

विचारार्थ विषय:

समिति आंतरिक प्रबोधन की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगी। समिति अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों, परियोजना क्रियान्वयन और निर्माण में महत्वपूर्ण विपथन, प्रचालन और अनुरक्षण बजटों, संविदाकारों के दावों आदि की समीक्षा करेगी।

3.9 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2016 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री फारूक खान	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 7 अगस्त, 2015 और 17 मार्च, 2016 को हुई। निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यारे **तालिका 13** में दिए गए है।

तालिका 13 : निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण की बैठकें

क्र. स.	2015-16 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री आर. एस. मीना	2	2
2	श्री फारूक खान *	1	1
3	प्रो. कनिका टी. भाल *	1	1
4	श्री अतुल कुमार गर्ग **	1	1
5	श्री अशोक कुमार दत्ता **	1	1

* श्री फारूक खान और प्रो. कनिका टी.भाल 11 दिसम्बर, 2015 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

** श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री अशोक कुमार दत्ता 23 सितम्बर, 2015 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

विचारार्थ विषय:

समिति सीडीए नियमों के अनुसार अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

4. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV, जिसे लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012-जीएम के साथ पढ़ा जाता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, की आवश्यकताओं के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान 26 फरवरी, 2016 तथा 26 अप्रैल, 2016 को श्री फारूक खान की अध्यक्षता में हुई थी।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी

अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/-रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक को **तालिका 14** में दिया गया है।

तालिका 14 : वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	लाभ*	वर्ष 2014-15 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड़
श्री के.एम.सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	12,50,492	3,40,241	0	15,90,733
श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	27,45,825	20,19,778	0	47,65,603
श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक)	28,76,198	11,07,284	0	39,83,482
श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	19,56,662	9,96,768	0	29,53,430
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	7,02,033	1,45,153	0	8,47,186

* लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, अनुलाभ, परिसंपत्तियों का मूल्य, पट्टा किराया, ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान), पेंशन निधि, अग्रिम और आवास तथा वाहन की वसूली और एचआरआर शामिल है।

** वर्ष 2014-15 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी:1. वर्ष के दौरान श्री जे.के.शर्मा, पूर्व निदेशक (परियोजनाएं) को पिछले वर्ष से संबंधित उनके देयों हेतु 18,24,532 रूपये की राशि का भुगतान किया गया था।

2. उक्त वेतन में निदेशक की क्षमता में आहरित वेतन को दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान किसी स्टाक विकल्प को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों से शासित होती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे **तालिका 15** में दिए गए है।

तालिका 15 - वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क *		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री अशोक कुमार दत्ता	1,00,000	1,40,000	2,40,000
श्री अतुल कुमार गर्ग	80,000	1,80,000	2,60,000
श्री फारूक खान	60,000	80,000	1,40,000
प्रो. कनिका टी. भाल	60,000	1,00,000	1,60,000
श्री अरूण कुमार	60,000	1,00,000	1,60,000
श्री सत्य प्रकाश मंगल	60,000	1,00,000	1,60,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन व्यवस्था/निवास तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

ऊपर उल्लेख किए गए के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के प्रति कंपनी का कोई आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं था।

गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदण्ड कंपनी की वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-%20Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध है।

6. अनुषंगी कम्पनियां

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड :** एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं। वर्ष के दौरान, एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड को दी गई थी।

एनएचडीसी लिमिटेड सूचीकरण समझौते के खंड 49, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार "भौतिक अनुषंगी" की परिभाषा के अंतर्गत भी कवर होती है।

श्री सत्य प्रकाश मंगल, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक 20 जनवरी, 2016 से एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए। इससे पूर्व श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक को एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

एनएचडीसी लिमिटेड के संबंध में और ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का अधिनिगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। एलडीएचसीएल के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। एनएचपीसी के बोर्ड को आवधिक अंतरालों पर कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संव्यवहारों तथा समझौतों से अवगत कराया गया था।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के संबंध में और ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड :** बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। एनएचपीसी के बोर्ड को आवधिक अंतरालों पर कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संव्यवहारों तथा समझौतों से अवगत कराया गया था।

कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। बीएसयूएल के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

50 मेगावाट सौर क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक ग्रिड से कनेक्टिड विद्युत संयंत्र तथा संबद्ध 132 केवी विद्युत निकासी उपकरण के विकास हेतु ईपीसी संविदा को दिए जाने के लिए नई बिडिंग प्रक्रिया को यूपीएनईडीए द्वारा भूमि के आवंटन के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा।

बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड के संबंध में और ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

7. आम बैठके :

वार्षिक आम बैठके

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्योरा तालिका-16 में दिया गया है।

तालिका-16 : वार्षिक आम बैठकें :

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2014-15	23.09.2015	प्रातः 11:30 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2013-14	26.09.2014	दोपहर 3:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2012-13	16.09.2013	दोपहर 12:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा

एनएचपीसी लिमिटेड की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों के ब्यौरे

एनएचपीसी लिमिटेड ने 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित अपनी 37वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्तावों को पारित करने के माध्यम से 'शेयरों की पुनः खरीद' और 'अतिरिक्त निदेशकों' के संबंध में क्रमशः नए अनुच्छेद 16क तथा 35क को शामिल करके अपनी संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, निजी स्थापन के माध्यम से 2500 करोड़ रूपये की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड को जारी किए जाने को 23 सितम्बर, 2015 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अनुमोदित किया गया था।

वर्ष 2015-16 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पारित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. प्रकटीकरण

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार :**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई प्रत्यक्ष संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार आमतौर पर अपनी अनुषंगी कंपनियों तथा एसोसिएटस के साथ परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, संपत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं हेतु होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमत आधार पर कपंनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत अपेक्षानुसार फार्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related_Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 के पैरा संख्या 10 की ओर भी आकर्षित किया जाता है जो लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को दर्शाता है।

(ii) **सूचीकरण समझौते, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं :**

कंपनी ने मोटे तौर पर स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते की सभी सांविधिक आवश्यकताओं और साथ ही साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विहित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है, सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार के, जहाँ बोर्ड की कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा 46(2)(1)(ख) सभी विनियमों का पालन किया है सिवाय विनियम 17(1) के। इसके अतिरिक्त, विनियम 18(1) तथा 18(2) का वर्ष के हिस्से के दौरान अनुपालन नहीं किया जा सका था जो मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

तथापि, कम्पनी को सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क)(1) की आवश्यकता - 10 अप्रैल, 2015 को बीएसई लिमिटेड द्वारा महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में गैर-अनुपालन हेतु 50,000/- रूपये के जुर्माने हेतु एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कम्पनी ने एक्सचेंज से इस आधार पर उक्त जुर्माने में छूट देने का अनुरोध किया है कि एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) है, और अतः निदेशकों की नियुक्ति संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। सूचीकरण समझौते के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना संलग्नक-क में दी गई है।

वित्त वर्ष 2015-16 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया था।

(iii) **लेखांकन व्यवहार :** प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। तथापि, जहां कोई गैर अनुपालन था उसे लेखे की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जो वित्तीय विवरणों का भाग है।

(iv) **व्हिसल ब्लोअर नीति :** एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ियों को सूचित करने हेतु कम्पनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है जिसमें कर्मचारी और साथ ही साथ एनएचपीसी के साथ व्यापार कर रहे विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं अथवा अन्य किसी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की सभी सूचनाओं की जांच अत्यधिक तेजी से की जाती है। धोखाधड़ी रोकने हेतु तंत्र को भी इस नीति में शामिल किया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है।

(v) **लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की मदें, जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थी :**

कोई नहीं

(vi) **किए गए व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के थे तथा जिन्हें निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन हेतु किया गया :**

कोई नहीं

(vii) **कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारण :**

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2015-16	2014-15	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	18.38	12.98	पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्ययों की तुलना में वित्तीय व्ययों में वृद्धि हुई है। ऐसी वृद्धि का मुख्य कारण परियोजना व्ययों में 308.54 करोड़ रूपये, सीएसआर व्ययों में 20.44 करोड़ रूपये और बीमा व्ययों में 36.27 करोड़ रूपये की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त-पोषण लागत में 112.40 करोड़ रूपये की कमी आई जो वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि में परिणत हुआ।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	98.27	58.96	

* प्रशासनिक व्ययों में कार्यालय व्यय भी शामिल हैं।

(viii) 31 मार्च, 2016 के अनुसार एनएचपीसी को जेबीआईसी (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) और डयूस बैंक से 28024 मिलियन जापानी येन जो कि भारतीय राष्ट्रीय रूपये में 16713 मिलियन होता है, ईसीवी प्राप्त है। उक्त ईसीबी को हेज नहीं किया गया है। तथापि, एनएचपीसी विनिमय दर अंतर (ईआरवी) से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014 के अनुसार ईआरवी को लाभग्राहियों को अंतरित कर दिया जाता है।

(ix) **भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf .

(x) **संबंधित पक्ष संव्यवहारों से संबंधित नीति वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf .

9. सी ई ओ / सी एफ ओ अनुपालन प्रमाणन :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त) द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाण-पत्र को 28 मई, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह **अनुबंध-ख** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीण परिणामों को सूचीकरण समझौते और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। कम्पनी ने महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों और कार्यकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कीं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा **तालिका-17** में दिया गया है।

तालिका-17 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2015	30 सितम्बर, 2015	31 दिसम्बर, 2015	31 मार्च, 2016
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) सभी संस्करण	-	-	11.02.2016	30.05.2016
फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) सभी संस्करण	30.07.2015	10.11.2015	11.02.2016	-
बिजनेस स्टेंडर्ड (अंग्रेजी) दिल्ली	-	10.11.2015	-	-
बिजनेस स्टेंडर्ड (अंग्रेजी) सभी संस्करण	-	-	-	30.05.2016
बिजनेस स्टेंडर्ड (हिंदी) सभी संस्करण	-	11.11.2015	-	30.05.2016
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिल्ली, गुडगांव	-	10.11.2015	-	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और नोएडा	-	-	-	30.05.2016
नवभारत टाइम्स (हिंदी) दिल्ली, एनसीआर	-	11.11.2015	-	30.05.2016
दैनिक जागरण (हिंदी), दिल्ली, फरीदाबाद	-	-	-	30.05.2016
मिलेनियम पोस्ट (अंग्रेजी) दिल्ली, कोलकाता	-	-	-	30.05.2016
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) दिल्ली, मुम्बई	-	10.11.2015	-	-

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2015	30 सितम्बर, 2015	31 दिसम्बर, 2015	31 मार्च, 2016
हिंदुस्तान (हिंदी), दिल्ली	-	11.11.2015	11.02.2016	30.05.2016
मिंट (अंग्रेजी), दिल्ली	-	10.11.2015	11.02.2016	30.05.2016
जनसत्ता (हिंदी), दिल्ली	30.07.2015	-	-	-
इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), दिल्ली	-	10.11.2015	-	-
इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), सभी संस्करण	-	-	-	30.05.2016
इकोनोमिक टाइम्स (हिंदी), दिल्ली	-	-	-	30.05.2016
द टेलीग्राफ (अंग्रेजी), सभी संस्करण	-	10.11.2015	-	30.05.2016
मेल टुडे (अंग्रेजी), दिल्ली	-	10.11.2015	-	-

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

11. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) **वार्षिक आम बैठक :**

दिनांक : 22 सितम्बर, 2016

समय : प्रातः 11:00 बजे

स्थान : म्यूनिसिपल कारपोरेशन आडिटोरियम, एनआईटी, निकट बी.के.चौक, फरीदाबाद - 121001।

(ii) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय कलैंडर :**

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति की अनुबंधित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2017 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के अनुबंधित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2017	सितम्बर, 2017 (अनंतिम)

(iii) **बही का बंद किया जाना**

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को शनिवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2016 से बृहस्पतिवार 22 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) **लाभांश का भुगतान :**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु 1.50 रूपये प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 15 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। उक्त राशि में 2 मार्च, 2016 में अदा किया गया 0.92 रूपये प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 9.2 प्रतिशत) का अंतरिम लाभांश शामिल है। अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषणा की जाती है, का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित अवधी में किया जाएगा।

भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि 22 सितम्बर, 2016 है। डीमैट शेयरों के संदर्भ में अंतिम लाभांश का भुगतान शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 9 सितम्बर, 2016 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी धारकों संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(V) **लाभांश इतिहास:**

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012
2012-13	738.04	16.09.2013	25.09.2013
2013-14	332.13	26.09.2014	07.10.2014
2014-15	664.25 (221.43 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	23.09.2015	03.10.2015
2015-16	1,018.50 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित	लागू नहीं	02.03.2016

(vi) **स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण :**

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड :** 533098 **ISIN :** INE848E01016	**पता :** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 **स्क्रिप कोड :** NHPCEQ **ISIN :** INE848E01016

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2016 से पूर्व किया जा चुका है।

(vii) **बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन :**

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेंसेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2015	29094.61	26897.54	27011.31
मई-2015	28071.16	26423.99	27828.44
जून-2015	27968.75	26307.07	27780.83
जुलाई-2015	28578.33	27416.39	28114.56
अगस्त-2015	28417.59	25298.42	26283.09
सितम्बर-2015	26471.82	24833.54	26154.83
अक्तूबर-2015	27618.14	26168.71	26656.83
नवम्बर-2015	26824.30	25451.42	26145.67
दिसम्बर-2015	26256.42	24867.73	26117.54
जनवरी-2016	26197.27	23839.76	24870.69
फरवरी-2016	25002.32	22494.61	23002.00
मार्च-2016	25479.62	23133.18	25341.86

बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-2015	21.25	19.50	19.75
मई-2015	20.50	18.75	20.15
जून-2015	21.55	18.60	19.65
जुलाई-2015	19.85	18.50	18.95
अगस्त-2015	19.45	15.55	16.50
सितम्बर-2015	16.90	15.90	16.60
अक्तूबर-2015	18.45	16.55	18.15
नवम्बर-2015	19.35	17.15	19.15
दिसम्बर-2015	21.25	18.55	21.00
जनवरी-2016	22.35	18.60	20.95
फरवरी-2016	21.75	19.25	20.20
मार्च-2016	24.40	20.10	24.10

एनएसई और निफ्टी एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2015	8844.80	8144.75	8181.50
मई-2015	8489.55	7997.15	8433.65
जून-2015	8467.15	7940.30	8368.50
जुलाई-2015	8654.75	8315.40	8532.85
अगस्त-2015	8621.55	7667.25	7971.30
सितम्बर-2015	8055.00	7539.50	7948.90
अक्तूबर-2015	8336.30	7930.65	8065.80
नवम्बर-2015	8116.10	7714.15	7935.25
दिसम्बर-2015	7979.30	7551.05	7946.35
जनवरी-2016	7972.55	7241.50	7563.55
फरवरी-2016	7600.45	6825.80	6987.05
मार्च-2016	7777.60	7035.10	7738.40

एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-2015	21.20	19.50	19.75
मई-2015	20.55	18.75	20.15
जून-2015	21.10	18.65	19.60
जुलाई-2015	19.90	18.50	18.90
अगस्त-2015	19.45	15.55	16.45
सितम्बर-2015	16.90	15.90	16.55
अक्तूबर-2015	18.50	16.60	18.15
नवम्बर-2015	19.35	17.15	19.15
दिसम्बर-2015	21.35	18.60	21.05
जनवरी-2016	22.40	18.65	20.95
फरवरी-2016	21.95	19.15	20.10
मार्च-2016	24.45	20.15	24.15

(viii) **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :**

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरामगुडा, हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67161500
फैक्स नं. : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

(ix) शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका प्रमाणीकरण, अन्तरण के ज्ञापन को तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयर अंतरणों को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन-पूर्व क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है/पुष्टि प्रदान की जाती है। शेयर अंतरण क्रियाकलापों को कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

सूचीकरण समझौते के खंड 47(ग) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अनुपालन में प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव की कम्पनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले छमाही आधार के प्रमाण-पत्र को वित्तीय वर्ष की छमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

(x) अदा न की गई/दावा न की गई राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि (अदा न की गई तथा दावा न की गई कम्पनियों के पास पड़ी राशियों के संबंध में सूचना की अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने 23 सितम्बर, 2015 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) को कम्पनी के पास अदा न की गई तथा दावा न की गई राशियों के ब्यौरे को कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2016 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर नीचे दिए गए हैं :

आकार के अनुसार

(क) 31 मार्च, 2016 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (राशि रूपए में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत *	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत *
1 - 5,000	546345	61.46	117952365	1.07
5,001 - 10,000	242386	27.27	181513304	1.64
10,001 - 20,000	54960	6.18	82193223	0.74
20,001 - 30,000	17500	1.97	44723008	0.40
30,001 - 40,000	7312	0.82	26206161	0.24
40,001 - 50,000	5937	0.67	28055083	0.25
50,001 - 1,00,000	8530	0.96	61713677	0.56
1,00,001 और उससे ज्यादा	5944	0.67	10528311675	95.10
कुल	**888914**	**100**	**11070668496**	**100**

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

ख) 31 मार्च, 2016 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को		परिवर्तन (प्रतिशत*)
	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत *	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	
भारत सरकार	9516209722	85.96	9516209722	85.96	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	170109933	1.54	193942928	1.75	(0.21)
भारतीय जनता और एचयूएफ	688922519	6.22	747288889	6.75	(0.53)
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	481155791	4.34	467299545	4.22	0.12
कार्पोरेट निकाय	69481348	0.63	97340036	0.88	(0.25)
म्युचल फंड्स	6204586	0.05	8722475	0.08	(0.03)
एनआरआई और प्रवासी विदेशी निकाय	15145824	0.14	16601501	0.15	(0.01)
अन्य					
क्लिअरिंग सदस्य, ट्रस्ट, विदेशी पोर्टफोलिया निवेशक और विदेशी नागरिक	123438773	1.12	23263400	0.21	0.91
कुल	**11070668496**	**100**	**11070668496**	**100**	

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

ग) **31 मार्च, 2016 को प्रमुख शेयरधारक**

31 मार्च, 2016 को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है :

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	केन्द्र सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	344634628	3.11	बीमा कंपनी

घ) **31 मार्च, 2016 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक :**

31 मार्च, 2016 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक निम्नानुसार है :

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	344634628	3.11
3.	गोल्डमैन सैच (सिंगापुर) पीटीई	35427088	0.32
4.	यूको बैंक	33154836	0.30
5.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज	21878724	0.20
6.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	16008277	0.14
7.	विस्डम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कारपोरेशन	15034795	0.14
8.	पेंशन रिजर्वस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड - पीजेना आईएनवी	14881775	0.13
9.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	13907798	0.13
10.	कारपोरेशन बैंक	13842251	0.12
कुल		**10024979894**	**90.55**

(xii) **शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन :**

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास टेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के संबंध में जमाकताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से इस वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु प्राप्त की गई थी और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

31 मार्च, 2016 के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	10828732762	97.81
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	241775577	2.19
प्रत्यक्ष रूप	160157	0.00
कुल	**11070668496**	**100**

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल,
   कमाला मिल्स कम्पाउन्ड,
   सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई-400013

2. **सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   फिरोज जीजेभॉय टावर्स,
   17वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - 400 001

(xiii) **डीमैट उचिन्त खाता**

31 मार्च, 2016 को एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात उचिन्त खाते में खोले तथा रखे गए शेयरों के ब्यौरे **तालिका 18** में दिए गए हैं।

तालिका 18 : उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	380	144820
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	28	11733
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	27	11020
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	353	133800

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि उनके वास्तविक स्वामियों द्वारा उनके लिए दावा नहीं किया जाता है।

(xiv) **बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :**

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(xv) **एनएचपीसी संयत्रों की अवस्थिति**

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा - I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी - I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा - II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता - V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा - II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा - III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, डाकघरे-9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चुटक	एनएचपीसी लि., डाकघर-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना - III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, डाकघर-रियांग, जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321
निम्मो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर, पिन - 194101
उड़ी - II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला - बारामूला, (जम्मू एवं कश्मीर), पिन 193122
पार्बती - III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, डाकघर लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122
टीएलडीपी - IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, कलीझोरा बजार, जिला-दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)-734320

(xvi) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,

पांचवां तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,

फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003

ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल का पता नीचे दिया गया है :

विवरण	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2588110	0129-2277941
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com, investorcell@nhpc.nic.in	
श्री के.के.गोयल, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-
ई-मेल आईडी	goelkk@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडीः companysecretary@nhpc.nic.in है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02223301

दिनांक : 28 जुलाई, 2016
स्थान : फरीदाबाद

45 मेगावाट निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - बांध

संलग्नक-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सूचीकरण समझौते और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1. **बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।
2. **शेयर धारकों के अधिकार :** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
3. **लेखा परीक्षा अर्हता :** कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पद :** कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34 के अनुपालन में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है।
5. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग :** श्री विजय कुमार, कार्यकारी निदेशक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार श्री विजय कुमार कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

संलग्नक - ख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(18) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई मिथ्या जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

(ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।

घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :

(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण बदलाव।

(ii) 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और

(iii) धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-
(जयंत कुमार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235

हस्ता/-
(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 मई, 2016

अनुबंध -II

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (जिन्हें एतद्पश्चात "सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015" कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46(2)(ख) से (झ) और अध्याय-IV की अनुसूची-V के पैरा ग,घ तथा ङ (सूचीकरण समझौते के तत्कालीन खंड 49) और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथा विहित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (जिन्हें एतद्पश्चात "सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015" कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46(2)(ख) से (झ) और अध्याय-IV की अनुसूची-V के पैरा ग,घ तथा ङ (सूचीकरण समझौते के तत्कालीन खंड 49) और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार किया है, सिवाय :

i) सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 17(1) (सूचीकरण समझौते का खंड 49(II)(क)(1) तथा (2)) और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 3.1.4 जिसमें यह अपेक्षित है कि अध्यक्ष के एक कार्यकारी निदेशक होने पर बोर्ड की संख्या का कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होनी चाहिए।

ii) कंपनी के निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 17(10) और 25(4) (सूचीकरण समझौते का खंड 49(II)(ख)(5)(ग))।

हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
हस्ता/-
(सचिन अग्रवाल)
भागीदार
एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

दिनांक : 30 जुलाई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

अनुबंध -III

1. उद्योग ढांचा और विकास

(i) आर्थिक परिदृश्य

भारत वित्त-वर्ष 2016 में अनुकूल आर्थिक परिदृश्य वाली कुछ एक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरकर सामने आया है। देश में बेहतर संभावनाएं मुख्यत: अर्थव्यवस्था के आर्थिक मंदी, लगातार मुद्रास्फीति, वृद्धि राजकोषीय घाटे, घरेलू मांग में मंदी से जुड़े उतार-चढ़ाव से मुक्त होने के कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतर आधारभूत ढांचा व्यय और वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सतत सुधारों द्वारा सुदृढ़ हो रही है। विद्युत आधारभूत ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो आर्थिक वृद्धि तथा व्यापक रूप से लोगों के कुशलक्षेम को प्रभावित करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत उत्पादन 1107.4 बिलियन यूनिट (बीयू) था जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

(ii) क्षेत्रक परिदृश्य

1 बिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले भारत में वर्तमान में विद्युत की 298 जीडब्ल्यू स्थापित क्षमता है जो लगभग 1100 यूनिटों की प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता को दर्शाती है, जो विश्व के औसत के एक तिहाई से भी कम है। प्रत्येक परिवार को विद्युत मुहैया करवाने के लिए क्षेत्र को एक तीव्र गति से बढ़ना आवश्यक है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण में 2021-22 तक अधिकतम लोड मांग लगभग 283 जीडब्ल्यू होगी जिसका अर्थ लगभग 400 जीवी की स्थापित क्षमता की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 के दौरान ऊर्जा तथा अधिकतम मांग कमी क्रमश: 2.1 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की थी। इस प्रकार मांग को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध ऊर्जा क्षेत्रों में क्षमतावर्धन कार्यक्रम समय की आवश्यकता है।

जल विद्युत को विद्युत के सबसे मितव्ययी, स्वच्छ तथा प्राथमिकता वाले स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता में लगभग 14 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश की जल विद्युत संभाव्यता के एक बड़े हिस्से (लगभग 65 प्रतिशत) का अभी दोहन किया जाना है, इस प्रकार जल विद्युत क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा हेतु ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक बना रहेगा। भारत सरकार ने जल विद्युत विकास को उच्च प्राथमिकता दी है और इसने इस प्रक्रिया में जल विद्युत विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की हैं।

12वीं योजना की अवधि के दौरान 88537 मेगावाट के क्षमतावर्धन लक्ष्य के प्रति मार्च 2016 तक सभी स्रोतों से 84991 मेगावाट क्षमता को पहले ही जोड़ा जा चुका है। 12वीं योजना के अंत तक आपकी कंपनी का उद्देश्य 1702 मेगावाट क्षमता जोड़ने का है जिसमें से 1212 मेगावाट की 6 परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना (40 मेगावाट x 4) की 40 मेगावाट प्रत्येक की 3 यूनिटों को चालू किया गया है। जिससे 12वीं योजना में कुल क्षमतावर्धन अभी तक 1332 मेगावाट हो गया है।

एनएचपीसी जल विद्युत विकास हेतु देश का एक प्रमुख संगठन होने तथा 36 वर्ष के अनुभव के साथ भविष्य में क्षमतावर्धन योजना में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी तापीय, सौर तथा पवन जैसे अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में भी प्रवेश के लिए तैयार है ताकि इसके व्यापार क्षितिजों का विस्तार किया जा सके और देश द्वारा सामना की जा रही ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके तथा यह भारत सरकार की "विद्युत सभी के लिए" पहल में अपना योगदान दे सके।

(iii) जल विद्युत परिदृश्य

जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रूप है। हमारे देश में एक व्यापक जल विद्युत संभाव्यता मौजूद है और यह उपयोग की जा सकने वाली संभाव्यता के रूप में विश्व में 5वें स्थान पर आता है।

भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों में जल विद्युत विकास को प्राथमिकता देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहलें की हैं। प्रमुख उपायों में भलीभांति अन्वेषित परियोजनाओं की एक शेल्फ को तैयार करना शामिल है जो अत्यधिक रूप से जोखिम विचारों को कम कर सकता है, स्वीकृति प्रक्रियाविधियों को सुव्यवस्थित करना, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार मुक्त पहुंच तथा व्यापार का प्रावधान किया जाना शामिल है। तथापि, ऐसी नीतिगत पहलुओं और विनियमनों के कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दे अभी भी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं जो 1966 से भारत के ऊर्जा मिश्रण में जल विद्युत की घटती हुई हिस्सेदारी में परिणत हो रहा है।

पिछले 2 दशकों के दौरान समूचे विश्व में जल विद्युत को गति मिली है। भारत समूचे संसार में ऐसे शीर्ष देशों के मध्य है जिनके पास व्यवहार्य दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता मौजूद है। विभिन्न कारक जैसे कि पर्यावरणीय चिन्ताएं, आर एवं आर मुद्दे, भूमि अधिग्रहण समस्यायें, लम्बी स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रिया विधियां, डेवलपरों की क्षमता आदि से विगत में जल विद्युत विकास की मन्द गति हो गई है। यह मुद्दे और जटिल हो जाते हैं क्योंकि जल विद्युत का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों के अंतर्गत बना हुआ है (क्योंकि जल एक राज्य विशिष्ट विषय है) और उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की नीतियां (जैसे कि एकमुश्त प्रीमियत, रायल्टी विद्युत, भूमि अधिग्रहण नीति आदि) अपनायी जाती हैं।

(iv) भारत में जल विद्युत संभाव्यता

देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुन:आंकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले योजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में 26.15 प्रतिशत को विकसित किया जा चुका है और 8.55 प्रतिशता विकास के अधीन है। इस प्रकार देश में जल विद्युत के विकास हेतु व्यापक स्कोप मौजूद है।

(v) **एनएचपीसी-एक मिनी रत्न अनुसूची "क" सार्वजनिक का क्षेत्र उद्यम**

एनएचपीसी 1975 में स्थापित मिनी रत्न अनुसूची "क" सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका गठन सभी पहलुओं में जल विद्युत के एक एकीकृत तथा दक्ष विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना तथा उसकी व्यवस्था करना है। कपंनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़ रूपये और निवेश आधार 55,000 करोड़ रूपये से अधिक का है तथा स्थापित क्षमता 5,081.2 मेगावाट की है। आपकी कंपनी को जल विद्युत के विकास हेतु देश मे एक प्रमुख संगठन का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने देश भर में स्थित अपने विभिन्न विद्युत स्टेशनों के माध्यम से 23683 एमयू (मानद सहित) का उत्पादन किया।

(vi) **सामरिक विविधीकरण**

आपकी कंपनी ने भारत तथा विदेश में परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्रोतों के माध्यम से अपने सभी पहलुओं में विद्युत के विकास को शामिल करने के लिए अपने उद्देश्यों का विस्तार किया है। आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में तापीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के प्रारंभिक चरणों में भी है। मुद्दा केवल क्षमतावर्धन का ही नही है बल्कि यह देखने का भी है कि जोड़ी गई क्षमता वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो और अवरूद्ध भी न हो जाए।

2. क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

(i) क्षमताएं :

- **जल विद्युत परियोनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड :**

  आपकी कंपनी के पास जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रचुर अनुभव तथा विशेषज्ञता है। इसके पास एक मजबूत आंतरिक डिजाइन तथा अभियांत्रिकी आधार है जिनके पास अच्छे लेआउट, डिजाइनिंग ढांचों को विकसित करने, भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण तथा भौतिक सर्वेक्षणों में विशेषज्ञता है। इसकी अभियांत्रिकी क्षमताएं परियोजनाओं की अवधारणाओं से चालू किए जाने के चरण तक है।

- **आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं :**

  आपकी कंपनी के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है। इसके अधिकारियों को उद्योग में व्यापक अनुभव है जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा, निर्माण, चालू किए जाने तथा प्रचालन में क्षमताएं और विशेषज्ञता शामिल है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है। आपकी कंपनी का एक पूर्णतः तैयार डिजाइन प्रभाग है जो इसकी परियोजनाओं की डिजाइन तथा अभियांत्रिकी कार्यों हेतु समर्पित है। आपकी कंपनी का आंतरिक डिजाइन दल जल विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ अन्य जल विद्युत कंपनियों की तुलना में इसे एक लाभकारी स्थिति में रखता है।

- **निर्माण और प्रचालन में व्यापक अनुभव**

  कई वर्षों में आपकी कंपनी ने सुदूर /अगम्य क्षेत्रों तथा भू-तकनीकी रूप से संवेदनशील हिमालयीन क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव प्राप्त कर लिया है। आपकी कंपनी की अधिकांश परियोजनाएं सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभार तंत्र आपूर्ति, जलवायु तथा प्रौद्योगिकीय बाधाएं जैसी विभिन्न चुनौतियां आती हैं। कंपनी के पास दक्ष, कुशल तथा अनुभवी व्यावसायिकों का एक मजबूत दल है जो सभी प्रकार तथा आकार की जल विद्युत परियोजनाएं निष्पादित करने में समर्थ है। आपकी कंपनी ने 20 विद्युत स्टेशनों को सफलतापूर्वक विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त की है जिसमें से 2 इसकी सहायक कंपनी अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड के माध्यम से किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना (40 मेगावाट x 4) की 40 मेगावाट प्रत्येक 3 यूनिटों को पहले ही चालू किया जा चुका है। टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना की शेष यूनिट को भी वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2016-17 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है। हिमाचल प्रदेश में चमेरा-II पावर स्टेशन (300 मेगावाट) और एनएचडीसी लिमिटेड की 2 जल विद्युत परियोजनाएं यथा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) को भी समय से पहले चालू किया गया था।

- **मजबूत वित्तीय स्थिति**

  आपकी कंपनी एक मिनी रत्न अनुसूची "क" केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15000 करोड़ रूपये और निवेश आधार 55000 करोड़ रूपये से अधिक का है। स्टेंडर्ड एण्ड पुअर (एस एण्ड पी) ने इसे बीबीबी/स्थिर की रेटिंग दी है (जो भारत की सप्रभु रेटिंग के समतुल्य है) और इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसिर्च प्राइवेट लिमिटेड (एक फिच ग्रूप कंपनी) ने इसे घरेलू ऋणों हेतु इंड एएए/स्थिर रेटिंग दी है। आपकी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति इसे पूंजी प्रधान बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु पर्याप्त रूप से दक्ष बनाती है।

(ii) कमजोरियां

- **समय तथा लागत आधिक्य**

  अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहां भूस्खलन, पहाड़ी का ढाल ढहने, सड़कें अवरूद्ध हो जाने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद जल विद्युत परियोजनाओं के विभिन्न हिस्से जैसे कि हेड रेस टनल, भूमिगत ढांचे अर्थात विद्युत गृह, प्रेशर सॉफ्ट सर्ज साफ्ट आदि में कई बार भू-वैज्ञानिक आश्चर्य उत्पन्न होते हैं विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में। आपकी कंपनी ने अपने व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता

और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ विगत में ऐसे कई आश्चर्यों से निपटने में सफलता पाई है। तथापि, ऐसे आश्चर्यों का अक्सर सामने आना समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होता है। स्वीकृतियों/निष्पादन में अप्रत्याशित जटिलताओं तथा विलंब जो किसी के नियंत्रण से बाह्य कारणों से होते हैं, अनुमानों में अंतर/वृद्धि भी ला देते हैं।

- **कुछ संविदाकारों पर निर्भरता**

  जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति, मशीनरी और बड़ी मात्रा में धनराशि के निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे बहुत कम संविदाकार हैं जो सतत रूप से विशेषकर ऐसे सुदूर तथा कठिन स्थलों पर कार्य कर सकते हैं जहाँ पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की सीमित संख्या से हमारी कुछ संविदाकारों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- **बदलता हुआ व्यापार परिदृश्य**

  वर्तमान युग में तेजी से बदलता हुआ बाजार परिदृश्य आपकी कंपनी के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

  जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि अपेक्षित होती है और ये पूंजी प्रधान होती हैं जिनमें भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है जो उच्चतर प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। इसके अतिरिक्त, नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन के अधीन है।

(iii) **अवसर :**

- **दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता**

  खराब होते जलीय-तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में अंतरों ने नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जल विद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जल विद्युत विकास हेतु अवसर मुहैया करवाती है। जल विद्युत को प्रोत्साहन जीवाष्म ईंधन की मांग में कमी लाएगा और जल सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई को सुकर बनाएगा। आपकी कंपनी के पास आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता को जोड़ने का एक अवसर है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता**

  पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा दर्शायी गई शक्ति, जहां अन्य सभी कंपनियां आमतौर पर विफल हो रही हैं, जल विद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है। परिणामस्वरूप जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में एनएचपीसी की क्षमता भविष्य में इसकी वृद्धि हेतु एक नया स्थान बना रही है।

- **ग्रिड संतुलन आवश्यकता**

  भारत सरकार की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास हेतु वर्तमान पहल विशेष रूप से सौर विद्युत, जल विद्युत का बड़े पैमाने पर विकास ग्रिड संतुलन/स्थिरता हेतु अपेक्षित होगा। वर्तमान परिदृश्य आपकी कंपनी द्वारा भारत में जल विद्युत के विकास हेतु अवसर उत्पन्न करेगा।

(iv) **खतरे :**

- **जटिल तथा समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया**

  पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी (जहां-कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतु कड़े मानदंडों तथा जटिल प्रक्रियाविधियों की वजह से जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में देरी होती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। भारत के संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है, नदियां के अंतर-राज्य नदी विवाद में उलझे होने के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतभेद के मुद्दे बनती है।

- **कानून एवं व्यवस्था**

  संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित एनएचपीसी की परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते है। क्षेत्र के आंतकवादी और उग्र समूह एनएचपीसी को एक सरकारी प्रतिनिधि मानते हुए अक्सर इसे अपना लक्ष्य बनाते है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं का एनजीओ द्वारा विरोध**

  भारत में जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ निहित हित वाले समूह, एनजीओ आदि से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

- **पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जल विद्युत नीतियां**

  कई राज्यों की जल विद्युत नीतियां डेवलपरों को जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, 13 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत के अलावा नि:शुल्क विद्युत आदि का प्रावधान करती है। सीपीएसयू को जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत सरकार के मानदण्डों का पालन करते हैं।

- **विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) करने में कठिनाइयां**

  विद्युत व्यापार के वर्तमान दिवस के परिदृश्य में उच्चतर टैरिफ वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कर पाना कठिन है।

लाभग्राहियों में लम्बे/मध्यम अवधि के पीपीए का विकल्प चुनने के बजाए ऊर्जा एक्सचेंज अथवा ई-खरीद के माध्यम से अल्पावधि आधार पर अपनी अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता की खरीद करने की प्रवृत्ति होती है।

चूंकि जल विद्युत स्टेशन स्थल विशिष्ट हैं, उनका टैरिफ स्थल/डिजाइन पैरामीटरों तथा उच्च प्रारंभिक निवेश पर निर्भर करता है। नई परियोजनाओं का टैरिफ ऊर्जा एक्सचेंज/ई-खरीद दर से अपेक्षाकृत अधिक होता है।

उक्त कारणों के चलते आपकी कंपनी को नई परियोजनाओं से दीर्घावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है, जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र ढांचा मुहैया करवाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका बोर्ड की प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करना और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने की भी है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके।

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं जिनका दर्जा कार्यकारी निदेशक के स्तर का होता है। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करनेऔर संगठन द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की एक उद्यम-वार निगरानी रखने की भूमिका निभाती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/विद्युत स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे कुछ जोखिम, उनका प्रभाव और प्रशमन हेतु अपनायी गई तदनुरूपी रणनीतियों पर **तालिका संख्या 1** में चर्चा की गई है।

तालिका संख्या 1 - प्रमुख जोखिम, उनका प्रभाव और तदनुरूपी रणनीतियां

जोखिम विवरण	प्रशमन उपाय
अनिश्चित भू-वैज्ञानिक स्थितियां परियोजना प्रारंभ करने में विलंब, टनलिंग कार्य में बाधा तथा कठिन कार्यशील स्थितियां जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती है।	• परियोजना की व्यवहार्यता के आकलन के दौरान प्रत्याशित भू-वैज्ञानिक चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अन्वेषण चरण के दौरान दक्ष कार्मिक/परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण/अध्ययन किए जा रहे हैं। • प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उनके समाधान के लिए व्यापक विश्लेषण किया जा रहा है।
संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पर्याप्त और समय पर स्वीकृतियों/अनुमोदनों के अभाव के कारण निर्माण प्रारम्भ होने में विलंब होना।	• राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे कि पर्यावरण और वन, जो अधिकांश विलंब करते हैं, उन्हें परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में सुग्राहीकृत किया जा रहा है।
लाभग्राहियों से बकाया देय की वसूली न होना।	• आगामी विद्युत आपूर्ति समझौतों में उचित शास्ति खंड शामिल किए जा रहे हैं।
परियोजनाओं की लम्बी प्रतीक्षा अवधि और निम्न प्रतिफल के कारण परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए निवेश का अभाव।	• अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से निम्न लागत पर दीर्घावधि वित्त की उपलब्धता हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) और विश्व बैंक जैसे ऋण वृद्धि तंत्रों का उपयोग करके आंशिक जोखिम तथा आंशिक ऋण गारंटी द्वारा ऋण दिलवाना शामिल है।
निम्नलिखित के चलते बीच में ही परियोजनाओं को त्याग दिया जाना : (1) सरकारी विनियमों में परिवर्तन (2) सरकारी नीतियों में परिवर्तन (3) सरकारी निदेशों में परिवर्तन	• संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ सक्रिय सम्पर्क रखना।
परियोजना के विभिन्न हिस्सों जैसे कि बांध, विद्युत गृह, स्विच यार्ड आदि के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण में विलंब।	• भूमि अधिग्रहण हेतु संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ सक्रिय संपर्क रखना। • एनएचपीसी तथा राज्य सरकारों की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया जाता है।
राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अप्रत्याशित विनियामक परिवर्तनों के कारण समय तथा लागत आधिक्य।	• नियामक परिवर्तनों से पूर्व विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के साथ सक्रिय संपर्क रखना।
टैरिफ याचिका हेतु सीईआरसी दिशा-निर्देशों के पालन न किए जाने के वित्तीय प्रभाग हो सकते हैं।	• वाणिज्यिक टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि टैरिफ याचिकाओं को सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार दायर किया जाए। • विभिन्न स्तरो पर टैरिफ की आंतरिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उनके सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने का सुनिश्चय किया जा सके।

4. परिदृश्य

भारत के 1,48,701 मेगावाट की एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य, दोहन योग्य जल विद्युत संभाव्यता है जिसमें से 42,783 मेगावाट को विकसित किया जा चुका है और शेष विकास के अधीन है। वर्तमान में, ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काफी बल दिया जा रहा है। जल विद्युत, एक स्वच्छ स्रोत होने के चलते देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करती है और इसकी अधिकतम मांग को पूरा करती है। अतः जल विद्युत को दृढ़ के अनुरक्षण तथा स्थिरीकरण हेतु देश की एक मूलभूत आवश्यकता माना जा रहा है।

आपकी कंपनी की 6,601.2 मेगावाट की स्थापित क्षमता है जिसमें एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) की 1520 मेगावाट की क्षमता शामिल है। 5 जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात कोटली भेल 1-ए (195 मेगावाट), तीस्ता-IV (520 मेगावाट), दिवांग (2880 मेगावाट), तवांग-I (600 मेगावाट) और तवांग-II (800 मेगावाट) जिनकी कुल क्षमता 4995 मेगावाट हैं, स्वीकृति के अग्रिम चरण में है। उत्तराखंड में कोटली भेल 1-ए जल विद्युत परियोजना का विकास माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले के परिणाम के अधीन है।

आपकी कंपनी जल विद्युत से आगे विस्तार के लिए देख रही है। राजस्थान में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना हेतु ईपीसी संविदा 10 फरवरी, 2015 को दी गई थी। आपकी कंपनी ने 72 मेगावाट की एक पवन विद्युत परियोजना और 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के विकास हेतु केरल सरकार के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी तमिलनाडु मे एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना को भी विकसित करने की योजना बना रही है। आपकी कंपनी यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम में उत्तर प्रदेश में एक 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। संयुक्त उद्यम के माध्यम से बिहार में पिरपेंती तापीय विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट) को लेने के लिए सरकार का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

5. खंड -वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श "खंड रिपार्टिंग" संबंधी लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

6. वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत स्टेशनों का कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत स्टेशनों का कार्य-निष्पादन **तालिका संख्या 2** में दिया गया है।

तालिका संख्या 2 : विद्युत स्टेशनों का कार्य-निष्पादन

विद्युत स्टेशन	''उत्कृष्ट'' एमओयू रेटिंग हेतु 2015-16 के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2015-16	''उत्कृष्ट'' एमओयू रेटिंग हेतु 2015-16 के लि, पीएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत) 2015-16
बैरास्यूल	720	**746**	90.7	**93.1**
लोकतक	530	**537**	86.7	**89.3**
सलाल	3,210	**3,591**	61.7	**70.9**
टनकपुर	455	**452**	61.7	**67.6**
चमेरा-I	2,330	**2,624**	91.7	**96.2**
उडी	2,700	**3,283**	71.7	**86.2**
रंगित	340	**345**	91.7	**96.3**
चमेरा-II	1,455	**1,524**	91.7	**94.2**
धौलीगंगा	1,135	**1,090**	85.7	**84.0**
दुलहस्ती	2,180	**2,361**	91.7	**95.8**
तीस्ता-V	2,590	**2,710**	89.7	**92.3**
सेवा-II	534	**597**	91.7	**97.9**
चमेरा-III	1,086	**1,044**	91.7	**92.3**
चुटक	180	**138**	51.7	**39.8**
टीएलडीपी-III	550	**515**	79.7	**88.6**
निम्मो बाजगो	215	**268**	66.7	**78.9**
उडी-II	1,090	**1,196**	54.7	**67.2**
पार्बती-III	700	**643**	61.7	**42.2**
कुल विद्यमान विद्युत स्टेशन	**22,000**	**23,664**	**78.5**	**81.6**
टीएलडीपी-IV वास्तविक उत्पादन (एमयू)		**15**		**101.0**
टीएलडीपी-IV अदृढ़ विद्युत (एमयू)		**4**		
वर्ष 2015-16 के दौरान कुल उत्पादन		**23,683**		**81.6**

टिप्पणी:

1. टीएलडीपी-IV - यूनिट 1 तथा यूनिट 2 को क्रमशः 14 फरवरी, 2016 और 16 मार्च, 2016 को चालू किया गया तथा 11 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2016 को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया।
2. उत्पादन में चुटक (101.8 एमयू) और निम्मो बाजगो (177.6 एमयू) विद्युत स्टेशन के संबंध में मानिद उत्पादन शामिल है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख एक कार्यपालक निदेशक हैं। विभाग में आवधिक रूप से तथा प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए दक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है। लेखापरीक्षा अभिमतों का सार और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित अनुपालन किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता तथा प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है और शक्तियों के प्रत्यायोजन, आंतरिक नीतियों तथा कंपनी की प्रक्रियाविधियों के अनुपालन हेतु आश्वासन मुहैया करवाता है। पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं, मैनुअलों तथा प्रक्रियाविधियों के रूप में हैं जो सभी संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को कवर करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुपालन में मैसर्स अरोड़ा एण्ड चौधरी एसोसिएटस को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म में अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार किया है।

8. वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(i) प्रचालन परिणाम

वित्त वर्ष 2015 की तुलना में वित्त वर्ष 2016 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

आय

तालिका संख्या 3 : आय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
बेची गई विद्युत इकाइयां (मिलियन यूनिट)	19,999	19,078
आय		
ऊर्जा की बिक्री	7,346.77	6,736.64
अन्य प्रचालनशील आय	53.07	18.08
अनुबंधों, परियोजना प्रबधन तथा परामर्श संबंधी कार्यें से प्राप्त राजस्व	34.22	47.53
अन्य आय	919.76	861.33
कुल	**8,353.82**	**7,663.58**

अन्य प्रचालनशील आय में लाभग्राहियों से ब्याज शामिल होता है। वित्त-वर्ष 2016 में कुल आय में वित्त वर्ष 2015 के 7663.58 करोड़ रूपये से 9.01 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 8353.82 करोड़ रूपये हो गई है, जो मुख्यत: पावर स्टेशनों द्वारा अधिक उत्पादन, लाभग्राही राज्यों से ब्याज में वृद्धि, कुछ पावर स्टेशनों हेतु 2009-14 तथा 2014-2019 की अवधि के संबंध में टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने, धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी यूनिटों के वर्ष भर प्रचालन, प्रोत्साहनों में वृद्धि, अनुषंगी कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि, व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि के प्रति बीमा कंपनी द्वारा अदा की गई राशि में वृद्धि और विलंब भुगतान अधिभार में वृद्धि के कारण हुई जिसे आंशिक रूप से देयताओं/प्रावधानों के पश्च लेखन में कमी तथा सावधि जमाओं के ब्याज में कमी से समायोजित किया गया था।

प्रभार

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत प्रभार का निर्धारण अलग-अलग करता है। सीईआरसी ने 21 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/ सीईआरसी जारी की है, जो 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते है।

प्रभार अवधि 2014-19 हेतु अधिसूचित विनियमों के अनुपालन में, प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्य ह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में प्रभावी दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक पावर स्टेशन की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते है।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यत: राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोगिताएं शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु कुछ पावर स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2015-16 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

बिक्री में ग्रिड अनुशासन लाने के लिए सीईआरसी विनियम में विहित आवृत्ति से संबद्ध दरों पर अनुसूची (देय अथवा प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु प्रभार और विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2016 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5,041.20 मेगावाट से 19999 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2015 में कम्पनी ने 4,961.20 मेगावाट से 19078 मिलियन यूनिट

विद्युत की बिक्री की थी। इससे विद्युत बिक्री में 4.83 प्रतिशत यूनिटों की वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 2016 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों को समायोजित करके) 3.56 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि 2015 में यह 3.46 रुपये प्रति यूनिट था।

ऊर्जा की बिक्री वित्त वर्ष 2015 में 6736.64 करोड़ रूपये से 9.06 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 7346.77 करोड़ हो गई जो मुख्यतः धौलीगंगा पावर स्टेशन से उत्पादन बहाल होने और पावर स्टेशनों से वृद्धित उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2015 में 77.30 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में 81.60 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है।

सीईआरटी प्रभार विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी विद्युतघर/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है.।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री में जल उपकर और आरएलडीसी शुल्क को छोड़ दिया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व तालिका सं. 4 में दिया गया है :

तालिका सं. 4 : समायोजनों के पश्चात ऊर्जा बिक्री से राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
सकल बिक्री	7,582.72	6,981.36
जोड़े : मूल्यह्रास पर अग्रिम का पश्चलेखन(एएडी)	50.17	50.17
घटाएं : विनियमित बिक्री समायोजन	111.18	75.09
घटाएं : अदृढ़ विद्युत की बिक्री	0.51	0.36
घटाएं : विदेशी मुद्रा दर अंतर हेतु समायोजन	64.65	76.41
घटाएं : टैरिफ समायोजन	109.78	143.03
निवल बिक्री	**7,346.77**	**6,736.64**
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	230.86	141.41
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**7,115.91**	**6,595.23**

समायोजित बिक्री में 7.89 प्रतिशत की वृद्धि पावर स्टेशनों में बेहतर उत्पादन, धौलीगंगा पावर स्टेशन की बहाली के कारण उत्पादन में वृद्धि, प्रोत्साहनों में वृद्धि आदि के कारण थी।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व निर्माण परियोजनाओं के संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्यों से आता है। इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे के विकास संबंधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी कार्य शामिल है। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इन्हें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सरकारी विभाग लागू करते हैं तथा ये लगभग पूर्ण है।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवा संबंधी कार्यों से आय में 28 प्रतिशत की कमी आई है और यह वित्त वर्ष 2016 में कम क्रियाकलापों के चलते वित्त वर्ष 2015 में 47.53 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2016 में 34.22 करोड़ रुपये रह गयी है।

अन्य आय

वित्त वर्ष 2016 में एनएचपीसी की अन्य में वृद्धि होकर यह 919.76 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2015 में 861.33 करोड़ रुपये के मुकाबले 28 प्रतिशत अधिक है। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा **तालिका सं. 5** में दी गई है।

तालिका सं. 5 : अन्य आय

(करोड़ रुपयों में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों/ अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	58.57	79.14
आवधिक जमा राशियों पर ब्याज	510.05	537.40
लाभांश (मुख्यतः एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी) से	120.93	61.56
विलंब भुगतान अधिभार	24.07	7.84
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	89.99	0.00
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	41.53	75.95
अन्य विविध आय	74.62	99.44
कुल	**919.76**	**861.33**

सावधि जमा पर ब्याज वित्त वर्ष 2015 में 537.40 करोड़ रूपये की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 2016 में 510.05 करोड़ रूपये रह गया है जो वर्ष के दौरान निवेश की गई अधिशेष नकदी में कमी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) के प्रति देयताओं के वित्त पोषण के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2016 में एनएचपीसी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश से 120.93 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया जबकि 2015 में उसे इससे 61.56 करोड़ रुपये मिले थे।

व्यय

तालिका सं. 6 : व्यय

(करोड़ रुपयों में)

व्यय	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	1,337.42	912.09
जल उपकर	771.12	748.51
कर्मचारी लाभ व्यय	1,115.90	1,149.23
वित्त लागत	1,067.37	1,179.77
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1,452.14	1,425.87
पूर्वावधि (निवल)	(36.87)	(56.11)
कुल व्यय	**5,707.08**	**5,359.36**

कुल व्यय वित्त वर्ष 2015 में 5359.36 करोड़ रूपये से 6.49 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 5707.08 करोड़ रूपये हो गया जो मुख्यतः उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्ययों में 425.33 करोड़ रूपये की वृद्धि, जल उपकर में 22.61 करोड़ रूपये की वृद्धि और मूल्यह्रास तथा परिशोधन में 26.27 करोड़ रूपये की वृद्धि के चलते हुए जिसे आंशिक रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में 33.33 करोड़ रूपये की कमी और वित्त-पोषण लागत में 112.40 करोड़ रूपये की कमी से समायोजित किया गया था। हमारी कुल आय के प्रतिशत के रूप में हमारा कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2015 में 69.93 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016 में 68.32 प्रतिशत था।

उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय (जल उपकर के अतिरिक्त)

उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत तथा रख-रखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, प्रावधान आदि शामिल होते हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2016 में कुल व्यय का लगभग 23.43 प्रतिशत थे जबकि वित्तीय वर्ष 2015 में यह संख्या 17.02 प्रतिशत थी। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्त वर्ष 2015 में 912.09 करोड़ रूपये से लगभग 46.63 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 1337.42 करोड़ रूपये हो गए हैं। उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्ययों में 425.33 करोड़ रूपये की वृद्धि मुख्यतः कोटली भेल 1ए तथा बुरसर परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच में किए गए व्यय को प्रभारित करने, विद्युत स्टेशनों में मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं की मरम्मत तथा रखरखाव के व्यय, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय और सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय आदि में वृद्धि के कारण हुई है।

बिक्री योग्य ऊर्जा के प्रति यूनिट व्यय के रूप में यह वित्तीय वर्ष 2015 में 0.46 रूपये के प्रति वित्तीय वर्ष 2016 में बढ़कर 0.67 रूपये हो गया है।

जल उपकर

जल उपकर वित्त वर्ष 2015 में 748.51 करोड़ रूपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 771.12 करोड़ रूपये हो गया है जो मुख्यतः निम्मो बाजगो, चुटक, दुलहस्ती, सलाल तथा उड़ी-I पावर स्टेशनों में वृद्धित विद्युत उत्पादन के कारण है।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्ययों में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना में अंशदान और कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2015 में हमारी कुल व्यय का 21.44 प्रतिशत थे जबकि वित्तीय वर्ष 2016 में यह 19.55 प्रतिशत है। वास्तविक रूप में कर्मचारी लागत वित्त वर्ष 2016 में 33.33 करोड़ रूपये से कम हुई है जो मुख्यतः टीएलडीपी-IV में कार्य प्रारंभ होने के पश्चात किए गए व्यय को निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित किए जाने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आरईएचएस के वित्त-पोषण के कारण बीमांकित मूल्यांकन में कमी के कारण है।

31 मार्च, 2016 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 8,654 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2015 को इनकी संख्या 9,211 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2015 में क्रमशः 4,981 और 5,413 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2015 में 1149.23 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2016 में 2.90 प्रतिशत कम होकर 1,115.90 करोड़ रुपये हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2015 में 15.00 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2016 में कम होकर 13.36 प्रतिशत हो गया।

मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यह्रास लागत वित्त वर्ष 2015 में 1425.87 करोड़ से 1.84 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 1452.14 करोड़ रूपये हो गई जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2016 के दौरान तीस्ता लो डैम-IV की दो यूनिटों को चालू किए जाने तथा पावर स्टेशनों पर अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण हुआ था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास वित्त वर्ष 2015 में 18.61 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2016 में 17.38 प्रतिशत रह गया है।

वित्तीय लागत

''वित्तीय लागतों'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया

जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा के उधार भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से जापानी येन और कनेडियाई डालर में हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त पोषण लागत वित्त वर्ष 2015 में 1179.77 करोड़ रूपये से 9.53 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2016 में 1067.37 करोड़ रूपये हो गई है। वित्त पोषण लागत में कमी मुख्यतः टीएलडीपी-IV में कार्य के पुनः प्रारंभ हो जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण को आरोप्य व्यय में वृद्धि और ऋणों की चुकौती के चलते सावधि ऋणों पर ब्याज में कमी के कारण हुई है।

पूर्वावधि मदें (निवल)

वित्त वर्ष 2016 में पूर्वावधि मदें (निवल) में पूर्वावधि आय में कमी के कारण 19.24 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।

नियामक आय

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुरूप "नियामक परिसंपत्तियों" का सृजन किया गया है और 549.44 करोड़ रूपये हेतु तदनुरूपी "नियामक आय" को वर्तमान वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं व्यय की गई अन्य लागत के प्रति मान्यता दी गई है जिसे संगत लेखांकन मानक और जीएएपी के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है।

कर पूर्व लाभ

ऊपर बताये गये कारणों से हमारा कर-पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2015 में 2826.17 करोड़ रुपये से 13.11 प्रतिशत बढ़ कर वित्त वर्ष 2016 में 3196.68 करोड़ रुपये रहा था।

कर व्यय

वित्त वर्ष 2015 में 701.70 करोड़ रूपये की तुलना में हमने वित्त वर्ष 2016 में कर व्यय के रूप में 756.54 करोड़ रूपये मुहैया करवाए हैं। वित्त वर्ष 2016 में कर में वृद्धि वर्ष हेतु लाभ में वृद्धि के चलते वर्तमान वर्ष के करों में 161.55 करोड़ रूपये की है जिसे आंशिक रूप से पिछले वर्ष के कर समायोजनों के 98.18 करोड़ रूपये और विलंबित कर में कमी के 8.53 करोड़ रूपये से समायोजित किया गया है। ऊपर दिए गए अनुसार आय एवं व्यय में शामिल कार्य के बाधित होने के कारण एक निर्माणाधीन परियोजना नामतः सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में की गई ऋण लागत तथा प्रशासनिक और अन्य सामान्य व्यय को प्रभारित किए जाने के प्रभाव के सार को नीचे दिया गया है :

सुबानसिरी लोअर में 16 दिसम्बर, 2011 से बाधित कार्य अभी पुनः प्रारंभ होना है। वित्त वर्ष 2015-16 हेतु इस परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक और किए गए अन्य व्यय/अर्जित आय के पूंजीकरण न होने के कारण आय तथा व्यय के शीर्षों पर प्रभाव को **तालिका संख्या 7** में दिया गया है।

तालिका सं. 7 : आय और व्यय पर प्रभाव

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2015-16
i)	अन्य आय	25.46
ए	**कुल आय**	**25.46**
i)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	66.25
ii)	कर्मचारी लाभ	106.24
iii)	वित्त लागत	395.26
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7.64
v)	पूर्वावधि मदे (निवल)	0.01
बी	**कुल व्यय**	**575.40**
सी	**कर पूर्व लाभ (ए-बी)**	**(549.94)**

(ii) नकदी और पूंजी संसाधन

नकदी

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2016 तथा 2015 को नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 5876.76 करोड़ रूपये और 5422.11 करोड़ रूपये थे, जिसमें से 31 मार्च, 2016 तथा 2015 को क्रमशः 251.52 करोड़ रूपये और 268.05 करोड़ रूपये कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित थे और इसमें 31 मार्च, 2016 तथा 2015 को क्रमश 10.06 करोड़ रूपये तथा 5.85 करोड़ रूपये का अदा न किया गया लाभांश भी शामिल था जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं थे।

नक़दी प्रवाह

तालिका सं. 8 : नकदी प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	4,397.70	3,055.36
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(851.08)	(789.46)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(3,091.97)	(2,147.62)

प्रचालनों से कुल नक़दी

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2016 में कुल 4397.70 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई और कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2016 में 3196.68 करोड़ रुपये का

निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कंपनी की निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें 1,451.55 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 1,067.37 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, 390.93 करोड़ रूपए के प्रावधानों, टैरिफ समायोजन के चलते 109.78 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 50.17 करोड़ रूपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 41.51 करोड़ रूपए, लाभांश आय के कारण 120.93 करोड़ रूपए, मुद्रा दर अंतर के प्रति 1.14 करोड़ रूपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 601.43 करोड़ रूपए तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदे शामिल है, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 78.56 करोड़ रूपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2015 में कुल 3055.36 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2015 में 2826.17 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से हमारी निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें मुख्यतः 1429.77 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 1179.76 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, टैरिफ समायोजन के चलते 105.82 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 50.17 करोड़ रूपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 75.96 करोड़ रूपए, लाभांश आय के कारण 61.56 करोड़ रूपए, विनियम दर अंतर के प्रति 20.50 करोड़ रूपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 661.05 करोड़ रूपए तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदें शामिल हैं, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 728.46 करोड़ रूपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2016 में हमने निवेश गतिविधियों में 851.08 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 2069.13 करोड़ रुपये के व्यय, जो 651.02 करोड़ रूपए की निवेश/बॉण्ड से वसूली, जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 593.13 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 120.93 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2015 में हमने निवेश गतिविधियों में 789.46 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 1,632.33 करोड़ रुपये के व्यय, जो 243.56 करोड़ रूपए की निवेश/बॉण्ड से वसूली, जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 661.05 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 61.56 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2015 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 3,091.97 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉड़ से 1,774.92 करोड़ रुपये जुटाए तथा 1671.09 करोड़ रूपए के ऋण का भुगतान किया। वित्त-प्रभार के रूप में 1461.06 करोड़ रूपए अदा किए गए। वित्त वर्ष 2016 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2015 के लिए अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) और वित्त वर्ष 2016 के लिए अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित) हेतु क्रमशः 508.92 करोड़ रूपए और 1225.84 करोड़ रूपए का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2015 में वित्तीय क्रियाकलापों से हमारा निवल नकदी प्रवाह 2147.62 करोड़ रूपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों तथा बॉण्डों से 1461.98 करोड़ रूपये जुटाए थे और 1276.19 करोड़ रूपये के ऋण चुकाए गए थे। ऋण सेवा से संबंधित राशि 1561.38 करोड़ रूपये थी। वित्त वर्ष 2015 में हमने वित्त वर्ष 2014 हेतु 378.51 करोड़ रूपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) और 265.70 करोड़ रूपये के अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

(iii) तुलन-पत्र मदे

तुलन-पत्र की मुख्य बातें

परिसंपतियां

तालिका सं. 9 : परिसंपतियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2016	2015
चालू आस्तियों से इतर परिसंपतियां		
निवल स्थिर परिसंपतियां	39,459.51	38,749.88
चालू निवेश से इतर निवेश	1,596.36	1,977.75
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	1,108.68	1,182.29
चालू परिसंपतियों से इतर अन्य परिसंपतियां	962.03	795.81
चालू परिसंपतियों से इतर अन्य परिसंपतियां - विनियामक परिसंपत्तियां	2,180.33	1,630.39
चालू परिसंपतियां		
चालू निवेश	1.13	257.57
मालसूची	85.53	82.73
व्यापारिक प्राप्य	2,017.03	2,497.10
नकदी और बैंक शेष	5,876.76	5,422.11
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	218.48	181.95
अन्य चालू परिसंपत्तियां	1,660.32	1,510.12
कुल	**55,166.16**	**54,287.70**

वित्तीय स्थिति

निवल मूल्य

वित्त वर्ष 2016 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 28,286.39 करोड़ रुपये से बढ़ कर 28,751.95 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुच गया। इसका मुख्य कारण 2,440.17 करोड़ रूपए के कर पश्चात लाभ के लाभांश तथा लाभांश कर के प्रति 1,998.66 करोड़ रूपए की कमी था।

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर परिसंपतियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युतघर भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर

तथा स्थूल परिसंपतियां आदि शामिल हैं। मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर परिसंपतियां जिन्हें निवल स्थिर परिसंपत्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2016 को 38,459.51 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2015 को 38,749.88 करोड़ रुपये थी।

निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर पूरा किया जाता है। दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता को वर्तमान परिसंपतियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को एनएचपीसी के निवेश क्रमशः 1,597.49 करोड़ रुपये और 2,235.32 करोड़ रुपये था।

निवेश में कमी कर मुक्त विशेष बॉण्डों की परिपक्वता और स्व-बीमा निधि को समाप्त किए जाने के चलते वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/लोक वित्त संस्थान तथा कारपोरेट बॉण्ड को सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को अंतरित किए जाने के परिणामस्वरूप थी।

ऋण एवं अग्रिम (चालू और चालू के अलावा)

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2016 को 1,327.16 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2015 को 1,364.24 करोड़ रुपये थे, अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 2.72 प्रतिशत की कमी आई है। ऋण और अग्रिम में अग्रिम आयकर, कर्मचारियों, संविदाकारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

चालू परिसंपतियों से इतर अन्य परिसंपतियां

चालू परिसंपतियों से इतर अन्य आस्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेश मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपतियां और अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम पर प्रोदभूत ब्याज शामिल है। 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को एनएचपीसी की चालू परिसंपतियों के अलावा अन्य परिसंपतियां क्रमशः 962.03 करोड़ रुपये और 795.81 करोड़ रुपये थीं। वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले 2016 में 20.89 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से प्रभावित होने वाली आस्थगित विदेशी मुद्रा परिसंपतियों में वृद्धि होना था।

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियामक परिसंपत्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी नोट जारी किया है। उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुरूप "विनियामक परिसंपत्तियों" का सृजन किया गया है और 549.94 करोड़ रूपये हेतु तदनुरूपी "विनियामक आय" को वर्तमान वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं व्यय की गई अन्य लागत के प्रति मान्यता दी गई है जिसे संगत लेखांकन मानक और जीएएपी के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। तदनुसार, 31.3.2016 के अनुसार "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियामक परिसंपत्तियां" 2180.33 करोड़ रूपये होती हैं, जबकि 31 मार्च, 2015 को यह 1630.39 करोड़ रूपए थी।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 85.53 करोड़ रुपये और 82.73 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापारिक लेनदारियां

इसके अंतर्गत विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्त शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को व्यापारिक लेनदारियां (यानी संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) के रूप में क्रमशः 2,017.03 करोड़ रुपये और 2497.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2015 तथा 2016 के मध्य व्यापार प्राप्य में 19.23 प्रतिशत की कमी हुई है। 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को क्रमशः 700.66 करोड़ रूपए और 602.47 करोड़ रूपए की राशि के बिल न किए गए राजस्व है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं : कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि।

31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 5,876.76 करोड़ रुपये और 5,422.11 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2016 में इसमें 454.65 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रचालन गतिविधियों के कारण 4397.70 करोड़ रूपए के नकदी अंतरवाह और निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के जरिए क्रमशः 851.08 करोड़ रुपये और 3091.97 करोड़ रुपये के नकदी बार्हिप्रवाह को उसमें समायोजित करने से हुई। हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 251.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 268.05 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 10.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5.85 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः देयों के निपटान में राज्य सरकारों को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, जमा पर प्रोदभूत ब्याज, बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्य, लाभग्राहियों से प्राप्य ब्याज और प्राप्त दावे शामिल है। 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान परिसंपतियां क्रमशः 1660.32 करोड़ रुपये और 1510.12 करोड़ रुपये की थी, यानी वित्त वर्ष 2015 की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में इन परिसंपत्तियों में 9.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देयताएं एवं प्रावधान

तालिका सं. 10 : देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2016	2015
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि उधार	18,385.28	18,171.03
आस्थगित कर देयताएं	845.68	810.44
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1,244.16	1,337.17
दीर्घावधि प्रावधान	400.65	886.95
चालू देयताएं		
अल्पावधि उधार	123.00	153.01
अन्य वर्तमान देयताएं	3,253.60	3,013.15
अल्पावधि प्रावधान	2,161.84	1,629.56
कुल	**26,414.21**	**26,001.31**

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को क्रमशः 7410.97 करोड़ रुपये, 6474.90 करोड़ रुपये और 4,499.41 करोड़ रुपये के बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015 में बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण क्रमशः 6373.74 करोड़ रुपये, 7588.58 करोड़ रुपये और 4,208.71 करोड़ रुपये के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बांड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की परिसंपतियां के तहत सुरक्षित हैं।

दीर्घावधि ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 1.18 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 1474.92 करोड़ रूपये की राशि के टी-सिरीज बॉण्ड जारी किए जाने के चलते थी जिसे ऋणों की चुकौती तथा पुनर्भुगतान और वर्तमान परिपक्वताओं में वृद्धि से समायोजित किया गया था।

अन्य दीर्घावधि देनदारियां

एनएचपीसी की दीर्घावधि देनदारियों में जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास से निपटने के लिए अग्रिम (एएडी) और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली आस्थगित आमदनी शामिल है. इन सब का भुगतान/समायोजन 12 महीनों की अवधि के पश्चात करना होता है।

अन्य दीर्घकालीन देयताएं 31 मार्च, 2016 को 1244.16 करोड़ रुपये की थीं जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 1337.17 करोड़ रुपये थीं। इनमें से एएडी 31 मार्च, 2016 और 2015 को क्रमशः 1,098.86 करोड़ रुपये और 1,159.54 करोड़ रुपये था। 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अवधारणा को हटाए जाने के बाद खातों में बकाया एएडी को व्यवस्थित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है।

अन्य चालू देनदारियां

एनएचपीसी के वर्तमान दायित्वों यानी चालू देनदारियों में वर्तमान में परिपक्व होने वाले दीर्घावधि ऋण, उधार पर लगा ऐसा ब्याज जो फिलहाल देय नहीं है, जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास के एवज में प्राप्त राशि (एएडी) से हुई अग्रिम आमदनी, और परियोजना प्रबंधन/परामर्श सेवा लागत के लिए प्राप्त अग्रिम में से बची राशि, पूंजी कार्यों/आपूर्तियों हेतु देयताएं और देययोग्य सांविधिक देय आदि शामिल है, जिसका 12 महीनों में भुगतान/समायोजन किया जाना है।

वर्तमान देयताएं पिछले वित्त वर्ष हेतु 3013.15 करोड़ रूपये की तुलना में 3253.60 करोड़ रूपये थी। वित्त वर्ष 2016 में 7.98 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः दीर्घावधि ऋणों और ऋणों पर देय किन्तु प्रोदभूत न होने वाले ब्याज, पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता, देय सांविधिक देयों की वर्तमान परिपक्वता में वृद्धि, के कारण हुई थी जिसे जमा/प्रतिधारण राशि तथा अन्य देयताओं में कमी से समायोजित किया गया था।

प्रावधान (दीर्घावधि तथा अल्पावधि)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन हेतु प्रावधान, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभों (बीमांकित मूल्यांकन), कराधान, लाभांश और लाभांश कर के प्रति प्रावधान, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि शामिल है। पिछले वित्त वर्ष हेतु 2516.51 करोड़ रूपये की तुलना में 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल प्रावधान 2562.49 करोड़ रूपये थे।

(iv) तुलनपत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित **तालिका सं. 11** में वित्त वर्ष 2016 और 2015 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

तालिका सं. 11 : आकस्मिक देनदारियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	8,459.20	8,207.65
जमीन के मुआवजे के मामले	28.18	12.37
विवादित आयकर, बिक्री कर और अन्य मद	838.29	906.69
कुल	**9,325.67**	**9,126.71**

आकस्मिक देयताओं में 31 मार्च, 2015 को 9126.71 करोड़ रूपये से 2.16 % प्रतिशत वृद्धि होकर यह 31 मार्च, 2016 को 9325.67 करोड़ रूपये हो गई थी जो मुख्यतः पूंजीगत कार्यों से संबंधित आकस्मिक देयताओं में वृद्धि के कारण है जिसे आंशिक रूप से विवादित कर मांगों से संबंधित आकस्मिक देयताओं में कमी द्वारा समायोजित किया गया है।

v) सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51.08 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 48.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1336.95 करोड़ रुपये और 1548.85 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 630.00 करोड़ रुपये और 766.46 करोड़ रुपये था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रूपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 117.69 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 87.09 करोड़ रूपए है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में 2.2.2015 को अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ रूपये है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 1.00 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1.00 करोड़ रूपये (99.99 प्रतिशत) है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 1500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49.98 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49.98 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.04 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2120 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरु और कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 200.10 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 100.00 करोड़ रूपये है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2015 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 110.48 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 23.90 करोड़ रूपये (21.64 प्रतिशत) है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस-21)--''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखांकन मानदंड (एएस-27)--''संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार तैयार किये गये हैं और इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित रूप में **तालिका सं. 12** में दिया गया है :

तालिका सं. 12 : समेकित परिणामों का संक्षिप्त सार

(करोड़ रूपए में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
कुल आमदनी (अपवाद वाली मदों को छोड़कर)	9,577.28	9,157.27
कर पूर्व लाभ	3,848.14	3,718.35
कर पश्चात लाभ (माइनोरिटी इंटरेस्ट को समायोजित कर)	2,688.26	2,491.36

9. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध पर उल्लेखनीय विकास

आपकी कंपनी अपने व्यापार की सफलता के लिए मानव पूंजी के महत्व को समझती है। कंपनी का प्रयास अग्रणी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से देश में श्रेष्ठ प्रतिभा को प्राप्त करने का होता है। यह प्रतिभा के विकास तथा उसे बनाए रखने के संबंध में कार्य कर रही है। समूचे संगठन में कार्य बदलाव और अंतर-स्थल स्थानांतरण में करियर के योजित विकास को सुकर बनाया है और कर्मचारियों की सोच को व्यापक किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण, शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की प्रतिभागिता को कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करके, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगकर सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी अपनी मानव संसाधन रणनीतियों को संगठनात्मक रणनीतियों के अनुरूप बनाने को जारी रखे हुए है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को प्रचालन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, वित्त, अभियांत्रिकी, आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते है। कंपनी ने उत्तराखंड में टनकपुर विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में चमेरा-I पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर में सलाल और उड़ी-I पावर स्टेशन में कुल 4 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन आईआईएम, आईआईटी, एफएमएस दिल्ली, आईएमटी गाजियाबाद, एएससीआई हैदराबाद, आईएसएम धनबाद और आईआईएससी बंगलौर जैसे प्रतिष्ठित प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से करवाती है। बीएचईए, एबीबी, जीई इलेक्ट्रिक और अलस्टोम जैसे प्रतिष्ठित विनिर्माताओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षण संबंधी तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था ताकि वे आरक्षण नीति की विशेषताओं और विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए आवश्यक प्रावधानों से परिचित हो सके।

आपकी कंपनी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को ढांचागत अभियांत्रिकी, जल संसाधन विकास तथा विद्युत प्रणालियों में प्रतिष्ठित आईआईटी तथा एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस से प्रबंधन पाठयक्रमों में उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार होता है।

(ii) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 8654 (3910 कार्यपालक, 250 पर्यवेक्षक और 4494 कामगार) थी।

(iii) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपाय

31.03.2016 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत **तालिका सं. 13** में दिया गया है :

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम :

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक विशेष समिति (जिसमें महिला कर्मचारी और बाहरी स्वतंत्र सदस्य शामिल है) का गठन किया गया है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों की देखबहल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए महिला कर्मचारियों को ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

आपकी कंपनी सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आबंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/विद्युत गृहों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को तालिका सं. 14 में दिया गया है :

तालिका सं. 13 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या				समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	
8654	329	34	508	871	10.06

तालिका सं. 14 : अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अ.जा.	%	अ.ज.जाति	%	अ.पि. वर्ग	%
8654	1,211	13.99	512	5.92	1,037	11.98

(v) **दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय**

दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका सं. 15 में दिया गया है।

तालिका सं. 15 : दिव्यांग कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक दिव्यांग कर्मचारी			शारीरिक दिव्यांग कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
8,654	8	5	95	108	1.25

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

- दिव्यांग कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखबहल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

10. पर्यावरण बचाव एवं सरंक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव और संरक्षण

आपकी कंपनी देश को आर्थिक वृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए जल विद्युत निर्माण कार्य को करते हुए देश की विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव और संरक्षण के प्रति समर्पित है।

आपकी कंपनी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरूद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है।

कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

"पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन प्रभाग" नामक एक नए प्रभाग का गठन पर्यावरण, सामाजिक तथा विविधता पहलुओं की देख-रेख के लिए किया गया है। प्रभाग की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप कारपोरेट पर्यावरण नीति बनाना।
- पर्यावरण स्वीकृति, वन स्वीकृति और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन और परियोजनाओं की वन्यजीव स्वीकृति से संबंधित सभी मुद्दों को लेना तथा उनकी निगरानी करना।
- परियोजनाओं की सामाजिक विविधता पर ध्यान देना तथा उनका प्रबंधन।
- आर एवं आर नीति तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान देना।
- सभी भूमि संबंधित रिकार्डों/दस्तावेजों हेतु एक रिपोजिट्री के रूप में कार्य करना।

(ii) **नवीकरणीय ऊर्जा विकास :**

आपकी कंपनी अपने क्रियाकलापों में विविधता लाकर सौर तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाश रही है। वर्तमान में राजस्थान में एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना चालू किए जाने के लिए तैयार है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अन्य अवसरों को भी सक्रिय रूप से तलाशा जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(iii) **विदेशी मुद्रा बचत :**

आपकी कंपनी भारत सरकार की "मेक इन इंडिया " नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। यह मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा। बोली की शर्तों में एमएसई की प्रतिभागिता के लिए कुछ लाभों के प्रावधान को शामिल किया गया है।

तकनोलॉजी आत्मसात किए जाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दी गई है।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अपने क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की सूचना तथा प्रकटीकरण में पारदर्शिता के प्रत्याशित मानकों के साथ उच्च स्तरीय संगठनात्मक सत्यनिष्ठा तथा नैतिकतापूर्ण व्यवहार को बनाए रखते हुए एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से व्यापार का संचालन कर रही है। आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों का उद्देश्य इसके प्रचालनों तथा कार्यकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले सहित अपने हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान देना है।

आपकी कंपनी की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जिसे कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप एक सुपरिभाषित सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीति है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर और धारणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

12. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

तारीख : 4 अगस्त, 2016
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध - IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण :

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय

ऊर्जा के संरक्षण के पुनः आकलन हेतु पूर्व में 18 पावर स्टेशनों में से 13 पावर स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई है। 4 विद्युत स्टेशनों अर्थात निम्मो बाजगो (45 मेगावाट), उड़ी-II (140 मेगावाट), पार्बती-III (520 मेगावाट) और तीस्ता लो डैम-III (132 मेगावाट) विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान की गई है। अद्यतन तिथि तक 7.53 एमयू प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत प्राप्त की गई है और निकट भविष्य में 6.74 एमयू प्रति वर्ष के शेष को प्राप्त किया जाएगा।

(ii) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

- **कारपोरेट कार्यालय में हरित भवन (चरण-II) :** आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय में चरण-2 भवन का निर्माण ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार किया है और इसे हरित भवन अवधारणा के अंतर्गत गृहा (एकीकृत प्रवास आकलन हेतु हरित रेटिंग) द्वारा 4 स्टार (अनंतिम) रेटिंग दी गई थी।
- **70 केडब्ल्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र को चालू किया जाना :** आपकी कंपनी ने भवन हेतु 70 केडब्ल्यूपी विद्युत की आपूर्ति हेतु चरण-II भवन की छत पर 70 केडब्ल्यूपी सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। संयंत्र द्वार उत्पादित सौर विद्युत का उपयोग कार्यालय भवन में किया जा रहा है और अतिरिक्त लोड आवश्यकता को राज्य की आपूर्ति से पूरा किया जाता है। संयंत्र से वार्षिक उत्पादन लगभग 1 लाख यूनिट है।

उक्त के अतिरिक्त, सौर ऊर्जा का उपयोग कंपनी की कुछ यूनिटों/कार्यालयों/आवासीय कालोनियों में भी किया जा रहा है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

कोई नहीं।

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मसात करना

(i) तकनोलॉजी आत्मसात किए जाने की ओर किए गए प्रयास

आपकी कंपनी ने तीस्ता-V (510 मेगावाट) पावर स्टेशन, सिक्किम हेतु फैब्रीकेटिड बोल्टेड रनर और ऑनलाइन कैविटेशन निगरानी प्रणाली की खरीद की है।

(ii) प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

- फैब्रीकेटिड बोल्टेड रनर का उच्च अवसादीय स्थितियों में लम्बे समय तक प्रचालन किया जा सकता है जिसकी 100 प्रतिशत सतह पर हार्ड कोटिंग की लम्बे समय तक चलने वाली गुणवत्ता है।
- ऑनलाइन कैविटेशन निगरानी प्रणाली टरबाइन के जल के भीतर बहने वाली हिस्सों में कैविटेशन का पता लगाती है तथा उसे रोकती है।

(iii) वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

क्रम सं.	आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है	यदि पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया गया है, तो उन क्षेत्रों के नाम जहां आत्मसात नहीं किया गया है और तत्संबंधी कारण
1.	मार्च, 2015 माह के दौरान ऑनलाइन डिस्चार्ज मापन हेतु सुबानसिरी नदी में क्यू-आई रडार का स्थापन	2014-15	हां	लागू नहीं

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :-

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 5,04,50,763 रूपए है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु
1)*	सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत सामान	4.33	8.78
	ii) कल पुर्जे	-	-
2)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	-	-
	ii) ब्याज	28.92	33.84
	iii) अन्य विविध मामले	140.76	154.37
3)*	प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए कल-पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	- आयातित	0.63 (1.66%)	-
	- स्वदेशी	37.35 (98.34%)	30.40 (100%)
4)*	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज आय	-	-
	ii) अन्य	2.62	-

* वास्तविक आधार

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

तारीख : 4 अगस्त, 2016
स्थान : फरीदाबाद

231 मेगावाट चमेरा-III पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) - बांध

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुबंध - V

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101एचआर1975 जीओआई 032564

2. कम्पनी का नाम

एनएचपीसी लिमिटेड

3. पंजीकृत पता

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)

4. वेबसाइट

www.nhpcindia.com

5. ईमेल आईडी

brr@nhpc.nic.in

6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष

2015-16

7. क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड बार)

* समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रो द्वारा विद्युत उत्पादन

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

8. तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)

(i) ऊर्जा (जल विद्युत)

(ii) परामर्शी सेवाएं

9. उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है

9.1. अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों का ब्यौरा दें)

एनएचपीसी की भूटान में व्यापार मौजूदगी है जहां यह नामांकन आधार पर मांगडेचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मांगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है। भूटान में चमखारचु-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को डीएचईएस, भूटान की शाही सरकार हेतु एक परामर्शी कार्य के रूप में तैयार किया गया था। भूटान की शाही भूटान सरकार और भारत सरकार के मध्य 22.4.2014 को हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के अनुसार परियोजना को एनएचपीसी और ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) (भूटान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समान शेयरधारिता के साथ निष्पादित किया जाना है। संयुक्त उद्यम के गठन हेतु विचार-विमर्श जारी हैं।

एनएचपीसी ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक भारतीय संघ के भाग के रूप में इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर सर्विस कंपनी को प्रबंधन परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाई जो अगस्त, 2015 में सफलतापूर्वक पूरी हुई थी।

9.2. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

हमारे समूचे देश में 7 राज्यों में 18 विद्युत स्टेशन और 4 निर्माण परियोजनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में एक निर्माण परियोजना को आंशिक रूप से चालू किया गया है।

राज्य	स्थान	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(II), कठुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवार	बांदीपुरा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	मण्डी
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	-
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	दाजर्लिंग
अरूणाचल प्रदेश	-	लोअर सुबानसिरी/ धेमाजी
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	-
मणिपुर	बिशनपुर	-

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों को बिजली बेची जाती है।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मेघालय
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	असम	नागालैण्ड
दिल्ली	अरूणाचल प्रदेश	झारखण्ड

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)

11,070.67 करोड़ रुपये (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)

7,434.06 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)

2,440.14 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर हमारा कुल व्यय वर्ष 2015-16 में 72.68 करोड़ रूपये है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 3.36 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

(i) शिक्षा और कौशल विकास

(ii) स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता

(iii) ग्रामीण विकास

(iv) पर्यावरण

(v) महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक

(vi) स्वच्छ विद्यालय अभियान

(vii) क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

हां, वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

(i) एनएचडीसी लिमिटेड

(ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

(iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?

नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसयिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं 7 (30% से कम 30-60%, 60% से अधिक)

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

1.1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : 03010235
- नाम : श्री जयंत कुमार
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1.2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
- नाम : श्री ए.के.सरकार
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक (आयोजना)
- दूरभाष : 0129-2271425
- ईमेलआइडी : aksarkar@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां,	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/ अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?;	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां

* सीएसआर और धारणीय विकास नीति http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति : www.nhpcindia.com/r-andr-policy.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी नीति, कार्पोरेट शासन अनुपालन तथा व्यावसायिक सौदा प्रतिबंध संबंधी नीति www.nhpcindia.com/corporate-govrnance.htm पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार, व्हिसल ब्लोवर नीति, सत्यनिष्ठा करार, समचित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

2क यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- **निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।**

  कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा।

- **क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है। यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?**

  यह चौथी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है। पिछले वर्ष की भांति आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। इस रिपोर्ट को www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है। कम्पनी का व्यावसायिक आचरण क्या आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है, व्हिसल ब्लोवर नीति भी अनाई गई है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 7 लाख रूपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण और 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

हमें वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	वित्त वर्ष 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2015-16 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2016 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	113	113	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2035	2035	0
सेबी शिकायतें	0	25	25	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायते	0	5	5	0
उपभोक्ता फोरम / अदालती मामले	2	0	0	2
आपूर्तिकर्ता धोखाधड़ी *	0	2	2	0

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में अपनी व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

* कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के संबंध में धोखाधड़ी नीति और बोलीदाताओं के साथ व्यापार कारोबार प्रतिबंधित करने संबंधी नीति के अंतर्गत धोखाधड़ी के दो मामले पाए हैं जिनका ब्यौरा निम्नवत है;

i) मैसर्स ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को 29 अप्रैल, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के साथ व्यापार करोबार हेतु 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

ii) मैसर्स हरी ओम सर्विसेज को 19 जून, 2015 से एनएचपीसी लिमिटेड के साथ व्यापार करोबार हेतु 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

सिद्धान्त 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं।

जलविद्युत उत्पादन।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।

3. क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वहन सहित) की प्रक्रिया है ? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया ? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के

लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

5. **क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुर्नचक्रण का तन्त्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10% >10%)**

जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है। इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**
2. **कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**
3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**
4. **कृपया स्थाई दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।**
5. **क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?**
6. **स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?**
7. **कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं ?**
8. **निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?**

1.	कर्मचारियों की कुल संख्या	8654 (31.03.2016 के अनुसार)
2.	अस्थाई/संविदात्मक/वैमित्तिक आधार पर लिए गये कर्मचारियों की कुल संख्या	एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।
3.	स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या	871 (31.03.2016 के अनुसार)
4.	कुल दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या	108 (31.03.2016 के अनुसार)
5.	कर्मचारी संघ	कार्पोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
6.	कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत	लागू नहीं
7.	वर्ष 2015-16 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2015-16 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
	2015-16 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2015-16 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायत : 1 लम्बित शिकायत : 0
	2015-16 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2015-16 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है
8.	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल प्रतिशत के रूप में) (2015-16)	
	स्थाई कर्मचारी	69.78%
	स्थाई महिला कर्मचारी	65.75%
	अस्थाई /संविदात्मक/नैमित्तिक	लागू नहीं
	दिव्यांग कर्मचारी	27.77%

सिद्धान्त 4

1. **क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं।**

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?**

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में नि:शक्त कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. **क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की हैं ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें ?**

- दिव्यांग कर्मचारी कम्पनी का प्रयास : एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारायों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?**

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हितधारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें अवार्विष्ट मानको का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. **गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?**

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं :

वित्त वर्ष 2015-16 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2015-16 के दौरान समाधान	वित्त वर्ष 2015-16 को अंतिम शेष
01	15	15	01

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित 'केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली' के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है :

1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2015-16 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2016 को अंतिम शेष
12	123	125	10

सिद्धान्त 6

1. **क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्त्ताओं / संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?**

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/बिजली घरों केलिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

2. **क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ?**

हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें। हां, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसको 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004(पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय नीति का उद्देश्य जल विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करना, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और इसमें निरन्तर सुधार लाना है।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

i. जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)

(ii) प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण

(iii) हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग

(iv) जलाशय रिम शोधन

(v) मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना

(vi) जैव विविधता संरक्षण

(vii) मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन

(viii) निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं।

हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबद्ध कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो क्या पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

हां, मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्मो बाजगो और चुटक नामक एनएचपीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई है, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के कारण परियोजनाएं एसीएम0002 के लागू होने की शर्तों का पालन नहीं करती और इस प्रकार यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरणों के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेगी। वर्तमान में लागू पद्धति के लिए पृथक ग्रिडों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के संबंध में पंजीकरण-पश्च परिवर्तनों हेतु प्रयास प्रगति पर हैं। एनएचपीसी सीडीएम के अंतर्गत जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।

एनएचपीसी के मामले में कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट लागू नहीं होती है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें।

जलविद्युत उत्पादन अपने आप में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। किन्तु, कम्पनी ने पवन और सौर ऊर्जा के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं। राजस्थान में एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। सौर ऊर्जा परियोजना अभियांत्रिकी तथा निविदा दिए जाने के चरण में है।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?

हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ। तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता मेंकिसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण किया जाता है। इन्हें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ऐसे कोई नोटिस लम्बित नहीं थे। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना, तीस्ता-IV और दिबांग के संबंध में तीन अपीलें एनजीटी के समक्ष लम्बित हैं।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उनका नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहित योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ।एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के धारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर जैसे राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से, कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सरकारी संस्थाओं/स्थानीय निकायों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

हमारी सीएसआर पहल संबंधी प्रभाव आकलन आज की तारीख तक नहीं किया गया है।

तथापि, प्रभाव अध्ययनों को हमारी बड़ी परियोजनाओं हेतु उनकी पूर्णता तथा आवश्यक न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि के पूरा होने के पश्चात किया जाएगा।

सीएसआर के माध्यम से हमारे छोटे स्तर के क्रियाकलापों/परियोजनाओं के कुछ दृश्य प्रभाव स्थानीय समुदायों पर देखे जा सकते हैं जोकि निम्नानुसार हैं -

(1) रोजगार कौशल तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि।

(2) स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में सुधार।

(3) वंचितों की स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक तथा संस्थागत आधारभूत ढांचे की स्थापना।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

	परियोजना	वर्ष 2015-16 के लिए धनराशि (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)
i.	शिक्षा और कौशल विकास	4.69 करोड़ रूपए
ii.	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	5.08 करोड़ रूपए
iii.	ग्रामीण विकास	2.53 करोड़ रूपए
iv.	पर्यावरण व्यय	0.57 करोड़ रूपए
v.	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.01 करोड़ रूपए
vi.	स्वच्छ विद्यालय अभियान	59.45 करोड़ रूपए
vii.	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	0.35 करोड़ रूपए
	कुल व्यय	**72.68 करोड़ रूपए**

एनएचपीसी द्वारा ली गई सीएसआर परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. शिक्षा और कौशल विकास

क) ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रमों को सुकर बनाना, शिक्षण केन्द्रों की स्थापना और स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षण सहायता मुहैया करवाना।

ख) व्यवहार विकास पर विशेष बल के साथ प्राथमिक शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में वृद्धि।

ग) ग्रामीण युवाओं/महिलाओं को उनकी नियोजनशीलता में वृद्धि करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया करवाना।

घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मुहैया करवाना।

2. स्वास्थ्य देख रेख

क) सुदूर स्थलों पर नई डिसपेंसरियों की स्थापना/विद्यमान डिसपेंसरियों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार हेतु सहायता मुहैया करवाना।

ख) एनएचपीसी के सुदूर स्थलों पर ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मातृत्व केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन।

ग) गांवों में नागरिकों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन। स्थानीय लोगों हेतु निशुल्क दवाओं का वितरण।

घ) बच्चों के कुपोषण तथा खराब स्वास्थ्य के संबंध में माता-पिता हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए विटामिन तथा गोलियों का निशुल्क वितरण। सरकारी अस्पतालों, मातृत्व केन्द्रों का उन्नयन।

ङ) चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित चल चिकित्सा यूनिटें मुहैया करवाना। एम्बूलेंस तथा चिकित्सा उपकरण आदि प्रदान करना।

3. सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा विकास

क) गांवों में आधारभूत ढांचा सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचा और सामुदायिक विकास कार्यों को लेना।

ख) महिलाओं हेतु प्रावधान पर विशेष फोकस के साथ सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के माध्यम से गांवों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार।

ग) फल, सब्जियों आदि जैसे कृषि उत्पादों को रखने तथा सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु सरकार/पीएसयू पहलों के साथ कार्रवाई/संबद्धता प्रारंभ करना।

4. खेलकूद, कला और संस्कृति/अन्य क्रियाकलाप

क) कृषि उत्पादकता आदि में सुधार के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण सहायता मुहैया करवाना।

ख) स्थानीय महोत्सवों आदि को प्रायोजित करके ग्रामीण खेलों/स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन।

5. पर्यावरण और धारणीयता

क) स्वैच्छिक वनीकरण और पौधों को लगाना

ख) वर्षा जल संचयन प्रणाली

ग सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश खम्बों का स्थापन

घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कूल की मरम्मत

6. स्वच्छ विद्यालय अभियान

क) भारत सरकार के निदेशों के अनुसार विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में बालकों तथा बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें।

हां, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये, यद्यपि क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरणों में थोड़ा सहारा चाहिए होता है। विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। सामुदायिक विकास पहलें करने से पूर्व हमारी आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण का समुचित विश्लेषण किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर प्रबोधन और मेंटरिंग की जाती है। हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजनो हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्त्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती हैं।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई ग्राहक / उपभोक्ता शिकायत दायर नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 दौरान दायर कोई भी मामला लम्बित नहीं हैं।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?

किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?

एनएचपीसी अपने लाभग्राहियों से नियमित रूप से फीडबैक ले रही है जो हमें हमारे ग्राहकों की एक बेहतर तथा अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में समर्थ बनाता है। वर्ष 2014-15 में हमने अपने लाभग्राहियों से 100 प्रतिशत फीडबैक प्राप्त किया है और इसमें से अधिकांशतः बहुत अच्छा से उत्कृष्ट के मध्य है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 02223301

तारीख : 4 अगस्त, 2016
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

अनुबंध VI

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संक्षिप्त रूप रेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।

प्रस्तावना :

आपकी कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों और कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ जाने वाली कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप एक सीएसआर तथा धारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- एक पृथक सीएसआर एवं एसडी प्रभाग का गठन (जिसके प्रमुख एक कार्यपालक निदेशक होंगे) जो नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करेगा।
- निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति का गठन (जिसके प्रमुख एक स्वतंत्र निदेशक होंगे)।
- एनएचपीसी परियोजनाओं के स्थानीय क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों को इस खंड हेतु बजट राशि के 80 प्रतिशत आवंटन के माध्यम से प्राथमिकता दी गई है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसायिक कौशलों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-VII के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के रूप में लेखांकित नहीं किया जाना है।
- आपकी कंपनी के सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों का विस्तार परोपकारी कृत्यों से काफी आगे है और इनका उद्देश्य इसे संगठन के व्यापार उद्देश्यों के साथ एकीकृत करना है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- नीति को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी इस विषय पर दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

चूंकि एनएचपीसी के विद्युत स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आश्य से क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है :

I शिक्षा, कौशल विकास और प्रोद्योगिकी एवं अनुसंधान :-

शिक्षा प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों को, के मामलो में एनएचपीसी अग्रणी है। विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में इंजीनियरिंग कालेजों/आईटीआई/कालेजों की स्थापना/उनमें सुधार में योगदान दे रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम/उत्कृष्टता योजना केन्द्र (सीओई) के माध्यम से कुल 13 आईटीआई को अपनाया गया है (जम्मू एवं कश्मीर में 7, उत्तराखंड में 4 और अरूणाचल प्रदेश में 2)। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना/विद्युत स्टेशन/टाउनशिप के आस-पास के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु सपोर्ट भी मुहैया करवा रही है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने 200 परिवारों को आजीविका मुहैया करवाने के लिए खुमानी, सेब तथा टमाटरों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए लद्दाख में अल्वी और खलसती गांवों में दो खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए हैं।

II स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गंभीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित करती है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को

एम्बुलेन्स, चिकित्सा उपकरण, डीजी सेट और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने असम में चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों तथा चिकित्सा परिचरों से लैस 20 चल चिकित्सा यूनिट (एमएमयू) मुहैया करवाई हैं। ये एमएमयू गांवों में समूचे वर्ष के दौरान आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी तथा स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन करेगी।

III **ग्रामीण विकास :-**

समुदाय की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनें, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। आपकी कंपनी ने आरसीसी पुलों/लकड़ी के पुल, दाहसंस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलापों को लिया है।

IV **पर्यावरण और धारणीयता :-**

पर्यावरणीय अवक्रमण एक बड़ा खतरा है। आपकी कंपनी पर्यावरणीय धारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के वचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिटटी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण और धारणीयता हेतु कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें जैव विविधता पार्क/हर्बल पार्कों का विकास, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, सिंचाई नहरों का पुनर्स्थापन, पौध रोपण, वर्षा जल संचयन, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन, सौर लालटेन का वितरण आदि शामिल हैं।

V **महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :-**

"महिला सशक्तिकरण" के भारत सरकार की प्रमुख मुद्दे पर उसके साथ सहयोग करते हुए आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। आपकी कंपनी वृद्धावस्था गृहों में सुधार, महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास सिखाना और महिलाओं हेतु साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता की है।

VI **स्वच्छ विद्यालय अभियान :-**

स्वच्छ विद्यालय अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया है। इस प्रतिष्ठित प्रयास के अंतर्गत ऐसे सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को लिया जा रहा है जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपकी कंपनी देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से सुदूर स्थलों, में 7045 शौचालयों का निर्माण किया है, जबकि इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा 6802 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था।

VII **सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :-**

आपकी कंपनी "कबड्डी" और "कुश्ती" जैसे ग्रामीण तथा परंपरागत खेलों, स्थानीय मेलों के आयोजन द्वारा शिल्प, टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से इनका संवर्धन कर रही है। आपकी कंपनी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, हितधारकों के साथ बैठकों के आयोजन द्वारा स्थानीय जनता में सामाजिक जागरूकता भी उत्पन्न कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खेलकूदों/कला तथा संस्कृति को बढ़ावा युवा क्लबों को आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवाकर तथा ग्रामीण क्लबों एवं एसोसिएशनों को खेलकूद के किट तथा उपकरण मुहैया करवाकर दिया जा रहा है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचना :

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलुओं के बजट आबंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।

31 मार्च, 2016 के अनुसार "सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति" की संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य

3. गत तीन वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)	औसत निवल लाभ (करोड़ में)
1	2012-13	2,898.03	2164.09
2	2013-14	886.13	
3	2014-15	2,708.12	

4. विहित सीएसआर व्यय :

43.28 करोड़ रूपये (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :-

क. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

7,267.55 लाख रूपये

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो :

शून्य

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की जानी है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रूपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	आईटीआई में विकासात्मक/ उन्नयन क्रियाकलाप छात्रों को छात्रवृत्ति स्कूल भवनों तथा पुस्तकालयों का निर्माण और उन्नयन स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना कम्प्यूटर उपकरणों तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी का वितरण सरकारी स्कूलों को वस्तुएं, वर्दी कौशल विकास प्रशिक्षणों/ कार्यक्रमों का आयोजन	शिक्षा और कौशल विकास	जम्मू एवं कश्मीर में आईटीआई रियासी, आईटीआई रामबन, आईटीआई कारगिल, आईटीआई किश्तवाड़, आईटीआई उड़ी, आईटीआई बांदीपुरा और आईटीआई लेह), उत्तराखंड में आईटीआई पोखड़ा, रूद्रप्रयाग, आईटीआई टनकपुर और आईटीआई कांडा, सिक्किम में आईटीआई चांडे, अरूणाचल प्रदेश में आईटीआई तबरीजो। इसके अतिरिक्त, अन्य सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग।	538.94	469.06	469.06	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रूपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों का आयोजन टीकाकरण कार्यक्रम स्थानीय लोगों हेतु निःशुल्क दवाओं का वितरण सरकारी अस्पतालों, प्रसूती केन्द्रों का उन्नयन सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना निःशुल्क मोतियाबिन्द सर्जरी शिविरों की व्यवस्था कुपोषण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकों तथा चिकित्सा परिचरों से लैस 20 चल चिकित्सा यूनिट मुहैया करवाना	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग।	2,148.13	507.42	507.42	सीधे
3.	पथमार्ग, आरसीसी पुलों, कंक्रीट मार्गों का निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण जम्मू एवं कश्मीर में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन दाह संस्कार शेड तथा कब्रगाहों का निर्माण नालों, आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों हेतु राहत तथा पुनर्वास उपाय गांव तथा विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति लाइनों की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना / यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग।	395.67	253.20	253.20	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रूपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
4.	जैव विविधता पार्क और हर्बल पार्क्रों का विकास स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनर्स्थापन स्वैच्छिक वनीकरण और पौधों को लगाना वर्षा जल संचयन प्रणाली सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश खम्बों का स्थापन सौर लालटेन, सोलर कुकर का वितरण	पर्यावरण और धारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना / यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	79.00	57.00	57.00	सीधे
5.	ग्रामीण महिलाओं हेतु साक्षरता कार्यक्रम ब्यूटीशियन कोर्स, साफ्ट खिलौने बनाना, अचार बनाना, सिलाई, कटाई, टेलरिंग तथा कड़ाई पाठयक्रम और महिलाओं हेतु अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम वृद्धावस्था गृहों का उन्नयन	महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग।	14.30	1.49	1.49	सीधे
6.	एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय ने तत्वावधान में अपने को सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 3104 शौचालयों के निर्माण से सम्बद्ध किया है।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख) और कारगिल, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, असम में जिला धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर, नलबाड़ी, दरांग, नगांव, जोरहाट, बारपेटा, कचार, सिवसागर, कामरूप-ग्रामीण, अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुमपारे और वेस्ट सियांग।	6,421.59	5,945.19	5,945.19	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रूपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
7.	हितधारकों के साथ बैठकें जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण खेलों का संवर्धन स्थानीय खेलकूद/टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना स्थानीय महोत्सवों का आयोजन	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य पहलें	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना / यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्धाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुंपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	38.25	34.19	34.19	सीधे
	कुल			**9,635.88**	**7,267.55**	**7,267.55**	

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की राशि 43.28 करोड़ रूपये होती है। कम्पनी ने उक्त प्रावधान के प्रति वर्ष के दौरान 72.68 करोड़ रूपये व्यय किए हैं।

इस प्रकार, सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 3.36 प्रतिशत होता है। अतः कम्पनी ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग किया है।

7 सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा मानीटरिंग कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप में है।

प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

हस्ता./-
(के.एम.सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 02223301

हस्ता./-
(अरूण कुमार)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष
कारपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास
संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन : 07346292

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुभावती सिंह के साथ 17 सितंबर 2016 को एनएचपीसी आवासीय परिसर, फ़रीदाबाद में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुभावती सिंह और एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 17 सितंबर 2016 को एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फ़रीदाबाद में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के दौरान

वार्षिक रिटर्न का सार

अनुबंध-VII

फार्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

I. पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे :

सीआईएन	L40101HR1975GOI032564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कम्पनी, शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरे	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 टेलीफोन नं. 0129-2588110/2588500 फैक्स नं. 0129-2277941
क्या कम्पनी सूचीबद्ध है ?	जी हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032 दूरभाष नं.: 040-67162222 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 फैक्स नं. : 040-23420814

II. कम्पनी के प्रमुख व्यावसायिक क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न-ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न-ओवर का प्रतिशत #
1	ऊर्जा (जल विद्युत) जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	99.54

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

सकल टर्न-ओवर के आधार पर

III. अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी	51.08%	2(87)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
2.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक विद्युत स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो. ऑ. लोकतक, कोम कीरप-795114, मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी	74%	2(87)
3.	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी-43/5, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015GOI068632	अनुषंगी	99.99%	2(87)
4.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेकेपीसीसी काम्पलेक्स, रेल हेड काम्पलेक्स, पनामा चौक, जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321	एसोसिएट	49.98%	2(6)
5.	नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीटयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U73100DL2009PTC190541	एसोसिएट	21.64%	2(6)
6.	नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड* कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीटयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U40100DL2008PLC185689	एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	16.67%	2(6)

* नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में है और इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एनएचपीसी लेखाओं के समूह समेकन के प्रयोजन हेतु एसोसिएटस/संयुक्त उद्यम नहीं माना गया है।

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार	9516209722	0	9516209722	85.96	9516209722	0	9516209722	85.96	0.00
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (1)	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**9516209722**	**0**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड/यूटीआई	8722475	0	8722475	0.08	6204586	0	6204586	0.06	(0.02)
ख) बैंक/एफआई	91543972	0	91543972	0.83	91385576	0	91385576	0.82	(0.01)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) डिबेंचर निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	375755573	0	375755573	3.39	389380953	0	389380953	3.52	0.13
छ) एफआईआई	212320234	0	212320234	1.92	287076272	0	287076272	2.59	0.67
ज) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	**688342254**	**0**	**688342254**	**6.22**	**774047387**	**0**	**774047387**	**6.99**	**0.77**
2. गैर-संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	97340036	0	97340036	0.88	69481348	0	69481348	0.63	(0.25)
ख) व्यक्ति									
(1) 1 लाख रूपये तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	576225050	171562	576396612	5.21	530215978	152582	530368560	4.79	(0.42)
(2) 1 लाख रूपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	170894577	0	170894577	1.54	158555459	0	158555459	1.43	(0.11)
ग) अन्य									
(1) क्लीयरिंग सदस्य	2172520	0	2172520	0.02	3585542	0	3585542	0.03	0.01
(2) अप्रवासी भारतीय	16593751	7575	16601326	0.15	15138074	7575	15145649	0.14	(0.01)
(3) विदेशी कारपोरेट निकाय	175	0	175	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(4) ट्रस्ट	2711274	0	2711274	0.02	2885392	0	2885392	0.03	0.01
(5) गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	389262	0	389262	0.00	0.00
(6) पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2)	**865937383**	**179137**	**866116520**	**7.82**	**780251230**	**160157**	**780411387**	**7.05**	**(0.77)**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**1554279637**	**179137**	**1554458774**	**14.04**	**1554298617**	**160157**	**1554458774**	**14.04**	**0.00**
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	**11070489359**	**179137**	**11070668496**	**100.00**	**11070508339**	**160157**	**11070668496**	**100.00**	

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	0.00	9516209722	85.96	0.00	0.00
	कुल	**9516209722**	**85.96**	**0.00**	**9516209722**	**85.96**	**0.00**	**0.00**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2015 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2015 से 31.03.2016)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	9516209722	85.96	9516209722	85.96
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं।			
3.	वर्ष के अंत में	9516209722	85.96	9516209722	85.96

(iv) **10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)**

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2015 से 31.03.2016)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**भारतीय जीवन बीमा निगम ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	331009248	2.99	331009248	2.99
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	13625380	0.12	344634628	3.11
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	344634628	3.11
	वर्ष के अंत में	344634628	3.11	344634628	3.11
2.	**यूको बैंक ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	33154836	0.30	33154836	0.30
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	-	-	33154836	0.30
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	33154836	0.30
	वर्ष के अंत में	33154836	0.30	33154836	0.30
3.	**वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टाक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	27730780	0.25	27730780	0.25
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	466982	0.00	28197762	0.25
	वर्ष के दौरान बेचे गए	6319038	0.05	21878724	0.20
	वर्ष के अंत में	21878724	0.20	21878724	0.20
4.	**विस्डम ट्री ट्रस्ट एकाउंट विस्डमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	18898129	0.17	18898129	0.17
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	5912044	0.05	24810173	0.22
	वर्ष के दौरान बेचे गए	9775378	0.08	15034795	0.14
	वर्ष के अंत में	15034795	0.14	15034795	0.14
5.	**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	13907798	0.13	13907798	0.13
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	-	-	13907798	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	13907798	0.13
	वर्ष के अंत में	13907798	0.13	13907798	0.13
6.	**कारपोरेशन बैंक ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	13842251	0.13	13842251	0.13
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	-	-	13842251	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	13842251	0.13
	वर्ष के अंत में	13842251	0.13	13842251	0.13
7.	**वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टाक इंडेक्स फंड ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	11144212	0.10	11144212	0.10
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	4864065	0.04	16008277	0.14
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	16008277	0.14
	वर्ष के अंत में	16008277	0.14	16008277	0.14

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2015 से 31.03.2016)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8.	**गोल्डमैन सैच (सिंगापुर) पीटीई #**				
	वर्ष के प्रारंभ में	5155271	0.05	5155271	0.05
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	30331392	0.27	35486663	0.32
	वर्ष के दौरान बेचे गए	59575	0.00	35427088	0.32
	वर्ष के अंत में	35427088	0.32	35427088	0.32
9.	**गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल @**				
	वर्ष के प्रारंभ में	21424576	0.19	21424576	0.19
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	-	-	21424576	0.19
	वर्ष के दौरान बेचे गए	9264294	0.08	12160282	0.11
	वर्ष के अंत में	12160282	0.11	12160282	0.11
10.	**पेंशन रिजर्वस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड - पजेना इन्व #**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	14881775	0.13	14881775	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	-	-	14881775	0.13
	वर्ष के अंत में	14881775	0.13	14881775	0.13
11.	**मोर्गन स्टांले एशिया सिंगापुर पीटीई #**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1356485	0.01	1356485	0.01
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	13476269	0.12	14832754	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	2194449	0.02	12638305	0.11
	वर्ष के अंत में	12638305	0.11	12638305	0.11
12.	**इमर्जिंग मार्केटस कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (द पोटफो) @**				
	वर्ष के प्रारंभ में	11019906	0.10	11019906	0.10
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1615234	0.01	12635140	0.11
	वर्ष के दौरान बेचे गए	671051	0.01	11964089	0.11
	वर्ष के अंत में	11964089	0.11	11964089	0.11
13.	**मेरिल लाइंच कैपिटल मार्केटस एसपाना एस.ए.एस.वी. @**				
	वर्ष के प्रारंभ में	10602684	0.10	10602684	0.10
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	951358	0.01	11554042	0.11
	वर्ष के दौरान बेचे गए	10299166	0.10	1254876	0.01
	वर्ष के अंत में	1254876	0.01	1254876	0.01

*1.4.2015 तथा 21.3.2016 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

@ केवल 1.4.2015 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

केवल 31.3.2016 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

टिप्पणी :

(1) कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है अतः शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया गया है।

(2) शेयरधारिता को शेयरधारकों की स्थायी लेखा संख्या (पैन) के आधार पर समेकित किया गया है।

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2016) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2015)/ वर्ष के अंत (31.03.2016) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क	निदेशक							
1.	श्री के.एम.सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (23.09.2015 को सीएमडी बने)	शून्य	लागू नहीं	23.09.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
2.	श्री आर.एस.टी.साई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (23.09.2015 से सीएमडी नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	23.09.2015			शून्य	लागू नहीं
3.	श्री डी.पी.भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	19,999	नगण्य	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		19,999	नगण्य
		19,999	नगण्य	31.03.2016			19,999	नगण्य
4.	श्री आर.एस.मीना निदेशक (कार्मिक) (और 28.0.2015 तक सीएफओ)	42,000	नगण्य	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		42,000	नगण्य
		42,000	नगण्य	31.03.2016			42,000	नगण्य
5.	श्री जयंत कुमार निदेशक (वित्त) और सीएफओ (26.05.2015 को निदेशक तथा 29.05.2015 को सीएफओ बने)	शून्य	लागू नहीं	26.05.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
6.	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (06.01.2016 को निदेशक बने)	18,200	नगण्य	06.01.2016	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		18,200	नगण्य
		18,200	नगण्य	31.03.2016			18,200	नगण्य
7.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकारी नामिति निदेशक (06.03.2016 को निदेशक बनी)	शून्य	लागू नहीं	06.03.2016	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
8.	श्री अनिरूद्ध कुमार, सरकारी नामिति निदेशक (28.10.2015 से 29.02.2016 की अवधि के दौरान निदेशक थे)	1,500	नगण्य	28.10.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		1,500	नगण्य
		1,500	नगण्य	29.02.2016			1,500	नगण्य

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2016) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2015)/ वर्ष के अंत (31.03.2016) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
9.	श्री अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिति निदेशक (19.10.2015 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	19.10.2015			शून्य	लागू नहीं
10.	श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकारी नामिति निदेशक (08.07.2015 को निदेशक बनी)	शून्य	लागू नहीं	08.07.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
11.	श्री के.एन.गर्ग, सरकारी नामिति निदेशक (30.06.2015 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	30.06.2015			शून्य	लागू नहीं
12.	श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक (26.11.2015 को निदेशक बने)	1,500	नगण्य	26.11.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		1,500	नगण्य
		1,500	नगण्य	31.03.2016			1,500	नगण्य
13.	प्रो. अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक (26.11.2015 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	26.11.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
14.	प्रो कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक (26.11.2015 को निदेशक बनी)	शून्य	लागू नहीं	26.11.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
15.	श्री फारूक खान, स्वतंत्र निदेशक (26.11.2015 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	26.11.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	31.03.2016			शून्य	लागू नहीं
16.	श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक (23.09.2015 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	23.09.2015			शून्य	लागू नहीं

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2016) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2015)/ वर्ष के अंत (31.03.2016) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
17.	श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक (23.09.2015 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	23.09.2015			शून्य	लागू नहीं
ख	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	14500	नगण्य	01.04.2015	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		14500	नगण्य
		14500	नगण्य	31.03.2016			14500	नगण्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोदभूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रूपए में)

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण **	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2015)				
1) मूलधन राशि	15399.16	4437.18	0.00	19836.34
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	282.72	25.68	0.00	308.40
कुल (1+2+3)	**15681.88**	**4462.86**	**0.00**	**20144.74**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	2603.65	300.00	0.00	2903.65
कमी *	2565.54	32.02	0.00	2597.56
निवल परिवर्तन	**38.11**	**267.98**	**0.00**	**306.09**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2016)				
1) मूलधन राशि	15437.27	4705.16	0.00	20142.43
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	351.60	25.63	0.00	377.23
कुल (1+2+3)	**15788.87**	**4730.79**	**0.00**	**20519.66**

* अप्रतिभूत ऋण में कमी में विदेशी ऋण पर 2,02,25,36,453/- रूपये की ईआरवी हानि शामिल हैं।

** अप्रतिभूत ऋणों में विदेशी ऋण शामिल हैं।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री के.एम सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (23.9.2015 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने)	श्री डी.पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) (25.5.2015 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार धारित किया	श्री जयन्त कुमार, निदेशक (वित्त) (26.5.2015 से निदेशक बने)	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (06.1.2016 से निदेशक बने)	
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	1249692	3057440	2875398	1955862	702033	9840425
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	121964	684008	410797	359229	82483	1658481
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य **	219077	1024155	697287	638339	62670	2641528
	कुल (क)	**1590733**	**4765603**	**3983482**	**2953430**	**847186**	**14140434**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)					

** अन्यों में पट्टा किराया, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान योगदान) आदि शामिल हैं जिसे मद संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी :

(1) श्री आर.एस.टी.साई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 23.9.2015 तक कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए थे।

(2) श्री जयन्त कुमार को 29.5.2015 से कंपनी का सीएफओ नियुक्त किया गया। इससे पहले श्री आर.एस.मीणा कंपनी के सीएफओ थे।

(3) वर्ष के दौरान श्री जे.के.शर्मा, पूर्व निदेशक (परियोजनाएं) को पिछले वर्ष से संबंधित उनके देयों के लिए 1824532/- रूपये की राशि का भुगतान किया गया था।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम						कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री अशोक कुमार दत्ता (23.9.2015 से निदेशक नहीं रहे)**	**श्री अतुल कुमार गर्ग (23.9.2015 से निदेशक नहीं रहे)**	**श्री सत्य प्रकाश मंगल (26.5.2015 से निदेशक बने)**	**प्रो. अरूण कुमार (26.5.2015 से निदेशक बने)**	**प्रो. कनिका टी.भाल (26.5.2015 से निदेशक बनी)**	**श्री फारूक खान (26.5.2015 से निदेशक बने)**	
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	240000	260000	160000	160000	160000	140000	1120000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	**240000**	**260000**	**160000**	**160000**	**160000**	**140000**	**1120000**
2.	**नामिति निदेशक**	**श्री के.एन.गर्ग (30.6.2015 से निदेशक नहीं रहे)**	**श्रीमती कृष्णा त्यागी (8.7.2015 से निदेशक बनी)**	**श्री अरूण कुमार वर्मा (19.10.2015 से निदेशक नहीं रहे)**	**श्री अनिरूद्ध कुमार (28.10.2015 से 29.2.2016 तक निदेशक थे)**	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल (6.3.2016 से निदेशक बनी)**		
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	कुल(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**-**	**शून्य**
	कुल (ख)=(1+2)	**240000**	**260000**	**160000**	**160000**	**160000**	**140000**	**1120000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*							**15260434**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)						

* प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	2706482	-	2706482
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	219433	-	219433
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	शून्य	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4.	कमीशन	-	शून्य	-	-
5.	अन्य **	-	359201	-	359201
	कुल (क)	**-**	**3285116**	**-**	**3285116**

* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** अन्यों में पट्टा किराया, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान) आदि शामिल हैं जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी/ एएनसीएलटी / अदालत	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
क. निदेशक					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					

टिप्पणी :

कंपनी को 10.4.2015 को बीएसई लिमिटेड द्वारा महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क)(1) की आवश्यकता के गैर-अनुपालन हेतु 50,000/- रूपये के जुर्माने का एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी ने एक्सचेंज को उक्त जुर्माने से इस आधार पर छूट देने का अनुरोध किया है कि एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) है, अतः निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार की जाती है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(के.एम. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 02223301

तारीख : 4 अगस्त, 2016
स्थान : फरीदाबाद

280 मेगावाट धौलीगंगा पावर स्टेशन (उत्तराखण्ड) - बांध

अनुबंध-VIII

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1)और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड.

मैंने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर मैं एतदद्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

मैने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश-

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिशेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा-निर्देश, 1999;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2008;

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998;

(vi) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों की जांच कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर की जा रही है।

मैने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ भी अनुपालन की जांच की है -

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक - 1 जुलाई, 2015 से लागू - सामान्यतः अनुपालन किया गया है।

(ii) सूचीकरण समझौता और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अभिमतों के अधीन किया है :

क) कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन,

2015 के विनियम 17(1)(ख), (तत्कालीन सूचीकरण समझौते के खंड 49(2) और कारपोरेट अनुशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुरूप होनी अपेक्षित है, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

ख) कंपनी के निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(10) और 25(4) के अनुपालन में होना अपेक्षित है।

ग) बोर्ड ने 2 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल उन्हें अपर निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करके बढ़ाया है। प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक सहमति प्रतीक्षित है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कम्पनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु ई-फार्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) दायर किया है जिसमें कुछ बाध्यकारी रूप से अपेक्षित ब्यौरे को संलग्नक (अटैचमेंट) के रूप में दाखिल किया गया था।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है जबकि विरोध कर रहे सदस्यों के मतों को लिया जाता है तथा उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कम्पनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं और कंपनी उक्त की और समीक्षा तथा इसे और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सचिन अग्रवाल)
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 02 जून, 2016

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''अनुबंध-क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - कंक्रीट बांध

अनुबंध-क

सेवा में,

सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड

मेरी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने मेरे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।
3. मैंने लेखापरीक्षित तथा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के आधार पर वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता तथा उचितता पर निर्भर किया है।
4. जहां-कहीं अपेक्षित हो मैने विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
हस्ता./-
(**सचिन अग्रवाल**)
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 02 जून, 2016

120 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखण्ड) - बैराज

एनएचपीसी कार्यालय परिसर फरीदाबाद में रियल टाइम सिस्मिक डाटा सेंटर का 25 फरवरी 2016 को उदघाटन करने के पश्चात श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी (बाएँ से दूसरे) एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ

श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी 30 जून 2016 को एनएचपीसी कार्यालय, फ़रीदाबाद में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध-IX

सेवा में सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। **एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व** कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाहों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के। **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व** हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरुप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के तौर पर एकल वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।	

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
मत हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :	
बल दिये जाने वाले मामले हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :	(क) एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (पीए) को रोकने के क्रियान्वयन के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ पीए का भुगतान जारी है।
(क) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7 का पैरा जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन का वर्णन करता है।	
(ख) वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 11.1 का पैरा 2, जो परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर किए जाने वाले व्यय का वर्णन करती है जिनके लिए या तो अनिश्चितता के कारण प्रावधान किया गया है अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ लंबित होने वाली विभिन्न स्वीकृतियों के चलते जिन्हें अग्रेनीत किया जा रहा है।	(ख) प्रबंधन के मतानुसार, जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है, वे अभी भी सक्रिय है, अतः सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की लागत को अग्रेनीत किया जा रहा है। तथापि, प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, बहियों में किया गया है।
(ग) वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 1, जो कंपनी द्वारा/इसके विरूद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूद्ध निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नहीं करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए के।	(ग) उक्त पैरा में इस प्रकटीकरण को लेखांकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(घ) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 21(क) विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।	(घ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(ङ) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 28 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।	(ङ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(च) चालू पूंजीगत कार्य संबंधी लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 जिसे कंपनी द्वारा उसके नियंत्रण में न होने वाली किन्तु परियोजना के निर्माण के लिए मूलतः आवश्यक होने वाली सुविधाओं के निर्माण से संबंधित व्यय किए गए पूंजीगत व्यय के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 15 के साथ पढ़ा जाता है, इसे 'निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) पर प्रभारित किया जाता है क्योंकि यह 30.3.2016 को अधिसूचित संशोधित एएस-10 के अनुरुप है क्योंकि इस संशोधित लेखांकन मानक का पैरा 88 परिवर्तनकारी प्रावधान के संबंध में बताता है जिसके अनुसार ऐसा उपचार किया जाएगा।	(च) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।	

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना 1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के अनुसार लागू होने तक की सीमा हेतु उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण ''अनुबंध-क'' में संलग्न किया है। 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन ''अनुबंध-ख'' में दिया गया है। 3. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि : क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे; ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रुप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है; ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरुप है; घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं; ङ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में 'अनुबंध-ग' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें; और छ. कपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार और हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार : (i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है - देखें वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 का पैरा 1; (ii) कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाले हानियां हों; (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।	

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
(एफआर सं. 000050एन)

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
(एफआर सं. 001728एन)

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
(एफआर सं. 301072इ)

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध 'क' के संदर्भ में :

i. (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

(ख) अचल परिसंपत्तियों, सिवाय कुछ यूनिटों में भूमि के मामले में, का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे कंपनी के रिकार्ड़ों के परीक्षण के आधार पर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं, सिवाय निम्नलिखित के :

मामलों की कुल संख्या	परिसंपत्ति का प्रकार	31.3.2016 के अनुसार सकल ब्लाक	31.3.2016 के अनुसार निवल ब्लाक	टिप्पणी
11	फ्रीहोल्ड भूमि	13.37 करोड़ रूपये	13.37 करोड़ रूपये	155.69 हेक्टेयर भूमि
9	पट्टाधारी भूमि	297.34 करोड़ रूपये	253.91 करोड़ रूपये	766.20 हेक्टेयर भूमि

ii. वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल-सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे प्रमाणीकरण की आवृत्ति तर्कसंगत है। बही रिकार्ड़ों की तुलना में ऐसी माल-सूची के भौतिक सत्यापन पर पाई गई कमियां भौतिक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।

iii. कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर होने वाली कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारियों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3 (iii) (क),(ख) तथा (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा अन्य किसी संगत प्रावधान, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. कंपनी ने अधिनियम की धारा 148(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे तथा रिकार्डों को बनाया तथा अनुरक्षित किया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता या पूर्णता के निर्धारण हेतु इन लेखों तथा रिकार्ड़ों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

vii. क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड़ों के आधार पर अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, जिनके संबंध में लेखाबहियों में कटौती की गई/प्रोदभूत राशियां है, उन्हें सामान्यतः नियमित रुप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर/वैट, सीमा शुल्क, सेवा कर, संपत्ति कर और उपभोग कर के देयों की राशि निम्नानुसार है :-

सांविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (करोड़ रूपये में)	जिस वर्ष से संबंधित है	फोरम जहां मामला लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	0.46	2007-08	आय कर विभाग
बिक्री कर अधिनियम/वैट अधिनियम	बिक्री कर/वैट	256.19	1994-95	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, श्रीनगर
		5.78	2005-06 to 2009-10	अध्यक्ष, एचपी वैट अधिकरण, शिमला
		0.14	2006-07	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल
		0.76	2007-08	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल
		0.43	2008-09	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल

लेखापरीक्षक की टिप्पणी						प्रबंधन का उत्तर
	सांविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (करोड़ रूपये में)	जिस वर्ष से संबंधित है	फोरम जहां मामला लंबित है	
	बिक्री कर अधिनियम/वैट अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	0.07	2009-10	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल	
			0.22	2010-11	सीटीओ, बारामूला	
			2.74	2012-13	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल	
	वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	13.51	2010-11	सीबीईसी	
			39.70	2012-13	आयुक्त, सीई एवं एसटी, पटना	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1963	सीमा शुल्क	2.01	2004	कोलकाता उच्च न्यायालय	
	जम्मू एवं कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	0.19	1991-2002	डीसी, वाणिज्यिक कर	
	पश्चिम बंगाल राज्य वस्तु उपभोग तथा उपयोग कर अधिनियम, 2001	उपभोग कर	0.06	2003-04, 2004-05 और 2005-06	कोलकाता उच्च न्यायालय	
viii.	हमारी लेखा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।					
ix.	हमारे मत और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण उपकरणों तथा सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें जुटाया गया था।					
x.	हमारी लेखा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान पाया अथवा सूचित नहीं किया गया है।					
xi.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के माध्यम से दी गई छूट के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।					
xii.	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(12) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।					
xiii.	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जहां लागू हों, और ऐसे संव्यवहारों के विवरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, जो लागू लेखांकन मानक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार है।					
xiv.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।					
xv.	हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इससे संबंधित निवेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।					
xvi.	कपंनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।					

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 000050एन)

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 001728एन)

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 301072ई)

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुबंध-ख

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि पर क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो ऐसी फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि का क्षेत्रफल बताइए जिसके लिए स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	सभी फ्रीहोल्ड और पट्टाधारी भूमियों के स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख मौजूद हैं सिवाय क्रमशः 155.69 और 766.20 हेक्टेयर के।
2	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन के कोई मामले हैं। यदि हां तो तत्संबंधी कारण और अतर्ग्रस्त राशि बताएं।	ऐसे दो मामले हैं जहां 16.81 करोड़ रूपये के ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन किया गया है। 1 मैसर्स बीजीएस-एसजीएस-सोमा संयुक्त उद्यम के संबंध में 16.78 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज को अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2014 की अवधि हेतु संसाधनों के खाली रहने के चलते पश्च लेखित किया गया है। 2 मैसर्स चहल इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लम्बे समय से वसूली हेतु लम्बित 0.03 करोड़ रूपये की राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पश्च लेखित किया गया है।
3	क्या तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	हमारे मतानुसार, कंपनी तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। सूचित किए अनुसार कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रुप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नही हुई है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 000050एन)

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 001728एन)

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
(एफआर न. 301072ई)

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं' के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुबंध-ग

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** ('कंपनी') की 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ('परामर्शी नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी	कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस	कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)	**(सनदी लेखाकार)**	**(सनदी लेखाकार)**
(एफआर न. 000050एन)	(एफआर न. 001728एन)	(एफआर न. 301072ई)
(सुरेश सेठ)	(आर. के. गुप्ता)	(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-056359

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
(1)	**शेयरधारकों की निधि**					
(क)	शेयर पूंजी	2	11,070.67		11,070.67	
(ख)	आरक्षित तथा अधिशेष	3	17,681.28		17,215.72	
(2)	**गैर-वर्तमान देयताएं**					
(क)	दीर्घावधि ऋण	4	18,385.28		18,171.03	
(ख)	स्थगित कर देयता (निवल)	5	845.68		810.44	
(ग)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,244.16		1,337.17	
(घ)	दीर्घावधि प्रावधान	7	400.65		886.95	
(3)	**वर्तमान देयताएं**					
(क)	व्यापार प्राप्य	8				
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		2.10		0.16	
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		120.90		152.85	
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	9	3,253.60		3,013.15	
(ग)	अल्पावधि प्रावधान	7	2,161.84		1,629.56	
	कुल		**55,166.16**		**54,287.70**	
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**					
(क)	अचल परिसंपत्तियां					
	(i) गोचर परिसंपत्तियां	10.1	22,055.58		21,899.89	
	(ii) अगोचर परिसंपत्तियां	10.2	828.27		795.27	
	(iii) चालू पूंजीगत कार्य	11.1	16,575.65		16,054.72	
	(iv) विकास के अधीन होने वाली अगोचर परिसंपत्तियां	11.2	0.01		-	
(ख)	गैर-वर्तमान निवेश	12	1,596.36		1,977.75	
(ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,108.68		1,182.29	
(घ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14.1	962.03		795.81	
	उप-जोड		43,126.58		42,705.73	
(ङ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां- नियामक परिसंपत्तियां	14.2	2,180.33		1,630.39	
				45,306.91		44,336.12
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
(क)	वर्तमान निवेश	15		1.13		257.57
(ख)	मालसूची	16		85.53		82.73
(क)	व्यापार प्राप्य	17		2,017.03		2,497.10
(घ)	नकदी तथा बैंक शेष	18		5,876.76		5,422.11
(ङ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		218.48		181.95
(च)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		1,660.32		1,510.12
	कुल			**55,166.16**		**54,287.70**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	28				
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**के.एम.सिंह** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 02223301
कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 000050एन **(सुरेश सेठ)** भागीदार सदस्यता सं.-010577	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 001728एन **(आर. के. गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 301072ई **(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व	**20**	7,434.06	6,802.25
ii)	अन्य आय	**21**	919.76	861.33
	कुल राजस्व		**8,353.82**	**7,663.58**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**	2,108.54	1,660.60
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**	1,115.90	1,149.23
iii)	वित्त लागत	**24**	1,067.37	1,179.77
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**25**	1,452.14	1,425.87
	कुल व्यय		**5,743.95**	**5,415.47**
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा दर विनियमित क्रियाकलाप और कर से पूर्व लाभ			**2,609.87**	**2,248.11**
	पूर्वावधि मदे (निवल)	**26**	(36.87)	(56.11)
विशिष्ट और असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप तथा कर पूर्व लाभ			**2,646.74**	**2,304.22**
	विशिष्ट मदें		-	-
असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ			**2,646.74**	**2,304.22**
	असाधारण मदें		-	-
दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ			**2,646.74**	**2,304.22**
	दर विनियमित आय/(व्यय)		549.94	521.95
कर पूर्व लाभ			**3,196.68**	**2,826.17**
	कर संबंधी व्यय	**27**		
i)	वर्तमान कर		744.97	583.42
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		(23.67)	74.51
iii)	विलंबित कर		35.24	43.77
	कर संबंधी कुल व्यय		756.54	701.70
वर्ष के लिए लाभ			**2,440.14**	**2,124.47**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
	बुनियादी तथा तनूकृत		2.20	1.92
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		
	निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	**28**		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	**29**		
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

जयंत कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235

के.एम.सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 000050एन

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 001728एन

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**			
	कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ	3,196.68		2,826.17
	घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)	549.94		521.95
		2,646.74		**2,304.22**
	जोडें :			
	मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,451.55	1,429.77	
	वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,067.37	1,179.76	
	प्रावधान (निवल हानि)	390.93	112.78	
	दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया व्यय (वित्त और मूल्यह्रास का निवल)	147.03	123.30	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	109.78	105.82	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/ पश्चलेखित दावे	1.46	2.36	
	विनिमय दर अंतर	1.14	(20.50)	
		3169.26		2,933.29
		5,816.00		**5,237.51**
	घटाएं :			
	पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17	50.17	
	प्रावधान (निवल लाभ)	41.53	75.96	
	निवेश की बिक्री पर निवल लाभ	13.19	-	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	0.44	1.11	
	लाभांश आय	120.93	61.56	
	ब्याज आय	601.43	661.05	
		827.69		849.85
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	**4,988.31**		**4,387.66**
	कार्यशील पूंजी में कमी (वृद्धि)			
	माल सूची	(2.80)	(8.51)	
	व्यापार प्राप्य	480.07	(633.33)	
	अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(91.30)	499.46	
	अन्य देयताएं और प्रावधान	(307.21)	(586.08)	
		78.76		(728.46)
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	**5,067.07**		**3,659.20**
	घटाएं - कर	669.37		603.84
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**4,397.70**		**3,055.36**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**			
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित)	(2069.13)		(1632.33)
	दर विनियमित परिसंपत्तियों का सृजन	(147.03)		(123.30)
	निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति	651.02		243.56
	ब्याज आय	593.13		661.05
	प्राप्त लाभांश	120.93		61.56
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(851.08)**		**(789.46)**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(1734.74)	(772.03)
	ऋणों से वित्त-पोषण		
	ऋण	1774.92	1461.98
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(1671.09)	(1276.19)
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1461.06)	(1561.38)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3091.97)**	**(2147.62)**
घ.	**नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**454.65**	**118.28**
	अवधि के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,422.11	5,303.83
	अवधि के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,876.76	5,422.11

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	1,500.20	478.41
अन्य बैंक शेष *	4,376.56	4,943.70
	5,876.76	**5,422.11**

* अन्य बैंक शेष में 251.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 268.05 करोड़ रुपये), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, 4.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 9.74 करोड़ रूपए) की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय न की गई देयता, 10.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5.85 करोड़ रूपए) का अदा न किया गया लाभांश/ब्याज शामिल है।

2 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में अवधि के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 461.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 330.43 करोड़ रुपए) और वर्ष के दौरान सृजित दर विनियमित परिसंपत्तियों की ऋण लागत के प्रति 395.26 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 406.83 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है।

3 31.3.2016 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 433.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 280.64 करोड़ रुपए) है, जो अधीनस्थ ऋण है।

4 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**के.एम.सिंह** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 02223301

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 000050एन	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 001728एन	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 301072ई
(सुरेश सेठ) भागीदार सदस्यता सं.-010577	**(आर. के. गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयारी के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और सूचित अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की राशि को प्रभावित करने वाली सभी संगत सूचना को लेते हुए एक तर्कसंकत तथा विवेकसंगत आधार पर अनुमान तथा मान्यता लगाएं। वास्तविक परिणाम अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान में किसी संशोधन को मान्यता उक्त को निर्धारित की जाने वाली अवधि में दी जाती है।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 मूर्त परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत, घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षति हानियां, यदि कोई हो, के आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी परिसंपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है भले ही भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित की गई हो, उन्हें अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।

2.1.3 किसी पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर मूर्त परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए जाने वाले व्यय जो किसी विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवनकाल और/अथवा दक्षता में परिणत होता है, उसे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत मूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई/निवृत्त की गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

2.1.4 मुआवजे (न्यायालय के पंचाट की तिथि तक न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

2.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग हेतु लिए गए सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग न होने के चलते) को खरीद की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानियां, यदि कोई हो, पर बताया जाता है और इसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है, सिवाय भूमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण पर आरोप्य व्यय'' (ईएसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता ।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय ''निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)'' पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय ''लाभ एवं हानि विवरण'' को प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के पश्च लेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्ज़ों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 वस्तुसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्ज़े'' माना जाता है।

4. दर विनियमित क्रियाकलाप

जहां व्यय की किसी मद को आयोजना के निर्माण के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात उसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नही होती, परन्तु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नियामक, द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में उसे लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, तो उक्त की वसूली के अधिकार को एक नियामक परिसंपत्ति के रूप मे मान्यता दी जाती है तथा तदनुरूपी नियामक आय की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्श नोट के अनुसार की जाती है, यदि यह उक्त परामर्शी नोट में निर्धारित ऐसी मान्यता हेतु शर्तों को पूरा करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.2 i) कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों (सिवाय पुरानी और प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

ii) प्रचालन यूनिटों से अन्य की पुरानी तथा उपयोग की गई मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिसंपत्ति के लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए अनुसार जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, और इसे जिस वर्ष में खरीद की गई हो से प्रारंभ किया जाता है।

5.6 भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुरूप किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश का मूल्य निर्धारण लागत से कम और पृथक निवेश आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईएसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अन्य सीमांत लाभ शामिल है।

9.2 पेंशन लाभों, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) में अंशदान और भविष्य निधि योजना मुहैया करवाने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारी निश्चित अंशदान अधिवर्षिता योजनाओं (ईडीसीएसएस) के प्रति कंपनी की देयता के भुगतान को लेखांकित किया और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 उपदान, ईडीसीएसएस और आरईएचएस के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों हेतु देयता को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसका भुगतान संबंधित न्यासों को किया जाता है।

9.4 कर्मचारियों को अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और अधिवर्षिता पर स्मृति-चिन्ह हेतु देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत'' के प्रति ''सूचित तिथि तक वहन की गई लागत'' के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार, परिनिर्धारित हर्जाना/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई अनिश्चितता न होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी परीक्षण प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती।

आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को संगत लेखांकन मानक में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
		संख्या में	(करोड़ रूपए में)	संख्या में	(करोड़ रूपए में)
(क)	**प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)**	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख)	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)**	11070668496	11,070.67	11070668496	11,070.67
(ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों पूंजी (करोड़ रूपए में)**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों पूंजी (करोड़ रूपए में)**
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	11070668496	11070.67	11070668496	11070.67
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सूक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	**11070668496**	**11,070.67**	**11070668496**	**11,070.67**

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

	कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	**31 मार्च, 2016 के अनुसार**		**31 मार्च, 2015 के अनुसार**	
		संख्या में	**प्रतिशत में**	**संख्या में**	**प्रतिशत में**
(ङ)	- भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	9516209722	85.96

(च) 31.03.2016 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है।

टिप्पणी संख्या 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**		1,230.07		1,230.07
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		2,868.74		2,868.74
(iii)	**बांड शोधन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,247.89		884.75	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	185.74		379.10	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	109.43		15.96	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,324.20		1,247.89
(iv)	**स्व बीमा निधि**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	835.94		787.83	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	-		55.77	
	जोड़े : सामान्य आरक्षित को अंतरित	(835.94)		-	
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-		7.66	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		-		835.94
(v)	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	13.33		17.92	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	13.33		4.59	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		-		13.33

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
(vi)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21.79		17.16	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	9.91		4.63	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		31.70		21.79
(vii)	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9,252.17		1,752.17	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरण	-		7,500.00	
	जोड़े : स्व बीमा निधि से अंतरण	835.94		-	
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरण	-		-	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		10,088.11		9,252.17
	अधिशेष **		2,138.46		1,745.79
	कुल		**17,681.28**		**17,215.72**
	** अधिशेष				
	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		2,440.14		2,124.47
	दर विनियमित परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु ट्रांजिशन प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)		-		876.10
	अग्रेणीत शेष		1,745.79		7,447.16
	जोड़े :				
	बांड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		109.43		15.96
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		13.33		4.59
	स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		-		5.65
	लाभांश पर कर -पश्चलिखित		24.08		10.05
	विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		4,332.77		10,483.98
	पूंजीगत आरक्षी को अंतरित		-		-
	बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित		185.74		379.10
	स्व बीमा निधि को अंतरित		-		55.77
	सामान्य आरक्षित को अंतरित		-		7,500.00
	अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		9.91		4.63
	लाभांश :				
	- अंतरिम		1,018.50		221.43
	- प्रस्तावित		642.10		442.84
	लाभांश पर कर				
	- अंतरिम		207.34		44.27
	- प्रस्तावित		130.72		90.15
	अग्रेणीत शेष		2,138.46		1,745.79

टिप्पणी संख्या 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	7,848.66	437.69	7,410.97	6,811.43	437.69	6,373.74
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	3,698.79	409.78	3,289.01	3,993.98	295.22	3,698.76
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	1,671.36	205.75	1,465.61	1,656.48	181.57	1,474.91
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	3,889.82	703.93	3,185.89	4,593.75	703.93	3,889.82
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	3,033.80	-	3,033.80	2,780.70	46.90	2,733.80
कुल	**20,142.43**	**1,757.15**	**18,385.28**	**19,836.34**	**1,665.31**	**18,171.03**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-		-	-		-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 12 देखे)*	1,671.36	205.75	1,465.61	1,703.38	228.47	1,474.91
31.03.2016 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-		-	-		-
31.03.2016 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-		-	-		-

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 का	31 मार्च, 2015 को
(क) **बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत**		
i) **कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) **कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) **कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
iv) **कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2016 का	31 मार्च, 2015 को
v)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
vi)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
vii)	**बॉण्ड - टी- सीरीज * 1, 2 और 10** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	-
viii)	**बॉण्ड - आर-3 सीरीज * 4** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
ix)	**बॉण्ड - एस-2 सीरीज * 10** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	660.00	660.00
x)	**बॉण्ड - क्यू सीरीज * 5 और 11** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2017 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	1,160.50	1,266.00
xi)	**बॉण्ड - आर-2 सीरीज * 4** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2017 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	350.24	382.08
xii)	**बॉण्ड - पी सीरीज * 4, 6 और 8** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभwात विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.17 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये के 9 वार्षिक विमोचन)	1,800.00	2,000.00
xiii)	**बॉण्ड -एस 1 सीरीज * 10** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2016 से 26.11.2024 तक 36.50 करोड़ रूपये की 9 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	328.50	365.00
xiv)	**बॉण्ड -आर 1 सीरीज * 4** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (11.02.2017 से 11.02.2026 तक 6.85 करोड़ रूपये की 10 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	68.50	75.35

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 का	31 मार्च, 2015 को
xv) **बॉण्ड - ओ सीरीज * 2** (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2017 से 31.03.2018 तक 57 करोड़ रुपये के 2 वार्षिक विमोचन)	114.00	171.00
कुल बॉण्ड (क)	**7848.66**	**6811.43**
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
i) **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1** (31.03.2016 को 9.40 प्रतिशत की वर्तमान स्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 छमाही किस्तों में 09.01.2017 तक 3 वर्ष के रीसेट खंड के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	4.00	8.00
ii) **केनरा बैंक *2** (31.03.2016 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	20.00	40.00
iii) **सिंडिकेट बैंक *2** (31.03.2016 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	18.30	36.60
iv) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2016 को 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 3 वर्ष के रीसेट खंड के साथ 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	20.00	40.00
v) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2016 तक 7.207 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ 7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)	50.00	60.00
vi) **यूको बैंक *7** (31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 17 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)	708.33	791.67
vii) **कारपोरेशन बैंक *9** (31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	447.92	489.58
viii) **केनरा बैंक *9** (31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 42 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	179.20	195.84
ix) **इंडियन ओवरसीज बैंक *9** (31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	179.17	195.83
x) **पंजाब एंड सिन्ध बैंक *9** (31.03.2016 को 9.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	179.16	195.83
xi) **सिंडिकेट बैंक *9** (31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	268.75	293.75
xii) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *9** (31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	134.38	146.88

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 का	31 मार्च, 2015 को
xiii) **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 3 और 5** (31.03.2016 को 9.30 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 27.06.16 से 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)	1,000.00	1,000.00
xiv) **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद * 1 और 5** (31.03.2016 को 9.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.416 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 28.06.2016 से 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	489.58	500.00
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रत्याभूत)	**3,698.79**	**3,993.98**
(ग) **सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा**		
i) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*12** (31.03.2016 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.23 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	144.65	140.41
ii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*12** (31.03.2016 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.73 करोड़ रुपये प्रत्येक की 24 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	569.44	544.38
iii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-III*12** (31.03.2016 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 17.53 करोड़ रुपये प्रत्येक की 36 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	630.92	587.70
iv) **ड्यूश बैंक और अन्य *12** (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	326.35	383.99
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,671.36**	**1,656.48**
(घ) **सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)**		
i) **भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6** 31.03.2016 के अनुसार 41.67 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1000 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	1,041.67	1,250.00
ii) **भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11** (31.03.2016 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोर दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 16 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,264.00	1,422.00
iii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	412.50	487.50
iv) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	46.50	65.10
v) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	38.50	45.50
vi) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	764.93	910.63

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 का	31 मार्च, 2015 को
vii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 13 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	134.22	175.52
viii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 15 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	187.50	237.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पक्ष (प्रतिभूत)	**3,889.82**	**4,593.75**
(ङ) **सावधि ऋण अन्य पक्ष (अप्रतिभूत)**		
विदेशी मुद्रा		
i) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12** (15.03.2016 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रुपये प्रत्येक की शून्य समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	-	46.90
भारत सरकार से ऋण		
ii) **निम्मो - बाज़गो जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	270.00	270.00
iii) **चूटक जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.97 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	383.36	364.00
iv) **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,380.44	2,099.80
कुल सावधि ऋण-अन्य पक्ष (अप्रतिभूत)	**3,033.80**	**2,780.70**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**20,142.43**	**19,836.34**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- III जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
7. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।

8. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

9. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।

11. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।

12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं ।

टिप्पणी सं. 5 : आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
आस्थगित कर देयताएं				
i) मूल्यह्रास	3446.05		3,359.26	
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	319.60		178.68	
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	72.90		139.71	
आस्थगित कर देयता		3,053.55		3,040.87
घटाएं : टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए वसूली योग्य	2,055.66		2154.93	
घटाएं : स्थगित कर देयताओं के प्रति स्थगित कर समायोजन	152.21	2,207.87	75.50	2,230.43
स्थगित कर देयता (निवल)		**845.68**		**810.44**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर हेतु लेखांकन'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 12.68 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 36.06 करोड़ रूपए) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	145.87	85.43	60.44	196.17	92.96	103.21
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम)	1,159.54	60.68	1,098.86	1,209.71	50.17	1,159.54
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	84.86	-	84.86	74.42	-	74.42
कुल	**1,390.27**	**146.11**	**1,244.16**	**1,480.30**	**143.13**	**1,337.17**

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**						
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	857.80	70.45	928.25	785.45	71.44	856.89
	वर्ष के दौरान वर्धन	10.67	77.37	88.04	82.21	73.47	155.68
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	496.79	91.41	588.20	9.86	71.21	81.07
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	3.25	3.25
	अंतिम शेष	371.68	56.41	428.09	857.80	70.45	928.25
ख)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		33.78	33.78		30.01	30.01
	वर्ष के दौरान वर्धन		4.55	4.55		6.19	6.19
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		31.03	31.03		2.38	2.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.11	0.11		0.04	0.04
	अंतिम शेष		7.19	7.19		33.78	33.78
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		7.19	7.19		33.78	33.78
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		-	-
ग)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		98.76	98.76		63.34	63.34
	वर्ष के दौरान वर्धन		100.99	100.99		96.52	96.52
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		91.67	91.67		48.18	48.18
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		7.38	7.38		12.92	12.92
	अंतिम शेष		100.70	100.70		98.76	98.76
घ)	**सेवा-अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		33.84	33.84		40.14	40.14
	वर्ष के दौरान वर्धन		42.23	42.23		33.84	33.84
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		33.84	33.84		40.14	40.14
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
	अंतिम शेष		42.23	42.23		33.84	33.84
ङ)	**अन्य**						
	i) **कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		583.42	583.42		-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन		744.97	744.97		583.42	583.42
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		583.42	583.42		-	-
			744.97	744.97		583.42	583.42
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		638.31	638.31		522.32	522.32
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		106.66	106.66		61.10	61.10
	ii) **प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		442.83	442.83		332.12	332.12
	वर्ष के दौरान वर्धन		642.10	642.10		442.84	442.84
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		442.83	442.83		332.13	332.13
	अंतिम शेष		642.10	642.10		442.83	442.83

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
iii)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		90.15	90.15		56.44	56.44
	वर्ष के दौरान वर्धन		130.72	130.72		90.15	90.15
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		66.07	66.07		46.39	46.39
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		24.08	24.08		10.05	10.05
	अंतिम शेष		130.72	130.72		90.15	90.15
iv)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29.15	48.96	78.11	29.25	52.99	82.24
	वर्ष के दौरान वर्धन	4.14	21.86	26.00	2.10	26.83	28.93
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.32	1.54	5.86	2.20	30.55	32.75
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	0.31	0.31
	अंतिम शेष	28.97	69.28	98.25	29.15	48.96	78.11
v)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		155.63	155.63		49.81	49.81
	वर्ष के दौरान वर्धन		109.78	109.78		143.02	143.02
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		2.12	2.12		37.20	37.20
	अंतिम शेष		263.29	263.29		155.63	155.63
vi)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		-	-		-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन		66.37	66.37		-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		17.06	17.06		-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
	अंतिम शेष		49.31	49.31		-	-
vii)	**प्रावधान - अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		627.84	627.84		730.08	730.08
	वर्ष के दौरान वर्धन		232.98	232.98		205.54	205.54
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		126.56	126.56		183.53	183.53
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		33.12	33.12		124.25	124.25
	अंतिम शेष		701.14	701.14		627.84	627.84
	कुल	**400.65**	**2,161.84**	**2,562.49**	**886.95**	**1,629.56**	**2,516.51**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/22009-एनएचपीसी-खंड-3 के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के शेष के प्रति 31.03 करोड़ रूपए के व्यक्तिगत वेतन अग्रिम को समायोजित कर लिया गया है। तथापि,एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है।

इस प्रकार ''वेतन संशोधन हेतु प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत 01.02.2014 से 31.03.2016 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई 7.19 करोड़ रूपये (वर्तमान अवधि हेतु 4.55 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) की संचित राशि को तदनुरूपी राशि के साथ ''अदा किए गए अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 : व्यापार देय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	2.10	0.16
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	120.90	152.85
	123.00	**153.01**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 29 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों के पैरा 22 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4)*		1,757.15		1,665.31
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		377.23		308.39
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) (देखे टिप्पणी सं. 6)		60.68		50.17
अदा न किया गया लाभांश		10.06		5.85
अदा न किया गया ब्याज		0.06		0.03
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		360.20		334.26
जमा/प्रतिधारण निधि (देखे टिप्पणी सं. 6)		85.43		92.96
अनुषंगी कंपनियों के प्रति देय		1.53		-
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		-		0.04
सांविधिक देयताएं		333.18		260.59
अन्य देयताएं		79.03		123.46
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	232.92		232.92	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	232.92	-	229.47	3.45
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4477.08		4456.42	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4290.31		4290.06	
घटाएं : परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(2.28)	189.05	(2.28)	168.64
		3,253.60		**3,013.15**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

* ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी स. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	273.46	35.50	0.72	(10.97)	297.27	-	-	-	-	297.27	273.46
भूमि-लीजहोल्ड	371.79	0.80	0.01	-	372.58	43.81	11.85	0.06	55.72	316.86	327.98
सड़कें और पुल	306.59	8.65	-	4.91	320.15	98.30	11.31	(3.37)	106.24	213.91	208.29
भवन	2,747.30	200.07	0.58	(8.01)	2,938.78	759.22	96.93	(3.80)	852.35	2,086.43	1,988.08
रेलवे साइडिंग्स	38.96	-	3.46	-	35.50	21.51	2.45	(1.96)	22.00	13.50	17.45
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,367.69	975.95	2.83	14.99	19,355.80	5,904.87	866.11	0.46	6,771.44	12,584.36	12,462.82
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,360.69	371.76	28.62	3.77	9,707.60	3,050.03	441.47	(9.28)	3,482.22	6,225.38	6,310.66
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	94.93	1.66	0.52	0.02	96.09	52.23	3.31	(0.17)	55.37	40.72	42.70
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	71.25	0.82	0.04	(0.22)	71.81	27.73	4.03	(0.23)	31.53	40.28	43.52
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	47.76	1.87	0.18	(0.09)	49.36	17.20	2.86	(0.19)	19.87	29.49	30.56
निर्माण उपकरण	106.75	8.01	3.49	0.12	111.39	68.31	5.53	(2.59)	71.25	40.14	38.44
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	44.00	3.51	0.06	(0.17)	47.28	10.01	2.33	(0.25)	12.09	35.19	33.99
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.07	0.01	0.06	(0.06)	3.96	1.39	0.22	(0.07)	1.54	2.42	2.68
वाहन	28.61	3.79	1.95	(0.20)	30.25	16.11	1.63	(1.82)	15.92	14.33	12.50
विमान/नौकाएं	0.94	0.07	-	-	1.01	0.29	0.06	-	0.35	0.66	0.65
फर्नीचर और फिक्सचर	51.39	4.14	0.97	(0.48)	54.08	26.48	2.63	(0.81)	28.30	25.78	24.91
कम्प्यूटर	62.53	8.23	3.20	(0.70)	66.86	47.89	5.96	(3.57)	50.28	16.58	14.64
संचार उपकरण	16.01	2.31	0.67	-	17.65	7.46	0.95	(0.26)	8.15	9.50	8.55
कार्यालय उपकरण	46.03	4.67	1.18	(0.25)	49.27	22.00	2.85	(0.92)	23.93	25.34	24.03
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.64	0.08	(0.01)	0.71	0.64	0.71
अन्य आस्तियां	58.81	8.90	2.17	(0.45)	65.09	25.55	3.75	(1.00)	28.30	36.79	33.26
गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	16.92	1.15	0.45	(0.34)	17.28	16.91	1.10	(0.74)	17.27	0.01	0.01
कुल	**32,117.83**	**1,641.87**	**51.16**	**1.87**	**33,710.41**	**10,217.94**	**1,467.41**	**(30.52)**	**11,654.83**	**22,055.58**	**21,899.89**
गत वर्ष 31.03.2015	32,101.21	381.34	107.91	(256.81)	32,117.83	8,788.40	1,445.13	(15.59)	10,217.94	21,899.89	23,312.81

टिप्पणी सं. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	824.09	38.60	-	(3.27)	859.42	30.55	5.12	(0.37)	35.30	824.12	793.54
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	40.22	5.07	0.28	(0.03)	44.98	38.49	2.66	(0.32)	40.83	4.15	1.73
कुल	**864.31**	**43.67**	**0.28**	**(3.30)**	**904.40**	**69.04**	**7.78**	**(0.69)**	**76.13**	**828.27**	**795.27**
गत वर्ष 31.03.2015	827.41	38.29	0.25	(1.14)	864.31	63.08	6.28	(0.32)	69.04	795.27	764.33

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 13.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.19 करोड़ रूपए) मूल्य की 155.69 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 103.04 हैक्टेयर) और 297.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 296.60 करोड़ रुपये) मूल्य की 766.20 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 851.78 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) लीजहोल्ड भूमि के अतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये के नाममात्र लीज पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल नहीं है।

3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हैक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

4) गोचर परिसंपत्तियों में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6293.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6240.79 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

5) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

6) सेवा-।।, चमेरा-।।।, तीस्ता लो डैम-।।।, उरी और पार्बती-।।। विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन विद्युत स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

7) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :- (करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2016 के अनुसार (करोड़ रुपये	31.03.2015 के अनुसार (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	0.15	(1.57)
भवन	1.77	(16.21)
जल वैज्ञानिक कार्य	16.61	(154.90)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	3.77	(42.88)
संयंत्र एवं मशीनरी सब स्टेशन	0.02	(0.25)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	(0.05)
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	-	(0.03)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	0.01	(0.05)
कुल	**22.33**	**(215.94)**

टिप्पणी सं. 11.1 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2015 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 के अनुसार
सड़कें और पुल	86.89	15.75	(4.80)	8.65	89.19
भवन	1,030.77	116.29	30.11	130.79	1,046.38
जल विज्ञान कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,915.27	624.88	(14.24)	564.07	5,961.84
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,925.91	675.79	(8.49)	203.29	3,389.92
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	14.09	6.31	(7.69)	0.17	12.54
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.37	2.28	(0.08)	0.44	2.13
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.48	1.58	(0.25)	1.07	0.74
निर्माण उपकरण	-	1.97	-	1.97	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.68	3.47	(0.04)	2.74	1.37
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	4.51	49.27	(0.66)	50.87	2.25
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	262.65	10.36	-	6.41	266.60
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	4.34	2.44	(1.61)	0.64	4.53
निर्माण के दौरान खर्च *	5,841.67	866.08	3.87	544.98	6,166.64
घटाएं : प्रावधानों के लिए	209.55	359.69	(31.28)	-	537.96
उप जोड़ (क)	**15,878.08**	**2,016.78**	**27.40**	**1,516.09**	**16,406.17**

* वर्ष के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें

	01.04.2015 के		समायोजन		31.03.2016 के
निर्माण भंडार	178.11		(7.38)		170.73
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.47		(0.22)	-	1.25
उप जोड़ (ख)	**176.64**		**(7.16)**		**169.48**
समग्र जोड़	**16,054.72**	**2,016.78**	**20.24**	**1,516.09**	**16,575.65**
पिछले वर्ष	14657.13	1708.44	3.81	314.66	16054.72

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 461.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 330.43 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1071.12 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 941.18 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1027.60 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 897.66 करोड़ रूपये) के शेष में से 494.44 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 161.15 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 533.16 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 736.51 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुतउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4205.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3995.69 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 11.2 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2015 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 के अनुसार
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	-	0.01	-	-	0.01
कुल	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
गत वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 12 : गैर चालू निवेश

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**व्यापार-उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10	12.00
	व्यापार-अनुद्धृत						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
	- एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1000	1002.42	10024200	1000	1002.42
	- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	10	87.09	87092309	10	87.09
	- बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	999999	10	1.00	999999	10	1.00
	(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
	- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	100000000	10	100.00	10,00,00,000	10	100.00
	- नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	23900000	10	23.90	23900000	10	23.90
	उप जोड़ (क)			1226.41			1226.41
ख.	**गैर-व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	360800	10	0.36
	(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश						
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57000	10000	52.94
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	10000	17.83	17940	10000	17.83
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
	8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	10000	31.28	34000	10000	31.28

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश						
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	120	1000000	12.00
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027	100000	1000	10.61	100000	1000	10.61
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉण्ड 22.11.2028	473	100000	47.28	473	100000	47.28
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	30	1000000	2.99
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	-	-	-	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	-	-	-	150	1000000	15.13
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	-	-	-	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	-	-	-	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	-	-	-	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	-	-	-	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	-	-	-	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	-	-	-	230	1000000	23.05
उप-जोड़ (ख)			**369.95**			**751.34**
कुल (क + ख)			**1596.36**			**1977.75**
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			381.95			763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			468.59			876.61
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			1214.41			1214.41
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**पूंजी अग्रिम**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3.25		3.25	9.37		9.37
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के विरूद्ध	416.95		416.95	469.75		469.75
	- अन्य	141.08		141.08	138.93		138.93
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	1.99	-	1.99	10.26	-	10.26
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.11		0.11	0.11		0.11
	घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.11		0.11	0.11		0.11
ख)	**जमा राशियां**					-	
	- -अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	28.19	87.59	115.78	49.02	85.66	134.68
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	0.01	0.01
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	16.84	18.37	35.21	-	36.88	36.88
	घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	-	-	-	-	0.01	0.01
ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
i)	**कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	165.53	24.73	190.26	150.68	22.60	173.28
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	8.01	31.41	39.42	9.05	32.02	41.07
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.03	0.03		0.02	0.02
ii)	**संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	0.86	0.86	-	0.03	0.03
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के विरूद्ध	71.82	1.89	73.71	54.16	4.11	58.27
	- अन्य	-	25.74	25.74	-	14.57	14.57
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	45.52	45.52	-	45.85	45.85
iii)	**ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	12.68	12.68	12.68	25.36	38.04
iv)	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
v)	**अन्य अग्रिम**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.24	52.14	52.38	0.09	34.68	34.77
	घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान *3	-	45.55	45.55	-	45.87	45.87
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षारत व्यय हेतु प्रावधान		0.19	0.19		0.20	0.20
vi)	**अग्रिम आय कर तथा स्त्रोत पर कटौती किया गया कर**	742.61	-	742.61	702.92		702.92
	घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान	675.17	-	675.17	629.10	-	629.10
	निवल अग्रिम कर	67.44	-	67.44	73.82		73.82
		1,108.68	**218.48**	**1,327.16**	**1,182.29**	**181.95**	**1,364.24**

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
व्याख्यात्मक टिप्पणी	(करोड़ रूपए में)	(करोड़ रूपए में)
वर्ष के अंत में निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम	-	0.01

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है।

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	**31 मार्च 2016 को**			**31 मार्च 2015 को**		
	दीर्घवधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घवधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों हेतु प्रावधान 1*						
प्रारंभिक शेष	0.11	-	0.11	2.30	-	2.30
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	0.11	-	0.11
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-	0.05	-	0.05
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-	-	2.25	-	2.25
अंतिम शेष	0.11	-	0.11	0.11	-	0.11
संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 2*						
प्रारंभिक शेष	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.01	0.01	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-	-	0.01	0.01
संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 3*						
प्रारंभिक शेष	-	45.87	45.87	-	45.99	45.99
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	-	0.27	0.27
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.26	0.26	-	0.12	0.12
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.06	0.06	-	0.27	0.27
अंतिम शेष	-	45.55	45.55	-	45.87	45.87

टिप्पणी सं. 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च 2016 को**	**31 मार्च 2015 को**
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	253.76	214.22
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	570.53	421.29
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	137.74	160.30
	962.03	**795.81**

टिप्पणी सं. 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियमित परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**विवरण**	**1 अप्रैल, 2015 के अनुसार**	**वर्धन**	**समायोजन**	**परिशोधन/ क्षति**	**31 मार्च, 2016 के अनुसार**
	विनियमित परिसंपत्तियां					
i)	सुबानसीरी लोअर जल विद्युत परियोजना	1,630.39	549.94	-	-	2180.33
	कुल	**1,630.39**	**549.94**	**-**	**-**	**2180.33**
	गत वर्ष	-	521.95	1108.44	-	1,630.39

टिप्पणी सं. : 15 चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
संयुक्त उद्यम कंपनियां (पूर्णतः प्रदत्त)						
- नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	2188325	10.00	2.19
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)			(1.06)			(1.06)
(ख) बांड्स में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)						
राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड			-			256.44
कुल			**1.13**			**257.57**
अनुद्धृत निवेश						
संचयी लागत			2.19			258.63
मूल्य में कमी हेतु समेकित प्रावधान			1.06			1.06
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

विवरणात्मक टिप्पणी :-

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) परिसमापन के अधीन है। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्य में कमी के प्रति 1.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.06 करोड़ रूपए) के अद्यतन प्रावधान को किया गया है।

टिप्पणी सं. 16 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	102.27		100.80	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.44	104.71	2.99	103.79
खुले औजार		1.94		1.97
रद्दी मालसूची		1.35		0.91
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.01		0.04
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		22.48		23.98
		85.53		**82.73**

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	23.98	25.91
वर्ष के दौरान वर्धन	0.88	0.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.08	0.49
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.30	1.83
अंतिम शेष	**22.48**	**23.98**

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	171.63	758.61
- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.83	34.77
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,845.40	1,738.49
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.83	34.77
	2,017.03	**2,497.10**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	34.77	34.77
वर्ष के दौरान वर्धन	0.27	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	-
अंतिम शेष	**34.83**	**34.77**

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु. 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.12	0.15
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	511.07	14.86
	बैंकों में शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में	698.97	161.40
	- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)	290.04	301.98
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान	-	0.02
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
	अनुसूचित बैंकों के साथ	4,366.50	4,937.85
	जमा खाता - अदा न किया लाभांश/ब्याज	10.06	5.85
		5,876.76	**5,422.11**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 251.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 268.05 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क)	**निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-**				
	उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण जमा राशियां	-		32.97	
	- स्व-बीमा	-		18.10	
	- अन्य जमा राशियां	195.04		214.34	
	अन्य				
	- अच्छे माने गए	42.28		21.33	
	- संदिग्ध माने गए	67.08		63.59	
	उप-जोड	304.40		350.33	
	घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान *1	67.08	237.32	63.59	286.74
ख)	बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		700.66		602.47
ग)	अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		283.59		282.02
घ)	लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		36.78		4.37
ङ)	प्राप्य दावे	600.65		594.23	
	घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2	200.70	399.95	261.85	332.38
च)	निपटान हेतु रखी गई अधिशेष / अप्रचलित परिसंपत्तियां		1.89		1.78
छ)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3	37.06	-	37.06	-
ज)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	37.78		34.40	
	घटाएं : लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान *4	37.78	-	34.40	-
झ)	अन्य		0.13		0.36
			1,660.32		**1,510.12**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत 31.03.2016 को निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू व कश्मीर जल उपकर रु. 269.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 216.38 करोड) 2) एमईए बिक्री रु. 12.56 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4.71 करोड़) 3) कर समायोजन 108.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 63.04 करोड) 4) अन्य रु. 310.95 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 318.34 करोड)।

2) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में पकल दुल, कीरू और क्वार जल विद्युत परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति कंपनी का दावा शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

3) निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्यों से कम पर तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *1		
प्रारंभिक शेष	63.59	67.94
वर्ष के दौरान वर्धन	20.27	29.16
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	16.78	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	33.51
अंतिम शेष	**67.08**	**63.59**
संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *2		
प्रारंभिक शेष	261.85	328.81
वर्ष के दौरान वर्धन	15.79	35.75
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	76.85	28.03
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.09	74.68
अंतिम शेष	**200.70**	**261.85**
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *3		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	जांच लंबित होने / बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत हेतु प्रावधान *4		
	प्रारंभिक शेष	34.40	11.17
	वर्ष के दौरान वर्धन	6.29	27.26
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.51	2.03
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.40	2.00
	अंतिम शेष	**37.78**	**34.40**

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**				
	ऊर्जा की बिक्री	7,582.72		6,981.36	
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	64.65		76.41	
	टैरिफ समायोजन	109.78		143.03	
	विनियमित बिक्री समायोजन	111.18		75.09	
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (ईएसी नोट सं. 28 को अंतरित)	0.51		0.36	
			7,296.60		6,686.47
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**				
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)		53.07		18.08
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	3.76		8.88	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	30.46	34.22	38.65	47.53
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**7,434.06**		**6,802.25**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) 1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। तथापि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है सिवाय बैरास्यूल, सलाल, चमेरा-I, टनकपुर, धौलीगंगा, रंगित और लोकतक विद्युत स्टेशन के जिनके लिए वर्ष 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश जारी किए गए है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप विद्युत स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को मान्यता देने के प्रयोजन हेतु इक्विटी पर प्रतिफल (टैरिफ का एक घटक) को वित्त वर्ष 2015-16 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया गया है।

2) बिक्री में वर्तमान वर्ष में घटकों के टैरिफ/संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उत्पन्न पहले के वर्ष की बिक्री के चलते बिल की गई बिक्री के 140.22 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष के 18.76 करोड़ रूपये की तुलना में) और बिल न की गई बिक्री 90.84 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष के 122.65 करोड़ रूपये की तुलना में) शामिल हैं।

3) बिक्री में सीईआरसी द्वारा अनुमेय के अनुसार पावर स्टेशनों के संबंध में 'माने गए उत्पादन' के चलते 77.14 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 86.80 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

4) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 195.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 122.01 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 72.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 67.50 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए थे।

5) बिक्री में रु. 753.72 करोड (पिछले वर्ष रु. 658.21 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।

6) दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु. 109.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 143.03 करोड) का प्रावधान किया गया है।

7) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु. 191.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 146.11 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर-चालू निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- अनुषंगियों से लाभांश	118.29	59.14
	- लाभांश-अन्य	2.64	2.40
	- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	16.35	38.02
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश-अन्य	-	0.02
	- ब्याज	39.64	65.06
ख)	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	2.70	4.85
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	39.53	36.27
	- जमा खाता	487.50	493.93
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	11.55	10.75
	- अन्य	53.55	74.31
	विलंब भुगतान अधिभार	24.07	7.84
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	89.99	-
	निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	13.19	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.44	1.11
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	45.42	111.09
	अन्य	49.19	36.64
	विनिमय दर अंतर	2.21	25.03
	कुल	**996.26**	**966.46**
	घटाएं : ईएसी को अंतरित आय	59.40	83.54
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	17.10	21.59
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**919.76**	**861.33**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) **प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है**

खराब तथा संदिग्ध ऋण / अग्रिम / जमा हेतु प्रावधान	0.07
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.30
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.21
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	0.09
लंबित जांच हानियों / पश्च लेखन की प्रतीक्षा कर रही हानियों के लिए प्रावधान	0.40
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.11
पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	6.87
परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान	31.28
प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-
अन्य	6.09
कुल	**45.42**

2.52	
1.83	
-	
74.68	
2.00	
0.04	
12.92	
-	
0.31	
16.79	
111.09	

2) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.46 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 107.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.46 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए			31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**						
	जल उपयोग प्रभार			771.12			748.51
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**			37.98			30.40
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**			0.05			7.29
घ.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**						
	- भवन		60.64			51.66	
	- मशीनरी		57.62			39.73	
	- अन्य		140.91	259.17		93.67	185.06
ड.	**प्रशासनिक व्यय**						
	किराया और भाड़ा प्रभार		42.24			43.25	
	दरें और कर		15.06			2.41	
	बीमा		123.87			87.58	
	स्वः बीमा निधि का उपयोग		-			5.65	
	सुरक्षा व्यय		184.10			160.19	
	विद्युत प्रभार		52.27			72.97	
	यात्रा एवं वाहन		23.75			26.66	
	वाहनों पर खर्च		8.38			9.44	
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		15.04			14.67	
	विज्ञापन एवं प्रचार		13.74			11.10	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.32			0.30	
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		5.40			5.34	
	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.26			0.29	
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		10.78			10.60	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		10.56			5.25	
	कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय		3.81			7.66	
	परिसंम्पत्तियों पर हानि		1.46			2.36	
	स्व बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)		14.25			12.39	
	पंचाट/अदालती मामलों/सांविधिक मांगों पर ब्याज		13.94			2.91	
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज		27.58			20.51	
	ग्राहकों को छूट		12.49			11.98	
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		72.68	*		52.24	
	अन्य सामान्य खर्च		81.55			83.46	
	विनिमय दर अंतर		4.92			5.16	
	लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)		1.93			2.23	
	निदेशक खर्च		0.13			0.23	
	विनियमित बिजली पर व्यय	13.75			7.59		
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	13.75	-		7.59	-	
	उप जोड़			740.51			656.83
च.	**प्रावधान**						
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		0.53			-	
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान		-			0.37	
	खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान		28.64			66.18	
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी		0.69			0.39	
	निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		359.69			51.15	
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान		6.29			25.35	

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
अन्य		0.11		-	
	उप जोड़		395.95		143.44
	जोड़ (क से च)		**2,204.78**		**1,771.53**
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि			93.80		110.82
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली			2.44		0.11
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल			**2,108.54**		**1,660.60**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 27.58 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 20.51 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
i)	**सांविधिक लेखा-परीक्षक**				
	लेखा-परीक्षक के रूप में				
	- लेखा-परीक्षा शुल्क	0.53		0.57	
	- कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.18	0.71	0.17	0.74
	अन्य क्षमता में				
	- कराधान मामले	0.01		0.01	
	- अन्य मामले/ सेवाएं	0.37	0.38	0.67	0.68
	खर्चों की अदायगी		0.68		0.69
ii)	**लागत लेखा परीक्षक**				
	- लेखा-परीक्षा शुल्क		0.13		0.11
	- खर्चों की अदायगी		0.03		0.01
			1.93		**2.23**

4) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 65.25 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 68.69 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 66.25 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

* सीएसआर पर व्यय संबंधी आवश्यक प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी सं.29 के पैरा सं. 18 को देखे।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,172.69	1,162.75
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	180.37	189.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	117.95	131.21
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.01	-
कुल	**1,471.02**	**1,482.97**
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि	353.53	332.94
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.59	0.80
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,115.90**	**1,149.23**

स्पष्टीकरण टिप्पणी : -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 44.00 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 39.68 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :		
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	86.00	73.59
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	111.54	105.09
	197.54	**178.68**

3) लाभ व हानि विवरण में अग्रेनीत सुबानसिरी लोअर से संबंधित रु 106.24 करोड़ को शामिल किया गया है (विगत वर्ष रु 129.72 करोड़ टीएलडीपी-IV को शामिल करते हुए थे) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 106.24 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज :**				
	भारत सरकार ऋण	19.97		19.90	
	बॉण्ड	688.65		550.72	
	विदेशी मुद्रा ऋण	28.91		33.84	
	सावधि ऋण	767.32		875.66	
	उप जोड		**1,504.85**		**1,480.12**
ख.	**अन्य ऋण लागत**				
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.33		0.35	
	प्रतिबद्धता शुल्क	0.04		0.14	
	विदेशी ऋण पर गांरटी शुल्क	20.44		25.98	
	अन्य वित्त प्रभार	4.23		4.26	
	उप जोड		**25.04**		**30.73**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**				
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	179.93		-	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(179.93)		-	
	उप जोड		-		-
	कुल (क से ग)		**1,529.89**		**1,510.85**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत		462.52		331.08
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**1,067.37**		**1,179.77**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 395.26 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-4 सहित पिछले वर्ष 460.97 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 395.26 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1,475.19	1,451.42
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	(0.96)	(4.03)
कुल	**1,474.23**	**1,447.39**
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि	22.01	21.52
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	0.08	-
लाभ एवं हानि लेखा को अग्रेनीत कुल	**1,452.14**	**1,425.87**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और से संबंधित 7.64 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 9.00 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 7.64 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 26 पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	10.95	-
अन्य	113.18	71.17
उप जोड़ (क)	124.13	71.17
व्यय		
वेतन तथा मजदूरी	(0.18)	14.72
मरम्मत तथा अनुरक्षण	4.75	(0.29)
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	(1.89)	0.51
अन्य	78.71	0.41
उप जोड़ (ख)	81.39	15.35
कुल पूर्वावधि व्यय (ग) = (ख)-(क)	**(42.74)**	**(55.82)**
घटाएं - ईएसी को अंतरित राशि	(5.87)	0.29
उप जोड़ (घ)		
लाभ एवं हानि लेखा को अग्रेनीत कुल (ग-घ)	**(36.87)**	**(56.11)**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-4 सहित पिछले वर्ष 4.32 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा 27 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 27 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर					
आय कर प्रावधान			744.97		583.42
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			(23.67)		74.51
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		12.68		36.06	
घटाएं : टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली		(99.27)		(83.21)	
घटाएं : आस्थगित कर देनदारी की तुलना में आस्थगित कर समायोजन		76.71	35.24	75.50	43.77
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल			**756.54**		**701.70**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु सीईआरसी विनियम संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल के योग के माध्यम से लाभग्राहियों से कर की वसूली का प्रावधान करते हैं अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर। उत्पादक आय पर वर्ष हेतु प्रावधान की गई 76.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 75.50 करोड़ रूपये) की राशि की विलंबित कर देयता को तदनुसार विलबित कर समायोजन के प्रति विलंबित कर देयता के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि यह भविष्य की अवधि में प्रभावी कर दर में समायोजित हो जाएगी और उक्त को विलंबित कर देयता से कटौती के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	139.95		124.38	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	22.71		20.42	
	स्टाफ कल्याण व्यय	9.92		10.19	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.01		-	
	उप जोड़		172.59		154.99
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	4.32		3.13	
	मशीनरी	0.04		0.06	
	अन्य	4.34		3.10	
	उप जोड़		8.70		6.29
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया	9.39		8.58	
	दरें और कर	0.11		0.09	
	बीमा	0.15		0.13	
	सुरक्षा व्यय	17.54		15.52	
	विद्युत प्रभार	3.56		4.71	
	यात्रा एवं वाहन	2.88		2.67	
	वाहनों पर व्यय	1.60		1.28	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.66		2.48	
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.50		0.24	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.79		0.51	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	1.99		1.75	

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	9.90		4.59	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	2.60		5.76	
	अन्य सामान्य व्यय	2.47		3.51	
	उप जोड	8.33		6.90	
			64.47		58.72
घ.	**वित्त लागत**				
	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	बॉण्ड	230.53		100.32	
	सावधि ऋण	231.16		230.11	
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.25		0.18	
	अन्य वित्त प्रभार	0.57		0.46	
	उप जोड़		462.51		331.07
ङ	**प्रावधान**	5.00		30.67	
	उप जोड		5.00		30.67
च	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	17.56		17.30	
	उप जोड		17.56		17.30
छ.	**पूर्वावधि मदें**				
	पूर्वावधि व्यय	75.96		0.31	
	घटाएं - पूर्व अवधि आय	81.83		0.01	
	उप जोड		(5.87)		0.30
ज.	**निगमित कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**				
	अन्य आय	(6.92)		(2.68)	
	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15.60		15.13	
	कर्मचारी लाभ व्यय	180.94		177.95	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	4.45		4.22	
	वित्त लागत	0.01		0.01	
	प्रावधान	0.03		0.01	
	पूर्वावधि मदें (निवल)	-		(0.01)	
	उप जोड़		194.11		194.63
झ.	**घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां**				
	क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	0.51		0.36	
	ख) अन्य				
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	32.29		40.55	
	विविध प्राप्तियां	15.04		2.13	
	विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	0.90		2.88	
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	3.89		35.13	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार	0.36		0.17	
	उप जोड़		52.99		81.22
	कुल (क+ख+ग+ घ+ङ+च+छ+ज+झ)		**866.08**		**712.75**

टिप्पणी संख्या - 29 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण:-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नही किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल 9180.71 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 9014.70 करोड़ रूपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नही हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति 2172.15 करोड रूपये (पिछले वर्ष 1491.31 करोड़ रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर 537.66 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 429.61 करोड़ रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और 8459.20 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8207.65 करोड़ रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु 54.99 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 47.53 करोड़ रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 26.81 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 35.16 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 28.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 12.37 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि 326.63 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 307.95 करोड़ रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 25.42 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.40 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात 301.21 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 282.26 करोड़ रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों के संबंध में दावे 573.59 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 655.15 करोड़ रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 34.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 28.94 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 537.08 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 624.43 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2016 को आकस्मिक देनदारियां	31.03.2015 को आकस्मिक देनदारियां	वर्ष के दौरान आकस्मिक देनदारियों में अभिवृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	पूंजीगत कार्य	9180.71	537.66	8459.20	8207.65	251.55
2.	भूमि मुआवजा	54.99	26.81	28.18	12.37	15.81
3.	विवादित कर मामले	326.63	25.42	301.21	282.26	18.95
4.	अन्य	573.59	34.62	537.08	624.43	(87.35)
	कुल	**10135.92**	**624.51**	**9325.67**	**9126.71**	**198.96**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 183.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 240.85 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

(ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 63.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 53.19 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 2787.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 3560.38 करोड़ रुपये) है।

3. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों/व्यवहारों को जोड़ा/संशोधित किया गया है -

(करोड़ रूपये में)

लेखांकन नीति संख्या	लेखांकन नीति/व्यवहार	लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभाव
2.1.3	विद्युत स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर मूर्त परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय के पूंजीकरण संबंधी नई लेखांकन नीति को लागू किया जाना।	शून्य
2.1.4	भूमि की लागत (मूल्यह्रास का निवल) के प्रति न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए भूमि के वृद्धित मुआवजे संबंधी ब्याज राशि के संबंध में लेखांकन नीति में संशोधन।	3.72
5.2.2 (ii)	प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त पुरानी तथा प्रयुक्त मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास संबंधी नई लेखांकन नीति को लागू किया जाना।	शून्य

उक्त के अतिरिक्त, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु कुछ अन्य लेखांकन नीतियों के नामों को परिवर्तित किया गया है/उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 74.95 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 42.71 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

5. निर्माण संविदाओं के संबंध में लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	226.95	409.32
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	200.56	411.55
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य	शून्य

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेत	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेत
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	1.14	(20.50)
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	179.92	-
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	1.57	0.63
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	1.28
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	22.33	215.94

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

7. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

8. कर्मचारी लाभों के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

1. निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे। प्रतिफल की न्यूनतम दर की सीमा तक निधि को एक निश्चित लाभ योजना माना जाता है। बीमांकक की रिपोर्ट के अनुसार समग्र ब्याज आय तथा संचित अधिशेष सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक होता है। अतः किसी और प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा जाता है। योजनागत परिसंपत्तियों तथा बाध्यताओं के उचित मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में बाध्यताएं	2201.42	2102.59
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2230.79	2141.32

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की

दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

उक्त योजनाएं वित्त-पोषित है।

2. निर्धारित लाभ योजनाएं

क. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ख. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धरित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।

ग. छुट्टी

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

ङ. अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त क तथा ख में वर्णित योजनाएं वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2016 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट दर	8.00%	8.00%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.00%	6.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	छुट्टी नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर-वित्तपोषित
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	615.70 (622.65)	515.72 (447.51)	404.78 (401.35)
ब्याज लागत	49.26 (52.93)	41.26 (38.04)	32.38 (34.11)
वर्तमान सेवा लागत	24.77 (25.29)	12.03 (10.10)	19.34 (18.29)
अदा किया गया लाभ	(64.39) [(73.44)]	(13.77) [(8.58)]	(68.24) [(75.13)]
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(37.18) [(11.73]	37.15 (28.65)	32.26 (26.15)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान / मूल्य	588.15 (615.70)	592.39 (515.72)	420.52 (404.77)

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (वित्त पोषित)	आरईएचएस
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	644.27 (636.58)	- (-)
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	51.54 (50.93ऋ	- (-)
अंशदान	6.09 (-)	555.66 (-)
निधि से निकासी	(67.92) (50.04)	(5.56) (-)
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	2.45 (6.80)	33.62 (-)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	636.43 (644.27)	583.72 (-)

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	छुट्टी नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर-वित्तपोषित
वर्ष के शुरू में पीवीओ	588.15 (615.70)	592.39 (515.71)	420.52 (404.77)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	636.43 (644.27)	583.72 (-)	- (-)
निधिक स्थिति	48.28 (28.57)	(8.67) (515.71)	(420.52) (404.77)
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता / परिसंपत्ति (-)	(48.28) (28.57)	8.67 (515.71)	420.52 (404.77)

तालिका - 5 : लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	छुट्टी नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर वित्त-पोषित
वर्तमान सेवा लागत	24.77 (25.29)	12.03 (10.10)	19.34 (18.29)
ब्याज लागत	49.26 (52.93)	41.26 (38.04)	32.38 (34.11)
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(51.54) (50.93)	- (-)	- (-)
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.63) (18.53)	3.53 (28.65)	32.26 (26.15)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईएसी में मान्यताप्राप्त व्यय	(17.14) 8.76)	56.82 (76.79)	83.98 (78.55)

नोट : (.) पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

अन्य प्रकटीकरण :

(करोड़ रूपये में)

उपदान	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	588.15	615.70	622.65	604.44	568.40
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	636.43	644.27	636.58	618.41	-
अधिशेष/(कमी)	48.28	28.57	13.93	13.97	(568.40)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	37.18	11.38	5.29	4.44	(60.64)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	2.45	6.80	6.70	36.99	-

(करोड़ रूपये में)

अवकाश	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	420.52	404.78	401.35	361.00	383.82
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(32.26)	(26.41)	(50.43)	(38.67)	(70.27)

(करोड़ रूपये में)

आरईएचएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	592.39	515.72	447.51	383.82	325.28
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	583.72	-	-	-	-
अधिशेष/(कमी)	(8.67)	(515.72)	(447.51)	(383.82)	(325.28)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(37.15)	(35.26)	(21.50)	(12.92)	(16.46)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	33.62	-	-	-	-

आरईएचएस की चिकित्सा लागत में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्नवत होगा :

(करोड़ रूपये में)

	से वृद्धि	से कमी
सेवा एवं ब्याज लागत	9.70	6.43
पीबीओ पर प्रभाव	94.58	65.40

31.03.2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते तथा स्मृति चिन्ह के चलते देयताएं क्रमशः 4.89 करोड़ रूपये और 2.56 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.95 करोड़ रूपये तथा 2.75 करोड़ रूपये) हैं।

9. कंपनी छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि के प्रति समान राशि का अंशदान दिया करती थी। तथापि, मई, 2008 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सप्रेषित किए गए निर्णय के अनुसार छुट्टी नकदीकरण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आधारभूत वेतन का हिस्सा नहीं है। तदनुसार, अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2012 की अवधि के दौरान छुट्टी नकदीकरण पर कर्मचारी भविष्य निधि के समान अंशदान के चलते कर्मचारियों को अदा की गई 15.12 करोड़ रूपये की राशि कर्मचारियों से वसूल की जानी है। अतः बोर्ड का इस राशि की वसूली न करने के निर्णय से विद्युत मंत्रालय सहमत नहीं हुआ था। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि इस राशि में से 7.87 करोड़ रूपये वसूली योग्य हैं और 1 जनवरी, 2016 को कंपनी की पंजी पर न होने वाले कर्मचारियों से संबंधित 7.25 करोड़ रूपये की शेष राशि वसूली योग्य नहीं है।

10. 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :-

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी परिसमापन के अधीन है)।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री आर.एस.टी.साई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी। 08.06.2014 से 23.09.2015 तक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
2	श्री के.एम.सिंह	23.09.2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
3	श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी) 31.03.2016 को सेवानिवृत्त।
4	श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक) 25.05.2015 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
5	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त) 26.05.2015 से।
6	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं) 06.01.2016 से।
7	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी) 01.04.2016 से।
8	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव।

वर्तमान वर्ष हेतु प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (उपर्युक्त क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त) का पारिश्रमिक 1.94 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2.21 करोड़ रूपये) है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

11. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2440.14	2124.47
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1107,06,68,496	1107,06,68,496
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	2.20	1.92
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

12. (क) संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2016	31.03.2015
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	21.64%	21.64%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49.98%	49.98%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड *	16.67%	16.67%

* कंपनी परिसमापन के अधीन है।

(ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

		31.03.2016	31.03.2015
क.	परिसंपत्तियां	318.70	303.21
ख.	देयताएं	187.44	179.91
ग.	आकस्मिक देयताएं	1.50	0.67
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	16.64	28.53
ङ.	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.01	0.45

(करोड़ रूपए में)

		वर्ष 2015-16 हेतु	वर्ष 2014-15 हेतु
क.	आय	1.98	0.09
ख.	व्यय	0.09	1.32

उक्त में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) के संबंध में प्रकटीकरण शामिल नहीं है जो परिसमापन के अधीन होने वाली एक कंपनी है जिसके लेखे परिसमापक द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

13. अप्रैल, 2016 माह में भारत सरकार ने बिक्री के प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से अपने 125,76,27,941 शेयरों की बिक्री द्वारा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 11.36 प्रतिशत का विनिवेश किया था। ओएफएस के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी का 74.60 प्रतिशत होती है और शेष 25.40 प्रतिशत सार्वजनिक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है।

14. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्व-बीमा निधि को बनाए रखने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्व-बीमा निधि में दर्शाई गई 835.94 करोड़ रूपये की शेष राशि का सामान्य आरक्षित के साथ विलय कर दिया है और स्व-बीमा निधि के प्रति विद्यमान निवेशों को कम्पनी के अन्य निवेशों के समान पूल के साथ मिलाया गया है।

15. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 30.03.2016 को संशोधित एएस-10 ''संपत्ती, संयंत्र और उपकरण'' को अधिसूचित किया है जो उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों पर लागू होगा। संशोधित एएस-10 का पैरा 9 मापन की इकाई एप्रोच को अनुमेय बनाता है जो कंपनी के नियंत्रण के अधीन न होने वाली सुविधाएं परन्तु जिनका निर्माण मूलतः परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक था, के निर्माण पर किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के पूंजीकरण की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान पहले लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित लागतों के पश्चगामी पूंजीकरण की अनुमति देता है परन्तु यह पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र है। मापन की इकाई एप्रोच इंड एएस-16 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण' के पैरा 9 में भी विद्यमान है। यह प्रगतिधीन चालू पूंजीगत कार्य संबंधी लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 को भी सुदृढ़ करती है। यदि इस नीति को अपनाया नहीं जाता बल्कि 1.4.2016 से लागू किया जाता तो संक्रमणकालीन प्रावधान संबंधी संशोधित एएस-10 का पैरा 88 स्वतः ही ऐसे व्यय के पूंजीकरण का ध्यान रखता। इस प्रकार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2014-15 के समान ही जारी रखा गया है। तदनुसार, 176.21 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 173.61 करोड़ रूपये) की राशि को अचल परिसंपत्तियों में मूर्त परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।

16. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2016 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण:-

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	4.33	8.78
	ii) कलपुजे	-	-
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान - जानकारी	-	-
	ii) ब्याज	28.92	33.84
	iii) अन्य विविध मामले	140.76	154.37
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	0.63 (1.66%	-
	ii) देशीय	37.35 (98.34%)	30.40 (100%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	2.62	-

* प्रोदभवन आधार।

18. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (देखें टिप्पणी संख्या 22)

(i) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों में शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	राशि
1	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	5.07
2	शिक्षा और कौशल विकास	4.69
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.02
4	पर्यावरण	0.57
5	कला और संस्कृति	0.25
6	भूतपूर्व सैनिक	0.00
7	खेलकूद	0.07
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00
9	प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान	0.00
10	ग्रामीण विकास	2.53
11	क्षमता निर्माण	0.03
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	59.45
	कुल राशि	**72.68**

(ii) अन्य प्रकटीकरण:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सीएसआर कार्यों के प्रति व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित राशि 43.28 करोड़ रूपये है। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु 121.53 करोड़ रूपये के कुल बजट को आवंटित किया था जिसमें 108.20 करोड़ रूपये (कंपनी अधिनिय, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षो के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक) और 13.33 करोड़ रूपये वित्त वर्ष 2014-15 तक व्यय न की गई राशि में से शामिल है। तथापि, सीएसआर एवं एसडी संबंधी निदेशकों की समिति ने विभिन्न सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों हेतु केवल 96.36 करोड़ रूपये ही आवंटित किए हैं और शेष 25.17 करोड़ रूपये की सिफारिश सीएसआर हेतु बजट में कमी के लिए की गई है। 48.85 करोड़ रूपये की शेष राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, जो सांविधिक आवश्यकता से अधिक आवंटन के चलते है।

ख) 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान 'नकदी में किए गए' और 'अभी नकदी में अदा किए' जाने वालेट व्यय के ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

		नकद (क)	नकदी में अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निमार्ण / खरीद	65.99	4.05	70.04
(ii)	उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	2.17	0.47	2.64
	कुल	**68.16**	**4.52**	**72.68**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार 72.68 करोड़ रूपये के कुल व्यय में से 4.52 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

19. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	2600
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रूपए में)	शून्य
4.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	शून्य

20. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में बदलाव करने वाली दिनांक 04.09.2015 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित प्रकटीकरण निम्नवत है (देखें टिप्पणी संख्या 8):-

(रूपये करोड़ में)

(i)	तुलन-पत्र तिथि को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष रहने वाली मूल राशि तथा उस पर तत्संबंधी शेष ब्याज : - मूलधन राशि - ब्याज	 2.10 0.20*
(ii)	क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुरूप अदा किए गए ब्याज की राशि और साथ में वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस से परे आपूर्तिकार को किए गए भुगतान की राशि।	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष हेतु देय तथा अदा की जाने वाली ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के पश्चात भुगतान किया गया है) परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतगत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-
(iv)	तुलन-पत्र तिथि को प्रोदभूत तथा भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि	0.20*
(v)	आगे के वर्षों में भी देय तथा चुकौती योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उक्त ब्याज देयों का भुगतान वास्तव में किसी छोटे उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत किसी कटौती योग्य व्यय को अनुमेय न करने के प्रयोजन हेतु वास्तव में नहीं कर दिया जाता।	-

*लेखा बहियों में लेखांकित न किया गया ब्याज।

21. शेष राशि की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) कंपनी की नीति के अनुसार 31.12.2015 को प्रत्येक मामले में 5 लाख से अधिक बकाया शेष वाले पक्षों को पुष्टि हेतु पत्र भेजे गए थे। तदनुसार, 31.12.2015 को वर्तमान देयताओं सहित प्राप्य तथा देय व्यापार के संबंध में 3415.43 करोड़ रूपये तथा 3614.34 करोड़ रूपये की कुल बकाया राशि में से क्रमशः 2918.32 करोड़ रूपये तथा 128.89 करोड़ रूपये की पुष्टि हुई थी जबकि शेष राशि अपुष्ट रही थी। इसके अतिरिक्त, 31.03.2016 को अन्य वर्तमान देयताओं सहित प्राप्य तथा देय व्यापार क्रमशः 2017.03 करोड़ रूपये और 3376.60 करोड़ रूपये के हैं।

ग) प्रबंधन के मतानुसार अन्य वर्तमान देयताओं सहित इन प्राप्य तथा देय व्यापारों का मिलान वर्ष के दौरान आवधिक रूप से किया जाता है और अपुष्ट शेष का कोई भौतिक प्रभाव नही होगा।

22. चूटक पावर स्टेशन, जो पावर हाऊस में टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पानी के एकाएक बढ जाने के कारण 28.06.2015 से बन्द था, उसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	7.93	0.00	2.00	5.93
व्यापार बाधा हानि	19.87	0.00	0.00	19.87
कुल	**27.80**	**0.00**	**2.00**	**25.80**

23. धौलीगंगा पावर स्टेशन, जो 17.06.2013 को बादल फटने तथा भारी बाढ़ के कारण बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	227.91	90.00	2.00	135.91
सीपीएम क्षति	0.54	0.10	0.01	0.43
व्यापार बाधा हानि	344.71	190.00		154.71
कुल	**573.16**	**280.10**	**2.01**	**291.05**

24. उड़ी-2 पावर स्टेशन, जहां 20.11.2014 को दुर्घटनावश आग लगी जो उत्पादन को बंद किए जाने में परिणत हुआ, उसे जून, जुलाई तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	66.39	30.00	3.16	33.23
व्यापार बाधा हानि	242.28	-	-	242.28
कुल	**308.67**	**30.00**	**3.16**	**275.51**

25. टनकपुर पावर स्टेशन, 17 तथा 18 जून, 2013 को बाढ़ के कारण 16.06.2013 से 21.06.2013 तक और 11.01.2014 से 26.03.2014 तक बाढ़ के चलते प्रभावी रूप से पुनरूद्धार कार्य को करने के लिए बन्द रहा था। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य खंड तक)	इस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	17.62	1.50	2.00	6.13	7.99
व्यापार बाधा हानि	8.74*	0.00	0.00	0.00	8.74
कुल	**26.36**	**1.50**	**2.00**	**6.13**	**16.73**

* प्रत्येक अवधि हेतु 14 दिवस के लिए 6.06 करोड़ रूपये की कटौती योग्य राशि शामिल नहीं है।

26. जल विद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसे नःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

27. (क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप 1577.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष की 1182.36 करोड़ रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और 602.71 करोड़ रूपये (448.03 करोड़ रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

तथापि, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया है जो 'नियामक परिसंपत्ति' और तदनुरूपी 'नियामक आय' की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

(ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट' के अनुसार दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन तथा दर विनियमित आय की मान्यता से संबंधित प्रकटीकरण :

कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आसन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः कंपनी पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता। निर्माण पूरा होने के पश्चात परिणामी लागत मूल्यह्रास या परिशोधन तथा दर निर्धारण हेतु वसूल न किए गए निवेश का आधार होती है। निकाय द्वारा ऐसी लागतों के मामले में किसी नियामक परिसंपत्ति को मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वह भविष्य के टैरिफों के माध्यम से ग्राहकों (लाभग्राहियों) से वसूली योग्य है।

उक्त, पैरा 27(क) में बताए गए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना जहां सक्रिय निर्माण 16.12.2011 से बाधित है, पर व्यय की गई 1577.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष तक 1182.36 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और 602.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष तक 448.03 करोड़ रूपये) की प्रशासन और अन्य लागत, को लेखांकन मानक 10, स्थिर परिसंपत्ति हेतु लेखाकन और लेखांकन मानक 16, ऋण लागत को कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा अधिसूचित किए अनुसार प्रावधान के अनुपालन हेतु लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। तथापि, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत ऐसे व्यय को भविष्य के टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने की अनुमति है ।

उक्त के अनुपालन में कम्पनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और वित्त वर्ष 2015-16 तक तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता दी है, जो उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुसार निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित नियामक परिसंपत्ति	वित्त वर्ष 2014-15 तक	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु	कुल
ऋण लागत	1182.36	395.26	1577.62
प्रशासनिक और अन्य लागते	448.03	154.68	602.71
कुल	**1630.39**	**549.94**	**2180.33**

28. कोटली भेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में अधिनिर्णय लम्बित होने के चलते 31.03.2016 तक किया गया 194.57 करोड़ रूपये की राशि के व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, एक पर्याप्त सावधानी के तौर पर लेखा बहियों में वर्ष के दौरान 153.24 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जो 31 मार्च, 2015 तक प्रावधान किए गए 41.33 करोड़ रूपये के अतिरिक्त है।

29. कोटली भेल 1बी तथा 2 की भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल के पास 31.05 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि जमा करवा दी गई है। परियोजनाओं द्वारा भूमि का अधिग्रहण लम्बित होने के चलते भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय और ग्रामवासियों को किए गए आंशिक भुगतान को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना जारी है।

30. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय समर्थन पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय के लिए वित्त-पोषण मुहैया करवाने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय से निधियां उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क किया गया था। 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय में आयोजित बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना का अन्वेषण कार्य जारी है और उस पर किए गए 205.87 करोड़ रूपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है। तथापि, एक पर्याप्त सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान परियोजना की जाँच के संबंध में 205.87 करोड़ रूपये की राशि के व्यय हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.10.2015 के निर्णय और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 02.11.2015 के पत्र के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि धौलीगंगा मध्यवर्ती और गौरीगंगा चरण-3ए परियोजनाएं प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है क्योंकि दोनों शारदा बेसिन में आती हैं। तदनुसार, 31.03.2015 तक बुक की गई 31.28 करोड़ रूपये की राशि के परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान को 31.03.2016 को समाप्त वर्तमान वर्ष के दौरान वापिस कर दिया गया है क्योंकि अब इसकी तर्कसंगत निश्चितता है कि इन परियोजनाओं को निर्माण हेतु लिया जाएगा।

32. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.04.2015 के पत्र संख्या फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन को 'सिद्धांततः ' अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2015 के पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई 189.38 करोड़ रूपये की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया जा रहा है।

33. सियांग मिडिल विद्युत परियोजना की बिक्री हेतु प्राप्त अधिक बिक्री मूल्य के कारण देयता की पुनः जाँच की गई है और प्रबंधन अनुमान के अनुसार 31 मार्च, 2016 को कोई देयता नही बनती है। अतः प्रावधान की गई ब्याज सहित ऐसी देयता को मार्च, 2016 में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

34. दिनांक 05.02.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 356वीं बैठक के बोर्ड संकल्प संख्या 6(2) के अनुसार 31.03.2016 तक 2.49 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान राज्य वन विभाग को तवांग 1 तथा 2 परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं के लिए बेसिन अध्ययन के प्रति किया गया है जो भविष्य में अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रो-राटा आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य है। प्रबंधन के मतानुसार ऐसी वसूली के मौके कम है और अतः ऐसे व्यय को चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित किया गया है।

35. वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास के गठन के परिणामस्वरूप 381.39 करोड़ रूपये बही मूल्य के दीर्घावधि निवेशों को 390.43 करोड़ रूपये के बाजार मूल्य पर न्यास को कम्पनी की बहियों में सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना निधि को अंतरित किया गया है।

36. सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन लाभग्राही द्वारा भुगतान में 60 दिवस से अधिक के विलंब के मामले में उत्पादक कम्पनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करते हैं। 31.03.2016 को अधिभार के चलते 762.39 करोड़ रूपये की राशि देय है जिसमें से 18.67 करोड़ रूपये को प्रबंधन आकलन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान की गई है। अंतिम एकत्रीकरण के प्रति गम्भीर अनिश्चितताओं के कारण 743.72 करोड़ रूपये कि शेष राशि को मान्यता नहीं दी गई है और यह कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति के अनुरूप है।

37. अप्रैल, 2016 के दौरान निदेशक मंडल ने कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड में 380 करोड़ रूपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को अनुमोदित किया है ।

38. वर्ष के दौरान कंपनी ने वर्ष 2015-16 हेतु 10/- प्रत्येक के मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर 0.92 रूपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश (पिछले वर्ष 0.40 रूपये) का भुगतान किया है।

39. पिछले वर्ष हेतु प्रारंभिक शेष/तदनुरूपी आंकड़ों को जहाँ-कही आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

जयंत कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235

के.एम.सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

अब तक की तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 000050एन

(**सुरेश सेठ**)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 001728एन

(**आर. के. गुप्ता**)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 301072ई

(**आशीष कुमार मुखोपाध्याय**)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

एकल वित्तीय विवरणों हेतु

फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा(3) के परंतुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)
अनुषंगी कपनियों/एसोसिएटस कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग ''क'' - अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रूपये में राशि में प्रस्तुत की जाए)

1.	क्रम सं.	1.	2.	3.
2.	अनुषंगी कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3.	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
4.	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया
5.	शेयर पूंजी	19,62,58,00,000	117,69,23,090	1,00,00,000
6.	आरक्षित तथा अधिशेष	46,56,65,44,496	17,64,16,283	(737,910)
7.	कुल परिसंपत्तियां	76,85,38,53,767	138,41,46,613	12,38,03,779
8.	कुल देयताएं	10,66,15,09,271	3,08,07,240	11,45,41,689
9.	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	टर्न-ओवर	11,43,69,97,047	शून्य	शून्य
11.	कराधान से पूर्व लाभ	8,00,38,53,238	2,90,04,466	0
12.	कराधान हेतु प्रावधान	1,70,38,34,876	95,89,747	72,126
13.	कराधान पश्चात लाभ	6,30,00,18,362	1,94,14,719	-72,126
14.	प्रस्तावित निवेश	4,00,36,63,200	शून्य	शून्य
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08%	74.00%	99.99%

टिप्पणी : निम्नलिखित सूचना को विवरण के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा:

1.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और 2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया	कोई नहीं

भाग ''ख'' - एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

(राशि रूपये में)

	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर			
	संख्या	10,00,00,000	2,39,00,000	21,88,325
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि	100,00,00,000	23,90,00,000	2,18,83,250
	धारितता प्रतिशत का विस्तार	49.98	21.64	16.67
3.	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4.	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	शून्य	शून्य	चूंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य निवल मूल्य	1,07,84,78,490	23,40,31,991	1,20,27,679
6.	वर्ष हेतु लाभ/हानि	2,46,92,670	शून्य	35,54,653
i	समेकन में ली गई	1,23,40,166	शून्य	शून्य
ii	समेकन में न ली गई	1,23,52,504	शून्य	35,54,653

1.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	सभी
2.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बिक्री की गई है	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड समापन की प्रक्रिया में है

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

जयंत कुमार		**के.एम.सिंह**
निदेशक (वित्त)		अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03010235		डीआईएन 02223301
अब तक की तिथि की रिपोर्ट के अनुसार		
कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस		**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)		(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 001728एन		एफआर सं. 301072ई
(आर. के. गुप्ता)		**(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)**
भागीदार		भागीदार
सदस्यता सं.-085074		सदस्यता सं.-056359

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 000050एन

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

अनुबंध-X

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत् विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 28 मई, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। इस पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को दर्शाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आया है और मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। **तुलन-पत्र** **स्थिर परिसंपत्तियां** **मूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 10.1) - 22055.58 करोड़ रुपये** **चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी संख्या 11.1) - 16575.65 करोड़ रुपये** कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर 164.99 करोड़ रुपये की राशि के व्यय के लेखांकन के संबंध में वर्ष 2014-15 हेतु कंपनी के वार्षिक लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जनवरी, 2011 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मतानुसार कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को ऐसा व्यय किए जाने की लेखा अवधि में राजस्व पर प्रभारित किया जाना चाहिए। तथापि, कंपनी ने 30 मार्च, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित एएस-10 के अनुसार परियोजना की लागत के भाग के रूप में वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय विवरणों में पश्चगामी प्रभाव से समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 74.30 करोड़ रूपये के व्यय को पूंजीकृत किया है जबकि यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होना था। वर्तमान वर्ष में कंपनी ने इन पुनः वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर पश्चगामी प्रभाव से मार्च, 2015 तक 8.62 करोड़ रूपये और वर्ष 2015-16 हेतु 2.22 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 'चालू पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 101.91 करोड़ रूपये के व्यय को भी लेखांकित किया है। कंपनी द्वारा अपनाया गया समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में उक्त लेखांकन उपचार लागू एएस-10 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मत के अनुरूप नहीं है और मूर्त परिसंपत्तियों (निवल ब्लाक) को 63.47 करोड़ रूपये तथा चालू पूंजीगत कार्य को 101.91 करोड़ रूपये से अधिक बताने में परिणत हुआ है। परिणामस्वरूप वर्ष हेतु लाभ को भी 165.38 करोड़ रूपये अधिक बताया गया है। **भारत के नियंत्रक** **एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(रितिका भाटिया)** **प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य,** **लेखापरीक्षा बोर्ड-3, नई दिल्ली** स्थान : नई दिल्ली दिनाक : 27 जुलाई, 2016	टिप्पणी में संदर्भित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) का मत ऐसे व्यय को परिसंपत्ति की एक पृथक श्रेणी के रूप में करने के संबंध में था। कंपनी में अपने व्यापार की प्रकृति और लेखांकन मानक (एएस) - 10 ''स्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकनड के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में समीक्षा की तथा नई लेखांकन नीति को प्रारंभ किया और ऐसा लेखांकन क्षेत्र'' में विख्यात विशेषज्ञो में से एक का स्वतंत्र मत प्राप्त करने के पश्चात किया था। मुद्दे को अतिरिक्त तथ्यों के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित लेखाकन व्यवहार पर इसके मत हेतु ईएसी को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर ईएसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात स्वीकार किया गया है। यह भी बताया जाता है कि आईसीएआई एएस-10(संशाधित) के एक प्रभावन मसौदे के साथ आया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' से संबंधित है तथा संशोधित लेखांकन नीति को अंतिम रूप देने और परिणामी लेखांकन व्यवहार हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतो भी मान्यता प्रदान करता है। ईएसी के संशोधित मद की प्राप्ति लम्बित होने के कारण वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा अपनायी गई उक्त नीति के अनुरूप लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2015-16 में भी निम्नलिखित के चलते जारी रखा गया है : i) वर्ष 2015-16 के दौरान 30.03.2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया गया है जिसमें संशोधित एएस-10 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)' शामिल है। संशोधित एएस-10 के पैरा 17 में यह प्रावधान है कि पीपीई के किसी मद की लागत में ऐसी कोई भी लागत शामिल है जो प्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति को ऐसे स्थल तथा स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हो जो उसे प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन के लिए समर्थ बना दे। पहले के एएस-10 ठस्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकनड में भी इसी प्रकार का पैरा (9.1) मौजूद था। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 का पैरा-9 'मापन के यूनिट तरीके' को विहित करता है। मापन के यूनिट तरीके को आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस-10 के प्रभावन प्रारूप के परिशिष्ट-क के पैरा 6 के माध्यम से और स्पष्ट किया गया है। संशोधित एएस-10 के पैरा 17 तथा पैरा 9 का सम्मिलित पठन समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे लेखांकन व्यवहार का समर्थन करता है। ii) उक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित को भी बताया जाता ह: क) 1.4.2016 से लागू इंड एएस-16, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में भी आरोप्यता तथा साथ ही साथ ठमापन का यूनिट तरीका ठ भी विहित है। ख) यद्यपि, एमसीए ने दिनांक 27.4.2016 के परिपत्र संख्या 4/2016 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि संशोधित मानकों का लागू होना, अधिसूचना की तिथि (30.3.2016) को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों हेतु है, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल हैं जो निम्नानुसार व्यवस्था करते हैं : पैरा 88- जहाँ किसी निकाय ने पूर्व में लाभ एवं हानि विवरण में ऐसे किसी व्यय को मान्यता दी है जो पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के भाग के रूप में शामिल किए जाने का पात्र है। इस आवश्यकता के ऐसे पश्चगामी उपयोग का प्रभाव राजस्व आरक्षितों में कर के निवल के रूप में दर्शाया जाएगा।' चूंकि एनएचपीसी ने सीडब्ल्यूआईपी/अचल परिसंपत्तियों में समर्थकारी परिसंपत्तियों संबंधी व्यय को मान्यता प्रदान की है, कंपनी को ऊपर उद्धृत संक्रमण कालीन प्रावधान को लागू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त के मद्देनजर यह बताया जाता है कि कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे समर्थकारी परिसंपत्तियों के लेखांकन उपचार में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2015-16 में अपरिवर्तित रखा गया है। तथापि, बेहतर समझ के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण को वित्त वर्ष 2015-16 हेतु लेखे की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 29) में शामिल किया गया है। ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 30.03.2016 को संशोधित एएस-10 ''संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण'' को अधिसूचित किया है जो उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों पर लागू होगा। संशोधित एएस-10 का पैरा 9 मापन की इकाई एप्रोच को अनुमेय बनाता है जो कंपनी के नियंत्रण के अधीन न होने वाली सुविधाएं परन्तु जिनका निर्माण मूलतः परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक था, के निर्माण पर किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के पूंजीकरण की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान पहले लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित लागतों के पश्चगामी पूंजीकरण की अनुमति देता है परन्तु यह पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र है। मापन की इकाई एप्रोच इंड एएस-16 ठसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण' के पैरा 9 में भी विद्यमान है। इस प्रकार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2014-15 के समान ही जारी रखा गया है। तदनुसार, 176.21 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 173.61 करोड़ रूपये) की राशि को अचल परिसंपत्तियों में मूर्त परि संपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।'' **एनएचपीसी लिमिटेड के** **निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(जयंत कुमार)** **निदेशक (वित्त)** **डीआईएन 03010235**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 28 मई, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेब्रोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है परन्तु उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इस पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को दर्शाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आया है और मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। **तुलन-पत्र** **स्थिर परिसंपत्तियां** **मूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 10.1) - 24398.89 करोड़ रूपये** **चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी संख्या 11.1) - 17009.20 करोड़ रूपये** कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर 164.99 करोड़ रूपये की राशि के व्यय के लेखांकन के संबंध में वर्ष 2014-15 हेतु कंपनी के वार्षिक लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जनवरी, 2011 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मतानुसार कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को ऐसा व्यय किए जाने की लेखा अवधि में राजस्व पर प्रभारित किया जाना चाहिए। तथापि, कंपनी ने 30 मार्च, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित एएस-10 के अनुसार परियोजना की लागत के भाग के रूप में वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय विवरणों में पश्चगामी प्रभाव से समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 74.30 करोड़ रूपये के व्यय को पूंजीकृत किया है जबकि यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होना था। वर्तमान वर्ष में कंपनी ने इन पुनः वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर पश्चगामी प्रभाव से मार्च, 2015 तक 8.62 करोड़ रूपये और वर्ष 2015-16 हेतु 2.22 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ठचालू पूंजीगत कार्य ठ के अंतर्गत समर्थकारी परिसंपत्तियों पर किए गए 101.91 करोड़ रूपये के व्यय को भी लेखांकित किया है। कंपनी द्वारा अपनाया गया समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में उक्त लेखांकन उपचार लागू एएस-10 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मत के अनुरूप नहीं है और मूर्त परिसंपत्तियों (निवल ब्लाक) को 63.47 करोड़ रूपये तथा चालू पूंजीगत कार्य को 101.91 करोड़ रूपये से अधिक बताने में परिणत हुआ है। परिणामस्वरूप वर्ष हेतु लाभ को भी 165.38 करोड़ रूपये अधिक बताया गया है। **भारत के नियंत्रक** **एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(रितिका भाटिया)** **प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा** **निदेशक एवं पदेन सदस्य,** **लेखापरीक्षा बोर्ड-3, नई दिल्ली** स्थान : नई दिल्ली दिनाक : 27 जुलाई, 2016	टिप्पणी में संदर्भित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) का मत ऐसे व्यय को परिसंपत्ति की एक पृथक श्रेणी के रूप में करने के संबंध में था। कंपनी में अपने व्यापार की प्रकृति और लेखांकन मानक (एएस) - 10 ''स्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकनड के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में समीक्षा की तथा नई लेखांकन नीति को प्रारंभ किया और ऐसा लेखांकन क्षेत्र'' में विख्यात विशेषज्ञो में से एक का स्वतंत्र मत प्राप्त करने के पश्चात किया था। मुद्दे को अतिरिक्त तथ्यों के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित लेखाकन व्यवहार पर इसके मत हेतु ईएसी को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर ईएसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात स्वीकार किया गया है। यह भी बताया जाता है कि आईसीएआई एएस-10(संशाधित) के एक प्रभावन मसौदे के साथ आया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध ठसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणड से संबंधित है तथा संशोधित लेखांकन नीति को अंतिम रूप देने और परिणामी लेखांकन व्यवहार हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतो भी मान्यता प्रदान करता है। ईएसी के संशोधित मद की प्राप्ति लम्बित होने के कारण वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा अपनायी गई उक्त नीति के अनुरूप लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2015-16 में भी निम्नलिखित के चलते जारी रखा गया है : i) वर्ष 2015-16 के दौरान 30.03.2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया गया है जिसमें संशोधित एएस-10 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)' शामिल है। संशोधित एएस-10 के पैरा 17 में यह प्रावधान है कि पीपीई के किसी मद की लागत में ऐसी कोई भी लागत शामिल है जो प्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति को ऐसे स्थल तथा स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हो जो उसे प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन के लिए समर्थ बना दे। पहले के एएस-10 ठस्थिर परिसंपत्तियों हेतु लेखांकनड में भी इसी प्रकार का पैरा (9.1) मौजूद था। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 का पैरा-9 ठमापन के यूनिट तरीकेड को विहित करता है। मापन के यूनिट तरीके को आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस-10 के प्रभावन प्रारूप के परिशिष्ट-क के पैरा 6 के माध्यम से और स्पष्ट किया गया है। संशोधित एएस-10 के पैरा 17 तथा पैरा 9 का सम्मिलित पठन समर्थकारी परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे लेखांकन व्यवहार का समर्थन करता है। ii) उक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित को भी बताया जाता है : क) 1.4.2016 से लागू इंड एएस-16, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में भी आरोप्यता तथा साथ ही साथ ''मापन का यूनिट तरीका'' भी विहित है। ख) यद्यपि, एमसीए ने दिनांक 27.4.2016 के परिपत्र संख्या 4/2016 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि संशोधित मानकों का लागू होना, अधिसूचना की तिथि (30.3.2016) को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों हेतु है, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल हैं जो निम्नानुसार व्यवस्था करते हैं: 'पैरा 88- जहाँ किसी निकाय ने पूर्व में लाभ एवं हानि विवरण में ऐसे किसी व्यय को मान्यता दी है जो पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के भाग के रूप में शामिल किए जाने का पात्र है। इस आवश्यकता के ऐसे पश्चगामी उपयोग का प्रभाव राजस्व आरक्षितों में कर के निवल के रूप में दर्शाया जाएगा।' चूंकि एनएचपीसी ने सीडब्ल्यूआईपी/ अचल परिसंपत्तियों में समर्थकारी परिसंपत्तियों संबंधी व्यय को मान्यता प्रदान की है, कंपनी को ऊपर उद्धृत संक्रमण कालीन प्रावधान को लागू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त के मद्देनजर यह बताया जाता है कि कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे समर्थकारी परिसंपत्तियों के लेखांकन उपचार में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2015-16 में अपरिवर्तित रखा गया है। तथापि, बेहतर समझ के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण को वित्त वर्ष 2015-16 हेतु लेखे की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 29) में शामिल किया गया है। ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 30.03.2016 को संशोधित एएस-10 ''संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण'' को अधिसूचित किया है जो उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों पर लागू होगा। संशोधित एएस-10 का पैरा 9 मापन की इकाई एप्रोच को अनुमेय बनाता है जो कंपनी के नियंत्रण के अधीन न होने वाली सुविधाएं परन्तु जिनका निर्माण मूलतः परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक था, के निर्माण पर किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के पूंजीकरण की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान पहले लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित लागतों के पश्चगामी पूंजीकरण की अनुमति देता है परन्तु यह पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र है। मापन की इकाई एप्रोच इंड एएस-16 ठसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण ठ के पैरा 9 में भी विद्यमान है। इस प्रकार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2014-15 के समान ही जारी रखा गया है। तदनुसार, 176.21 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 173.61 करोड़ रूपये) की राशि को अचल परिसंपत्तियों में मूर्त परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।'' **एनएचपीसी लिमिटेड के** **निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ता./-** **(जयंत कुमार)** **निदेशक (वित्त)** **डीआईउन 03010235**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - XI

सेवा में सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात ''धारक कंपनी'' कहा गया है) और इसकी अनुषंगियों (धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों को मिलाकर ''समूह'' कहा गया है) तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा हमने विवरणात्मक सूचना (जिसे एतदपश्चात ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है। **समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व** धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'' की आवश्यकताओं के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक जिन्हें कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 पढ़ा जाता है, शामिल है, के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंधित निदेशक मंडल इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं - समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत और विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों को लेने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, सही तथा उचित चित्र देने तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त वर्णित किए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनों हेतु किया गया हो। **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व** हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित हो। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा का निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है अथवा नहीं । लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह धारक कम्पनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए समुचित है। **मत** हमारे मतानुसार और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के मामलों की समेकित स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके समेकित लाभ तथा उनके समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।	

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
मामले पर बल दिया जाने वाला क्षेत्र हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं : (क) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7 का पैरा जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन का वर्णन करता है।	(क) एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (पीए) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ पीए का भुगतान जारी है।
(ख) समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 11.1 का पैरा 2, जो परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर किए जाने वाले व्यय का वर्णन करती है जिनके लिए या तो अनिश्चितता के कारण प्रावधान किया गया है अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ लंबित होने वाली विभिन्न स्वीकृतियों के चलते जिन्हें अग्रेनीत किया जा रहा है।	(ख) प्रबंधन के मतानुसार, जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है, वे अभी भी सक्रिय है, अतः सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की लागत को अग्रेनीत किया जा रहा है। तथापि, प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, बहियों में किया गया है।
(ग) समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 4, जो कंपनी द्वारा/इसके विरूद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूद्ध निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नहीं करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए के अलवा।	(ग) उक्त पैरा में इस प्रकटीकरण को लेखांकन मानक 29 (प्रावधान) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(घ) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 21(क) विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।	(घ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(ङ) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 31 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।	(ङ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(च) चालू पूंजीगत कार्य संबंधी लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 जिसे कंपनी द्वारा उसके नियंत्रण में न होने वाली किन्तु परियोजना के निर्माण के लिए मूलतः आवश्यक होने वाली सुविधाओं के निर्माण से संबंधित व्यय किए गए पूंजीगत व्यय के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 18 के साथ पढ़ा जाता है, इसे "निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) पर प्रभारित किया जाता है क्योंकि यह 30.3.2016 को अधिसूचित संशोधित एएस-10 के अनुरूप है क्योंकि इस संशोधित लेखांकन मानक का पैरा 88 परिवर्तनकारी प्रावधान के संबंध में बताता है जिसके अनुसार ऐसा उपचार किया जाएगा।	(च) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
अन्य मामले क) हमने निम्नलिखित अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की जांच नही की है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस तक उन्हें समेकित विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है :	

(करोड़ रूपए में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी			
एनएचडीसी लिमिटेड	7685.39	1336.95	81.23
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचससीएल लिमिटेड)	138.41	2.96	(7.81)
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	12.38	-	10.31
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	520.45	3.96	(63.34)
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	270.73	-	(12.57)
कुल	**8627.36**	**1343.87**	**7.82**

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इन अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं(3) तथा (11) के संबंध में जहां तक वे उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित हैं, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय सूचना के संबंध में संशोधित नहीं हैं। **अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना** 1. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते हैं कि क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे; ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है; ग. इस रिपोर्ट से संबधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु रखी गई लेखा की संगत बहियों के अनुरूप है; घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं; ङ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों पर लागू नहीं होते हैं। च. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में ''अनुबंध-क'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें; और छ. कपंनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार और हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार : 1) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 का पैरा 1; 2) समूह, इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियों को नहीं देखते हैं। 3) धारक कंपनी और इसकी भारत में अधिनिगमित अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित कोई राशियां नहीं थी।	

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000050एन

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 001728एन

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं '' के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड-1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात "धारक कंपनी " कहा गया है) और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों, जो तदनुरूपी तिथि को भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ("परामर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हमारी उक्त रिपोर्टों का जहाँ तक 3 अनुषंगी कंपनियों और 2 संयुक्त रूप से निकायों से संबंध है, जो कि भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, यह भारत में अधिनिगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	**(सनदी लेखाकार)**	**(सनदी लेखाकार)**
एफआर न. 000050एन	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 301072ई
(सुरेश सेठ)	(आर के गुप्ता)	(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

105 मेगावाट लोकतक पावर स्टेशन (मणिपुर) - पावर हाउस

31 मार्च, 2016 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	2		11,070.67		11,070.67
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3		20,297.37		19,686.80
	(2) अल्पसंख्यक हित			3,451.23		3,325.71
	(3) गैर-वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	4		18,416.69		18,724.48
	(ख) स्थगित कर देयता	5		1,022.73		988.60
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		1,367.58		1,459.33
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7		417.48		900.14
	(4) वर्तमान देयताएं					
	(क) व्यापार प्राप्य	8				
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय			3.31		0.53
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय			128.54		164.33
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9		3,310.41		3,253.71
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	7		2,464.03		1,837.73
	कुल			**61,950.04**		**61,412.03**
II	**आस्तियां**					
	(1) गैर-वर्तमान आस्तियां					
	(क) अचल आस्तियां					
	(1) गोचर आस्तियां	10.1	24,398.89		24,429.19	
	(2) अगोचर आस्तियां	10.2	3,415.01		3,486.91	
	(3) चालू पूंजीगत कार्य	11.1	17,009.20		16,377.54	
	(4) विकास के अधीन होने वाली अगोचर आस्तियां	11.2	0.01		-	
	(ख) गैर-वर्तमान निवेश	12	381.95		763.34	
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,211.85		1,187.79	
	(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	14.1	1,026.59		1,131.75	
	उप-जोड		47,443.50		47,376.52	
	(ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां- नियामक परिसंपत्तियां	14.2	2180.33	49,623.83	1630.39	49,006.91
	(2) चालू आस्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	15		1.13		256.44
	(ख) मालसूची	16		94.50		90.64
	(क) व्यापार प्राप्य	17		2,388.64		2,905.18
	(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18		7,443.89		6,941.02
	(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		242.72		201.97
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		2,155.33		2,009.87
	कुल			**61,950.04**		**61,412.03**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	28				
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखेका अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता **कंपनी सचिव**	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**के.एम.सिंह** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 02223301

अब तक की तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 000050एन	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 001728एन	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 301072ई
(सीए सुरेश सेठ) भागीदार सदस्यता सं.-010577	**(सीए आर. के. गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**(सीए आशीष कुमार मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय						
i)	प्रचालन से राजस्व	**20**	8628.35		8248.36	
	घटाएं : विद्युत शुल्क		0.51	8,627.84	4.29	8,244.07
ii)	अन्य आय	**21**		949.44		913.20
	कुल राजस्व			**9,577.28**		**9,157.27**
व्यय						
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**		2,261.90		1,803.10
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**		1,198.89		1,224.68
iii)	वित्त लागत	**24**		1,113.31		1,272.78
iv)	मूल्य-ह्रास और परिशोधन व्यय	**25**		1,742.70		1,715.28
	कुल व्यय			**6,316.80**		**6,015.84**
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा दर विनियमित क्रियाकलाप और कर से पूर्व लाभ				3,260.48		3,141.43
	पूर्वावधि मदे (निवल)	**26**		(37.72)		(54.97)
विशिष्ट और असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप तथा कर पूर्व लाभ				3,298.20		3,196.40
	विशिष्ट मदें			-		-
असाधारण मदें, दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ				3,298.20		3,196.40
	असाधारण मदें			-		-
दर विनियमित क्रियाकलाप और कर पूर्व लाभ				3,298.20		3,196.40
	दर विनियमित आय/(व्यय)			549.94		521.95
कर पूर्व लाभ				**3,848.14**		**3,718.35**
	कर संबंधी व्यय	**27**				
i)	वर्तमान कर		917.40		791.58	
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		(22.97)		74.51	
iii)	विलंबित कर		34.12		54.21	
	कर संबंधी कुल व्यय			928.55		920.30
सतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ				2,919.59		2,798.05
	प्रचालनों को बंद करने से लाभ			-		-
	बंद प्रचालनों के कर व्यय			-		-
बंद प्रचालनों से कर पश्चात लाभ				-		-
वर्ष हेतु लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)				2,919.59		2,798.05
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/हानि का अंश				231.33		306.69
वर्ष हेतु लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के पश्चात)				**2,688.26**		**2,491.36**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रु पये प्रति शेयर)					
	बुनियादी तथा तनूकृत			2.43		2.25
	तनूकृत			2.43		2.25
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**				
	निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है	**28**				
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	**29**				

टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता **कंपनी सचिव**	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**के.एम.सिंह** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 02223301

अब तक की तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 000050एन **(सीए सुरेश सेठ)** भागीदार सदस्यता सं.-010577	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 001728एन **(सीए आर. के. गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 301072ई **(सीए आशीष कुमार मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ		3,848.14		3,718.35
	घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)		549.94		521.95
			3,298.20		**3,196.40**
	जोड़ें -				
	मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,742.62		1,720.79	
	वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,113.31		1,272.80	
	प्रावधान (निवल हानि)	390.92		125.11	
	दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया व्यय (वित्त और मूल्यह्रास का निवल)	147.03		123.30	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	132.02		105.82	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/ पश्चलेखित दावे	1.46		2.38	
	विनिमय दर अंतर	1.14		(20.50)	
			3528.50		3,329.70
			6,826.70		**6,526.10**
	घटाएं :				
	पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17		50.17	
	प्रावधान (निवल लाभ)	42.21		75.96	
	निवेश की बिक्री पर निवल लाभ	13.19		-	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	0.43		1.11	
	लाभांश आय	2.64		2.42	
	ब्याज आय	791.77		840.13	
			900.41		969.79
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**5,926.29**		**5,556.31**
	कार्यशील पूंजी में कमी(वृद्धि)				
	माल सूची	(3.86)		(8.87)	
	व्यापार प्राप्य	787.61		(391.38)	
	अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(85.52)		330.92	
	अन्य देयताएं और प्रावधान	(317.80)		(617.10)	
			380.43		(686.43)
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**6,306.72**		**4,869.88**
	घटाएं - कर		872.39		809.24
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**5,434.33**		**4,060.64**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		(2220.81)		(1726.01)
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चालू पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित)		(147.03)		(123.30)
	दर विनियमित परिसंपत्तियों का सृजन		651.02		239.77
	निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति		783.58		840.13
	ब्याज आय		2.64		2.41
	प्राप्त लाभांश		**(930.60)**		**(767.00)**
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(1895.18)	(848.35)
	शेयर पूंजी जारी करना	-	7.81
	मध्य प्रदेश सरकार से निधियां	15.28	20.14
	ऋणों से वित्त-पोषण		
	ऋण	1780.52	1481.05
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(2393.36)	(1500.66)
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1506.99)	(1654.40)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3999.73)**	**(2494.41)**
घ.	**नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**504.00**	**799.23**
	अवधि के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	6,941.02	6,142.78
	घटाएं : वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य में समायोजन	1.13	(0.99)
	वर्ष के प्रारंभ में समायोजित नकदी और नकदी तुल्य	**6,939.89**	**6,141.79**
	अवधि के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**7,443.89**	**6,941.02**

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
नकदी तथा नकदी-तुल्य		2,012.58	713.29	713.29
अन्य बैंक शेष *	5,431.31	6,227.73		6,227.73
	7,443.89	**6,941.02**		**6,941.02**

* अन्य बैंक शेष में 251.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 268.05 करोड़ रूपए), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, 5.09 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10.14 करोड़ रूपए) की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय न की गई देयता, 10.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5.85 करोड़ रूपए) का अदा न किया गया लाभांश/ब्याज शामिल है।

क) माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में रखे गए 9.90 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 9.01 करोड़ रूपए)।

ख) ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भू-वंचितों से जमा के रूप में प्राप्त 2.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.24 करोड़ रूपए)।

2 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में अवधि के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 464.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 332.56 करोड़ रुपए) और वर्ष के दौरान सृजित दर विनियमित परिसंपत्तियों की ऋण लागत के प्रति 395.26 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 406.83 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है।

3 31.3.2016 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 433.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 280.64 करोड़ रुपए) है, जो अधीनस्थ ऋण है।

4 सीएलटीडी के प्रति 0.50 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष कुल राशि का 49.75 प्रतिशत) की बैंक गारंटी 5 वर्ष की अवधि के लिए जे एण्ड के बैंक द्वारा जम्मू एवं कश्मीर वन विभाग के पक्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में किश्तवार जिले में कीरू एच ई पी (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट - एक संयुक्त उद्यम कंपनी) मलबा निपटान स्थलों के पुनरूद्धार के लिए पर्यावरणीय रक्षोपाय तथा अभियांत्रिकी और जैवकीय उपायों के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई है।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता **कंपनी सचिव**	**जयंत कुमार** निदेशक (वित्त) डीआईएन 03010235	**के.एम.सिंह** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डीआईएन 02223301

अब तक की तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 000050एन **(सीए सुरेश सेठ)** भागीदार सदस्यता सं.-010577	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 001728एन **(सीए आर. के. गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं.-085074	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) एफआर सं. 301072ई **(सीए आशीष कुमार मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1.1 तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और सूचित अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की राशि को प्रभावित करने वाली सभी संगत सूचना को लेते हुए एक तर्कसंकत तथा विवेकसंगत आधार पर अनुमान तथा मान्यता लगाएं। वास्तविक परिणाम अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान में किसी संशोधन को मान्यता उक्त को निर्धारित की जाने वाली अवधि में दी जाती है।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 मूर्त परिसंपत्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत, घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षति हानियां, यदि कोई हो, के आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.1.2 ऐसी परिसंपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है भले ही भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित की गई हो, उन्हें अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।

2.1.3 किसी पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर मूर्त परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए जाने वाले व्यय जो किसी विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवनकाल और/अथवा दक्षता में परिणत होता है, उसे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत मूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई/निवृत्त की गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

2.1.4 मुआवजे (न्यायालय के पंचाट की तिथि तक न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

2.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग हेतु लिए गए सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग न होने के चलते) को खरीद की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानियां, यदि कोई हो, पर बताया जाता है और इसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है, सिवाय भूमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण पर आरोप्य व्यय'' (ईएसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) के मामले में व्यवहार्यता रिपोर्ट/तकनीकी आर्थिक स्वीकृतियों के अनुमोदन से पूर्व नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक व्ययों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय ''निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)'' पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय ''लाभ एवं हानि विवरण'' को प्रषरित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के पीछे लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 वस्तुसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है।

4. दर विनियमित क्रियाकलाप

जहां व्यय की किसी मद को आयोजना के निर्माण के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात उसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं होती, परन्तु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), नियामक, द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में उसे लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, तो उक्त की वसूली के अधिकार को एक नियामक परिसंपत्ति के रूप मे मान्यता दी जाती है तथा तदनुरूपी नियामक आय की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्श नोट के अनुसार की जाती है, यदि यह उक्त परामर्शी नोट में निर्धारित ऐसी मान्यता हेतु शर्तो को पूरा करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। एनएचपीटीएल के मामले में वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/उनसे कटौती को उस माह से /तक प्रो-राटा आधार पर प्रभारित किया गया है जिसमें ये परिसंपत्ति उपयोग/निपटान हेतु उपलब्ध है।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

5.2.2 1) कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों (सिवाय पुरानी और प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति सं. 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के।

एनएचपीटीएल के मामले में, जो सीईआरसी द्वारा शासित नहीं है, परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा पद्धति को अपनाकर प्रभारित किया जाता है।

2) प्रचालन यूनिटों से अन्य की पुरानी तथा उपयोग की गई मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिसंपत्ति के लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में दिए अनुसार जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, और इसे जिस वर्ष में खरीद की गई हो से प्रारंभ किया जाता है।

5.6 भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुरूप किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश का मूल्य निर्धारण लागत से कम और पृथक निवेश आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईएसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अन्य सीमांत लाभ शामिल है।

9.2 पेंशन लाभों, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) में अंशदान और भविष्य निधि योजना मुहैया करवाने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारी निश्चित अंशदान अधिवर्षिता योजनाओं (ईडीसीएसएस) के प्रति कंपनी की देयता के भुगतान को लेखांकित किया और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 उपदान, ईडीसीएसएस और आरईएचएस के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों हेतु देयता को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसका भुगतान संबंधित न्यासों को किया जाता है।

9.4 कर्मचारियों को अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और अधिवर्षिता पर स्मृति-चिन्ह हेतु देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत'' के प्रति ''सूचित तिथि तक वहन की गई लागत'' के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार, परिसमाप्त क्षतियों/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई अनिश्चितता न होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

एनएचपीटीएल के मामले में 500,000/- रूपये तथा उससे नीचे के पूर्व प्रदत्त व्ययों और पूर्वावधि व्यय/आय की मदों को लेखे के प्राकृतिक शीर्षों पर प्रभारित किया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के मामले में वर्ष के दौरान जारी किए गए फुटकर उपकरणों को पृथक मदों की कीमत 5,000/- रूपये अथवा कम होने पर उपभोग लेखे को प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में पश्च लेखित किया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है। दर विनियमित परिसंपत्तियों का भी परीक्षण प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती।

आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को संगत लेखांकन मानक में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

17. सहायता अनुदान

एनएचडीसी लिमिटेड के मामले में मध्य प्रदेश सरकार से "सिंचाई और आर एण्ड आर घटक" के प्रति तथा गुजरात सरकार से "सरदार सरोवर घटक " के प्रति प्राप्त अंशदान जो पृथक परिसंपत्तियों के प्रति अंशदान से संबंधित नहीं हैं, उन्हें प्रारंभ में "सहायता अनुदान - आरक्षित " के रूप में लिया जाता है और बाद में ऐसे अंशदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान पश्च लिखित मूल्यह्रास के समान अनुपात में बाद में समायोजित किया जाता है।

18. पट्टा

प्रचालन पट्टा

एनएचपीटीएल के मामले में पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां जहाँ स्वामित्व के जोखिम तथा प्रतिफल के एक बड़े हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास बनाए रखा जाता है, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा किरायों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
		संख्या में	(करोड़ रूपए में)	संख्या में	(करोड़ रूपए में)
(क)	**प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)**	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख)	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)**	11070668496	11,070.67	11070668496	11,070.67
(ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान	**शेयरों की संख्या**	शेयरों पूंजी (करोड़ रूपए में)	**शेयरों की संख्या**	शेयरों पूंजी (करोड़ रूपए में)
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	11070668496	11070.67	11070668496	11070.67
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	**11070668496**	**11,070.67**	**11070668496**	**11,070.67**

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ)	**कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या**	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
		संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
	- भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	9516209722	85.96

(च) 31.03.2016 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।

टिप्पणी संख्या 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**		1,230.07		1,230.07
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		2,868.74		2,868.74
(iii)	**सहायता -अनुदान - आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	698.04		724.73	
	जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	7.80		10.24	
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	37.22		36.93	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		668.62		698.04
(iv)	**बांड शोधन आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1247.89		884.75	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	185.74		379.10	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	109.43		15.96	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		1,324.20		1,247.89
(v)	**स्व बीमा निधि**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	917.93		869.83	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	-		55.77	
	घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित	917.93		7.67	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		-		917.93

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
(vi)	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	36.67		24.97	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	19.41		4.60	
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		16.30	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		17.26		36.67
(vii)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	31.82		21.90	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	13.71		9.92	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		45.53		31.82
(viii)	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9306.50		1806.50	
	जोड़े : स्व बीमा निधि से अंतरण	917.93		7,500.00	
	तुलन-पत्र की तारीख पर		10,224.43		9,306.50
	अधिशेष *		3,918.52		3,349.14
	कुल #		**20,297.37**		**19,686.80**
	*** अधिशेष**				
	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		**2,688.26**		**2,491.36**
	दर विनियमित परिसंपत्तियों को मान्यता देने हेतु ट्रांजिशन प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले समायोजन (आय कर हेतु प्रावधान का निवल)		-		876.10
	अग्रेणीत शेष		3,349.14		8,752.63
	धारिता के अनुपात में परिवर्तन/ संयुक्त उद्यम आदि के गैर समेकन के कारण प्रारंभिक शेष में समायोजन		7.81		(0.29)
	जोड़े :				
	बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		109.43		15.96
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		19.41		4.60
	स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		-		5.65
	लाभांश पर कर -पश्चलिखित		24.08		10.05
	विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		**6,198.13**		**12,156.06**
	पूंजीगत आरक्षी को अंतरित		-		-
	बांड विमोचन आरक्षी को अंतरित		185.74		379.10
	स्व बीमा निधि को अंतरित		-		55.77
	सामान्य आरक्षित को अंतरित		-		7,500.00
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरित		-		16.30
	अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		13.71		9.92
	लाभांश				
	- अंतरिम		1,018.50		221.43
	- प्रस्तावित		642.10		442.84
	लाभांश पर कर				
	- अंतरिम		207.34		44.27
	- प्रस्तावित		212.22		137.29
	अग्रेणीत शेष		**3,918.52**		**3,349.14**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 10.41 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष (-)1.79 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	7848.66	437.69	7410.97	6,811.43	437.69	6373.74
- अप्रतिभूत						-
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	3698.79	409.78	3289.01	4,243.76	354.86	3888.90
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	1671.36	205.75	1465.61	1,656.48	181.57	1474.91
• अन्य पार्टियों से						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	3921.23	703.93	3217.30	5,092.06	838.93	4253.13
-अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	3033.80	0.00	3033.80	2,780.70	46.90	2733.80
कुल #	**20173.84**	**1,757.15**	**18416.69**	**20,584.43**	**1,859.95**	**18724.48**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 12 देखे)	1,671.36	205.75	1465.61	1,703.38	228.47	1,474.91
31.03.2016 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-		-	-	-
31.03.2016 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-		-	-	-

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(क)	**बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत**		
i)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
iv)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
v)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
vi) **कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज * 4 और 8** (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
vii) **बॉण्ड - टी- सीरीज * 1, 2 और 10** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	-
viii) **बॉण्ड - आर-3 सीरीज * 4** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
ix) **बॉण्ड - एस-2 सीरीज * 10** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	660.00	660.00
x) **बॉण्ड - क्यू सीरीज * 5 और 11** ((12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2017 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	1,160.50	1,266.00
xi) **बॉण्ड - आर-2 सीरीज * 4** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2017 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये के 11 वार्षिक विमोचन)	350.24	382.08
xii) **बॉण्ड - पी सीरीज * 4, 6 और 8** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.2017 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये के 9 वार्षिक विमोचन)	1,800.00	2,000.00
xiii) **बॉण्ड -एस1 सीरीज * 10** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (26.11.2016 से 26.11.2024 तक 36.50 करोड़ रूपये की 9 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	328.50	365.00
xiv) **बॉण्ड -आर1 सीरीज * 4** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (11.02.2017 से 11.02.2026 तक 6.85 करोड़ रूपये की 10 वर्षीय किश्तों द्वारा चुकौती योग्य)	68.50	75.35
xv) **बॉण्ड - ओ सीरीज * 2** (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2017 से 31.03.2018 तक 57 करोड़ रुपये के 2 वार्षिक विमोचन)	114.00	171.00
कुल बॉण्ड (क)	**7,848.66**	**6811.43**

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(ख)	**सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)**		
i)	**स्टेट बैंक आफ पटियाला *1**	4.00	8.00
	(31.03.2016 को 9.40 प्रतिशत की वर्तमान स्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 छमाही किस्तों में 09.01.2017 तक 3 वर्ष के रीसेट खंड के साथ पुनर्भुगतान योग्य)		
ii)	**केनरा बैंक *2**	20.00	40.00
	(31.03.2016 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iii)	**सिंडिकेट बैंक *2**	18.30	36.60
	(31.03.2016 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.20 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iv)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2**	20.00	40.00
	(31.03.2016 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.20 प्रतिशत प्रति वर्ष की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किस्त में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
v)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2**	50.00	60.00
	(31.03.2016 तक 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ 7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)		
vi)	**यूको बैंक *7**	708.33	791.67
	(31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 17 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
vii)	**कारपोरेशन बैंक *9**	447.92	489.58
	(31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
viii)	**केनरा बैंक *9**	179.20	195.84
	(31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 42 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)		
ix)	**इंडियन ओवरसीज बैंक *9**	179.17	195.83
	(31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
x)	**पंजाब एंड सिन्ध बैंक *9**	179.16	195.83
	(31.03.2016 को 9.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xi)	**सिंडिकेट बैंक *9**	268.75	293.75
	(31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xii)	**यूनियन बैंक आफ इंडिया *9**	134.38	146.88
	(31.03.2016 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 43 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xiii)	**स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 और 5**	1,000.00	1,000.00
	(31.03.2016 को 9.30 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 44 तिमाही किस्तों में 27.06.16 से 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xiv)	**स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 1 और 5**	489.58	500.00
	(31.03.2016 को 9.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 28.03.2016 से 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xv)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड * 15**	-	149.02
	(वर्तमान वर्ष में चुका दिया गया)		
xvi)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**	-	100.76
	(वर्तमान वर्ष में चुका दिया गया)		
	कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रत्याभूत)	**3,698.79**	**4,243.76**

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)			31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(ग)	**सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा**			
	i)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*12** (31.03.2016 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.23 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	144.65	140.41
	ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*12** (31.03.2016 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.73 करोड़ रुपये प्रत्येक की 24 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	569.44	544.38
	iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-III*12** (31.03.2016 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.73 करोड़ रुपये प्रत्येक की 36 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	630.92	587.70
	iv)	**डश बैंक और अन्य *12** (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	326.35	383.99
		कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,671.36**	**1,656.48**
(घ)	**सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)**			
	i)	**भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6** 31.03.2016 के अनुसार 41.67 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1000 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	1,041.67	1,250.00
	ii)	**भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11** (31.03.2016 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोर दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 16 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,264.00	1,422.00
	iii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	412.50	487.50
	iv)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	46.50	65.10
	v)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2016 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	38.50	45.50
	vi)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	764.92	910.62
	vii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 13 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	134.22	175.52
	viii)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2016 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 15 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	187.50	237.50
	ix)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड** (वर्तमान वर्ष के दौरान चुकता किया गया)	-	472.50
	x)	**पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (40 समान तिमाही किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। भुगतान परियोजना के प्रारंभ होने के दो वर्ष पश्चात से प्रारंभ होगा, तथापि ब्याज की चुकौती चालू किए जाने के पश्चात प्रारंभ हो जाएगी।)	31.42	25.82
		कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**3,921.23**	**5,092.06**

(करोड़ रूपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (कुल ऋण हेतु प्रकटीकरण नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(ङ) **सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)**		
विदेशी मुद्रा		
i) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12**	-	46.90
(15.03.2016 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रुपये प्रत्येक की शून्य समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
भारत सरकार से ऋण		
ii) **निम्मो बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	270.00	270.00
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii) **चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	383.36	364.00
(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.97 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iv) **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	2,380.44	2,099.80
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**3,033.80**	**2,780.70**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**20,173.84**	**20,584.43**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) सामायिक रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी के धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
7. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन में कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा-III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
9. जम्मू एंव कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चुटक पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मा बाज़गो पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी-II पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले बंधक तथा रेहन रखकर (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
11. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-v परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले बंधक/रेहन रखकर (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

टिप्पणी संख्या 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
स्थगित कर देयताएं				
i) मूल्यह्रास		4,052.53		4005.24
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां				
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	319.58		178.71	
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	78.00	397.58	143.68	322.39
स्थगित कर देयता		3,654.95		3,682.85
घटाएं : वसूली योग्य	2,479.98		2,618.75	
घटाएं : स्थगित कर देयताओं के प्रति स्थगित कर समायोजन	152.24	2,632.22	75.50	2,694.25
स्थगित कर देयता (निवल)		**1,022.73**		**988.60**

व्याखात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर हेतु लेखांकन'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 27.90 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष रूपए 15.04 करोड़ रूपए) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं:- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	158.45	94.63	63.82	206.09	100.76	105.33
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1279.58	60.68	1218.90	1,329.75	50.17	1,279.58
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	84.86	-	84.86	74.42	-	74.42
कुल #	**1,522.89**	**155.31**	**1,367.58**	**1,610.26**	**150.93**	**1,459.33**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.41 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.34 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 7 : प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	870.98	71.15	942.13	795.85	71.84	867.69
	वर्ष के दौरान वर्धन	14.32	78.07	92.39	85.03	74.29	159.32
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	496.79	92.23	589.02	9.86	71.73	81.59
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	0.04	3.25	3.29
	अंतिम शेष	**388.51**	**56.99**	**445.50**	**870.98**	**71.15**	**942.13**
ख)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		35.39	35.39		31.58	31.58
	वर्ष के दौरान वर्धन		5.07	5.07		6.68	6.68
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		31.22	31.22		2.74	2.74
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.21	0.21		0.13	0.13
	अंतिम शेष		**9.03**	**9.03**		**35.39**	**35.39**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		8.90	8.90		35.39	35.39
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		**0.13**	**0.13**		**-**	**-**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ग)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		104.28	104.28		70.84	70.84
	वर्ष के दौरान वर्धन		106.51	106.51		101.71	101.71
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		94.13	94.13		54.74	54.74
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		7.54	7.54		13.53	13.53
	अंतिम शेष		**109.12**	**109.12**		**104.28**	**104.28**
घ)	**अधिवार्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		33.98	33.98		40.30	40.30
	वर्ष के दौरान वर्धन		42.40	42.40		33.98	33.98
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		33.98	33.98		40.30	40.30
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		-	-
	अंतिम शेष		**42.40**	**42.40**		**33.98**	**33.98**
ङ)	**अन्य**						
	i) **कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		583.42	583.42		-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन		744.97	744.97		583.42	583.42
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		583.42	583.42		-	-
			744.97	**744.97**		**583.42**	**583.42**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		638.31	638.31		522.32	522.32
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		**106.66**	**106.66**		**61.10**	**61.10**
	ii) **प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		442.83	442.83		332.12	332.12
	वर्ष के दौरान वर्धन		642.10	642.10		442.84	442.84
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		442.83	442.83		332.13	332.13
	अंतिम शेष		**642.10**	**642.10**		**442.83**	**442.83**
	iii) **प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		137.29	137.29		76.12	76.12
	वर्ष के दौरान वर्धन		212.22	212.22		137.29	137.29
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		113.21	113.21		66.07	66.07
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		24.08	24.08		10.05	10.05
	अंतिम शेष		**212.22**	**212.22**		**137.29**	**137.29**
	iv) **प्रावधान - अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		706.38	706.38		814.35	814.35
	वर्ष के दौरान वर्धन		245.01	245.01		205.61	205.61
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		130.50	130.50		189.07	189.07
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		33.14	33.14		124.51	124.51
	अंतिम शेष		**787.75**	**787.75**		**706.38**	**706.38**
	v) **टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		155.63	155.63		50.24	50.24
	वर्ष के दौरान वर्धन		132.01	132.01		143.02	143.02
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		2.12	2.12		37.63	37.63
	अंतिम शेष		**285.52**	**285.52**		**155.63**	**155.63**

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
vi)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		24.82	24.82		4.51	4.51
	वर्ष के दौरान वर्धन		66.37	66.37		34.53	34.53
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		28.10	28.10		13.45	13.45
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		13.74	13.74		0.77	0.77
	अंतिम शेष		**49.35**	**49.35**		**24.82**	**24.82**
vi)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29.16	161.37	190.53	29.25	170.75	200.00
	वर्ष के दौरान वर्धन	4.14	22.61	26.75	2.11	26.82	28.93
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.33	12.19	16.52	2.20	35.89	38.09
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	0.31	0.31
	अंतिम शेष	**28.97**	**171.79**	**200.76**	**29.16**	**161.37**	**190.53**
	कुल #	**417.48**	**2,464.03**	**2,881.51**	**900.14**	**1,837.73**	**2,737.87**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/भाग-III के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.1997 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.1997 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नही किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी-भाग-III के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के शेष के प्रति 31.22 करोड़ रूपए के व्यक्तिगत वेतन अग्रिम को समायोजित कर लिया गया है। तथापि,एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने की क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है।

इस प्रकार ''वेतन संशोधन हेतु प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत 01.02.2014 से 31.03.2016 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई 8.90 करोड़ रूपये (वर्तमान अवधि हेतु 5.07 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) की संचित राशि को तदनुरूपी 8.90 करोड़ रूपए की राशि के साथ ''अदा किए गए अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के दीर्घावधि प्रावधान में **0.48 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष 0.23 करोड़ रूपए) और अल्पावधि प्रावधान में 1.35 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.85 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 8 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	3.31	0.53
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	128.54	164.33
कुल #	**131.85**	**164.86**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 29 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों के पैरा 23 में दिया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के **शून्य करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष 0.87 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4) *		1,757.15		1,859.95
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		377.23		313.41
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) (देखे टिप्पणी सं. 6)		60.68		50.17
आदा न किया गया लाभांश		10.06		5.85
आदा न किया गया ब्याज		0.06		0.03
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		379.57		345.95
जमा/प्रतिधारण निधि (देखे टिप्पणी सं. 6)		94.63		100.76
जमा/एजेन्सी आधार कार्यों की खर्च न की गई राशि		-		0.04
सांविधिक देयताएं		342.00		270.64
अन्य देयताएं		89.98		134.82
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	232.92		232.92	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	232.92	-	229.47	3.45
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,477.08		4,456.42	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4,290.31		4,290.06	
घटाएं : परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(12.28)	199.05	(2.28)	168.64
कुल #		**3,310.41**		**3,253.71**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

* ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के **9.95 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष 5.37 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 के अनुसार	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
भूमि-फ्रीहोल्ड	273.46	35.50	0.72	(7.97)	300.27	-	-	-	-	300.27	273.46
भूमि-लीजहोल्ड	376.56	0.79	0.01	(3.00)	374.34	44.59	11.91	(0.15)	56.35	317.99	331.97
सड़कें और पुल	317.50	12.38	-	4.90	334.78	101.17	11.79	(3.37)	109.59	225.19	216.33
भवन	3,420.48	203.15	0.58	(8.02)	3,615.03	957.07	119.91	(3.74)	1,073.24	2,541.79	2,463.41
रेलवे साइडिंग्स	38.97	-	3.45	-	35.52	21.51	2.45	(1.96)	22.00	13.52	17.46
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	20,057.62	977.49	2.83	14.99	21,047.27	6,541.03	954.80	0.46	7,496.29	13,550.98	13,516.59
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,941.20	375.41	28.61	4.16	11,292.16	3,679.34	524.66	(9.15)	4,194.85	7,097.31	7,261.86
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	119.02	1.69	0.52	0.02	120.21	61.57	4.59	(0.17)	65.99	54.22	57.45
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	75.54	0.87	0.04	(0.22)	76.15	29.12	4.26	(0.22)	33.16	42.99	46.42
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	52.13	1.86	0.18	(0.11)	53.70	19.16	3.09	(0.18)	22.07	31.63	32.97
निर्माण उपकरण	114.22	8.03	3.49	0.12	118.88	74.17	5.83	(2.60)	77.40	41.48	40.05
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	47.08	3.50	0.06	(0.17)	50.35	10.68	2.44	(0.26)	12.86	37.49	36.40
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.97	0.05	0.06	(0.06)	4.90	1.56	0.26	0.02	1.84	3.06	3.41
वाहन	30.70	3.81	1.95	(0.20)	32.36	17.73	1.69	(1.82)	17.60	14.76	12.97
विमान / नौकाए	0.93	0.08	-	-	1.01	0.29	0.06	-	0.35	0.66	0.64
फर्नीचर और फिक्स्चर	58.66	4.22	0.99	(0.49)	61.40	30.02	3.01	(0.83)	32.20	29.20	28.64
कम्प्यूटर	66.66	8.54	3.89	(0.65)	70.66	50.86	6.41	(4.17)	53.10	17.56	15.80
संचार उपकरण	16.51	2.38	0.67	(0.16)	18.06	7.75	0.98	(0.35)	8.38	9.68	8.76
कार्यालय उपकरण	49.93	5.06	1.21	(0.76)	53.02	23.79	3.08	(1.16)	25.71	27.31	26.14
अनुसंधान और विकास उपकरण	2.54	-	-	-	2.54	0.78	0.16	-	0.94	1.60	1.76
अन्य परिसंपत्तियां	64.05	9.18	2.17	(0.47)	70.59	27.36	4.06	(1.01)	30.41	40.18	36.69
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.20	1.26	0.46	(0.39)	18.61	18.19	1.20	(0.80)	18.59	0.02	0.01
कुल #	**36,146.93**	**1,655.25**	**51.89**	**1.52**	**37,751.81**	**11,717.74**	**1,666.64**	**(31.46)**	**13,352.92**	**24,398.89**	**24,429.19**
गत वर्ष	36,122.31	389.94	108.44	(256.88)	36,146.93	10,089.31	1,644.01	(15.58)	11,717.74	24,429.19	26,033.00

निवल ब्लाक में संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के **10.36 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष 6.18 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी संख्या 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 के अनुसार	संवर्द्धन	कमी	समयोजन	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	4,387.39	62.93	-	(3.26)	4,447.06	902.44	134.15	(0.37)	1,036.22	3,410.84	3,484.95
अगोचर परिसंपत्तियां-कम्प्यूटर साफ्टवेयर	41.80	5.10	0.28	(0.03)	46.59	39.84	2.89	(0.31)	42.42	4.17	1.96
कुल	**4,429.19**	**68.03**	**0.28**	**(3.29)**	**4,493.65**	**942.28**	**137.04**	**(0.68)**	**1,078.64**	**3,415.01**	**3,486.91**
गत वर्ष	4,362.05	68.66	0.34	(1.18)	4,429.19	808.23	134.41	(0.36)	942.28	3,486.91	3,553.82

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 13.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.19 करोड़ रूपए) मूल्य की 155.69 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 103.04 हैक्टेयर) और 297.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 296.60 करोड़ रुपये) मूल्य की 766.20 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 851.78 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) लीजहोल्ड भूमि के अतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

3) गोचर परिसंपत्तियों में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6293.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6240.79 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

5) सेवा-।।, चमेरा-।।।, तीस्ता लो डैम-।।।, उड़ी और पार्बती-।।। पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रूपए में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रूपए में)
सड़के और पुल	0.15	(1.57)
भवन	1.77	(16.21)
जल वैज्ञानिक कार्य	16.72	(155.13)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	3.77	(42.91)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	0.02	(0.25)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	(0.05)
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	-	(0.03)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	0.01	(0.05)
कुल	**22.44**	**(216.20)**

टिप्पणी संख्या 11.1 : चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2015 को	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 को
सड़कें और पुल	89.44	16.23	(4.81)	10.42	90.44
भवन	1,041.51	126.85	30.11	132.89	1,065.58
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,915.70	686.96	(14.33)	565.35	6,022.98
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,960.13	682.37	(8.49)	204.80	3,429.21
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	14.10	6.31	(7.68)	0.17	12.56
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.38	2.29	(0.08)	0.45	2.14
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.48	1.59	(0.26)	1.07	0.74
निर्माण उपकरण	-	1.97	-	1.97	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.67	3.48	(0.04)	2.75	1.36
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	4.52	50.62	(0.66)	51.99	2.49
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	289.18	13.62	1.24	6.42	297.62
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	20.29	2.44	(1.61)	0.64	20.48
निर्माण के दौरान खर्च *	6,074.04	907.26	0.35	549.60	6,432.05
घटाएं : प्रावधानों के लिए	209.54	359.69	(31.27)	-	537.96
उप जोड़ (क)	**16,200.90**	**2,142.30**	**25.01**	**1,528.52**	**16,839.69**

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें

	01.04.2015 को		समायोजन		31.03.2016 को
निर्माण भंडार	178.11		(7.36)		170.75
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.47		(0.23)		1.24
उप जोड़ (ख)	176.64	-	(7.13)	-	169.51
जोड़ #	**16,377.54**	**2,142.30**	**17.88**	**1,528.52**	**17,009.20**
पिछले वर्ष	14,923.98	1,768.87	8.75	324.06	16,377.54

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 270.24 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 227.16 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 464.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 332.56 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) चालू पंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1071.12 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 941.18 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1027.60 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 897.66 करोड़ रूपये) के शेष में से 494.44 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 161.15 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 533.16 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 736.51 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4205.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3995.69 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को चालू पंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 11.2 : निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2015 को	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 के अनुसार
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	-	0.01	-	-	0.01
कुल	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
गत वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12 : गैर वर्तमान निवेश

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**व्यापार - उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	1,20,00,000	10	12.00
	उप जोड़ (क)			**12.00**			**12.00**
ख.	**गैर-व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	3,60,800	10	0.36
	(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश						
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	1,50,000	10000	150.77
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12,380	10000	12.26
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57,000	10000	52.94
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	10000	17.83	17,940	10000	17.83
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35,000	10000	34.62
	8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	10000	31.28	34,000	10000	31.28
	(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश#						
	7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	120	1000000	12.00
	8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027	100000	1000	10.61	1,00,000	1000	10.61
	8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉण्ड	473	100000	47.28	473	100000	47.28
	8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	688	1000000	69.63
	8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	30	1000000	2.99
	8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	-	-	-	120	1000000	12.09
	8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	-	-	-	150	1000000	15.13
	8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	-	-	-	80	1250000	10.00

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड्/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	-	-	-	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	-	-	-	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	-	-	-	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	-	-	-	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	-	-	-	230	1000000	23.05
उप-जोड़ (ख)			**369.95**			**751.34**
कुल			**381.95**			**763.34**
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-						
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			381.95			763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			468.59			876.61
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

टिप्पणी संख्या 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) **पूंजी अग्रिम**						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3.25	-	3.25	9.37		9.37
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	416.95	4.57	421.52	472.95		472.95
- अन्य	162.99	1.48	164.47	149.69		149.69
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	2.11	-	2.11	10.27		10.27
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.13	-	0.13	0.12		0.12
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	0.13	-	0.13	0.12		0.12

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ख)	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	31.08	92.15	123.23	54.71	90.40	145.11
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.50	-	0.50	0.50	0.01	0.51
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	16.84	18.37	35.21	-	36.88	36.88
	घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.50	-	0.50	0.50	0.01	0.51
ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	i) **कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	201.04	27.77	228.81	183.94	25.52	209.46
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	8.54	33.31	41.85	10.30	34.04	44.34
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.03	0.03	-	0.02	0.02
	ii) **संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.87	0.87		0.03	0.03
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	71.82	1.89	73.71	54.16	4.12	58.28
	- अन्य		26.83	26.83		16.86	16.86
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		45.52	45.52		45.85	45.85
	iii) **ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	12.68	12.68	12.68	25.36	38.04
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	iv) **अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	v) **अन्य अग्रिम**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.24	59.74	59.98	0.09	42.72	42.81
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान *3	-	45.55	45.55	-	45.87	45.87
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षारत व्यय हेतु प्रावधान		0.20	0.20		0.20	0.20
	vi) **अग्रिम आय कर तथा स्त्रोत पर कटौती किया गया कर**	1,450.50	-	1450.50	1,881.04	-	1,881.04
	घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान	1,340.61	-	1340.61	1,855.87	-	1,855.87
	निवल अग्रिम कर	109.89	-	109.89	25.17	-	25.17
	कुल #	**1,211.85**	**242.72**	**1,454.57**	**1,187.79**	**201.97**	**1,389.76**

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-	(करोड़ रूपए में)	(करोड़ रूपए में)
वर्ष के अंत में निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम	-	0.01

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के दीर्घावधि ऋण और अग्रिम में 21.84 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10.17 करोड़ रूपए) और अल्पावधि ऋण और अग्रिम में 0.54 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5.85 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

(करोड़ रूपए में)

	प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
	संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों हेतु प्रावधान 1*						
	प्रारंभिक शेष	0.12	-	0.12	2.30	-	2.30
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.01	-	0.01	0.11	-	0.11
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-	0.04	-	0.04
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-	-	2.25	-	2.25
	अंतिम शेष	0.13	-	0.13	0.12	-	0.12
	संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 2*						
	प्रारंभिक शेष	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	0.51
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.01	0.01	-	-	-
	अंतिम शेष	0.50	-	0.50	0.50	0.01	0.51
		-	-	-	-	-	-
	संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान 3*						
	प्रारंभिक शेष	-	45.87	45.87	-	45.99	45.99
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-	-	0.27	0.27
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.26	0.26	-	0.12	0.12
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.06	0.06	-	0.27	0.27
	अंतिम शेष	-	45.55	45.55	-	45.87	45.87

टिप्पणी संख्या 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क)	**दीर्घावधि देय व्यापार**		
	अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	64.56	335.94
ख)	**अन्य**		
	निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	253.76	214.22
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	570.53	421.29
	विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	137.74	160.30
	कुल	**1,026.59**	**1,131.75**

टिप्पणी संख्या 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - विनियमित परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्धन	समायोजन	परिशोधन/ क्षति	31 मार्च, 2016 को
	विनियमित परिसंपत्तियां					
i)	सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना	1,630.39	549.94	-	-	2180.33
	कुल	**1,630.39**	**549.94**	**-**	**-**	**2180.33**
	गत वर्ष	-	521.95	1108.44	-	1,630.39

टिप्पणी संख्या : 15 चालू निवेश

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
संयुक्त उद्यम कंपनियां (पूर्णतः प्रदत्त)						
- नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	-	-	-
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)			(1.06)			
(ख) बांड्स में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)						
राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड			-			256.44
कुल			**1.13**			**256.44**
अनुद्धृत निवेश						
संचयी लागत			2.19			256.44
मूल्य में कमी हेतु समेकित प्रावधान			(1.06)			-
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

विवरणात्मक टिप्पणी :-

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) परिसमापन के अधीन है। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्य में कमी के प्रति 1.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.06 करोड़ रूपए) के अद्यतन प्रावधान को किया गया है।

टिप्पणी संख्या 16 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	105.84		104.32	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.68	108.52	3.55	107.87
खुले औजार		1.94		1.97
रद्दी मालसूची		1.52		1.18
स्थल पर सामग्री		4.99		3.56
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.01		0.04
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		22.48		23.98
कुल		**94.50**		**90.64**

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	23.98	25.91
वर्ष के दौरान वर्धन	0.88	0.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.08	0.49
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.30	1.83
अंतिम शेष	**22.48**	**23.98**

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	444.39	1,066.11
- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.83	34.77
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,944.25	1,839.07
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.83	34.77
कुल	**2,388.64**	**2,905.18**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	34.77	34.77
वर्ष के दौरान वर्धन	0.27	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	-
अंतिम शेष	**34.83**	**34.77**

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	2.15	0.20
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	511.07	14.87
	बैंकों में शेष राशि		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में	701.11	169.40
	- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)	798.25	528.80
	• अन्य बैंकों के साथ (चालू खाते में)		
	- बैंक ऑफ भूटान	-	0.02
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ	5,274.19	5,944.73
	जमा खाता - अदा न किया लाभांश	10.06	5.85
	12 माह से अधिक परिपक्वता वाले जमा		
	- अन्य	147.06	277.15
	कुल	**7,443.89**	**6,941.02**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 13.30 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 48.80 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

1) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 251.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 268.05 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 2.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.24 करोड़ रूपए) शामिल है, जो ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भू-वंचितों द्वारा ''भूमि हेतु भूमि'' के प्रति जमा करवाए गए है जो 31.03.2016 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 9.90 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 9.01 करोड़ रूपए) शामिल है, जो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में रखे गए है जो 31.03.2016 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

4) सीएलटीडी के प्रति 0.50 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष कुल राशि का 49.75 प्रतिशत) की बैंक गारंटी 5 वर्ष की अवधि के लिए जे एण्ड के बैंक द्वारा जम्मू एवं कश्मीर वन विभाग के पक्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में किश्तवार जिले में कीरूएचईपी (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट - एक संयुक्त उद्यम कंपनी) मलबा निपटान स्थलों के पुनरूद्धार के लिए पर्यावरणीय रक्षोपाय तथा अभियांत्रिकी और जैवकीय उपायों के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई है।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
क)	**निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-**				
	उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण जमा राशियां	-		32.97	
	- स्व-बीमा	-		18.10	
	- जमा राशियां	256.76		264.64	
	अन्य				
	- अच्छे माने गए	42.28		21.34	
	- संदिग्ध माने गए	67.08		63.59	
	उप-जोड़	366.12		400.64	
	घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान *1	67.08	299.04	63.59	337.05
ख)	बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		967.73		768.91
ग)	संयुक्त उद्यमों से प्राप्तियां		139.39		140.67
घ)	लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		37.49		6.79
ङ)	प्राप्य दावे	910.52		968.72	
	घटाएं : संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2	200.96	709.56	262.11	706.61
च)	निपटान हेतु रखी गई अधिशेष / अप्रचलित परिसंपत्तियां		1.98		1.81
छ)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3	37.06	-	37.06	-
ज)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	37.90		34.56	
	घटाएं : लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान *4	37.90	-	34.56	-
झ)	अन्य		0.14		48.03
	कुल #		**2,155.33**		**2,009.87**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.99 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.26 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू व कश्मीर जल उपकर रु 269.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु 216.38 करोड) 2) एमईए बिक्री रु 12.56 करोड़ (पिछले वर्ष रु 4.71 करोड़) 3) कर समायोजन 168.44 करोड़ (पिछले वर्ष रु 110.70 करोड) 4) अन्य रु 517.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु 437.12 करोड)।

2) निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्यों से कम पर तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

(करोड़ रूपए में)

प्रावधानों का विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *1		
प्रारंभिक शेष	63.59	67.94
वर्ष के दौरान वर्धन	20.27	29.16
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	16.78	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	33.51
अंतिम शेष	**67.08**	**63.59**
संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *2		
प्रारंभिक शेष	262.11	329.07
वर्ष के दौरान वर्धन	15.79	35.75
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	76.85	28.03
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.09	74.68
अंतिम शेष	**200.96**	**262.11**
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *3		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
वर्ष के दौरान वर्धन	**37.06**	**37.06**
अंतिम शेष		
जांच लंबित होने/ बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत हेतु प्रावधान *4	34.56	11.35
प्रारंभिक शेष	6.29	27.26
वर्ष के दौरान वर्धन	2.55	2.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.40	2.00
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	**37.90**	**34.56**
अंतिम शेष		

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**बिक्री**				
	ऊर्जा की बिक्री		8,749.17		8,352.25
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	64.64		76.41	
	टैरिफ समायोजन	132.02		143.02	
	विनियमित बिक्री समायोजन	111.18		75.09	
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (ईएसी नोट सं. 28 को अंतरितं)	0.51	308.35	0.36	294.88
	उप जोड़		**8,440.82**		**8,057.37**
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**				
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)		103.28		93.44

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	3.76		8.87	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	30.32		38.51	
	उप जोड़		34.08		47.38
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ) #		**8,628.35**		**8,248.36**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। तथापि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है सिवाय बैरास्यूल, सलाल, चमेरा-1, टनकपुर, धौलीगंगा, रंगित और लोकतक पावर स्टेशन के जिनके लिए वर्ष 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश जारी किए गए है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को मान्यता देने के प्रयोजन हेतु इक्विटी पर प्रतिफल (टैरिफ का एक घटक) को वित्त वर्ष 2015-16 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया गया है।

2) बिक्री में वर्तमान वर्ष में घटकों के टैरिफ/संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उत्पन्न पहले के वर्ष की बिक्री के चलते बिल की गई बिक्री के 140.22 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष के 63.02 करोड़ रूपये की तुलना में) और बिल न की गई बिक्री 90.84 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष के 209.48 करोड़ रूपये की तुलना में) शामिल हैं।

3) बिक्री में सीईआरसी द्वारा अनुमेय के अनुसार पावर स्टेशनों के संबंध में "माने गए उत्पादन" के चलते 77.14 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 86.80 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

4) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 195.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 122.01 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 72.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 67.50 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए थे।

5) बिक्री में रु 853.34 करोड (पिछले वर्ष रु 853.34 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है। इसमें पहले के वर्षों के 90.84 करोड़ रूपए शामिल है।

6) दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु 132.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 143.03 करोड) का प्रावधान किया गया है।

7) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु 251.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु 193.77 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर-वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- लाभांश-अन्य	2.64	2.40
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	16.35	38.02
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश-अन्य	-	0.02
	- ब्याज (स्व बीमा निधि)	39.64	65.06
ख)	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	2.69	4.85
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	39.53	36.27
	- जमा खाता - अन्य	628.21	601.04
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	14.20	13.36
	- अन्य	54.44	74.32
	विलंब भुगतान अधिभार	24.07	7.84
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	89.99	-
	म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	13.19	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.43	1.11
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	46.19	112.33
	अन्य	52.95	40.37
	विनिमय दर अंतर	2.21	25.03
	कुल	**1,026.73**	**1,022.02**
	घटाएं : ईएसी को अंतरित आय	59.74	87.23
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	17.55	21.59
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #	**949.44**	**913.20**
	स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
	1) प्रावधान / देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	खराब तथा संदिग्ध ऋण/ अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.07	2.52
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.30	1.83
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.21	-
	खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	0.09	74.68
	लंबित जांच हानियों/पश्च लेखन की गई हानियों के लिए प्रावधान	0.40	2.00
	मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.11	0.12
	पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	7.00	13.46
	परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान	31.28	-
	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	0.31
	अन्य	6.73	17.41
	कुल	**46.19**	**112.33**

2) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.46 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 107.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं.30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.46 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 1.98 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए			31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**						
	जल उपयोग प्रभार			771.12			748.51
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**			39.59			33.41
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**			0.05			7.29
घ.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**						
	- भवन		65.07			56.55	
	- मशीनरी		58.64			40.74	
	- अन्य		157.76	281.47		111.79	209.08
ड.	**प्रशासनिक व्यय**						
	किराया और भाड़ा प्रभार		47.87			48.87	
	दरें और कर		15.27			2.67	
	ऊर्जा विकास उपकर		43.92			55.25	
	बीमा		138.98			100.84	
	स्व: बीमा निधि का उपयोग		-			5.65	
	सुरक्षा व्यय		195.91			170.26	
	विद्युत प्रभार		61.43			81.50	
	यात्रा एवं वाहन		25.88			28.97	
	वाहनों पर खर्च		8.70			9.82	
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		15.82			15.32	
	विज्ञापन एवं प्रचार		14.57			12.05	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.51			0.50	
	चंदा		-			0.02	
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		6.28			6.11	
	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.29			0.32	
	परामर्शी प्रभार - स्वदेशी		14.05			13.65	
	परामर्शी प्रभार - विदेशी		0.16			0.00	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		10.58			5.25	
	कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय		3.91			8.15	
	परिसंम्पत्तियों पर हानि		1.46			2.39	
	स्व बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)		14.25			12.39	
	पंचाट/अदालती मामलों/पर ब्याज		14.01			3.21	
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज		27.58			20.51	
	ग्राहकों को छूट		22.55			23.00	
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व		99.05*			55.31	
	अन्य सामान्य खर्च		87.03			88.83	
	विनिमय दर अंतर		4.92			5.16	
	लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)		2.07			2.36	
	निदेशक खर्च		0.13			0.25	
	विनियमित बिजली पर व्यय	13.75			7.59		
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	13.75	-	877.18	7.59	-	778.61
	उप जोड़			**1,969.41**			**1,776.90**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च.	**प्रावधान**				
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.53		-	
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-		0.37	
	खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान	28.64		66.18	
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.69		0.40	
	निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	359.69		51.15	
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	6.29		25.35	
	अन्य	0.11		-	
	उप जोड़		395.95		143.45
	जोड़		**2,365.36**		**1,920.35**
	घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि		101.02		117.14
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली		2.44		0.11
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #		**2,261.90**		**1,803.10**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 27.58 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 20.51 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
i)	**सांविधिक लेखा परीक्षक**				
	लेखा परीक्षक के रूप में				
	लेखा परीक्षा शुल्क	0.61		0.65	
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.19	0.80	0.19	0.84
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	0.02		0.01	
	अन्य मामले/ सेवाएं	0.40	0.42	0.69	0.70
	खर्चों की अदायगी		0.68		0.69
ii)	**लागत लेखा परीक्षक**				
	लेखा परीक्षा शुल्क		0.14		0.12
	खर्चों की अदायगी		0.03		0.01
			2.07		**2.36**

4) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 65.25 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 68.69 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं. 30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 66.25 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

* सीएसआर पर व्यय संबंधी आवश्यक प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी सं.29 के पैरा सं. 21 को देखे।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.09 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.17 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,255.86	1,238.83
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	195.24	202.06
कर्मचारी कल्याण व्यय	125.53	136.74
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.01	-
कुल #	1,576.64	1,577.63
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि	376.16	352.15
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.59	0.80
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,198.89**	**1,224.68**

स्पष्टीकरण टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 47.31 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 45.32 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
2) भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :		
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	90.95	78.68
(ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	119.08	111.28
	210.03	**189.96**

3) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 106.24 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV परियोजना सहित पिछले वर्ष 129.72 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं. 30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 106.24 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज -**				
	भारत सरकार ऋण	19.97		19.90	
	बॉण्ड	688.65		550.72	
	विदेशी मुद्रा ऋण	28.92		33.84	
	सावधि ऋण	810.99		970.72	
	उप जोड़		**1,548.53**		**1,575.18**
ख.	**अन्य ऋण लागत**				
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.34		0.35	
	प्रतिबद्धता शुल्क	0.05		0.14	
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	20.44		25.98	
	अन्य वित्त प्रभार	9.72		4.35	
	उप जोड़		**30.55**		**30.82**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**				
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	179.93		0.00	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(179.93)		-	
	उप जोड़		-		-
	कुल (क से ग)		**1,579.08**		**1,606.00**
	घटाएं : ईएसी को अंतरित वित्त लागत		465.77		333.22
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #		**1,113.31**		**1,272.78**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 395.26 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 460.97 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं. 30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 395.26 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. : 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1,803.68	1,778.42
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	(0.96)	(4.03)
घटाएं : ईएसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22.72	22.18
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	0.08	-
घटाएं : सहायता-अनुदान - आरक्षी को समायोजन (पश्चलेखित अनुदान) (देखें टिप्पणी सं.3)	37.22	36.93
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल #	**1,742.70**	**1,715.28**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना और से संबंधित 7.64 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 9.00 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं. 30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 7.64 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. : 26 पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
विद्युत की बिक्री			10.95		-
अन्य			114.19		71.17
	उप जोड़ (क)		125.14		71.17
व्यय					
वेतन तथा मजदूरी			(0.18)		14.71
मरम्मत तथा अनुरक्षण			4.75		(0.48)
मूल्यह्रास तथा परिशोधन			(1.89)		0.74
अन्य			86.58		(3.22)
	उप जोड़ (ख)		89.26		11.75
कुल पूर्वावधि व्यय (निवल) (ग) = (ख)-(क)			(35.88)		(59.42)
घटाएं - ईएसी को अंतरित पूर्वावधि मदें					
पूर्वावधि व्यय		83.67		(4.44)	
घटाएं : पूर्वावधि आय		81.83		0.01	
	उप जोड़ (घ)		1.84		(4.45)
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य					-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (ग-घ) #			**(37.72)**		**(54.97)**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.12 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि लेखा विवरण में कुल अग्रेनीत में सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये (टीएलडीपी-IV सहित पिछले वर्ष 4.32 करोड़ रूपये) शामिल हैं जिन्हें विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29 के पैरा सं. 30 में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियामक परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियामक क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 27 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		917.40		791.58
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		(22.97)		74.51
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	(27.94)		15.04	
घटाएं : वसूली योग्य	(138.77)		(114.67)	
घटाएं : विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	76.71	34.12	75.50	54.21
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल #		**928.55**		**920.30**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु सीईआरसी विनियम संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल के योग के माध्यम से लाभग्राहियों से कर की वसूली का प्रावधान करते हैं अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर। उत्पादक आय पर वर्ष हेतु प्रावधान की गई 76.71 करोड़ रूपए की राशि की विलंबित कर देयता को तदनुसार विलबित कर समायोजन के प्रति विलंबित कर देयता के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि यह भविष्य की अवधि में प्रभावी कर दर में समायोजित हो जाएगी और उक्त को विलंबित कर देयता से कटौती के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 0.66 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो चालू पूंजीगत कार्य का भाग होता है

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	151.57		134.74	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	24.75		21.92	
	स्टाफ कल्याण व्यय	10.42		10.68	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.01		0.00	
	उप जोड़		186.75		167.34
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	5.09		3.42	
	मशीनरी	0.05		0.06	
	अन्य	4.57		3.33	
	उप जोड़		9.71		6.81
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया	10.02		9.07	
	दरें और कर	0.11		0.10	
	बीमा	0.16		0.15	
	सुरक्षा व्यय	17.58		15.54	
	विद्युत प्रभार	3.71		4.73	
	यात्रा एवं वाहन	3.45		3.23	
	वाहनों पर व्यय	1.69		1.36	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.73		2.52	
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.60		0.39	
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	0.03		0.00	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.90		0.57	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	3.61		3.23	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार - विदेशी	0.16		0.00	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	9.92		4.59	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	2.69		6.26	
	अन्य सामान्य व्यय	9.09		7.42	
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	0.01		0.00	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	2.47		3.51	
	उप जोड़		68.93		62.67
घ.	**वित्त लागत**				
	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	बॉण्ड	230.53		100.33	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	234.40		232.24	
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.25		0.18	
	अन्य वित्त प्रभार	0.58		0.46	
	उप जोड़		465.76		333.21
ङ	**प्रावधान**	5.00		30.67	
	उप जोड़		5.00		30.67

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		18.04		17.61	
		उप जोड़		18.04		17.61
छ.	**पूर्वावधि मदें**					
	पूर्वावधि व्यय		76.03		0.34	
	घटाएं - पूर्व अवधि आय		81.83		0.01	
		उप जोड़		(5.80)		0.33
ज.	**निगमित कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**					
	अन्य आय		(6.98)		(5.88)	
	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		17.35		16.98	
	कर्मचारी लाभ व्यय		189.41		184.81	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4.68		4.57	
	वित्त लागत		0.01		0.01	
	प्रावधान		0.03		0.01	
	पूर्वावधि मदें (निवल)		7.64		(4.78)	
		उप जोड़		212.14		195.72
झ.	**घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां**					
क)	**विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व**		0.51		0.36	
ख)	**अन्य**					
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		32.42		40.76	
	विविध प्राप्तियां		15.10		2.17	
	विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)		0.90		2.87	
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		3.98		35.35	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.36		0.20	
		उप जोड़		53.27		81.71
		कुल (क+ख+ग+ घ+ड+च+छ+ज+ झ) #		**907.26**		**732.65**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के 31.50 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 11.69 करोड़ रूपए) का अंश शामिल है।

60 मेगावाट रंगित पावर स्टेशन (सिक्किम)- पावर हाउस

टिप्पणी संख्या - 29 : समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी''), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (जिन्हें सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा गया है) में इसके हित के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. (क) **लेखांकन के आधार :**

i) समेकन में अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों को कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि तक ही लिया जाता है।

ii) इन वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों ('भारतीय जीएएपी') के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है।

ख) समेकन के सिद्धान्त :

i) कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतः-समूह शेष, अंतः समूह कारोबार और प्राप्त न किए गए लाभ अथवा हानियों को हटाकर मिश्रित किया जाता है।

ii) समेकित वित्तीय विवरण जिसमें संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल होता है, जिसे लेखांकन तथा रिपोर्टिंग की अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है जिसके द्वारा कंपनी के किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय तथा व्यय में कंपनी के अंश को एक पृथक लाइन मद माना गया है।

iii) समेकित वित्तीय विवरणों को समान कारोबार तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है, सिवाय निम्नलिखित मदों के :

एनएचपीसी की नीति	संयुक्त उद्यम कंपनी की नीति	लाभप्रदता पर प्रभाव
नीति संख्या 5.1 वर्ष के दौरान मूर्त परिसंपत्तियों में वर्धन/से कटौती पर मूल्यह्रास को परिसंपत्ति के उपयोग/निपटान हेतु उपलब्ध होने की तिथि से / तक प्रो-राटा आधार पर प्रभारित किया जाता है।	**एनएचपीटीएल की नीति संख्या 7.1(ख)** वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में वर्धन/से कटौती पर मूल्यह्रास को परिसंपत्ति के उपयोग/निपटान हेतु उपलब्ध होने के माह से / तक प्रो-राटा आधार पर प्रभारित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एनएचपीटीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
नीति संख्या 5.2.1 तथा 5.2.3 कंपनी के प्रचालन यूनिटों की मूर्त परिसंपत्तियों, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी तथा कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों के, पर मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति को अपनाते हुए लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।	**एनएचपीटीएल की नीति संख्या 7.1(क)** परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल को अपनाते हुए सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एनएचपीटीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
नीति संख्या 11.2 50,000/- रूपये तथा उससे कम के पूर्व प्रदत्त व्यय और पूर्वावधि व्ययों/आय की मदों को लेखे के नैसर्गिक शीर्ष पर प्रभारित किया जाता है।	**एनएचपीटीएल की नीति संख्या 7.2(ख)** 500,000/- रूपये तथा उससे कम के पूर्व प्रदत्त व्यय और पूर्वावधि व्ययों/आय की मदों को लेखे के नैसर्गिक शीर्ष पर प्रभारित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एनएचपीटीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
	एनएचपीटीएल की नीति संख्या 7.2(क) व्यवहार्यता रिपोर्ट/तकनीकी आर्थिक स्वीकृतियों के अनुमोदन से पूर्व नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक व्ययों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एनएचपीटीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

एनएचपीसी की नीति	संयुक्त उद्यम कंपनी की नीति	लाभप्रदता पर प्रभाव
	एनएचपीटीएल की नीति संख्या 9 पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां जहां स्वामित्व के जोखिम तथा प्रतिफल के एक बड़े हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास बनाए रखा जाता है, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पटटा किराए को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एनएचपीटीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
	एनएचडीसी की नीति संख्या 17 मध्य प्रदेश सरकार से "सिंचाई और आर एण्ड आर घटक" के प्रति तथा गुजरात सरकार से "सरदार सरोवर घटक" के प्रति प्राप्त अंशदान जो पृथक परिसंपत्तियों के प्रति अंशदान से संबंधित नहीं हैं, उन्हें प्रारंभ में "सहायता अनुदान - आरक्षित" के रूप में लिया जाता है और बाद में ऐसे अंशदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान पश्च लिखित मूल्यह्रास के समान अनुपात में बाद में समायोजित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं।
	सीवीपीपीएल की नीति संख्या 2.3 ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जहां न तो भूमि और न ही परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी का होता है, उसे पूर्णता की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्य और बाद में स्थिर परिसंपत्तियों में एक भिन्न मद के रूप में दर्शाया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सीवीपीपीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
	सीवीपीपीएल की नीति संख्या 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय को संबंधित परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है और तत्पश्चात उस वर्ष से जिसमें संगत परिसंपत्तियां उपयोग हेतु उपलब्ध होती हैं।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सीवीपीपीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
	सीवीपीपीएल की नीति संख्या 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए फुटकर उपकरणो को पृथक मदों की कीमत 5,000/- रूपये अथवा कम होने पर उपभोग लेखे को प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में पश्च लेखित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सीवीपीपीएल ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

iv) समेकित अनुषंगी कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में अल्प संख्यक हित में अल्पसंख्यक शेयरधारकों को आरोप्य इक्विटी की राशि शामिल होती है।

v) एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 05.01.2013 को हुई अपनी 355वीं बैठक में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) से हटने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया था। 21 मार्च, 2014 को आयोजित प्रमोटरों के समूह (जीओपी) की बैठक में, जीओपी ने एनपीईएक्स के स्वैच्छिक समापन हेतु सिफारिश की थी और उक्त को 21 मार्च, 2014 को आयोजित एनपीईएक्स की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। कंपनी का समापन प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) के लेखाओं को वर्तमान वर्ष में समूह समेकन हेतु नहीं लिया गया गया है। उस सीमा तक पिछले वर्ष के आंकड़े तुलना योग्य नहीं हैं।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2016	31.03.2015
क. अनुषंगी कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08 प्रतिशत	51.08 प्रतिशत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.00 प्रतिशत	74.00 प्रतिशत
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99 प्रतिशत	99.99 प्रतिशत
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत	49.98 प्रतिशत	49.98 प्रतिशत
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	भारत	21.64 प्रतिशत	21.64 प्रतिशत

4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नही किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते समूह के प्रति कुल 9456.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 9293.29 करोड़ रूपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का संबंधित कंपनियों द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नही हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/संबंधित कंपनियों में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति 2343.21 करोड रूपये (पिछले वर्ष 1626.57 करोड़ रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर 537.66 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 429.61 करोड़ रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और 8734.64 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8486.24 करोड़ रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानि आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु 313.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1230.63 करोड़ रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 47.44 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 44.32 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 266.36 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1186.31 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्यता नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि 327.76 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 308.00 करोड़ रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 25.42 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.40 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात 302.34 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 282.31 करोड़ रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों के संबंध में दावे 587.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 658.82 करोड़ रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 34.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 28.94 करोड़ रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति 550.67 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 628.10 करोड़ रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को दावे	31.03.2016 को दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	31.03.2015 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
1.	पूंजीगत कार्य	9456.15	537.66	8734.64	8486.24	248.40
2.	भूमि मुआवजा	313.80	47.44	266.36	1186.31	(919.95)
3.	विवादित कर मामले	327.76	25.42	302.34	282.31	20.03
4.	अन्य	587.18	34.62	550.67	628.10	(77.43)
	कुल	**10684.89**	**645.14**	**9854.01**	**10582.96**	**(728.95)**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को 183.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 240.85 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 64.19 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 53.66 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

5. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 2958.73 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 3798.79 करोड़ रुपये) है।

6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 74.95 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 42.71 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

7. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों/व्यवहारों को जोड़ा/संशोधित किया गया है -

(करोड़ रूपए में)

लेखांकन नीति संख्या	लेखांकन नीति/व्यवहार	लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभाव
2.1.3	पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर मूर्त परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय के पूंजीकरण संबंधी नई लेखांकन नीति को लागू किया जाना।	शून्य
2.1.4	भूमि की लागत (मूल्यह्रास का निवल) के प्रति न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए भूमि के वृद्धित मुआवजे संबंधी ब्याज राशि के संबंध में लेखांकन नीति में संशोधन।	3.72
5.2.2 (ii)	प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त पुरानी तथा प्रयुक्त मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास संबंधी नई लेखांकन नीति को लागू किया जाना।	शून्य

उक्त के अतिरिक्त, बेहतर प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु कुछ अन्य लेखांकन नीतियों के नामों को परिवर्तित किया गया है/उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

8. निर्माण संविदाओं के संबंध में लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	226.95	409.32
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	200.56	411.55
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य	शून्य

9. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	1.14	(20.50)
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	179.93	-
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	1.57	0.63
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	1.28
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	22.44	216.20

* तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

10. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

11. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

1. निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धरित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि निर्माण के व्यय आरोप्य खाते में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे। प्रतिफल की न्यूनतम दर की सीमा तक निधि को एक निश्चित लाभ योजना माना जाता है। बीमांकक की रिपोर्ट के अनुसार समग्र ब्याज आय तथा संचित अधिशेष सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक होता है। अतः किसी और प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा जाता है। योजनागत परिसंपत्तियों तथा बाध्यताओं के उचित मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में बाध्यताएं	2255.52	2147.89
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2284.92	2186.6

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की

दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

उक्त योजनाएं वित्त-पोषित है।

2. निर्धारित लाभ योजनाएं

क. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ख. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।

ग. छुट्टी

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

ङ. अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त क तथा ख में वर्णित योजनाएं वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2016 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट दर	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.00 प्रतिशत	6.00 प्रतिशत
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर-वित्तपोषित
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.98 {631.08}	518.61 {450.05}	415.14 {409.28}
ब्याज लागत	50.08 {53.65}	41.49 {38.26}	33.21 {34.78}
वर्तमान सेवा लागत	25.89 {26.29}	12.38 {10.37}	20.60 {19.34}
अदा किया गया लाभ	(64.43) {(73.49)}	(13.78) {(8.59)}	(69.04) {(75.69)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(37.29) {(11.55)}	37.50 {28.52}	33.19 {27.43}
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	600.23 {625.98}	596.20 {518.61}	433.10 {415.14}

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान (वित्त-पोषित)	आरईएचएस
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	 {643.79}	- {-}
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	52.41 {51.61}	- {-}
अंशदान	7.04 {1.88}	555.66 {-}
निधि से निकासी	(67.92) {(50.09)}	(5.56) {-}
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	2.50 {6.93}	33.62 {-}
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	648.15 {654.12}	583.72 {-}

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर वित्त-पोषित
वर्ष के शुरूमें दायित्व का वर्तमान मूल्य	600.22 {625.98}	596.20 {518.60}	433.11 {415.14}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	648.15 {654.12}	583.72 {-}	- {-}
निधिक स्थिति	47.93 {28.14}	(12.48) {(518.60)}	(433.11) {(415.14)}
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/ परिसंपत्ति (-)	(47.93) {(28.14)}	12.48 {518.60}	433.11 {415.14}

तालिका-5 : लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में ली गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश नकदीकरण
	वित्त-पोषित		गैर वित्त-पोषित
वर्तमान सेवा लागत	25.89 {26.29}	12.38 {10.37}	20.60 {19.34}
ब्याज लागत	50.08 {53.65}	41.49 {38.26}	33.21 {34.78}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(52.41) {(51.61)}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.79) {(18.48)}	3.88 {28.52}	33.18 {27.37}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईएसी में मान्यताप्राप्त व्यय	(16.23) {9.85}	57.75 {77.15}	86.99 {81.49}

नोट : { } पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

अन्य प्रकटीकरण :

(करोड़ रूपए में)

उपदान	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	600.22	625.98	631.08	611.06	573.04
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	648.15	654.12	643.79	623.22	-
अधिशेष/(कमी)	47.93	28.14	12.71	12.16	(573.04)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	37.07	11.56	5.76	5.41	(61.50)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	2.50	6.93	6.82	37.10	-

(करोड़ रूपए में)

छुट्टी	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	433.10	415.15	409.28	366.88	390.67
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(31.34)	(25.13)	(49.34)	(37.02)	(70.55)

(करोड़ रूपए में)

आरईएचएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	596.20	518.61	450.05	386.06	327.41
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	583.72	-	-	-	-
अधिशेष/(कमी)	(12.48)	(518.61)	(450.05)	(386.06)	(327.41)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(36.8)	(35.39)	(21.63)	(13.24)	(16.61)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	33.62	-	-	-	-

आरईएचएस की चिकित्सा लागत में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्नवत होगा :

(करोड़ रूपए में)

	से वृद्धि	से कमी
सेवा एवं ब्याज लागत	9.91	6.31
पीबीओ पर प्रभाव	95.90	64.62

31.03.2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते तथा स्मृति चिन्ह के चलते देयताएं क्रमशः 5.38 करोड़ रूपये और 2.58 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 5.32 करोड़ रूपये तथा 2.77 करोड़ रूपये) हैं।

12. कंपनी छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि के प्रति समान राशि का अंशदान दिया करती थी। तथापि, मई, 2008 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सप्रेषित किए गए निर्णय के अनुसार छुट्टी नकदीकरण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आधारभूत वेतन का हिस्सा नहीं है। तदनुसार, अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2012 की अवधि के दौरान छुट्टी नकदीकरण पर कर्मचारी भविष्य निधि के समान अंशदान के चलते कर्मचारियों को अदा की गई 15.12 करोड़ रूपये की राशि कर्मचारियों से वसूल की जानी है। अतः बोर्ड का इस राशि की वसूली न करने के निर्णय से विद्युत मंत्रालय सहमत नहीं हुआ था। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि इस राशि में से 7.87 करोड़ रूपये वसूली योग्य हैं और 1 जनवरी, 2016 को कंपनी की पंजी पर न होने वाले कर्मचारियों से संबंधित 7.25 करोड़ रूपये की शेष राशि वसूली योग्य नही है।

13. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी परिसमापन के अधीन है)।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1-	श्री आर.एस.टी.साई	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी। 08.06.2014 से 23.09.2015 तक कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
2-	श्री के.एम.सिंह	23.09.2015 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक।
3-	श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी) 31.03.2016 को सेवानिवृत्त।
4-	श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक) 25.05.2015 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
5-	श्री जयंत कुमार	निदेशक (वित्त) 26.05.2015 से।
6-	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं) 06.01.2016 से।
7-	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी) 01.04.2016 से।
8-	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव।

वर्तमान वर्ष हेतु प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (उपर्युक्त क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त) का पारिश्रमिक 1.94 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2.21 करोड़ रूपये) है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

14. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2688.26	2491.36
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1107,06,68,496	1107,06,68,496
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	2.43	2.25
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

15. (क) ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' संबंधी लेखांकन मानक -27 की अपेक्षताओं के अनुपालन में प्रकटीकरण :

(i) संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2016	31.03.2015
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	21.64%	21.64%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (समापन के अधीन)	16.67%	16.67%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49.98%	49.98%

(ii) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2016	31.03.2015
क.	परिसंपत्तियां	318.70	303.21
ख.	देयताएं	187.44	179.91
ग.	आकस्मिक देयताएं	1.50	0.67
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	16.64	28.53
ङ.	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.01	0.45

(करोड़ रूपए में)

		वर्ष 2015-16 हेतु	वर्ष 2014-15 हेतु
क.	आय	1.98	0.09
ख.	व्यय	0.09	1.32

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

समूह में शामिल निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
मूल कंपनी				
एनएचपीसी	82.95	29512.19	86.32	2309.49
अनुषंगी कंपनियां				
एनएचडीसी	7.30	2596.98	22.21	594.35
बीएसयूएल	0.00	(0.08)	0.00	(0.01)
एलडीएचसीएल	0.02	8.75	0.07	1.94
सभी अनुषंगी कंपनियों में अल्प संख्यक हित	9.70	3451.23	(8.65)	(231.33)
संयुक्त उद्यम				
(इक्विटी पद्धति के अनुसार अनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
एनएचपीटीएल	(0.01)	(2.04)	0.00	0.00
सीवीपीपीएल	0.04	12.45	0.05	1.23
कुल	**100.00**	**35579.48**	**100.00**	**2675.67**

16. अप्रैल, 2016 माह में भारत सरकार ने बिक्री के प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से अपने 125,76,27,941 शेयरों की बिक्री द्वारा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 11.36 प्रतिशत का विनिवेश किया था। ओएफएस के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी का 74.60 प्रतिशत होती है और शेष 25.40 प्रतिशत सार्वजनिक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है।

17. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्व-बीमा निधि को बनाए रखने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्व-बीमा निधि में दर्शाई गई 835.94 करोड़ रूपये की शेष राशि का सामान्य आरक्षित के साथ विलय कर दिया है और स्व-बीमा निधि के प्रति विद्यमान निवेशों को कम्पनी के अन्य निवेशों के समान पूल के साथ मिलाया गया है।

18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 30.03.2016 को संशोधित एएस-10 ''संपत्ति संयंत्र और उपकरण'' को अधिसूचित किया है जो उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों पर लागू होगा। संशोधित एएस-10 का पैरा 9 मापन की इकाई एप्रोच को अनुमेय बनाता है जो कंपनी के नियंत्रण के अधीन न होने वाली सुविधाएं परन्तु जिनका निर्माण मूलतः परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक था, के निर्माण पर किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के पूंजीकरण की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, संशोधित एएस-10 में संक्रमणकालीन प्रावधान पहले लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित लागतों के

पश्चगामी पूंजीकरण की अनुमति देता है परन्तु यह पैराग्राफ 9 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निर्माण हेतु किसी परियोजना की लागत के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र है। मापन की इकाई एप्रोच आईएनडी एएस-16 "संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" के पैरा 9 में भी विद्यमान है। यह प्रगतिधीन चालू पूंजीगत कार्य संबंधी लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 को भी सुदृढ़ करती है। यदि इस नीति को अपनाया नहीं जाता बल्कि 1.4.2016 से लागू किया जाता तो संक्रमणकालीन प्रावधान संबंधी संशोधित एएस-10 का पैरा 88 स्वतः ही ऐसे व्यय के पूंजीकरण का ध्यान रखता। इस प्रकार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 और समर्थकारी परिसंपत्तियों के परिणामी लेखांकन उपचार को वित्त वर्ष 2014-15 के समान ही जारी रखा गया है। तदनुसार, 176.21 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 173.61 करोड़ रूपये) की राशि को अचल परिसंपत्तियों में मूर्त परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।

19. प्रबंधन समूह का यह मत है कि 31 मार्च, 2016 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	**31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	4.33	8.78
	ii) कलपुजे	-	-
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) तकनीकी ज्ञान	-	-
	ii) ब्याज	28.92	33.84
	iii) अन्य विविध मामले	140.76	154.39
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	0.63(1.62%)	-
	ii) देशीय	38.96(98.38%)	33.41(100%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	2.62	-

* प्रोदभवन आधार।

21. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (देखें टिप्पणी संख्या 22)

1) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**सीएसआर व्ययों में शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष**	**राशि**
1	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	5.19
2	शिक्षा और कौशल विकास	5.83
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.01
4	पर्यावरण	0.57
5	कला और संस्कृति	0.25
6	भूतपूर्व सैनिक	0.00
7	खेलकूद	0.07
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00
9	प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान	0.00
10	ग्रामीण विकास	4.80
11	क्षमता निर्माण	0.03
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	82.30
	कुल राशि	**99.05**

(ii) अन्य प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सीएसआर कार्यों के प्रति व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित राशि 63.58 करोड़ रूपये है। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु 165.17 करोड़ रूपये के कुल बजट को आवंटित किया था जिसमें 128.50 करोड़ रूपये (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षो के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक) और 36.67 करोड़ रूपये वित्त वर्ष 2014-15 तक व्यय न की गई राशि में से शामिल है। तथापि, सीएसआर एवं एसडी संबंधी निदेशकों की समिति ने विभिन्न सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों हेतु केवल 140.00 करोड़ रूपये ही आवंटित किए हैं और शेष 25.17 करोड़ रूपये की सिफारिश सीएसआर हेतु बजट में कमी के लिए की गई है। 17.26 करोड़ रूपये की राशि को गैर-व्यपगत पूल में लिया गया है और 48.85 करोड़ रूपए की शेष राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि सांविधिक आवश्यकता से अधिक आवंटन किया गया है।

ख) 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान 'नकदी में किए गए' और 'अभी नकदी में अदा किए जाने वाले' व्यय के ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

		नकद में (क)	नकदी में अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / खरीद	89.01	4.21	93.22
(ii)	उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	4.95	0.88	5.83
	कुल	**93.96**	**5.09**	**99.05**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार 99.05 करोड़ रूपये के कुल व्यय में से 5.09 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

22. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	2600
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रूपए में)	शून्य
4.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	शून्य

23. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में बदलाव करने वाली दिनांक 04.09.2015 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित प्रकटीकरण निम्नवत है (देखें टिप्पणी संख्या 8) :

(करोड़ रूपए में)

(1)	तुलन-पत्र तिथि को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष रहने वाली मूल राशि तथा उस पर तत्संबंधी शेष ब्याज - - मूलधन राशि - ब्याज	 3.31 0.20*
(2)	क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुरूप अदा किए गए ब्याज की राशि और साथ में वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस से परे आपूर्तिकार को किए गए भुगतान की राशि।	-
(3)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष हेतु देय तथा अदा की जाने वाली ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के पश्चात भुगतान किया गया है) परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतगत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-
(4)	तुलन-पत्र तिथि को प्रोदभूत तथा भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि	0.20*
(5)	आगे के वर्षो में भी देय तथा चुकौती योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उक्त ब्याज देयों का भुगतान वास्तव में किसी छोटे उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत किसी कटौती योग्य व्यय को अनुमेय न करने के प्रयोजन हेतु वास्तव में नहीं कर दिया जाता।	-

* लेखा बहियों में लेखांकित न किया गया ब्याज।

24. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) कंपनी की नीति के अनुसार 31.12.2015 को प्रत्येक मामले में 5 लाख से अधिक बकाया शेष वाले पक्षों को पुष्टि हेतु पत्र भेजे गए थे। तदनुसार, 31.12.2015 को वर्तमान देयताओं सहित प्राप्य तथा देय व्यापार के संबंध में 3927.23 करोड़ रूपये तथा 3640.01 करोड़ रूपये की कुल बकाया राशि में से क्रमशः 3331.05 करोड़ रूपये तथा 139.78 करोड़ रूपये की पुष्टि हुई थी जबकि शेष राशि अपुष्ट रही थी। इसके अतिरिक्त, 31.03.2016 को अन्य वर्तमान देयताओं सहित प्राप्य तथा देय व्यापार क्रमशः 2389.60 करोड़ रूपये और 3425.79 करोड़ रूपये के हैं।

ग) प्रबंधन के मतानुसार अन्य वर्तमान देयताओं सहित इन प्राप्य तथा देय व्यापारों का मिलान वर्ष के दौरान आवधिक रूप से किया जाता है और अपुष्ट शेष का कोई भौतिक प्रभाव नही होगा।

25. चूटक पावर स्टेशन, जो पावर हाउस में टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पानी के एकाएक बढ जाने के कारण 28.06.2015 से बन्द था, उसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	7.93	0.00	2.00	5.93
व्यापार बाधा हानि	19.87	0.00	0.00	19.87
कुल	**27.80**	**0.00**	**2.00**	**25.80**

26. धौलीगंगा पावर स्टेशन, जो 17.06.2013 को बादल फटने तथा भारी बाढ़ के कारण बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	227.91	90.00	2.00	135.91
सीपीएम क्षति	0.54	0.10	0.01	0.43
व्यापार बाधा हानि	344.71	190.00		154.71
कुल	**573.16**	**280.10**	**2.01**	**291.05**

27. उड़ी-II पावर स्टेशन, जहां 20.11.2014 को दुर्घटनावश आग लगी जो उत्पादन को बंद किए जाने में परिणत हुआ, उसे जून, जुलाई तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान पुनः चालू कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य) खंड तक)	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	66.39	30.00	3.16	33.23
व्यापार बाधा हानि	242.28	-	-	242.28
कुल	**308.67**	**30.00**	**3.16**	**275.51**

28. टनकपुर पावर स्टेशन, 17 तथा 18 जून, 2013 को बाढ़ के कारण 16.06.2013 से 21.06.2013 तक और 11.01.2014 से 26.03.2014 तक बाढ़ के चलते प्रभावी रूप से पुनरूद्धार कार्य को करने के लिए बन्द रहा था। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई है। बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का ब्यौरा	दर्ज अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (आधिक्य खंड तक)	इस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष
भौतिक क्षति के प्रति	17.62	1.50	2.00	6.13	7.99
व्यापार बाधा हानि	8.74*	0.00	0.00	0.00	8.74
कुल	**26.36**	**1.50**	**2.00**	**6.13**	**16.73**

* प्रत्येक अवधि हेतु 14 दिवस के लिए 6.06 करोड़ रूपये की कटौती योग्य राशि शामिल नहीं है।

29. जल विद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसे नःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

30. (क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 1577.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष की 1182.36 करोड़ रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और 602.71 करोड़ रूपये (448.03 करोड़ रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभरित किया गया है।

तथापि, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया है जो "नियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "नियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

(ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी परामर्शी नोट" के अनुसार दर विनियमित परिसंपत्तियों के सृजन तथा दर विनियमित आय की मान्यता से संबंधित प्रकटीकरण :

कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निंबधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः कंपनी पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता। निर्माण पूरा होने के पश्चात परिणामी लागत मूल्यह्रास या परिशोधन तथा दर निर्धारण हेतु वसूल न किए गए निवेश का आधार होती। निकाय द्वारा ऐसी लागतों के मामले में किसी नियामक परिसंपत्ति को मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वह भविष्य के टैरिफों के माध्यम से ग्राहकों (लाभग्राहियों) से वसूली योग्य है।

उक्त, पैरा 30(क) में बताए गए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना जहां सक्रिय निर्माण 16.12.2011 से बाधित है, पर व्यय की गई 1577.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष तक 1182.36 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और 602.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष तक 448.03 करोड़ रूपये) की प्रशासन और अन्य लागत, को लेखांकन मानक 10, स्थिर परिसंपत्ति हेतु लेखाकन और लेखांकन मानक 16, ऋण लागत को कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा अधिसूचित किए अनुसार प्रावधान के अनुपालन हेतु लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। तथापि, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत ऐसे व्यय को भविष्य के टैरिफ के माध्यम से वसूल किए जाने की अनुमति है ।

उक्त के अनुपालन में कम्पनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और वित्त वर्ष 2015-16 तक तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता दी है, जो उक्त मार्गदर्शी नोट के अनुसार निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित नियामक परिसंपत्ति	वित्त वर्ष 2014-15 तक	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु	कुल
ऋण लागत	1182.36	395.26	1577.62
प्रशासनिक और अन्य लागते	448.03	154.68	602.71
कुल	**1630.39**	**549.94**	**2180.33**

31. कोटली भेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में अधिनिर्णय लम्बित होने के चलते 31.03.2016 तक किया गया 194.57 करोड़ रूपये की राशि के व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, एक पर्याप्त सावधानी के तौर पर लेखा बहियों में वर्ष के दौरान 153.24 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जो 31 मार्च, 2015 तक प्रावधान किए गए 41.33 करोड़ रूपये के अतिरिक्त है।

32. कोटली भेल 1बी तथा 2 की भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल के पास 31.05 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि जमा करवा दी गई है। परियोजनाओं द्वारा भूमि का अधिग्रहण लम्बित होने के चलते भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय और ग्रामवासियों को किए गए आंशिक भुगतान को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना जारी है।

33. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय समर्थन पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय के लिए वित्त-पोषण मुहैया करवाने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय से निधियां उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क किया गया था। 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय में आयोजित बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना का अन्वेषण कार्य जारी है और उस पर किए गए 205.87 करोड़ रूपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है। तथापि, एक पर्याप्त सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान परियोजना की जाँच के संबंध में 205.87 करोड़ रूपये की राशि के व्यय हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.10.2015 के निर्णय और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 02.11.2015 परियोजनाएं के पत्र के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि धौलीगंगा इंटरमीडिएट और गौरीगंगा चरण-III ए परियोजनाएं प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है क्योंकि दोनों शारदा बेसिन में आती हैं। तदनुसार, 31.03.2015 तक बुक की गई 31.28 करोड़ रूपये की राशि के परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान को 31.03.2016 को समाप्त वर्तमान वर्ष के दौरान वापिस कर दिया गया है क्योंकि अब इसकी तर्कसंगत निश्चितता है कि इन परियोजनाओं को निर्माण हेतु लिया जाएगा।

35. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.04.2015 के पत्र संख्या फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन को "सिद्धांततः " अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2015 के पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई 189.38 करोड़ रूपए की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया जा रहा है।

36. सियांग मिडिल विद्युत परियोजना की बिक्री हेतु प्राप्त अधिक बिक्री मूल्य के कारण देयता की पुनः जाँच की गई है और प्रबंधन अनुमान के अनुसार 31 मार्च, 2016 को कोई देयता नहीं बनती है। अतः प्रावधान की गई ब्याज सहित ऐसी देयता को मार्च, 2016 में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

37. दिनांक 05.02.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 356वीं बैठक के बोर्ड संकल्प संख्या 6(2) के अनुसार 31.03.2016 तक 2.49 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान राज्य वन विभाग को तवांग 1 तथा 2 परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं के लिए बेसिन अध्ययन के प्रति किया गया है जो भविष्य में अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा यथानुपात (प्रो-राटा) आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य है। प्रबंधन के मतानुसार ऐसी वसूली के मौके कम है और अतः ऐसे व्यय को चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित किया गया है।

38. वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास के गठन के परिणामस्वरूप 381.39 करोड़ रूपए बही मूल्य के दीर्घावधि निवेशों को 390.43 करोड़ रूपये के बाजार मूल्य पर न्यास को कम्पनी की बहियों में सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना निधि को अंतरित किया गया है।

39. सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन लाभग्राही द्वारा भुगतान में 60 दिवस से अधिक के विलंब के मामले में उत्पादक कम्पनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करते हैं। 31.03.2016 को अधिभार के चलते 762.39 करोड़ रूपए की राशि देय है जिसमें से 18.67 करोड़ रूपये को प्रबंधन आकलन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान की गई है। अंतिम एकत्रीकरण के प्रति गम्भीर अनिश्चितताओं के कारण 743.72 करोड़ रूपए की शेष राशि को मान्यता नहीं दी गई है और यह कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति के अनुरूप है।

40. अप्रैल, 2016 के दौरान निदेशक मंडल ने कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड में 380 करोड़ रूपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को अनुमोदित किया है ।

41. वर्ष के दौरान कंपनी ने वर्ष 2015-16 हेतु 10/- प्रत्येक के मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर 0.92 रूपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश (पिछले वर्ष 0.40 रूपए) का भुगतान किया है।

42. पिछले वर्ष हेतु प्रारंभिक शेष/तदनुरूपी आंकड़ों को जहाँ-कही आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**जयंत कुमार**	**के.एम.सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 03010235	डीआईएन 02223301

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 000050एन	एफआर सं. 001728एन	एफआर सं. 301072ई
(सुरेश सेठ)	**(आर. के. गुप्ता)**	**(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-010577	सदस्यता सं.-085074	सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु
फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा(3) के परंतुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)

अनुषंगी कपनियों/एसोसिएटस कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" - अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रूपये में राशि में प्रस्तुत की जाए)

1.	क्रम सं.	1.	2.	3.
2.	**अनुषंगी कंपनी का नाम**	**एनएचडीसी लिमिटेड**	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड**	**बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड**
3.	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
4.	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया
5.	शेयर पूंजी	19,62,58,00,000	117,69,23,090	1,00,00,000
6.	आरक्षित तथा अधिशेष	46,56,65,44,496	17,64,16,283	(737,910)
7.	कुल परिसंपत्तियां	76,85,38,53,767	138,41,46,613	12,38,03,779
8.	कुल देयताएं	10,66,15,09,271	3,08,07,240	11,45,41,689
9.	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	टर्न-ओवर	11,43,69,97,047	शून्य	शून्य
11.	कराधान से पूर्व लाभ	8,00,38,53,238	2,90,04,466	0
12.	कराधान हेतु प्रावधान	1,70,38,34,876	95,89,747	72,126
13.	कराधान पश्चात लाभ	6,30,00,18,362	1,94,14,719	-72,126
14.	प्रस्तावित निवेश	4,00,36,63,200	शून्य	शून्य
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08 प्रतिशत	74.00 प्रतिशत	99.99 प्रतिशत

टिप्पणी : निम्नलिखित सूचना को विवरण के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा

1.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और 2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया	**कोई नहीं**

भाग "ख " - एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

(राशि रूपये में)

	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
1-	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016
2-	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर		31 मार्च	31 मार्च
	संख्या	10,00,00,000	2,39,00,000	21,88,325
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि	100,00,00,000	23,90,00,000	2,18,83,250
	धारितता प्रतिशत का विस्तार	49.98	21.64	16.67
3.	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4.	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	शून्य	शून्य	चूंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य निवल मूल्य	1,07,84,78,490	23,40,31,991	1,20,27,679
6.	वर्ष हेतु लाभ/हानि	2,46,92,670	शून्य	35,54,653
	(1) समेकन में ली गई	1,23,40,166	शून्य	शून्य
	(2) समेकन में न ली गई	1,23,52,504	शून्य	35,54,653

1.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	सभी
2.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बिक्री की गई है	नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड समापन की प्रक्रिया में है

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

जयंत कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 03010235

के.एम.सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 000050एन

(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं.-010577

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 001728एन

(आर. के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-085074

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.-056359

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2016

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड, श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक), श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त), श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी), श्री वेद प्रकाश, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं श्री ए.के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण और विविधता प्रबंधन) 8 जून 2016 को एनएचपीसी की पर्यावरण नीति के विमोचन के दौरान।

श्री के.एम. सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फ़रीदाबाद में 22 अप्रैल 2016 को आयोजित कार्यक्रम में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के अवसर पर।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) के सदस्य

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट:

हमने एनएचडीसी लि. (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण कर लिया है जिसमें दिनांक 31.03.2016 का तुलनपत्र, 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

जहां तक इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का सवाल है, कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134 (5) के तहत इन्हें तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और ये अधिनियम के अनुच्छेद 133 के साथ पठित कंपनियां (लेखा) नियमावली 2014, के नियम 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह के बारे में सही और स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण, गबन और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा इनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर उनपर अमल करना और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाना भी शामिल है जो युक्तिसंगत व दूर दर्शितापूर्ण हों। इनके अलावा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन पर अमल करना तथा उनका अनुरक्षण करना जो लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कारगर तरीके से अमल में लाए जा रहे हों; जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों तथा जिनसे कंपनी की सत्य एवं निष्पक्ष छवि सामने आए और जिसमें गलती या घोखाधड़ी से कोई बड़ा गलत कथन न किया गया हो।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानदंडों तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए जरूरी मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने लेखापरीक्षण का अपना कार्य अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुसार किया। इन मानदंडों के तहत जरूरी था कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षण का कार्य इस तरह से नियोजित व संचालित करें जिससे वित्तीय विवरणों में किसी बड़े गलत कथन से मुक्त होने का पर्याप्त आश्वासन रहे।

लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और घोषणाओं के बारे में ऑडिट प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया का नाम है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण के किसी महत्तवपूर्ण गलत कथन में त्रुटि या हेराफेरी की आशंका का आकलन भी शामिल है। जोखिम संबंधी इन आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक, कंपनी के बनाये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों के अनुरूप तो हों, मगर इनके आधार पर यह राय कायम नहीं की जा सकती कि वित्तीय रिपोर्टिंग और संचालन के लिए कंपनी की अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कितनी पर्याप्त है और इस तरह के नियंत्रण कितने प्रभावी हैं। लेखापरीक्षा के कार्य में कंपनी द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों के बारे में कंपनी निदेशकों के अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा मानना है कि हमने लेखांकन संबंधी जो प्रमाण प्राप्त किये हैं वे वित्तीय विवरणों के बारे में लेखा परीक्षण संबंधी दृष्टिकोण का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हमारी राय

हमारी राय में हमारी समस्त जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण ऐसी तमाम जानकारी देते हैं जो अधिनियम के अनुसार वांछित हैं। वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को इसी तारीख को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, उसके मुनाफे और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के तहत जारी कंपनियां (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण संलग्नक-क में दे रहे हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के निर्देशों में उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जिनकी कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (5) के अनुसार जांच की जानी है। इन निर्देशों की अनुपालना संलग्नक-ख में की गयी है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (3) की अपेक्षाओं के अनुसार हमें सूचित करना है कि:
   - (क) हमने ऐसी तमाम सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त कर ली हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थीं।
   - (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी हैं और यह बात इन बहियों की जांच से स्पष्ट हो गयी है।
   - (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों में दिये गये विवरणों के अनुसार हैं।
   - (घ) हमारी राय में ऊपर बताया गया स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनियां (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करता है।
   - (ङ) कंपनी के निदेशकों की ओर से 31 मार्च, 2016 को प्राप्त हुए लिखित प्रतिवेदन, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में शामिल किया गया है, कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं है।
   - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशालिता के संदर्भ में 'अनुलग्नक-ग' में हमारी अलग रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है।
   - (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों के मुताबिक:
     - i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमेबाजी के कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा कर दिया है - देखिए नोट 29 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां;
     - ii. कंपनी ने लागू होने वाले कानून या लेखांकन मानदंडों की अपेक्षाओं के अनुसार दीर्घावधि अनुबंधों तथा अनुमानित भौतिक नुकसानों के बारे में प्रावधान कर लिये है - देखिए वित्तीय विवरण के सिलसिले में नोट 7;
     - iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड में स्थानांतरण के लिए कंपनी द्वारा कोई राशि नहीं रखी गयी है।

कृते **भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

(सीए आर.गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं. 26164
फर्म की पंजीयन सं.:004465सी

स्थान: भोपाल
दिनांक: 09.05.2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक-क

(31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए और इसी तारीख को एनएचडीसी लि. के लेखों पर हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी समुचित रिकार्ड रख रही है जिसमें स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण और उनकी स्थिति समेत पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित किया जाता है।

(ख) प्रबंधन ने सत्यापन के अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों की भौतिक रूप से जांच कर ली है, जो हमारी नजर में कंपनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत है। लेखा बहियों में विसंगतियों को उपयुक्त तरीके से महत्व दिया गया है।

(ग) हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर दर्ज हैं।

(ii) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उपयुक्त अंतराल के बाद तमाम स्थानों पर वस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन किया है। प्रबंधन वस्तु सूचियों के भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया अपना रहा है वह हमारी नजर में कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत और पर्याप्त है। कंपनी वस्तुसूची का समुचित रिकार्ड रख रही है और भौतिक सत्यापन के समय कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पायी गयीं।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर के अनुसार दूसरी कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित, कोई भी कर्ज नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कर्ज और निवेश के बारे में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों की अनुपालना कर ली है।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के संदर्भ में वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अंतर्गत लागत रिकार्ड रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अनुपालन में लेखा बहियों की मोटे तौर पर जांच कर ली है और हमारी राय है कि पहली नजर में निर्धारित लेखा बहियां और रिकार्ड बनायी गयी हैं तथा उनका रखरखाव किया जा रहा है। लेकिन हमने इनकी विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii) (क) हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकाड्र्स की जांच के आधार पर कंपनी ने निर्विवाद सांविधिक देयताओं के लिए वर्ष के दौरान लेखाबहियों में घटाई गयी/जमा की गयी राशियों का प्रदर्शन किया है और वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, सीमाशुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य प्रमुख सांविधिक करों का भुगतान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा किया है। जैसा कि हमें समझाया गया है कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा और उत्पाद शुल्क की कोई देनदारी बकाया नहीं है।

हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च 2016 को भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उप कर और किसी अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं की कोई बकाया राशि भुगतान की निर्धारित तारीख से छह महीने से अधिक के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड के अनुसार किसी विवाद की वजह से उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई भी अहम देनदारी बकाया नहीं है जिसका उपयुक्त प्राधिकारियों को भुगतान न कर दिया या हो। बहरहाल, हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क, बिद्युत शुल्क, मूल्य संवर्धित कर और उपकर संबंधी निम्नलिखित देनदारियां विवाद की वजह से खाते में जमा नहीं करायी गयी हैं:

कानून का नाम	देयता की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	किस साल से संबंधित है	मंच जिसमें मामला लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर (सीआईएसएफ) आईएसपी	3.21	2012-13	कमिश्नर अपील्स (भोपाल) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर
	सेवा कर (सीआईएसएफ) ओएसपी	6.31	2012-13	
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर परिवर्तन और अन्य परिवर्धनों की वजह से स्थिर परिसम्पत्तियों में प्रवेश शुल्क जुड़ने के बाद	4.67	2008-09	एमपीसीटी अपीलेट बोर्ड (विरोधस्वरूप 2.10 लाख रुपये जमा कराए गये.)

(viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार या ऋणपत्र धारकों के सभी ऋणों या उधारों को चुकता कर दिया है और वर्ष के अंत में उसके ऊपर शून्य उधारी है। कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं किये हैं।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या उसके बाद के पब्लिक आफर (ऋण दस्तावेज) और आवधिक ऋण के जरिए कोई धन संग्रह नहीं किया है। आदेश का अनुच्छेद 3 (9) लागू नहीं होता।

(x) अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान न तो कंपनी द्वारा गबन का कोई महत्वपूर्ण मामला सामने आया, और न ही इसके किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कंपनी के साथ कोई गबन किये जाने का ही मामला सामने आया या सूचित किया गया।

(xi) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वाराकंपनी के रिकाड्र्स की जांच के बाद कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वांछित अनिवार्य स्वीकृतियों के अनुसार प्रबंधकों के पारिश्रमिकों की विधिवत स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं।

(xii) हमारी राय में और हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(12) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गयी कंपनी के रिकाड्र्स की जांच के आधार पर, जहां कहीं लागू होता है, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और इस तरह के लेन-देन के ब्यौरे का लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों के अनुसार वित्तीय विवरणों में खुलासा कर दिया गया है।

(xiv) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गयी जांच के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने शेयरों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है और न पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर वर्ष के दौरान आबंटित किये हैं।

(xv) हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकाड्र्स की जांच के आधार पर निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेन-देन नहीं की है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(15) लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत अपना पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

(सीए आर.गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं. 26164
फर्म की पंजीयन सं.:004465सी

स्थान: भोपाल
दिनांक: 09.05.2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक-ख

(31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड के लेखों के बारे में इसी तारीख की रिपोर्ट में किये गये उल्लेख के अनुसार)

वित्त वर्ष 2015-16 से लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों के बारे में रिपोर्ट

क्रम सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट	कृत कार्रवाई	कंपनी के लेखे और वित्तीय विवरणों पर असर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड जमीन के लिए क्रमशः स्पष्ट टाइटल/लीज डीड है ? अगर नहीं, तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड जमीन का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए टाइटल/लीजडीड उपलब्ध नहीं है।	हां	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई असर नहीं
2	क्या ऋण, उधार और ब्याज माफ करने/बट्टेखाते में डालने का कोई मामला है; अगर हां, तो उसका कारण और उसमें शामिल राशि	ऐसा कोई मामला नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई असर नहीं
3	क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी चीजों की वस्तुसूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है ?	ऐसा कोई मामला नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई असर नहीं

(सीए आर.गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं. 26164
फर्म की पंजी. सं. 004465सी

स्थान : भोपाल
दिनांक : 09.05.2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक-ग

(31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष तथा इसी तारीख को एनएचडीसी लि. के लेखों पर हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के साथ-साथ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''ईसीएआई') द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा बनाये गये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के अनुसार अंदरूनी वित्तीय नियंत्रणों को कायम करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में करोबार का सुव्यवस्थिति और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाना, उन्हें लागू करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना; कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, हेराफेरी व गलतियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम, लेखांकन का सही-सही और पूरा-पूरा रिकार्ड रखना तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वांछित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व है कि हम लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी द्वारा की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय रखें। हमने लेखापरीक्षा का अपना कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में आईसीएआई द्वारा जारी की गयी दिशानिर्देशात्मक टिप्पणी (''गाइडेंस नोट'') तथा लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार किया, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना जाता है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया की इस दिशानिर्देशात्मक टिप्पणी और लेखापरीक्षा मानदंडों, दोनों का उपयोग उस सीमा तक किया जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के लिए लागू होते हैं। इस टिप्पणी और मानदंडों के अनुसार हमसे नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करने और लेखापरीक्षण का काम इस तरह से नियोजित व संचालित करने की उम्मीद की गयी है, जिससे इस, बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम तथा लागू किये गये तथा तमाम महत्वपूर्ण संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों ने कारगर तरीके से अपना कार्य किया।

हमने जो लेखापरीक्षा की है उसमें इस बात के प्रमाण जुटाने की संचालनात्मक प्रक्रिया भी शामिल है, जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा संचालन की दृष्टि से उनके प्रभावी होने की पुष्टि होती हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमने जो लेखा परीक्षा की है, उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में समझ हासिल करना, किसी महत्वपूर्ण कमी के रह जाने के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के तौर-तरीकों व उनके संचालन के कारगर होने की परीक्षा तथा मूल्यांकन भी शामिल है। इसके लिए जो प्रक्रिया चुनी गयी है वह लेखापरीक्षकों के विवेक पर आधारित है और उसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती से किसी बड़े वित्तीय गलत कथन के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा से जो प्रमाण जुटाए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाना एक ऐसी प्रकिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किसी बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं और नीतियां शामिल रहती हैं जो : (1) ऐसे रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेनदेनों तथा उसके द्वारा परिसंपत्तियों के निपटान को युक्तिसंगत विस्तार के साथ, सही-सही और निष्पक्षता के साथ प्रदर्शित करने से संबंधित है; (2) इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन, आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जरूरत के अनुसार दर्ज किये गये हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकृत होने के बाद ही किये जाते हैं; (3) कंपनी के विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या परिसंपत्तियों के निपटान का समय पर पता लगाने और उसे रोकने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं और टकराव की आशंका या नियंत्रणों पर प्रबंधन के अनुचित दबाव की वजह से संभव है कि गलतियों या हेराफेरी से कोई महत्वपूर्ण गलत कथन हो जाए और उसका पता ही न चले। इसके अलावा भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी अनुमानों में जोखिम हो सकता है। भविष्य की किसी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी संभावित आकलनों से जोखिम पैदा हो सकता है और ऐसे नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव, या नीतियों पर अमल के परिमाण या प्रक्रियाओं में ऱ्हास के कारण अपर्याप्त साबित हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कंपनी के पास हर लिहाज से पर्याप्त अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को कारगर तरीके से कार्य कर रहे थे। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के बारे में कंपनी के ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण की निर्देशात्मक टिप्पणियों के महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल कर बनाए गये हैं।

कृते **भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

(**सीए आर.गणेशन**)
साझेदार
सदस्यता सं. 26164
फर्म की पंजीयन सं.:004465सी

स्थान: भोपाल
दिनांक: 09.05.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित होनी चाहिए. लेखापरीक्षकों की दिनांक 9 मई, 2016 की रिपोर्ट में यह कार्य पूरा करने की बात कही गयी है.

मैंने अधिनियम की धारा143(6)(क) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा कर ली है. यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की गयी है और इसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावोजों को नहीं देखा गया है. साथ ही यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के अधिकारियों से बुनियादी पूछताछ तथा लेखांकन संबंधी कुछ दस्तावेजों की यादृच्छिक जांच तक सीमित है. मेरे लेखापरीक्षण के अनुसार ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसके आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ और जोड़ा जा सके.

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के
लिए एवं उनकी ओर से

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 जून, 2016

31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	2		196258		196258
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	3		465664		456611
	(2) गैर वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	4		-		52763
	(ख) स्थगित कर देयता	5		17706		17819
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		12300		12181
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7		1635		1296
	(3) वर्तमान देयताएं					
	(क) व्यापार प्राप्य	8				
	i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की बकाया देय राशि			121		37
	ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर लेनदारों की बकाया देय राशि			753		1059
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9		4045		23588
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	7		70057		50165
	कुल			**768539**		**811777**
II.	**परिसम्पत्तियां**					
	(1) गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां					
	(क) अचल परिसम्पत्तियां					
	(1) गोचर परिसम्पत्तियां	10.1	233611		252660	
	(2) अगोचर परिसम्पत्तियां	10.2	258499		268991	
	(3) चालू पूंजी कार्य	11.1			525	
	(4) विकासाधीन अगोचर परिसम्पत्तियां	11.2	-		-	
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	12	-		-	
	(ग) स्थगित कर परिसम्पत्तियां	5	-		-	
	(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	3890		4339	
	(ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां		6456		33593	
	उप-जोड़		508935		560108	
	(च) गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां-नियामक परिसम्पत्तियां	14.2	-	508935	-	560108
	(2) वर्तमान परिसम्पत्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	15		-		-
	(ख) मालसूची	16		897		791
	(ग) व्यापार प्राप्य	17		37257		40872
	(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18		151215		143092
	(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13		6534		3162
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19		63701		63752
	कुल			**768539**		**811777**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	28				
	अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	29				
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **भूटोरियाा गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465 सी

स्थान - भोपाल
दिनांक 09.05.2016

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

जी. पी. पटेल
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 03337777

आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव
डीआईएन 03337117

बी. एल. साबू
महाप्रबंधक
(वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व (सकल)	**20**	114421	137088
	घटाएं : विद्युत शुल्क		51	429
	प्रचालन से राजस्व (निवल)		114370	136659
ii)	अन्य आय	**21**	19325	18226
	कुल राजस्व		**133695**	**154885**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**	15324	14221
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**	8297	7543
iii)	वित्त लागत	**24**	4594	9302
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**25**	25527	25440
	कुल व्यय		**53742**	**56506**
पूर्व अवधि मदें, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			79953	98379
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	**26**	(85)	2
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			80038	98377
	असाधारण मदें [व्यय/(आय)]		-	-
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ			80038	98377
	असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ			80038	98377
	कर व्यय	**27**		
i)	वर्तमान कर		17081	20685
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		70	(1)
iii)	विलंबित कर		(113)	1047
	कर संबंधी कुल व्यय		17038	21731
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ			**63000**	**76646**
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ			-	-
वर्ष के लिए लाभ			**63000**	**76646**
	प्रति शेयर अर्जन इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रूपये प्रति शेयर			
	बुनियादी (₹में)		321.01	390.54
	तनुकृत (₹में)		321.01	390.54
	वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	**28**		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	**29**		
	टिप्पणी 1 से 29 लेखों का अभिन्न अंग है।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465 सी

स्थान - भोपाल
दिनांक 09.05.2016

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

जी. पी. पटेल
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 03337777

वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव
डीआईएन 03337117

आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

बी. एल. साबू
महाप्रबंधक
(वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

टिप्पणी सं. 1 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 बनाने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किये जाते हैं और इसमें कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत लेखांकन मानदंड और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रयोज्य सीमा तक लागू होते हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को जीएपीपी के अनुसार तैयार करने के लिए जरूरी है कि प्रबंधन युक्तिसंगत और दूरदर्शितापूर्ण अनुमानों और परिकल्पनाओं का सहारा ले और ऐसा करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को प्रतिवेदित परिसम्पत्तियों और देयताओं के परिमाण के साथ-साथ आकस्मिक देनदारियों पर असर डालने वाली समस्त उपलब्ध सूचनाओं और प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय के परिमाण को भी हिसाब में ले। अनुमानों में किसी भी संशोधन को आकलन की अवधि के दौरान स्वीकृत कर लिया जाता है।

2 स्थिर परिसम्पत्तियां

2.1 मूर्त परिसम्पत्तियां

2.1.1 स्थिर परिसम्पत्तियां का उल्लेख अधिग्रहण/निर्माण लागत में से संचित मूल्य ह्रास/ऋणशोधन और किसी भी प्रकार की क्षति को घटाकर की जाती है। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्तियां पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी हों, वहां पूंजीकरण अनुमान के आधार पर किया जाता है जिसमें मध्यस्थता/न्यायालय में निपटाए जानेवाले मामलों के सिलसिले में किये जाने वाले समायोजन समेत सभी समायोजनों को शामिल किया जाता है।

2.1.2 ऐसी परिसम्पत्तियां जो कपंनी की अपनी जमीन पर नहीं बनी हैं स्थिर परिसम्पत्तियों में शामिल की गयी हैं।

2.1.3 बिजलीघरों के मामले में स्थिर परिसम्पतियों के मूल रूप से आकलित उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने के बाद नवीकरण और आधुनीकरण पर हुए खर्च को, जिससे वर्तमान परिसम्पत्तियां के जीवनकाल और/या कार्यकुशलता में वृद्धि होती हो, संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है। वर्तमान परिसम्पत्तियों के स्थान पर अधिग्रहीत मूर्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण किया जाता है और इनके आने से सक्रिय उपयोग से हटायी गयी/विमोचित परिसम्पत्तियों को अनुपयोगी करार दे दिया जाता है।

2.1.4 अपने स्वामित्व वाली जमीन के लिए किये गये भुगतान/मुआबजे के लिए अस्थायी रूप से सृजित परिसम्पत्तियों (इसमें अदालत के आदेश की तारीख तक के लिए अदालत द्वारा सुनाए गये बढ़े हुए मुआबजे पर ब्याज भी शामिल है), पुनर्वास और इसी तरह के खर्चों को जमीन की लागत माना जाता है।

2.2 अमूर्त परिसम्पत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से प्राप्त की गयी जमीन (स्वामित्व हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने या बांध के पानी के डूब क्षेत्रपर मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर नयी सुविधाएं जुटाने और परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की पूर्वशर्त के रूप में जुटाई जानेवाली सुविधाओं पर हुए खर्च को भूमि उपयोग के अधिकार के खर्च में शामिल किया जाता है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों की लागत का आकलन (जो संबंधित हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है) अधिग्रहण की लागत में से संचित ऋण परिशोधन और क्षति को कम करके किया जाता है और इसे मूर्त परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है।

2.3 चालू पूंजीगत निर्माणकार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य लागत आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक और सामान्य ओवरहैड तथा परियोजना निर्माण से जुड़े अन्य खर्च 'निर्माण के दौरान खर्च (ईडीसी)' के अंतर्गत संचित होते जाते हैं और बाद में परियोजना के चालू हो जाने पर ये व्यवस्थित रूप से भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसम्पत्तियों में आबंटित हो जाता है।

2.3.2 परियोजना से जुड़े सामान्य जन सुविधाओं के रखरखाव, उच्चीकरण आदि के खर्च को 'निर्माण के दौरान खर्च (ईडीसी)' में भारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के खर्च को 'चालू पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे खर्च को परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर या तो परियोजना लागत के अंतर्गत पूंजीकृत कर दिया जाता है या फिर जिस साल ऐसी परियोजना को छोड़ देने का फैसला किया जाता है उस साल उसे लाभ-हानि विवरण में शामिल कर लिया जाता है।

2.3.4 जिन सुविधाओं के निर्माण के बाद उनपर कंपनी का नियंत्रण नहीं रहता, मगर जिनको बनाना परियोजना निर्माण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक होता है उन्हें 'निर्माण के दौरान खर्च (ईडीसी)' में भारित किया जाता है। बाद में परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ऐसी सुविधाओं के सृजन के खर्चको (जिसपर निर्माण के बाद कंपनी का नियंत्रण नहीं होता) ''लाभ-हानि विवरण'' में भारित कर दिया जाता है।

3 मशीनें और हिस्से-पुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ या बाद में खरीदे गये मशीनों के हिस्से पुर्जे जिनके उपयोग में अनियमितता की संभावना हो, अगर इस तरह के हिस्से-पुर्जों की लागत पता हो और संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी जीवनकाल की अवशिष्ट अवधि में उसका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दर और प्रविधि से पूरी तरह मूल्यह्रास हो जाता है तो उन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है। यदि इस तरह के हिस्से-पुर्जों की लागत ज्ञात न हो, खास तौर पर जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ ही खरीदा गया हो तो इनका मूल संयंत्र के साथ ही पूंजीकरण और मूल्यह्रास किया जाता है जो संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दर और प्रविधि से किया जाता है।

(ख) हिस्से पुर्जों के अवलेखित मूल्य (रिटन डाउन वैल्यू --डब्ल्यूडीवी) को उस साल के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिनके स्थान पर नये खरीदे गये हैं, बशर्ते हटाए गये हिस्से-पुर्जों का कोई उपयोगी जीवनकाल बचा न हो। इसी तरह पुराने हिस्से-पुर्जों की जगह खरीद कर लगाये गये हिस्से पुर्जों की लागत को उस साल के लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया गया है, बशर्ते इस तरह के पुराने हिस्से-पुर्जों कोई उपयोगी जीवनकाल शेष न हो।

(ग) जब किसी संबंधित स्थिर परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल खत्म हो जाता है और उसे इस्तेमाल से हटा लिया जाता है तो ऐसे हिस्से-पुर्जों की लागत का मूल्यांकन शुद्ध खाता मूल्य या शुद्ध प्राप्य मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर पुराने पड़ चुके हिस्से-पुर्जे बदले नहीं जाते तो उनके डब्ल्यूडीवी में से निपटान लागत को कम करके बट्टेखाते में डाला जाता है।

3.2 मशीनरी के अन्य हिस्से-पुर्जों को ''भंडार वस्तुएं और हिस्से-पुर्जे'' माना जाता है और वे वस्तुसूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर नियंत्रित गतिविधियां

जहां किसी परियोजना की निर्माण-अवधि के दौरान हुए खर्च की किसी मद को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी उसे लेखांकन मानदंडों के अनुसार प्रासंगिक स्थिर परिसम्पत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत तो नहीं किया जाता मगर विनियामक यानी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा भविष्य में लाभार्थियों से शुल्क के रूप में इसकी वसूली अनुमति दे दी जाती है तो इस स्थिति में वसूली के अधिकार को विनियामक परिसम्पत्ति माना जाता है और इससे हुई विनियामक आय को दर-विनियमित गतिविधियों के लेखांकन के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी निर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार मान्यता दी जाती है, बशर्ते यह इसी निर्देशात्मक टिप्पणी में बतायी गयी इस तरह की मान्यता

प्रदान करने की शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यह्रास और ऋण शोधन

5.1 वर्ष के दौरान मूर्त परिसम्पत्तियों में से मूल्यह्रास/कटौतियों को उनके इस्तेमाल हेतु उपलब्ध होने/निपटान होने तक की तारीख के लिए समानुपातिक आधार पर भारित किया गया है।

5.2.1 कंपनी की चालू इकाइयों की मूर्त परिसम्पत्तियों को शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और प्रविधि के अनुसार सरल-रैखिक विधि अपनाते हुए लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, लेकिन नीचे नीति सं. 5.2.3 में इसके अपवाद दे दिये गये हैं।

5.2.2 कंपनी की चालू इकाइयों से इतर इकाइयों की मूर्त परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास को शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और प्रविधि के अनुसार सरल-रैखिक विधि अपनाते हुए परिसम्पत्तियों की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, लेकिन नीचे नीति सं. 5.2.3 में इसके अपवाद बता दिये गये हैं।

5.2.3 निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में बतायी गयी विधि से जीवन-काल और अवशिष्ट लागत (5 प्रतिशत) के आधार पर सरल रैखिक विधि अपनाते हुए प्रभारित किया गया है:

(i) संयंत्र और मशीनरी का निर्माण

(ii) कम्प्यूटर और संबंधित प्रणालियां

5.2.4 अस्थायी निर्माणों को डब्ल्यूडीवी मूल्य 1 रुपया मानते हुए अधिग्रहण/पूंजीकरण वर्ष में पूरी तरह मूल्यांसित किया गया है।

5.3 5000 रुपये से कम और 750 रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाने के वर्ष के दौरान 1 रुपया डब्ल्यूडीवी मूल्य के साथ पूरी तरह से मूल्यांसित किया गया है।

5.4 अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर कम लागत की वस्तुओं का, जो परिसंपत्तियों के रूप में हैं और जिनकी लागत 750 रुपये तक है, पूंजीकरण नहीं किया गया है और उन्हें उपयोग में लाए जाने के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया है।

5.5 ''मूर्त परिसम्पत्तियों' के रूप में चिह्नित साफ्टवेयर की लागत का उसके विधिसम्मत इस्तेमाल की अवधि में या तीन वित्त वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के दौरान ऋणशोधन किया गया है जो उसकी खरीद के साल से शुरूमाना जाता है।

5.6 जमीन के उपयोग के अधिकार का ऋणशोधन परियोजना के वाणिज्यिक रूप से चालू होने की तारीख से 30 साल के लिए किया गया है।

5.7.1 पट्टे में ली गयी जमीन पर अगर कोई इकाई चालू हो तो उसका ऋणशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा शुल्क विनियमन 2014 में बतायी गयी दरों और प्रविधि का अनुसरण किया गया है।

5.7.2 पट्टे वाली जमीन का ऋण शोधन, जिसमें चालू इकाई के अलावा कोई अन्य इकाई लगायी गयी हो, पट्टे की अवधि के लिए या 35 वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए किया गया है।

5.8 पट्टे पर ली गयी जमीन पर निर्मित मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल लागत के 90 प्रतिशत तक ऋण शोधन पट्टे की शेष अवधि के लिए किया जाता है जो इस तरह की परिसम्पत्तियों के लिए सीईआरसी विनियमों में अधिसूचित प्रयोज्य दरों व प्रविधि से और ऐसी परिसम्पतियों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से होता है।

5.9 जहां वर्ष के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, अदालत/पंचाट में मामले के निपटान, शुल्क दर में परिवर्तन या इसी तरह के किसी कारण से मूल्यह्रास वाली परिसम्पत्तियों की दीर्घकालीन लागत में बदलाव हुआ हो, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के ऋणशोधन से बचे रह गये अवशिष्ट का मूल्यह्रास भविष्य की शेष अवधि के लिए किया गया है जो सीईआसी द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत निर्धारित दर और प्रविधि के अनुसार है।

5.10 जहां किसी परिसम्पत्ति की जीवन अवधि और/या दक्षता में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण बढ़ी हो, तो ऐसे मामले में ऋणशोधन से बची रह गयी अवशिष्ट राशि समेत उसपर हुए खर्च को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित संशोधित/शेष जीवनकाल के लिए आगे की अवधि में प्रभारित किया गया है।

6. निवेश

6.1 दीर्घावधि निवेश, लागत मूल्य के आधार पर किये जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर किसी भी अन्य तरह की गिरावट को हिसाब में लेने के लिए डीम्यूनिशन का प्रावधान किया गया है।

6.2 चालू निवेशों का मूल्यांकन न्यूनतम लागत पर और किसी एकल निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण के आधार पर किया गया है।

7. वस्तुसूचियां

7.1 भंडार वस्तुओं और हिस्से-पुर्जों का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है जिसका निर्धारण औसत भार या वसूल किये जा सकने वाले शुद्ध मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया गया है।

7.2 पुरानी पड़ चुकी, मरम्मत न कराई जा सकने वाली और फालतू भंडार वस्तुओं के मूल्य में कमी का आकलन व्यवस्थित आधारपर कराकर लेखों में किया गया है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

8.1 विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन को शुरूआत में लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दर पर हिसाब में लिया गया है। तुलनपत्र बनाने की प्रत्येक तारीख पर विदेशी मुद्रा में आकलित मौद्रिक वस्तुओं को उसी तारीख की विनिमय दर के अनुसार बदल कर लिखा गया है।

8.2 कार्यरत स्टेशनों के मामले में विनिमय दरों में अंतर को लाभ-हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने की अवधि के दौरान आमदनी और खर्च मान लिया जाता है और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में इन्हें ईडीसी के तौर पर दर्शाया जाता है। लेकिन 01.04.2004 से पहले के लेन-देनों के लिए स्थिर परिसम्पत्तियों/चालू निर्माण कार्यों से संबंधित देयताओं में विनिमय दर अंतर को संबंधित स्थिर परिसम्पत्तियों/चालू निर्माण कार्यो को करने की लागत में समायोजित कर दिया गया है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी संबंधी फायदे (जिसमें प्रतिपूरक अनुपस्थिति भी शामिल है) तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ शामिल हैं।

9.2 कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए एम्लॉयी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएन्युएशन स्कीम के लिए वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया/देय अंशदान को हिसाब में ले लिया गया है और संबंधित निधियों में उसका भुगतान किया जा चुका है। इन निधियों का संचालन अलग न्यासों द्वारा किया जाता है।

9.3 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी ग्रेच्युटी की देयता का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के अंत में कर लिया गया है और ग्रच्युटी ट्रस्ट में राशि का भुगतान कर दिया गया है।

9.4 सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद भत्ते, सेवानिवृत्ति के अवसर पर कर्मचारी को भेंट में दिये जाने वाले स्मृतिचिह्न संबंधी देयता और अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति समेत) की देयता का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के अंत में कर लिया गया है।

10. राजस्व

10.1 (क) बिजली की बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क दरों के अनुसार हिसाब में लिया गया है। जिन बिजलीघरों के लिए शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, बिजली की बिक्री उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विधि और मानदंडों के आधार पर तय की गयी अस्थायी दरों से की गयी है। विदेशी मुद्रा ऋणों में विनिमय दर में बदलाव की वजह से वसूली/पुनर्भुगतान और आयकर संबंधी वसूली को वार्षिक आधार पर हिसाब में ले लिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनों/प्रतिप्रोत्साहनों को शुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार स्वीकार किया गया है। ऐसे बिजलीघरों के मामले में जिनके शुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों का आकलन अस्थायी आधार पर यह मानते हुए किया गया है कि दरों को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिये जाने की वजह से होने वाले समायोजनों को, हालांकि ये वस्तुगत रूप में नहीं होते, अंतिम रूप दिये जाने के साल में लागू किया गया है।

(घ) मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिमों को पिछले साल की आस्थगित आय माना जाता है और इन्हें सरल रेखा आधार पर बिक्री में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा परियोजना का कुल उपयोगी जीवनकाल 35 साल मानते हुए उसकी वाणिज्यिक संचालन की तारीख के 12 वर्ष पूरे होने के बाद 31 मार्च को समाप्त होने वाले साल में शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए किया जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श संबंधी कार्यों के राजस्व को मुआवजे के प्रतिशत वाली विधि से स्वीकार किया जाता है। मुआवजे के प्रतिशत का निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंध/निर्माण ठेके और परामर्शी कार्य को पूरा करने में आयी अनुमानित लागत'' में से ''रिपोर्टिंग की तारीख को हो चुके खर्च'' के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। लाभांश आमदनी को तभी माना जाता है जब उसे प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।

10.4 ब्याज/ग्राहक से वसूले जाने वाले अधिभार/परिसमाप्त नुकसान/ठेकेदारों को दिये अग्रिमों पर ब्याज को तभी हिसाब में लिया जाता है जब परिमापन क्षमता और संग्रहणीयता को लेकर कोई बड़ी अनिश्चितता होती है।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ वस्तुओं/पूरे किये जा चुके मगर अप्रमाणित पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं को निरीक्षण पूरा होने और कंपनी द्वारा स्वीकार किये जाने तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

11.2 भुगतानशुदा खर्चों और पहले की अवधि के खर्चों/50,000 रुपये और इससे कम मूल्य की वस्तुओं से होने वाली आमदनियों को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

11.3 बीमा दावों को उनकी वसूली की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. उधार की लागत

निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण की अवधि के दौरान अर्हक मूर्त परिसम्पत्तियों के सिलसिले में उधार की लागत का पूंजीकरण किया जाता है। उधार की अन्य लागतों को उस अवधि के दौरान खर्च में शामिल कर लिया जाता है जिसमें उन्हें व्यय किया गया था।

13. आमदनी पर कर

चालू अवधि के लिए आमदनी पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर का आकलन वर्ष के दौरान लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसकी गणना तुलनपत्र की तारीख को या उसके बाद की तारीख को लागू होने वाली ब्याज दरों और मूल कर कानूनों का उपयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का आकलन उस सीमा तक किया जाता है जहां तक इस बात का आश्वासन हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी जिसमें से आस्थगित कर का भुगतान कर दिया जाएगा। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में आगामी वर्षो में लाभार्थियों से इस तरह के कर की बकाया लेनदारी/देनदारी की सीमा तक राशि प्रभारित की जाती है।

14. परिसम्पत्तियों में गड़बड़ी

कंपनी अपने तुलनपत्र की हर तारीख को इस बात का आकलन करती है कि क्या बाह्य/आंतरिक संकेतकों के आधार पर नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों (सीजीयू) में गड़बड़ी की कोई आशंका तो नहीं बन रही है। अगर इस तरह का कोई संकेत हो तो कंपनी सीजीयू की वसूली जाने वाली राशि का अनुमान लगाती है। अगर लाभ-हानि विवरण में वसूली जाने वाली राशि के अधिक होने के कारण इसतरह के नुकसान की आशंका जताई गयी हो तो नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई में इस तरह की गड़बड़ी से होने वाले नुकसान की पहचान हो जाती है। अगर वसूली जानेवाली राशि में बदलाव हो या इस तरह का नुकसान बकाया न रह गया हो या इसमें कमी आयी हो तो गड़बड़ी के कारण होने वाले नुकसान के रूझान में बदलाव का संकेत मिलता है। जब भी तुलनपत्र बनाया जाता है तो इसके निर्माण की हर तारीख को दर नियंत्रित परिसम्पत्तियों का गड़बड़ी के लिए परीक्षण भी किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

अगर अतीत की किसी घटना की वजह से कंपनी की वर्तमान में देनदारियां बन रही हों और इस बात की संभावना हो कि देनदारियों के निपटान के लिए संसाधनों व्यय करने जरूरी होगी, तो इसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को कुछ प्रावधान करने होंगे। विभिन्न प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र बनाए जाने की तारीख को देनदारियों को निपटाने के बारे में प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार किया जाता है, न कि वर्तमान मूल्य के अनुसार।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधकों/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के अनुसार उद्घाटित किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधकों के अनुमानों को दर्शाते हुए इन्हें समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में समाविष्ट नहीं किया जाता है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखांकन मानदंडों में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

17. अनुदान सहायता

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ''सिंचाई और आर.आर. घटक'' के लिए और गुजरात सरकार की ओर से ''सरदार सरोवर घटक'' के लिए प्राप्त हुए अंशदान की मात्रा का प्रत्येक आस्ति के साथ सीधा संबंध न होने के कारण इन्हें शुरूमें अनुदान सहायता-निधि मान लिया जाता है और बाद में इन्हें अंशदान से अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों का आनुपातिक आधार पर बट्टे-खाते में डाला गया मूल्यह्रास मान लिया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 शेयर पूंजी

(लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या में	(राशि लाख रुपए में)	संख्या में	(राशि लाख रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/- रुपये)	30000000	300000	30000000	300000
		19625800	196258	19625800	196258

(ख) (जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)

(ग) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की है।

(घ) अतः इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।

(ङ)	कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या में	(%) में	संख्या में	(%) में
	- एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी) और उसकी ओर से	10024200	51.08%	10024200	51.08%
	- मध्य प्रदेश सरकार और उसकी ओर से	9601600	48.92%	9601600	48.92%

(च) 31.3.2016 से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों में कम्पनी ने अनुबंध(धों) के अनुपालन में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना कोई पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया/बोनस शेयर(रों) के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया/कोई इक्विटी शेयर वापस नहीं खरीदा।

टिप्पणी संख्या 3-आरक्षी और अधिशेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
सहायता अनुदान आरक्षी #				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	136666		141881	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	1528		2014	
वर्ष के दौरान कटौतियां	7287		7229	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन			-	
तुलन पत्र की तारीख को		130907		136666
स्वबीमा आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	16051		16051	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षी को अंतरित	16051		-	
	-		16051	
घटाएं: - दावे के कारण समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		16051
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2334		704	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	-		1630	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	608		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		1726		2334
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1002		473	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	381		529	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		1383		1002

(लाख रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
सामान्य आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10636		10636	
जोड़े: वर्ष के दौरान स्व-बीमा आरक्षी से अंतरित	16051			
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		26687		10636
अधिशेष*		304961		289922
कुल		**465664**		**456611**
***अधिशेष**				
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अवधि के लिए लाभ		**63000**		**76646**
अग्रेणीत शेष		289922		243308
जोड़े:				
स्व-बीमा निधि से इस्तेमाल की गई राशि		-		-
सीएसआर/एसडी आरक्षी से पश्चलिखित		608		-
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष				
सामान्य आरक्षी को अंतरित		-		-
स्व बीमा निधि को अंतरित		-		-
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आरक्षी को अंतरित		-		1630
अनुसंधान एवं विकास आरसी को अंतरित		381		529
लाभांश:				
- अंतरिम		-		-
- प्रस्तावित		40037		23158
- अंतिम				
लाभांश पर कर				
- अंतरिम		-		-
- प्रस्तावित		8151		4715
अग्रेणीत शेष		**304961**		**289922**

 # व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	01.04.2015	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016
i)	आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	27960		1548	-	26543
ii)	आईएसपीएस के लिए एनवीडीए खाते से सरदार सरोवर परियोजना को अंतरित आनुपातिक आर्थिक सहायता।	35734	166	1979	-	33921
iii)	आईएसपीएस के आर एंड आर कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	30835	1141	1566	-	30410
iv)	ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	17091	15	1074	-	16032
v)	ओएसपीएस के आर एंड आर कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	25046	75	1120		24001
	कुल	**136666**	**1528**	**7287**	**-**	**130907**

टिप्पणी संख्या:- 4 दीर्घावधि ऋण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बॉंड -						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत	-	-	-	24978	5965	19013
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत	-	-	-	47250	13500	33750
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**72228**	**19465**	**52763**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:-

1. सावधि ऋणों पर ब्याज की दर और भुगतान की शर्तों का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 4-दीर्घावधि ऋण से संबद्ध अनुलग्नक में दिया गया है।
2. उपरोक्त अनुसार, वर्तमान परिपक्वताओं के लिए टिप्पणी संख्या 9-'अन्य वर्तमान देयताएं' देखें।
3. प्रतिभूति के बारे में विवरण (प्रत्येक मामले में अलग-अलग):-

\# उपरोक्त बकाया 'बैंकों से सावधि ऋण' कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋणदाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।

\# उपरोक्त बकाया 'अन्य पार्टियों से सावधि ऋण' कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओंकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।

टिप्पणी संख्या 4 का परिशिष्ट

दीर्घावधि ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(क) **बांड्स (अपरिवर्तनीय और गैर-संचयी) -प्रतिभूत**	-	-
कुल बांड्स (क)	-	**-**
(ख) **सावधि ऋण-प्रतिभूत**		
- बैंकों से		
I- इंदिरा सागर परियोजना		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड- ऋण-1	0	14902
(12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1863 लाख रुपए की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य, जिसे अवधि-पूर्व अदा कर दिया गया है)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड- ऋण-2	0	10076
(11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1120 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य, जिसे अवधि-पूर्व अदा कर दिया गया है)		
उप-जोड़	0	**24978**
- अन्य पार्टियों से		

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
II - ओंकारेश्वर परियोजना		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	47250
(10.29 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6750 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य, जिसे अवधि-पूर्व अदा कर दिया गया है)		
उप-जोड़	0	47250
कुल सावधि ऋण- भारतीय रूपए-सुरक्षित (क+ख)	0	72228
अन्य पार्टियों से सावधि ऋण (असुरक्षित)		
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा	-	-
कुल सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-विदेशी मुद्रा-असुरक्षित (ग)	-	-
(घ) केन्द्र सरकार से ऋण-असुरक्षित	-	-
कुल सावधि ऋण-असुरक्षित ऋण (घ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)	0	72228

टिप्पणी संख्या 5- आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास	60649	64598
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
संदिग्ध ऋणों, सामान-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	510	397
आस्थगित कर देयता	60139	64201
घटाएं: 2009 तक की शुल्क अवधि के लिए वसूली योग्य।	42433	46382
घटाएं: आस्थगित कर देयता के प्रति आस्थगित कर समायोजन	-	-
आस्थगित कर देयता (निवल)	**17706**	**17819**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर परिसंपत्ति के लिए रुपए 4062 लाख (पिछले वर्ष रुपए 2099 लाख) सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या 6- अन्य दीर्घावधि देयताएं

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
क)	**व्यापार प्राप्य**	-	-	-	-	-	-
ख)	**अन्य**						
	जमा/धारण राशि	935	639	296	938	761	177
	अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	12004		12004	12004		12004
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव देयताएं	-	-	-	-	-	-
	विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव खाते से आस्थगित आय	-	-	-	-	-	-
		12939	**639**	**12300**	**12942**	**761**	**12181**

टिप्पणी संख्या 7- प्रावधान

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**						
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
	i) **छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	970	67		753	40	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	235	66		217	78	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	80		-	51	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**1205**	**53**	1258	**970**	**67**	1037
	ii) **आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	287	2		253	1	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	91	2		34	1	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**378**	**3**	381	**287**	**2**	289
	iii) **टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	37	-		30	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	12	-		7	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**49**	**-**	49	**37**	**-**	37
	iv) **स्मृति-चिन्ह के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2	-		1	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	1	-		1	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**3**	**-**	3	**2**	**-**	2
	(अन्य)						
	v) **वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	128		-	123	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	35		-	37	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	19		-	25	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	7	
	अंतिम शेष	**-**	**144**		**-**	**128**	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम	-	131		-	128	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	**-**	**13**	13	**-**	**-**	-
	vi) **कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	465		-	683	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	445		-	432	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	166		-	612	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	8		-	38	
	अंतिम शेष	**-**	**736**		**-**	**465**	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम		4			4	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		**732**	732		**461**	461
	vii) **सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	ट्रस्ट को भुगतान	-	-		-	-	

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	186		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	17082		-	20685	
	वर्ष के दौरान समायोजित राशि	-	186		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**17082**		**-**	**20685**	
	घटाएं: अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर	**-**	**17082**		**-**	**20500**	
	आय कर के लिए प्रावधान (रिफंड का निवल)	**-**	**-**	-	**-**	**185**	185
ग)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	23158		-	11579	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	40037		-	23158	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	23158		-	11579	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**40037**	40037	**-**	**23158**	23158
घ)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	4715		-	1968	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	8151		-	4715	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	4715		-	1968	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**8151**	8151	**-**	**4715**	4715
ङ)	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	43	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	2225		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	43	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**2225**	2225	**-**	**-**	-
च)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	11243		-	11776	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1064		-	533	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**10179**	10179	**-**	**11243**	11243
छ)	**बीमाकृत परिसंपत्तियों के प्रत्यावर्तन व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	2482		-	451	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	3453	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1103		-	1345	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1375		-	77	
	अंतिम शेष	**-**	**4**	4	**-**	**2482**	2482
ज)	**प्रावधान-अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	7852		-	8428	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	1204		-	5	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	394		-	555	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	2		-	26	
	अंतिम शेष	**-**	**8660**	8660	**-**	**7852**	7852
	कुल	**1635**	**70057**	71692	**1296**	**50165**	51461

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1. 22 लाख रुपए (संचयी प्रावधान 131 लाख रुपए) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा न्यायालय में लंबित है। उक्त राशि कर्मचारियों को पहले ही अदा कर दी गई जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में दर्शाया गया है।
2. उपरोक्त (ड) के संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 20 देखें।

टिप्पणी संख्या 8-व्यापार देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(मों) का कुल बकाया देय	121	37
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(मों) से इतर लेनदारों का कुल बकाया देय	753	1059
	874	**1096**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 29 लेखा को अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां (क्रमांक 15 पर) के अंतर्गत दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 9-अन्य चालू देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)		-		19465
जमा राशि		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		-		502
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज		-		-
अग्रिम में प्राप्त आय		-		-
अदा न किया गया लाभांश		-		-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		1716		1089
जमा/प्रतिधारण निधि		639		761
होल्डिंग कंपनी के प्रति देय		265		112
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		-		-
बांड आवेदन राशि		-		-
सांविधिक राशि		790		917
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं		-		-
अन्य देयताएं		635		742
डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं: डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में खर्च की गई राशि			-	
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-	-	-	-
सहायता अनुदान - उपयोग लंबित		-		-
		4045		**23588**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

अन्य दायित्वों में 280 लाख रुपए (31.03.2015 को 324 लाख रुपए) 'भूमि के लिए भूमि' संबंधी शिकायत निवारण प्राधिकरण के निर्णय के संदर्भ में ओमकारेश्वर परियोजना के विस्थापितों द्वारा जमा कराई गई राशि से संबंधित हैं।

टिप्पणी संख्या 10.1 अचल परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

क्रम. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2015	संवर्द्धन	कटौती	अन्य समायोजन	31.03.2016	01.04.2015	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2015
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	176	-	-	-	176	57	6	-	63	113	119
iii)	सड़कें और पुल	1039	19	-	-	1058	274	40	-	314	744	765
iv)	भवन	67178	212	-	-	67390	19694	2278	-	21972	45418	47484
v)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
vi)	जलीय कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंगे)	169474	154	-	-	169628	63799	8895	-	72694	96934	105675
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	158206	365	-	39	158610	62993	8327	13	71333	87277	95213
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2412	-	-	-	2412	937	127	-	1064	1348	1475
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	421	5	-	-	426	138	23	-	161	265	283
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	426	-	-	-	426	192	23	-	215	211	234
xi)	निर्माण उपकरण	633	2	-	-	635	476	30	-	506	129	157
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	307	-	-	-	307	66	11	-	77	230	241
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	89	4	-	-	93	17	4	9	30	63	72
xiv)	वाहन	121	-	1	-	120	102	3	-	105	15	19
xv)	विमान/नौकाएं	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	558	3	1	-	560	318	27	(1)	344	216	240
xvii)	कम्प्यूटर	331	24	67	6	294	243	30	(59)	214	80	88
xviii)	संचार उपकरण	49	3	-	(15)	37	27	2	(9)	20	17	22
xix)	कार्यालय उपकरण	321	36	4	(51)	302	158	16	(22)	152	150	163
xx)	अनुसंधान और विकास	120	-	-	-	120	17	8	(1)	24	96	103
xxi)	अन्य परिसम्पत्तियां	459	27	-	(1)	485	152	29	(1)	180	305	307
xxii)	गौण मूल्य की अचल परिसम्पत्तियां >750 और <5000 रुपए	89	9	1	(5)	92	89	8	(5)	92	-	-
	कुल	**402409**	**863**	**74**	**(27)**	**403171**	**149749**	**19887**	**(76)**	**169560**	**233611**	**252660**
	पिछले वर्ष	401645	806	42		402409	129880	19857	12	149749	252660	271765

टिप्पणी संख्या 10.2 चल परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2015	संवर्द्धन	कटौती	अन्य समायोजन	31.03.2016	01.04.2015	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2015
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	356157	2,434	-	-	358591	87189	12903	0	100092	258499	268968
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	157	1	-	-	158	134	24	0	158	0	23
	कुल	**356314**	**2435**	**-**	**-**	**358749**	**87323**	**12927**	**-**	**100250**	**258499**	**268991**
	पिछले वर्ष	353459	2864	9	-	356314	74510	12813	-	87323	268991	278949

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1) वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 399170 लाख रुपए (पिछले वर्ष 398380 लाख रुपए) मूल्य की अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2) परिसंपत्तियों के समायोजनों में शामिल विदेशी मुद्रा दर विनिमय अंतर का विवरण इस प्रकार है :-

परिसम्पत्तियों के वर्ग	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण सकल ब्लॉक में वृद्धि	
	31.3.2016 को (लाख रुपए में)	31.3.2015 को (लाख रुपए में)
जलीय कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)।	11	(23)
उत्पादन संयत्र एवं मशीनरी	-	(3)
कुल	**11**	**(26)**

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास		31.3.2016 को (लाख रुपये में)
10.1	अचल परिसम्पत्तियां	19887
10.2	चल परिसम्पत्तियां	12927
कुल		32814
सहायता -अनुदान आरक्षी में प्रभारित		7287
पी एंड एल में प्रभारित		25527

टिप्पणी संख्या 11.1- चालू पूंजी कार्य

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	संयोजन	01.04.2015	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016
सड़कें और पुल	4302	14	5	-	19	-
भवन	4303	185	78	-	210	53
रेलवे साइडिंग्स	4305	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	4306	44	6207	(9)	128	6114
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	4307	63	88	-	151	-
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	4308	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	4309	-	1	-	1	-
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	4310	-	1	-	-	1
निर्माण उपकरण	4311	-	-	-	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	4312, 4314	-	-	-	-	-
संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	4414, 6114, 4318	1	135	-	112	24
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	4326	-	-	-	-	-
भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-परिसम्पत्तियां	4327	-	-	-	-	-
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	4340	218	69	-	-	287
प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	4350	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	4375, 4380, 4381	-	-	-	-	-
घटाएं: प्रावधान के लिए	350922	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (क)		**525**	**6584**	**(9)**	**621**	**6479**
निर्माण भंडार		-	-	-	-	-
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान		-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल		**525**	**6584**	**(9)**	**621**	**6479**
पिछले वर्ष		386	784	(4)	641	525

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1. अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 6185 लाख रुपए (31.03.2015 को 306 लाख रुपए) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
2. उपरोक्त हाइड्रोलिक कार्य वसूली योग्य बीमा दावे के निवल के रूप में 2154 लाख रुपए दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी संख्या 11.2: विकास के अधीन चल परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण		01.04.2015	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016
विकास के अंतर्गत चल परिसंपत्तियां	4322					-
कुल		-	-	-	-	-
पिछले वर्ष		-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12: गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31.3.2015 को		
		शेयर/बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-	-	-	-	-
	व्यापार - अनुद्धृत						
	(क) इक्विटी लिख में निवेश	-	-	-	-	-	-
	(ख) बांड्स में निवेश	-	-	-	-	-	-
	(ग) शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-
	उप-जोड़ (क)			**-**			**-**
ख.	**गैर-व्यापार उद्धृत**						
	(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
	(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
	(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट बांड्स में निवेश -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
	उप जोड़ (ख)			**-**			**-**
	कुल जोड़ (क+ख)			**-**			**-**
	उद्धृत निवेश						
	(i) समग्र लागत	-	-	-	-	-	-
	(ii) समग्र बाजार मूल्य	-	-	-	-	-	-
	अनुद्धृत निवेश						
	(i) समग्र लागत	-	-	-	-	-	-
	(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	-	-	-	-	-	-
	लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी संख्या 13: ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
(क)	**पूंजी अग्रिम**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-	457	457	320		320
	- अन्य	-	148	148	-		-
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	-		-	-		-
(ख)	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छी समझी गई)	284	454	738	569	473	1042
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझी गई)	50		50	50	-	50
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान * 2		-	-		-	-
	घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान * 3	50	-	50	50	-	50

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
(ग)	**संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-			
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अन्य ऋण और अग्रिम						
	कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3552	304	3856	3325	292	3617
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	54	149	203	125	165	290
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को अग्रिम						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- बैंक गारंटी के बदले		-	-	-	-	-
	- अन्य	-	65	65	-	17	17
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	-	-	-	-	-	-
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-		-	-	-
	अन्य अग्रिम						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	741	741	-	804	804
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान * 4	-	-	-	-	-	-
	अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर काटा गया कर	-	70407	70407	-	44590	44590
	घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान	-	66191	66191	-	43179	43179
	निवल आय कर	-	4216	4216	-	1411	1411
		3890	**6534**	**10424**	**4339**	**3162**	**7501**

		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
*1	**संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
*2	**सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
*3	**संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	50	-	50	50	-	50
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-		-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**50**	**-**	**50**	**50**	**-**	**50**

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान 4*						
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(1)	निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
	वर्ष के अंत में देय राशि	-	-
(2)	ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य हो (पिछले वर्ष- शून्य)		
(3)	संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान - जिसमें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के पास 2007 में जमा करायी गई अप्रतिदेय राशि के रूप में 50 रुपए लाख शामिल है।		

टिप्पणी संख्या 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	**-**	**-**
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	**6456**	**33593**
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए	**-**	**-**
बिल में शामिल न की गई राशि के संदर्भ में प्राप्य	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
- अन्य	-	-
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते पर आस्थगित व्यय	-	-
कुल	**6456**	**33593**

टिप्पणी संख्या 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2015	संवर्द्धन	समायोजन*	परिशोधन/हानि	31 मार्च 2016
नियामक परिसंपत्तियां	-	-	-		-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 15 - वर्तमान निवेश

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	प्रति बांड्स /सेक्योरिटी पर शेयरों की संख्या	प्रति शेयर / बांड्स का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रूपये में)	प्रति बांड्स /सेक्योरिटी पर शेयरों की संख्या	प्रति शेयर / बांड्स का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रूपये में)
दीर्घावधि निवेश की चालू परिपक्वताएं	-	-	-	-	-	-
क. व्यापार - उद्धृत	-	-	-	-	-	-
ख. व्यापार - अनुद्धृत	-	-	-	-	-	-
कुल			-			-
अनुद्धृत निवेश						
समग्र लागत			-			-
लेखांकन नीती संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी संख्या 16 - माल सूची

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	(लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यांकन)				
	भंडार एवं कलपूर्जे	358		353	
	मार्गस्थ/लंबित निरीक्षण में भंडारित	24	382	55	408
	खुले औजार		-		-
	रद्दी मालसूची		17		28
	निर्माण स्थल पर सामग्री		498		355
	संविदाकर्ताओं/ निर्माताओ को जारी सामग्री		-		-
	स्व-सृचित वीईआर की सूची		-		-
	घटाएं: अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		-		-
			897		**791**
***1**	**अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान**				
	प्रारंभिक शेष		-		-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-
	अंतिम शेष		-		-

टिप्पणी संख्या 17 - व्यापार प्राप्य

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	भुगतान देय होने की तारीख मे छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
	- प्रतिभूत -अच्छे समझे गए	-	-
	- अप्रतिभूत- अच्छे समझे गए	**27276**	**30749**
	- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	**-**	**-**
	अन्य व्यापार प्राप्य	**-**	**-**
	- प्रतिभूत -अच्छे समझे गए	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	9981	10123
	- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	-	-
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	-	-
		37257	**40872**

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
	प्रारम्भिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015 को
क.	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
i)	हस्तगत नकदी (31.3.2015 को शून्य रुपए,) शून्य रुपए के स्टैम्प शामिल हैं।	3	4
ii)	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
iii)	बैंकों में राशि		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में	167	492
	- स्वबीमा निधि	-	-
	- अन्य	-	-
	- जमा खाते में (तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा)		
	- स्वबीमा निधि	-	-
	- आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	- अन्य	49722	18484
	• अन्य बैंकों के साथ		
ख.	**अन्य बैंकों में शेष**		
i)	3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने तक/से कम परिपक्वता अवधि के साथ जमा		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- आईपीओ से प्राप्तियां	-	-
	- जमा खाते में	86617	96397
	जमा खाता-अदा न किया गया लाभांश	-	-
ii)	12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ जमा		
	- अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	- आईपीओ से प्राप्तियां	14706	27715
	- सावधि जमा	**151215**	**143092**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 990 लाख रुपए (31.03.2015 को 901 लाख रुपए) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर बैंकों के पास रखे गए हैं, अतः 31.03.2016 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 280 लाख रुपये (31.03.2015 को 324 लाख रुपए) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा भूमि के बदले भूमि हेतु जमा कराए गए है। अतः 31.03.2015 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी संख्या 19 - अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
क)	**निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याजः-**				
	उपभोक्ताओं से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		-		-
	जमा राशियां -				
	- आईपीओ		-		-
	- स्व-बीमा		-		-
	- अन्य जमा राशियां		5957		4674
	अन्य		-		1
ख)	**बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य**		20666		16644
ग)	**होल्डिंग कम्पनी से वसूलियां**		-		-
घ)	**लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज**		71		242
ड)	**वसूली योग्य दावे**	30984		37447	
	घटाएं -संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *1	25	30959	25	37422
च)	**अन्य**		6040		4766
छ)	**कार्य प्रगति पर**				
	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
	परामर्शी कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
ज)	**निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसम्पत्तियां/अप्रचलित परिसम्पत्तियां**		8		3
झ)	**समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय**				
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *2		-		-
'च)	**बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां**	11		15	
	घटाएः बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *3	11	-	15	-
			63701		**63752**
*1	**संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान**				
	प्रारम्भिक शेष		25		25
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		
	अंतिम शेष		**25**		**25**
*2	**बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**				
	प्रारम्भिक शेष		-		
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन				
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		**-**		**-**
*3	**बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान**				
	प्रारम्भिक शेष		15		18
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		4		3
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		**11**		**15**

व्याख्यात्मक टिप्पणीः-

1) वसूली योग्य अन्य दावों (ड. पर वर्णित) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार की ओर देय 28595 लाख रुपए (31.3.2015 को 33709 लाख रुपए) की राशि शामिल हैं, जिसका उल्लेख लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (टिप्पणी संख्या 29 में क्रमांक 4 पर) में किया गया है और 2166 रुपए (31.3.2015 को 3576 लाख रुपये) की राशि शामिल हैं, जो इंदिरा सागर परियोजना पर ऊर्जा अपव्यय व्यवस्थाओं (ईडीए) की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावे के रूप में वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त स्रोत पर कर कटौती के रूप में वसूली योग्य 8 लाख रुपए (पिछले वर्ष 8 लाख रुपए) और 12 लाख रुपए (पिछले वर्ष 12 लाख रुपए) विस्थापितों को दोहरे (डुप्लीकेट) भुगतान से संबंधित है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।

2) (च पर वर्णित) अन्य के अंतर्गत स्थगित भुगतान के लिए 6040 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4766 लाख रुपए) शामिल हैं। (टिप्पणी संख्या 20 देखें)

3) निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसम्पत्तियां/अप्रचलित परिसम्पत्तियां बही मूल्य से कम मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाई गई हैं।

टिप्पणी संख्या 20 - प्रचालन से राजस्व

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**बिक्री**				
	बिजली की बिक्री (विद्युत शुल्क सहित)	116646		137088	
	घटाएं:				
	-विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-		-	
	- टैरिफ समायोजन	2225		-	
	-नियमित बिजली समायोजन	-		-	
	-विद्युत उत्पादन से आय -कमीशनिंग पूर्व (टिप्पणी संख्या 28 ज(क) देखें)	-		-	
	उप जोड़ क		**114421**		**137088**
ख)	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम**				
	वर्ष के दौरान		-		-
	घटाएं: वर्ष के दौरान पश्चलिखित		-		-
	उप जोड़ ख		**-**		**-**
ग)	**अन्य प्रचालन आय**				
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज (टैरिफ संशोधन)		-		-
	उप जोड़ ग		**-**		**-**
घ)	**संविदाओं परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय		-		-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व		-		-
	उप जोड़ घ		**-**		**-**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**114421**		**137088**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 2009-2014 की अवधि के लिए सत्यापन शुल्क आदेश और 2014-19 की अवधि के लिए शुल्क आदेश के लम्बित रहते, दोनों विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में वर्ष के लिए बिक्री सीईआरसी शुल्क विनियमन 2009-2014 में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर हिसाब में ली गई है और इसमें संतुलन के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है, क्योंकि शुल्क याचिकाएं सीईआरसी के अनुमोदन के अधीन हैं। उपरोक्त को देखते हुए, कम्पनी ने विभेदक शुल्क को विद्युत की बिक्री के अंतर्गत, बिल न किए गए राजस्व के रूप में समझा है, तदनुरूप (क) 2009-14 की अवधि के लिए सत्यापन के प्रति शून्य रुपये (पिछले वर्ष 8683 लाख रुपए) दर्शाए गए हैं, और (ख) 4022 लाख रुपए वर्ष 2015-16 (पिछले वर्ष 6064 लाख रुपए) के लिए शामिल हैं, क्योंकि वर्ष के लिए बिलिंग सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित शुल्क के अनुसार की गई है।

2) विद्युत की बिक्री में, वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की बिक्री से संबंधित रुपये शून्य (पिछले वर्ष 4426 लाख रुपए) बिल में शामिल किए गए हैं।

3) संयंत्र उपलब्धता घटक (पीएएफ) में अंतर के कारण वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए बिक्री में से 2154 लाख रुपए घटाए गए हैं, जो एनएचडीसी द्वारा बिल में शामिल किए गए थे और मध्यप्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एमपीएसएलडीसी) द्वारा प्रमाणित किए गए थे। एनएचडीसी ने इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए सीईआरसी में विविध याचिका दाखिल की है, जिसका निबटारा लंबित रहते इस राशि को टिप्पणी संख्या 7 (प्रावधान) में टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान के अंतर्गत दर्शाया गया है। उपरोक्त के अलावा ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना के संदर्भ में 2014-19 की टैरिफ अवधि के लिए विभेदक शुल्क के कारण 70 लाख रुपए शुल्क समायोजन के रूप में दर्शाए गए हैं।

4) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या 1-7/144/2013- सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जायेगी। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में 6040 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4766 लाख रुपए) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 19 देखें)

5) वर्ष के दौरान कम्पनी ने विद्युत शुल्क के रूप में 51 लाख रुपए (पिछले 429 लाख रुपए) और ऊर्जा विकास उप कर के रूप में 4391 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5525 लाख रुपए), का भुगतान/प्रावधान किया है। विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उप कर की राशि लाभार्थियों से वसूली योग्य है और तदनुरूप इसे लाभार्थियों के बिल में शामिल किया गया है और विद्युत की बिक्री में समाहित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 21 - अन्य आय

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
i)	**व्यापार**		
	- अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	- लाभांश-अन्य	-	-
	- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बांड)	-	-
ii)	**गैर-व्यापार**		
	- लाभांश आय - म्युचुअल फंड	-	-
	- लाभांश आय-अन्य	-	-
	- ब्याज- (स्व बीमा निधि)	-	-
ख)	**अन्य आय**		
i)	**ब्याज**		
	- जमा राशि - स्व-बीमा निधि	-	-
	- जमा खाता (बैंक) - स्व-बीमा निधि को छोड़ कर	13519	9969
	- लाभार्थियों से ब्याज - आस्थगित ऋण पर व्यापार प्राप्तियां	5021	7536
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	264	261
	- अन्य	89	1
ii)	विलम्ब अधिभार भुगतान	-	-
iii)	म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	-
iv)	स्व-निर्मित वी.ई.आर. की बिक्री से आय	-	-
v)	व्यापार व्यवधान के कारण हुई हानि की भरपाई	-	-
vi)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
vii)	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	68	96
viii)	अन्य	364	363
ix)	विनिमय दर अंतर	-	-
	कुल	**19325**	**18226**
	जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**19325**	**18226**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	-	-
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम राशि और जमा कार्यों के प्रति अंतरित आय	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**19325**	**18226**
	# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	क) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम *1	-	-
	ख) खराब तथा संदिग्ध जमा राशियां *2	-	-
	ग) अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम *3	-	-
	घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी*4	-	-
	ङ) खराब और संदिग्ध ऋण *5	-	-
	च) खराब और संदिग्ध दावे *6	-	-
	छ) बट्टेखाते डाले जाने के लिए प्रतिक्षित परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित *7	-	-
	ज) जांच/बट्टेखाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां *8	-	-
	झ) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	7
	ञ) पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	7	38
	ट) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान	-	-
	ठ) सेवानिवृत्ति लाभ (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिह्न आदि) के लिए प्रावधान	-	-
	ड) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	-	-
	ढ) कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थाई विकास एवं अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
	ण) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	-
	त) अन्य	61	51
	कुल	**68**	**96**

टिप्पणी संख्या 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**उत्पादन व्यय**				
	जल शुल्क		-		-
ख	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**		162		302
ग	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		-		-
घ	**मरम्मत और अनुरक्षण**				
	- भवन		327		426
	- मशीनरी		101		63
	- अन्य		1659		1822
ड.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया		420		403
	दरें और कर		20		25
	ऊर्जा विकास उप कर		4391		5525
	बीमा		1509		1322
	सुरक्षा व्यय		1177		1005
	विद्युत प्रभार		890		841
	यात्रा एवं वाहन		137		147
	वाहनों पर खर्च		19		26
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		63		55
	विज्ञापन एवं प्रचार		69		77
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		15		18
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		71		66
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		160		148
	परामर्शी प्रभार -विदेशी		-		-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)		12		11
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-		-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-		-
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-		1
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे		-		-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		2		2
	दान		-		-
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व स्थायी विकास/सामुदायिक विकास पर व्यय		2638		295
	निदेशकों का व्यय		1		2
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		2		3
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		7		30
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज		-		-
	ग्राहकों को छूट		1006		1103
	स्व निर्मित वी.ई.आर. पर व्यय		-		-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-		-	
	घटाएं: विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर		-		-
	अन्य सामान्य व्यय		466		503
	उप जोड़		**15324**		**14221**
	जोड़ें/(घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**15324**		**14221**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		-		-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (क से ड.) =I		**15324**		**14221**

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
च.	**प्रावधान**		
	खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	-
	खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
	परियोजना खर्चों के लिए प्रावधान	-	-
	अचल परिसम्पत्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान	-	-
	स्व-निर्मित वी.ई.आर. की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
	जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	-	-
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल (च) =II	**-**	**-**
	लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल (I+II)	**15324**	**14221**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किए जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराए के रूप मे दर्शाया गया है।

2)	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	1	2

3)	लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है		**31.3.2016 को**		**31.3.2015 को**
	क)	**सांविधिक लेखा परीक्षक**			
		लेखा परीक्षक के रूप में			
		लेखा परीक्षा शुल्क	6	7	
		कर लेखा परीक्षा शुल्क	2 8	2	9
		अन्य क्षमता में			
		कराधान मामले	-	-	
		कम्पनी कानून संबंधी मामले	-	-	
		प्रबंधन सेवाएं	-	-	
		अन्य मामले/सेवाएं	3 3	1	1
		व्यय की अदायगी	-		-
	ख)	**लागत लेखा परीक्षक**			
		लेखा परीक्षा शुल्क	1		1
		खर्चों की अदायगी	-		-
		कुल लेखा परीक्षा व्यय	**12**		**11**

टिप्पणी संख्या 23 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि लाख रूपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते.	6455	6001
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	1182	1093
कर्मचारी कल्याण व्यय	660	449
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**8297**	**7543**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**8297**	**7543**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	-	-
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	**8297**	**7543**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 281 लाख रुपये (विगत वर्ष 264 लाख रुपये) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
2)	ग्रेज्यूटी, भविष्य निधि और पेंशन योजना के लिए अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं-		
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	384	371
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना और ईपीएस	596	526

टिप्पणी संख्या 24 - वित्त लागत

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**निम्नलिखित पर ब्याज-**		
	भारत सरकार से ऋण	-	-
	बॉण्ड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	4044	9293
	कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज प्रभार	-	-
	उप जोड़	**4044**	**9293**
ख)	**अन्य ऋण लागत**		
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
	रायॅल्टी	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	550	9
	उप जोड़	**550**	**9**
ग)	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-	-

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
उपजोड़	**-**	**-**
कुल योग	**4594**	**9302**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल योग	**4594**	**9302**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**4594**	**9302**

टिप्पणी संख्या 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि लाख रूपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32814	32669
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**32814**	**32669**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
घटाएं : सहायता अनुदान-आरक्षी को प्रभारित (बट्टे खाते डाले गए अनुदान)	7287	7229
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**25527**	**25440**

टिप्पणी संख्या 26 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि लाख रूपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत कर बिक्री	-	-
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्चलिखित	-	-
ऋणकर्ताओं से ब्याज/प्रभार	-	-
अन्य	101	-
उपजोड़	**101**	**-**
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण	-	(19)
वित्त लागत	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	16	21
अन्य	-	-
उपजोड़	**16**	**2**
कुल	**(85)**	**2**
जोड़ें / (घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**(85)**	**2**
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	**(85)**	**2**
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**(85)**	**2**

टिप्पणी संख्या 27 कर व्यय

(राशि लाख रूपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		17081		20685
पिछले वर्क्षों से संबंधित समायोजन		70		(1)
आस्थगित कर	(4063)		(2099)	
घटाए: वसूली योग्य	(3950)	(113)	(3146)	1047
		17038		**21731**

टिप्पणी संख्या 28 वर्ष/अवधि के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि लाख रूपए में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	-		-	
ii)	उपदान और भविक्ष्यनिधि में योगदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	-		-	
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	-		-	
iv)	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ख)	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
i)	भवन	-		-	
ii)	मशीनरी	-		-	
iii)	अन्य	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ग)	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
i)	किराया	-		-	
ii)	दरें और कर	-		-	
iii)	बीमा	-		-	
iv)	सुरक्षा व्यय	-		-	
v)	विद्युत प्रभार	-		-	
vi)	यात्रा और वाहन	-		-	
vii)	वाहनों पर व्यय	-		-	
viii)	टेलीफोन, टलेक्स और डाक व्यय	-		-	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
x)	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
xi)	मुद्रण और लेखन सामग्री	-		-	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
xii)	- स्वदेशी	-		-	
xiii)	- विदेशी	-		-	
xiv)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
xv)	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
xvi)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
xviii)	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां/पदार्थ पर हानि	-		-	
xix)	विनिमय दर अंतर	-		-	
xx)	अन्य सामान्य व्यय	-		-	
	उप-जोड़		-		-

(राशि लाख रूपए में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घ)	**वित्त लागत**				
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	भारत सरकार के ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
ii)	बांड इश्यू/सेवा प्रभार	-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
v)	अन्य वित्त प्रभार	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ड.)	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		-		-
च)	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	-		-	
	उप-जोड़		-		-
)	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाएः पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
च)	**सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्ययः**				
i)	अन्य आय	-		-	
ii)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन	-		-	
v)	वित्त लागत	-		-	
vi)	प्रावधान	-		-	
vii)	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		-		-
	कुल (क से ज)		**-**		**-**
	घटाएः प्राप्तियां और वसूलियां				
क)	विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व		-		-
ख)	अन्य				
i)	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
ii)	विविध प्राप्तियां	-		-	
iii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
iv)	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
v)	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-		-	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-		-	
	उप जोड़		-		-
	कुल		**-**		**-**

टिप्पणी संख्या 29 - लेखों के बारे में अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के बारे में उद्घोषणा

क) निम्नलिखित के बारे में कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण में नहीं माने जाते:

(i) पूंजीगत कार्य

ठेकेदारों ने कंपनी के खिलाफ कुल 2,75,44 लाख रुपये के दावे (पिछले साल 2,78,59 लाख रुपये) दरों और गुणवत्ता में बदलाव, अवधि बढ़ाए जाने के लागत पर पड़ने वाले असर और कार्यस्थल आदि हस्तांतरित न किये जाने के कारण काम रुकने/देरी को लेकर किये हैं। कंपनी इन दावों का प्रतिवाद कर रही है क्योंकि ये या तो ठेके की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं या फिर मध्यस्थता न्यायाधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी के विचाराधीन हैं। इसमें 1,71,06 लाख रुपये (पिछले साल 1,35,26 लाख रुपये) कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता फैसलों और उस पर अद्यतन ब्याज के लिए हैं जिनको कानूनी/अदालत में चुनौती दी गयी है।

प्रबंधन ने उपर्युक्त दावों का मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के आधार पर शून्य रुपये (पिछले वर्ष भी शून्य रुपये) के प्रावधान का आकलन किया है और अनुमान लगाया है कि आकस्मिक देयता 2,75,44 लाख रुपये (पिछले साल 2,78,59 लाख रुपये) हो सकती है, यानी कंपनी को इस राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन अनुमानित आकस्मिक दावों के संदर्भ में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमन या तो संभव नहीं है, या फिर देयता को निपटाने के लिए राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता। बाकी दावों/देयताओं के बारे में निपटान किसी राशि के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम नजर आती है।

(ii) भूमि के मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के मामले में जमीन से विस्थापित हुए कुछ लोगों ने 25881 लाख रुपये के उच्चतर मुआवजे के दावे विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों में दायर किये हैं (पिछले साल 118310 लाख रुपये)। इनका निपटान हो जाने तक कंपनी ने 2063 लाख रुपये (पिछले साल 916 लाख रुपये) के मुआवजे का आकलन किया है और उपलब्ध कराया है जो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाहर जाने की आशंका को देखते हुए किया गया है। भुगतान की जाने वाली 23818 लाख रुपये की अनुमानित आकस्मिक देयता (पिछले साल 1174 लाख रुपये) को संभावित नहीं माना जा रहा है। शेष दावों/देनदारियों में से किसी का निपटान होने की संभावना बहुत कम नजर आती है।

(iii) विवादास्पद कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के पास आयकर/बिक्री कर/ सेवा कर/अन्य करों/शुल्कों से संबंधित 14 लाख रुपये के मामले लंबित हैं (इससे पिछले साल में ये 4 लाख रुपये के थे)। इनका निपटान होने तक कंपनी द्वारा आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाहर जाने की संभावना के आधार पर आकलित और भुगतान की गयी राशि शून्य (इससे पिछले साल भी शून्य) है। बाकी 14 लाख रुपये के दावों (इससे पहले साल 5 लाख रुपये) को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है क्योंकि संसाधनों के बाहर जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। बाकी दावों/देनदारियों के निपटान से संसाधनों के बाहर जाने की आशंका नहीं है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों से संबंधित दावे 1259 लाख रुपये के (पिछले साल 367 लाख रुपये) रहे। ये दावे विभिन्न मंचों पर लंबित पड़े हैं। इनका निस्तारण होने तक कंपनी ने आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्राप्त होने की संभावना का आकलन किया है और इसके आधार पर शून्य रुपये (इससे पहले साल भी शून्य) की राशि की व्यवस्था की है। संसाधनों के बाहर जाने की कोई संभावना को न देखते हुए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह के वास्ते 1259 लाख रुपये (पिछले साल 367 लाख रुपये) आकस्मिक देयता के रूप में रखे गये हैं। बाकी दावों/जिम्मेदारियों के संदर्भ में मामलों के निपटान के दौरान बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम समझी गयी है।

इसी बात को सारांश रूप में नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.3.2016 को दावे	दावों के विरुद्ध प्रावधान	31.3.2016 को आकस्मिक देयताएं	31.3.2015 को आकस्मिक देयताएं	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयताओं में बढ़ोतरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	पूंजीगत कार्य	27544	शून्य	27544	27859	(315)
2.	भूमि मुआवजा	25881	2063	23818	117394	(93576)
3.	करों के विवादित मामले	14	शून्य	14	5	9
4.	अन्य	1259	शून्य	1259	367	892
	कुल	**54698**	**2063**	**52635**	**145625**	**(92990)**

ख) इन आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों आदि से संबंधित आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशि के परिमाण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ग) आकस्मिक देयताओं से संबंधित देयताओं की राशियों का पता लगाना और उन्हें घोषित करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को शून्य रुपये (इससे पिछले वर्ष में भी शून्य) की राशि के वापस मिलने की संभावना है।

ड.) उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में मामलों को लड़ने के लिए 95 लाख रुपये (इससे पहले साल में 47 लाख रुपये) का भुगतान किया जा चुका है और इसे ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा रहा है।

कंपनी के प्रबंधन को इस बात की कोई तर्कसंगत संभावना नहीं लगती कि उपर्युक्त दावों/देनदारियों (कानूनी विवाद समेत) का अंतिम रूप से फैसला हो जाने से कंपनी की गतिविधियों या वित्तीय स्थिति संबंधी परिणामों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

2. क) पूंजी खाते के अंतर्गत अधूरे ठेकों की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम) में 12956 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं की गयी (इससे पिछले साल 20467 लाख रुपये)। इसमें रेलवे लाइन का रास्ता बदलने के लिए 3461 लाख रुपये की अनुमानित अकार्यान्वित राशि (इससे पहले साल 3461 लाख रुपये) भी शामिल है।

ख) जमीन और अन्य संबंधित चीजों के मुआवजे के लिए अनुमानित पूंजीगत देनदारी के 2156 लाख रुपये (इससे पहले साल 33,74 लाख रुपये) के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. क) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने तक अस्थायी भुगतान/स्वीकृति के बाहर की मदों में से पूरे किये गये कुछ कार्यों के लिए किये गये प्रावधानों और कुछ अतिरिक्त मदों को चालू पूंजीगत कार्यों/स्थिर परिसम्पत्तियों/लाभ-हानि विवरण में शामिल किया गया है।

(ख) प्रबंधन की राय में चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और सामान्य प्रक्रिया वसूले जा सकने वाले अग्रिमों का मूल्य, तुलनपत्र में बताए गये उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

4. संयुक्त उपक्रम में साझेदार होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार ने सीसीईए की स्वीकृति से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए अंशदान किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है: (कृपया तुलनपत्र की टिप्पणी संख्या 3 देखें)।

इंदिरा सागर परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

	31.3.2015 तक संचित	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान	31.3.2016 तक संचित
(क) नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त राशि			
i. एनवीडीए द्वारा उठाया गया खर्च	131939	278	132217
ii. प्राप्त नकदी	61521		61521
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	856		856
(क) का कुल	194316	278	194594
(ख) किस खाते में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	66000	-	66000
ii. सिंचाई घटक	40100	131	40231
iii. एसएसपी घटक	51242	166	51408
iv. अतिरिक्त आरआर खर्चों के लिए आर्थिक सहायता	39594	1141	40735
v. बिजली शुल्क और जलापूर्ति शुल्क	504	-	504
vi. ओएसपी के सिंचाई/इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम	3308	-	3308
(ख) का कुल	200748	1438	202186
(ग) एनवीडीए से वसूली जाने वाली राशि अर्थात (बी-ए)	6432	1160	7592

ओंकारेश्वर परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

	31.3.2015 तक संचित	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान	31.3.2016 तक संचित
(घ) नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त राशि			
i. एनवीडीए द्वारा उठाया गया खर्च	8271	1064	9335
ii. प्राप्त नकदी	44166	5300	49466
iii. आइएसपी खाते से अंतरित राशि	3308	-	3308
(घ) का कुल	55745	6364	62109
(ड) किस खाते में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	30016	-	30016
ii. सिंचाई घटक	23910	15	23925
iii. एसएसपी घटक	7490	75	7565
iv. अतिरिक्त आरआर खर्चों के लिए आर्थिक सहायता	856		856
v. बिजली शुल्क और जलापूर्ति शुल्क	20750		20750
(ड.) का कुल	83022	90	83112
(च) एनवीडीए से वसूली जाने वाली राशि अर्थात (ड.-घ)	27277	(6274)	21003
(छ) कुल प्राप्य राशि (ग+च)	33709	(5114)	28595

5. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को बदला/संशोधित/हटाया गया:

(राशि लाख रुपये में)

पालिसी संख्या	विवरण	लाभ-हानि विवरण पर असर
2.1.3	**शामिल की गयी नयी नीतिः मूर्तपरिसम्पत्तियां** पावर हाउस के मूलतः अनुमानित जीवनकाल के पूरा हो जाने पर मूर्त परिसम्पत्तियां की मरम्मत और आधुनिकीकरण पर हुआ खर्च जिससे मौजूदा परिसम्पत्ति का जीवनकाल और/या कार्य कुशलता बढ़ी हो, को संबंधित परिसम्पत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा परिसम्पत्तियों के स्थान पर अधिग्रहीत नयी परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण किया जाता है और इस तरह इस्तेमाल से हटायी गयी/अप्रयोज्य प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों को अनुपयोगी करार दे दिया जाता है।	कोई असर नहीं
2.1.4	**संशोधित नीति : मूर्त परिसम्पत्तियां:** कब्जे वाली जमीन के मुआवजे का भुगतान/अस्थायी रूप से बनी देयता (जिसमें अदालती फैसला आने तक के लिए मुआवजे की संभावित बढ़ी हुई राशि पर ब्याज भी शामिल है), पुनर्वास तथा जमीन संबंधी अन्य खर्चों को जमीन की कीमत माना जाता है।	कोई असर नहीं

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(1) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ-हानि खाते में प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(2) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ-हानि खाते में प्रभारित राशि (उधार लेने की लागत के रूप में)	शून्य	शून्य
(3) निर्माण के दौरान खर्च की मद में प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(4) चल रहे पूंजीगत कार्य (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(5) स्थिर परिसम्पत्तियों की केरीइंग राशि में जोड़कर समायोजित राशि	11	(26)

7. कर्मचारी लाभ के बारे में लेखांकन मानदंड-15 (संशोधित) के बारे में वांछित घोषणा:

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजना

क सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुग्रह नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी प्रति माह प्रति कर्मचारी समतुल्य अंशदान भी करती है। यह अंशदान योजना के लागू होने की तारीख, यानी 01.04.2009 से 8 साल के लिए किया जाना है ताकि एक निधि बनायी जा सके। इस तरह से जमा राशि का प्रबंधन एनएचडीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्याय नाम के एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह योजना किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने या उसके स्थायी रूप से या पूरी तरह विकलांग हो जाने पर उसके परिवार की मदद और देखभाल के लिए शुरूकी गयी है। कर्मचारी के त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने की स्थिति में कर्मचारी के अपने अंशदान के बराबर राशि और इसपर उसके खाते में निर्धारित तारीख तक जमा हुए ब्याज को कर्मचारी को वापस कर दिया जाता है।

ख कर्मचारी द्वारा निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी की कर्मचारियों के खुद के अंशदान पर आधारित अधिवर्षिता योजना है जिससे उन्हें पेंशन संबंधी लाभ दिये जाते हैं। योजना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अपना अंशदान देते हैं। कंपनी इसमें से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी ट्रस्ट और आरईएचएस में कर्मचारी के अंशदान को घटाने के बाद शेष राशि का भुगतान करती है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से होता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

ग भविष्य निधि

कंपनी एक अलग निधि में जिसका नाम एनएचडीसी लि. एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, पूर्वनिर्धारित दरों पर एक निश्चित राशि का भविष्य निधि में अंशदान करती है। इस निधि में निर्धारित अवधि में हुए अंशदान को खर्च के रू प में प्रदर्शित किया जाता है और इसे लाभ-हानि विवरण में प्रभारित कर दिया जाता है। कंपनी का दायित्व निश्चित राशि का अंशदान करना और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मचारी को किये जाने वाले भुगतान की न्यूनतम दर तय करना है। निधि का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो छूट प्राप्त निधियों के लिए वैधानिक ब्याज दर की गारंटी करता है और इसे बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार संचालित किया जाता है।

घ. ग्रेच्युटी

कंपनी की एक सुपरिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। ऐसा हर कर्मचारी जिसने पांच साल या इससे अधिक की लगातार सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता या मौत की स्थिति में अपनी सेवा के पूरे किये गये हर वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है (15/26xअंतिम आहरित वेतन + महंगाई भत्ता)। इस योजना का प्रबंधन कर्मचारियों के हित के लिए गठित एनएचडीसी लि. एम्प्लॉयीज ग्रुप ग्रेच्युटी एश्यारेंस फंड नाम के एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी को बीमांकक के मूल्यांकन के अनुसार ट्रस्ट को अंशदान देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

ड. छुट्टी

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी और आधे वेतन पर छुट्टी का प्रावधान किया है जो हर साल क्रमश: 30 दिन और 20 दिन की दर से जुड़ता चला जाता है। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन है। लेकिन सेवानिवृत्ति के समय जमा हुए अर्जित छुट्टी की 300 दिनों की अधिकतम सीमा में कोई कमी रह जाने पर छुट्टी नकदीकरण भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार होता है। इसकी देयता का आकलन बीमांकक के मूल्यांकन के जरिए किया जाता है।

च सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी की सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके जीवन साथी और मृत कर्मचारी के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत बहिरंग रोगी के रूप में भी इलाज करा सकते हैं। इसके लिए देयता का निर्धारण बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय भत्ता (सामान भत्ता)

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के तैनाती के स्थान से रिटायमेंट के बाद उसके किसी नये स्थान पर बसने पर आने वाला खर्च नियमानुसार कंपनी देती है। मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसकी देयता का निर्धारण बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ज सेवानिवृत्ति की उम्र हो जाने पर कर्मचारी को स्मृतिचिन्ह

कंपनी की नीति के अनुसार अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 5000 रुपये तक के मूल्य का स्मृतिचिन्ह उपहार में दिया जाता है। इसकी देयता का निर्धारण बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त बतायी गयी क, ख, ग और घ योजनाएं निधि से संचालित हैं जबकि बाकी योजनाएं निधि संचालित नहीं हैं।

एनएचडीसी के कर्मचारियों के हितलाभ संबंधी प्रावधान बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक आधार पर किये गये हैं और जहां भी और जब भी जरूरत हुई है 31.03.2016 से इन्हें लागू किया गया है। फिलहाल एनएचडीसी में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं बनाए गये हैं और एनएचपीसी से प्राप्त सूचना/सलाह के आधार पर उनके खर्च के हिस्से को लाभ-हानि खाते में डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ''कर्मचारी हितलाभ'' संबंधी लेखांकन मानदंड-15 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत घोषणा नीचे दी गयी है:

सारणी 1: बीमांकिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
मृत्युदर सारणी	बीमाकृत भारतीयों की मृत्युदर (2006-08)	बीमाकृत भारतीयों की मृत्युदर (2006-08)
छूट की दर	8.00%	8.00%
मुआवजे के स्तर में बढ़ोतरी की दर	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का शेष औसत अनुमानित कार्यशील जीवन (वर्ष)	19.78	19.55

सारणी 2 : देनदारियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(देखिए टिप्पणी संख्या 7 और 9)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	1028	1037	289	843	793	254
ब्याज लागत	82	83	23	72	67	22
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	112	126	35	100	105	27
लाभों का भुगतान	(4)	(80)	(1)	(5)	(56)	(1)
बीमांकक (लाभ)/हानि	(11)	92	35	18	128	(13)
साल के अंत में पीवीओ	1207	1258	381	1028	1037	289

सारणी 3: योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	985	721
योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित आय	87	68
अंशदान	95	188
निधि से निकासी	-	(5)
बीमांकिक प्राप्तियां/(हानि) योजनागत परिसम्पत्तियों पर	5	13
अवधि के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1172	985

सारणी 4: तुलनपत्र में ली गयी राशि

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	1207	1258	381	1028	1037	289
साल के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1172	-	-	985	-	-
निधिक स्थिति/अंतर	(35)	(1258)	(381)	(43)	(1037)	(289)
अप्राप्य बीमांकिक (प्राप्तियां)/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्र में ली गयी शुद्ध परिसम्पत्तियों/(देयताएं)	(35)	(1258)	(381)	(43)	(1037)	(289)

सारणी 5: लाभ-हानि विवरण में ली गयी राशि

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
चालू सेवा लागत	112	126	35	100	105	27
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	82	83	23	72	67	22
योजनागत परिसम्पत्तियों से अनुमानित आय	(87)	-	-	(68)	-	-
वर्ष के लिए शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	(16)	92	35	5	122	(13)
साल के लाभ-हानि खाते में लिया गया खर्च	91	301	93	109	294	36

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के भुगतान और स्मृतिचिन्ह देने की देयता 31.03.2016 को क्रमशः 49 लाख रुपये और 3 लाख रुपये (इससे पहले के साल में 37 लाख रुपये और 2 लाख रुपये) थी।

8. क) कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि विद्युत उत्पादन है। अन्य आय, जैसे ब्याज से आमदनी 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के बारे में लेखांकन मानदंड-17 के अनुसार रिपोर्टेबल सेगमेंट का हिस्सा नहीं है।

ख) कंपनी के पास फिलहाल मध्य प्रदेश में बिजली परियोजनाएं हैं इसलिए भौगोलिक सेगमेंट के बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

9. लेखांकन मानदंड-18--'संबद्ध पक्ष घोषणा' के अनुपालन में वांछित सूचना इस प्रकार है:

संबद्ध पक्ष:

(i) होल्डिंग कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, 4 लाख रुपये (इससे पहले साल 15 लाख रुपये) की राशि एनएचपीसी लि. को तकनीकी कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए भुगतान/खाते में जमा की गयी है जो आईएसपीएस के मुख्य स्पिलवे के सर्विस बे क्षेत्र में एनर्जी डिस्सिपेशन एरेंजमेंट (ईडीए) में बदलाव और पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाओं तथा अन्य कार्यों के लिए है।

(ii) प्रमुख प्रबंधनकर्मी

नाम	पदनाम	अवधि
श्री आर.एस.मीना	प्रबंध निदेशक	कार्यरत
श्री के.एम.सिंह	मुख्य कार्यपालक निदेशक	1.4.2015 - 23.9.2015
श्री जी.पी. पटेल	मुख्य कार्यपालक निदेशक	26.10.2015 से
श्री दीपांकर चक्रबर्ती	महा प्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	1.4.2015 - 30.6.2015
श्री बी.एल. साबू	महा प्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	1.7.2015 से
श्री विनय त्रिपाठी	कंपनी सचिव	कार्यरत

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को 123 लाख रुपये वेतन आदि के रूप में दिये गये जबकि पिछले साल यह राशि 94 लाख रुपये थी.

10. प्रति शेयर आमदनी:

प्रति शेयर आमदनी (बेसिक और डायल्यूटेड) की गणना के लिए जिन घटकों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं:

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष में	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष में
कर को गुणक मानकर शुद्ध ब्याज (रुपये)	6,30,00,18,362	7,66,45,88,043
विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	19625800	19625800
प्रति शेयर आय (रुपये)- बेसिक और डायल्यूटेड	321.01	390.54
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	1000	1000

11. प्रबंधन की राय है कि परिसम्पत्तियों में गड़बड़ी के बारे में लेखांकन मानदंड-28 के अनुसार 31.03.2016 को कंपनी की परिसम्पत्तियों में गड़बड़ी का कोई मामला नहीं है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार अन्य घोषणाएं:

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष में	31.03.2015 को समाप्त वर्ष में
क)*	सीआईएफ आधार पर आयातों का मूल्य		
	1) पूंजीगत सामान	शून्य	शून्य
	2) कल-पुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	1) जानकारी	शून्य	शून्य
	2) ब्याज	शून्य	शून्य
	3) अन्य विविध मसले	शून्य	2
ग)*	कार्यशील इकाइयों में काम आए उपकरणों और कल-पुर्जों का मूल्य		
	1) आयातित	शून्य	शून्य
	2) स्वदेशी	161	302
घ)*	विदेशी मुद्रा में आय		
	1) ब्याज	शून्य	शून्य
	2) अन्य	शून्य	शून्य

* संचित आधार पर

13. कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) संबंधी घोषणा (देखिए टिप्पणी संख्या 22)

(i) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न लेखाशीर्षोंके अंतर्गत सीएसआर खर्च का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सीएसआर खर्च में व्यय शीर्ष	राशि रुपये में
1	स्वास्थ्य और स्वच्छता	13
2	शिक्षा और कौशल विकास	114
3	ग्रामीण विकास	227
4	स्वच्छ विद्यालय अभियान	2284
	कुल राशि	**2638**

(ii) अन्य घोषणाएं

(क) 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा जिसमें 'चुकता' और 'चुकता होना बाकी' के साथ खर्च की प्रकृति (पूंजीगत या राजस्व) को इस प्रकार दर्शाया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	चुकता (क)	चुकता होना बाकी (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी भी परिसम्पति का निर्माण/अधिग्रहण	2302	16	2318
(ii)	उक्त (i) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य	279	41	320
	कुल	**2581**	**57**	**2638**

(ख) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 2638 लाख रुपये के कुल खर्च में से 57 लाख रुपये की राशि का भुगतान संबंधित पक्षों को किया जाना बाकी है जिसे देयताओं से संबंधित लेखा शीर्षों में शामिल किया गया है।

14. अतिशेष की पुष्टि संबंधी घोषणा इस प्रकार है:

(क) ठेकेदारों को दी गयी सामग्री, बीमा दावों समेत वसूल किये जाने वाले दावे, पूंजीगत खर्च के लिए अग्रिम, व्यापारिक प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापारिक देय और ठेकेदारों से प्राप्त जमा/जमानत राशियों का मिलान/पुष्टि और परिणामस्वरूप समायोजन किया जाना जरूरी है।

(ख) ठेकेदारों/सप्लायरों/सेवा प्रदाताओं/अन्य को पूंजीगत खर्च और ठेकेदारों को दिये गये व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देय, जमा अग्रिम समेत ठेकेदारों को पूंजीगत खर्च और दी गयी सामग्री की बाहरी पक्षों से पुष्टि प्राप्त की जाती है जो हर साल 31 दिसंबर को 5 लाख रुपये तक के बकाया अतिशेष के लिए होती है। 31 दिसंबर 2015 को अतिशेष के साथ साथ 31.03.2016 को बकाया की पुष्टि की स्थिति इस प्रकार थी:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.12.2015 को बकाया राशि	पुष्टि हो चुकी राशि	31.12.2016 को बकाया राशि
व्यापारिक प्राप्य	51180	41273	43713
ठेकेदारों/सप्लायरों/सेवा प्रदाताओं/ अन्य को जमा, समेत पूंजीगत खर्च और ठेकेदारों को जारी सामग्री.	3345	1266	1458
व्यापारिक/अन्य देनदारियां	2567	1089	2159
सुरक्षित जमा/देय रिटैंशन मनी	809	70	931

(ग) प्रबंधन की राय में अपुष्ट अतिशेषों का कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

15. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 4.09.2015 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत वांछित घोषणा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में बदलाव से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं:

(संदर्भ : टिप्पणी संख्या 8)

क्रम सं.	ब्यौरा	राशि रुपयों में
(i)	तुलनपत्र की तारीख को किसी आपूर्तिकर्ता को मूलधन और उस पर देय ब्याज का भुगतान न हो पाना : - मूलधन - ब्याज	शून्य
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की राशि और वर्ष के निर्धारित दिन के बाद सप्लायर को किये गये भुगतान की राशि	शून्य
(iii)	भुगतान में देरी के साल के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज (जिसका भुगतान तो किया जा चुका है मगर वर्ष की निर्धारित तिथि के बाद) जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को नहीं जोड़ा गया है।	शून्य
(iv)	तुलनपत्र की तारीख को जुड़ चुका और भुगतान न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	बाद के वर्षों में भी देय बने रहे और भुगतान योग्य बकाया ब्याज की राशि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत उपर्युक्त ब्याज को वास्तव में भुगतान किये जाने की तारीख तक छोटे उपक्रमों को चुकाया जा चुका है।	शून्य

16. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों/अथशेष को पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/पुनिर्निर्धारित कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

जी. पी. पटेल
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन नं. 03337117

आर.एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 00149956

वी.के. त्रिपाठी
सह-सचिव

बी.एल. साबू
महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर. गणेशन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 26164
एफआरएन - 004465सी

स्थान : भोपाल
दिनांक 09.05.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	80038		98377	
	जोड़े:				
	-मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्वावधि सहित	25543		25461	
	-प्रावधान/देयताएं पश्चलिखित	-		-	
	-प्रावधान	104		1232	
	- मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	-		1	
	- परिसम्पत्तियों की बिक्री पर शुद्ध हानि/(लाभ)	4594		9302	
	- वित्त लागत	(18540)		(17505)	
	-ब्याज आय		91739		116868
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	(106)		(36)	
	माल सूची में (वृद्धि)/कमी	30752		24196	
	व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(121)		(1110)	
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	51		(16412)	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(181)	30395	(2376)	4262
	चालू देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		122134		121130
	घटाएं: अदा किया गया कर (टीडीएस सहित) रिफंड का निवल	20141		20410	
	प्रचालनगत क्रियाकलापों से सृजित नकदी (क)		20141		20410
			101993		100720
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	गोचर और अगोचर परिसम्पत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी	(9243)		(3767)	
	ब्याज आय	18540		17505	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	-		-	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		9297		13738
ग)	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां	-		-	
	उधार दी गयी राशि से प्राप्तियां	-		-	
	उधार का पुनर्भुगतान	(72228)		(22447)	
	मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त राशियां	1528		2014	
	अदा किया गया लाभांश	(23158)		(11579)	
	अदा किया गया लाभांश कर	(4715)		(1968)	
	अदा किया गया अंतरिम लाभांश	-		-	
	अदा किया गया अंतरिम लाभांश कर	-		-	
	वित्त लागत	(4594)		(9302)	
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(103167)		(43282)
	नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल नकदी और नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		8123		71176
	नकदी और नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		143092		71916
	नकदी और नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		151215		143092

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टकारी टिप्पणियां:

1 नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत रु 990 लाख (31.03.2015 को 901 लाख रुपये) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अतः 31.03.2016 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

2 नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रुपये 280 लाख (31.03.2015 को रुपये 324 लाख रुपये) शामिल हैं, जो ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा भूमि के बदले भूमि योजना हेतु जमा कराए गए हैं। अतः 31.03.2016 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

3 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित कर दिया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर. गणेशन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 26164
एफआरएन - 004465 सी

स्थान - भोपाल
दिनांक 09.05.2016

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

जी. पी. पटेल
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 03337117

आर. एस. मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

बी. एल. साबू
महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक 10 मई, 2016 की रिपोर्ट के बारे भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रश्नों के सिलसिले में संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है ।

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (‘कंपनी’) के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण कर लिया है जिसमें दिनांक 31.03.2016 का तुलनपत्र, 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं ।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

जहां तक इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का सवाल है, कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम 2013 (‘अधिनियम’) के अनुच्छेद 134 (5) के तहत इन्हें तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और ये अधिनियम के अनुच्छेद 133 के साथ पठित कंपनियां (लेखा) नियमावली 2014, के नियम 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह के बारे में सही और स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं। कंपनी के इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण, गबन और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा इनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर उनपर अमल करना और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाना भी शामिल है जो युक्तिसंगत व दूरदर्शितापूर्ण हों। इनके अलावा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उनपर अमल करना तथा उनका अनुरक्षण करना जो लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कारगर तरीके से अमल में लाए जा रहे हों; जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों तथा जिनसे कंपनी की सत्य एवं निष्पक्ष छवि सामने आए और जिसमें गलती से या धोखाधड़ी से कोई बड़ा गलत कथन न किया गया हो.

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के आधार पर अपनी राय देने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानदंडों तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए जरूरी मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने लेखापरीक्षण का अपना कार्य अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार किया। इन मानदंडों के तहत जरूरी था कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षण का कार्य इस तरह से नियोजित व संचालित करें जिससे वित्तीय विवरणों में किसी बड़े गलत कथन से मुक्त होने का पर्याप्त आश्वासन रहे।

लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और घोषणाओं के बारे में ऑडिट प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया का नाम है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण के किसी महत्वपूर्ण गलत कथन में त्रुटि या हेराफेरी की आशंका का आकलन भी शामिल है। जोखिम संबंधी इन आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक, कंपनी के बनाये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करते हैं ताकि ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन पस्थितियों के अनुरुप तो हों, मगर इनके आधार पर यह राय कायम नहीं की जा सकती कि वित्तीय रिपोर्टिंग और संचालन के लिए कंपनी की अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कितनी पर्याप्त है और इस तरह के नियंत्रण कितने प्रभावी हैं। लेखापरीक्षा के कार्य में कंपनी द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों के बारे में कंपनी निदेशकों के अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा मानना है कि हमने लेखांकन संबंधी जो प्रमाण प्राप्त किये हैं वे वित्तीय विवरणों के बारे में लेखापरीक्षण संबंधी दृष्टिकोण का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी समस्त जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण ऐसी तमाम जानकारी देते हैं जो अधिनियम के अनुसार वांछित हैं। वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को, इसी तारीख को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, उसके मुनाफे/नुकसान और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की धारा (1) की शर्तों के तहत जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (‘‘आदेश’’) के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण संलग्नक-‘क’ में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (3) की अपेक्षाओं के अनुसार हमें सूचित करना है कि:

   (क) हमने ऐसी तमाम सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त कर ली हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थीं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी हैं और यह बात इन बहियों की जांच से स्पष्ट हो गयी है।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों में दिये गये विवरणों के अनुसार हैं।

   (घ) हमारी राय में ऊपर बताये गये स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनियां (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

   (ड) कंपनी के निदेशकों की ओर से 31 मार्च, 2016 को प्राप्त हुए लिखित प्रतिवेदन, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में शामिल किया गया है, के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशालिता के संदर्भ में ‘अनुलग्नक-ख’ में हमारी अलग रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं।

   (छ) वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों के मुताबिक:

      (i) कंपनी को कोई ऐसा लंबित मुकदमा नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़े;

      (ii) कंपनी ने ऐसे कोई दीर्घावधि अनुबंध और व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किये हैं जिनसे कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका हो;

      (iii) कंपनी ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड में स्थानांतरण के लिए कोई राशि नहीं रखी है।

      (iv) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत स्वतंत्रलेखापरीक्षक के तौर पर लेखे की समीक्षा ‘अनुलग्नक ग’ में शामिल की गयी है।

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ.आर.एन-327475ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 063227

दिनांक: 04.07.2016
स्थान: इम्फाल

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक

संलग्नक - क

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को दी जाने वाली हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित संलग्नक। हम सूचित करते हैं कि:

1) (क) कंपनी अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति और उनके मात्रात्मक विवरण आदि का समुचित रिकार्ड रख रही है जिसमें पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित किया जाता है।

(ख) प्रबंधन ने इन स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 25/01/2016 को किया जिसमें कोई कमियां नहीं पायी गयीं;

(ग) मणिपुर के तामेंगलांग जिले के थंगल गांव के मुखिया से दान में मिले जमीन के एक टुकड़े को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर दर्ज हैं।

(2) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान पर्याप्त अंतराल से तमाम स्थानों पर वस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन किया जिसमें कोई कमियां नहीं पायी गयीं।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में उल्लिखित किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व वाली साझा कंपनी या किसी अन्य पक्ष को कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसलिए आदेश की धारा 3(iii)(क) से लेकर 3(iii)(ग) तक उसपर लागू नहीं होती हैं।

(4) कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, गारंटी या जमानत नहीं दी है और न ऐसा कोई निवेश किया है जिसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन जरूरी हो।

(5) कंपनी ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या उनके अंतर्गत बनाए गए किसी अन्य प्रासंगिक नियम व प्रावधान के तहत वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(6) चूंकि कंपनी अभी सर्वेक्षण और अन्वेषण चरण में चल रही है इसलिए लागत लेखांकन रिकार्ड रखने की जरूरत नहीं है।

(7) (क) कंपनी ने निर्विवाद सांविधिक देयताओं का नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों को भुगतान कर रही है और वित्त वर्ष के अंतिम तारीख को उसपर छह महीने से अधिक से पुरानी देनदारी लंबित नहीं है।

(7) (ख) कोई विवादग्रस्त वैधानिक देयता लंबित नहीं है।

(8) कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं से कुछ भी उधार नहीं लिया है, इसलिए यह प्रश्न भी प्रासंगिक नहीं है।

(9) कंपनी ने इनीशियल पब्लिक ऑफर या उसके बाद के पब्लिक आफर और आवधिक ऋणों के जरिए कोई धन संग्रह नहीं किया है।

(10) वर्ष के दौरान गबन के किसी भी मामले का पता नहीं चला और न ऐसा मामला दर्ज किया गया।

(11) यह धारा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(12) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इसपर यह धारा लागू नहीं होती।

(13) संबद्ध पक्ष लेनदेन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुए हैं और वित्तीय विवरणों में इनका उल्लेख कर दिया गया है।

(14) चूंकि कोई आबंटन हुआ ही नहीं है इसलिए यह धारा लागू नहीं होती।

(15) कंपनी निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है। इसलिए धारा लागू नहीं होती।

(16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत अपना पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह धारा लागू नहीं होती।

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ.आर.एन-327475ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 063227

दिनांक: 04.07.2016
स्थान: इम्फाल

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की इसी तारीख की रिपोर्ट के साथ संलग्नक

संलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के साथ-साथ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा बनाये गये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के अनुसार अंदरूनी वित्तीय नियंत्रणों को कायम करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कारोबार का सुव्यवस्थिति और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाना, उन्हें लागू करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना; कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, हेराफेरी व गलतियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम, लेखांकन का सही-सही और पूरा-पूरा रिकार्ड रखना तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वांछित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व है कि हम लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी द्वारा की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय रखें। हमने लेखापरीक्षा का अपना कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में आईसीएआई द्वारा जारी की गयी दिशानिर्देशात्मक टिप्पणी (''गाइडेंस नोट'') तथा लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार किया, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना जाता है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया की इस दिशानिर्देशात्मक टिप्पणी और लेखापरीक्षा मानदंडों, दोनों का उपयोग उस सीमा तक किया जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के लिए लागू होते हैं। इस टिप्पणी और मानदंडों के अनुसार हमसे नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करने और लेखापरीक्षण का काम इस तरह से नियोजित व संचालित करने की उम्मीद की गयी है जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम तथा लागू किये गये तथा तमाम महत्वपूर्ण संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों ने कारगर तरीके से अपना कार्य किया।

हमने जो लेखापरीक्षा की है उसमें इस बात के प्रमाण जुटाने की संचालनात्मक प्रक्रिया भी शामिल है, जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा संचालन की दृष्टि से उनके प्रभावी होने की पुष्टि होती हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमने जो लेखापरीक्षा की है, उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में समझ हासिल करना, किसी महत्वपूर्ण कमी के रह जाने के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के तौर-तरीकों व उनके संचालन के कारगर होने की परीक्षा तथा मूल्यांकन भी शामिल है। इसके लिए जो प्रक्रिया चुनी गयी है वह लेखापरीक्षकों के विवेक पर आधारित है और उसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती से किसी बड़े वित्तीय गलत कथन के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा से जो प्रमाण जुटाए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाना एक ऐसी प्रकिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किसी बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं और नीतियां शामिल रहती हैं जो : (1) ऐसे रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेनदेनों तथा उसके द्वारा परिसंपत्तियों के निपटान को युक्तिसंगत विस्तार के साथ, सही-सही और निष्पक्षता के साथ प्रदर्शित करने से संबंधित है; (2) इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन, आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जरूरत के अनुसार दर्ज किये गये हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकृत होने के बाद ही किये जाते हैं; (3) कंपनी के विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या परिसंपत्तियों के निपटान का समय पर पता लगाने और उसे रोकने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं और टकराव की आशंका या नियंत्रणों पर प्रबंधन के अनुचित दबाव की वजह से संभव है कि गलतियों या हेराफेरी से कोई महत्वपूर्ण गलत कथन हो जाए और उसका पता ही न चले। इसके अलावा भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी अनुमानों में जोखिम हो सकता है। भविष्य की किसी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी संभावित आकलनों में जोखिम की आशंका हो सकती है और ऐसे नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव, या नीतियों पर अमल के परिमाणस्वरूप या प्रक्रियाओं में ह्रास के कारण अपर्याप्त साबित हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कंपनी के पास हर लिहाज से पर्याप्त अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग का कार्य सुचारुरूप से कर रहे थे। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के बारे में कंपनी के ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में जारी किये गये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण संबंधी निर्देशात्मक टिप्पणियों के महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल कर बनाए गये हैं।

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ.आर.एन-327475ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 063227

दिनांक: 04.07.2016
स्थान: इम्फाल

संलग्नक-ग

लोकतक हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के 2015-16 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देश।

क्रम सं.	दिशानिर्देश	लेखापरीक्षकों का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड जमीन के लिए क्रमशः स्पष्ट टाइटल/लीज डीड है ? अगर नहीं, तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड जमीन का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए टाइटल/लीजडीड उपलब्ध नहीं है।	हां। मणिपुर के तामेंगलांग जिले में थंगल गांव में मुखिया से दान में मिले जमीन के टुकड़े को छोड़कर
2	क्या ऋण, उधार और ब्याज माफ करने/बट्टेखाते में डालने का कोई मामला है; अगर हां, तो उसका कारण और उसमें शामिल राशि।	नहीं
3	क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी चीजों की वस्तुसूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है ?	लागू नहीं

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ.आर.एन-327475ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 063227

दिनांक: 04.07.2016
स्थान: इम्फाल

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, कोमकेइराप, मणिपुर के वित्तीय विवरणों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, कोमकेइराप, मणिपुर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित होनी चाहिए। लेखापरीक्षकों की दिनांक 4 जुलाई, 2016 की रिपोर्ट में यह कार्य पूरा करने की बात कही गयी है।

मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, कोमकेइराप, मणिपुर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की गयी है और इसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावोजों को नहीं देखा गया है। यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के अधिकारियों से बुनियादी पूछताछ तथा लेखांकन संबंधी कुछ दस्तावेजों की यादृच्छिक जांच तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षण के अनुसार ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसके आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक महालेखा
परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

(प्रवीण कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I,
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12.7.2016

31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
(1)	**शेयरधारकों की निधि**					
(क)	शेयर पूंजी	2		1176923090		1176923090
(ख)	आरक्षित और अधिशेष	3		176416283		157001564
(2)	**गैर वर्तमान देयताएं**					
(क)	दीर्घावधि ऋण	4		-		-
(ख)	स्थगित कर देयता	5		-		-
(ग)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	6		-		-
(घ)	दीर्घावधि प्रावधान	7		-		-
(3)	**वर्तमान देयताएं**					
(क)	व्यापार प्राप्य	8				
i)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया देय			-		-
ii)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के बकाया देय			926117		176180
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	9		14467384		10809756
(ग)	अल्पावधि प्रावधान	7		15413739		18856580
	कुल			**1384146613**		**1363767170**
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां**					
(क)	अचल परिसम्पत्तियां					
(i)	गोचर परिसम्पत्तियां	10.1	9915338		10491454	
(ii)	अगोचर परिसम्पत्तियां	10.2	160331		-	
(iii)	चालू पूंजी कार्य	11	1018336238		913077288	
			-		-	
(ख)	गैर वर्तमान निवेश		-		-	
(ग)	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13	-		5903038	
(घ)	अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	14	-		-	
	उप-जोड़		1028411907	1028411907	929471780	929471780
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**					
(क)	वर्तमान निवश			-		-
(ख)	माल सूची			-		-
(ग)	व्यापार प्राप्य			-		-
(घ)	नकदी एवं बैंक शेष	18		303744801		381882633
(ङ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम			14957442		15238320
(च)	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां			37032463		37174437
	कुल			**1384146613**		**1363767170**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	वर्ष के लिए चालू पूंजी कार्य के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान निर्माण संबंधी व्यय।	28				
	लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण	29				
	टिप्पणी संख्या 1 से 29 लेखों का अभिन्न अंग हैं					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रशांत राजेश एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ. पंजीकरण संख्या -327475 ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या 063227

स्थानः फरीदाबाद
दिनांक 10 मई, 2016

(के. एम. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन 02223301

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व	**20**	-	-
ii)	अन्य आय	**21**	29564192	40297907
	कुल राजस्व		**29564192**	**40297907**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**	559726	262827
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**	-	-
iii)	वित्त लागत	**24**	-	-
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**25**	-	-
	कुल व्यय		**559726**	**262827**
पूर्व अवधि मद, विशिष्ट मद, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां तथा कर पूर्व लाभ			29004466	40035080
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	**26**	-	-
विशिष्ट मद, असाधारण मदों, दर विनियमित गतिविधियों और कर पूर्व लाभ			29004466	40035080
	असाधारण मदें		-	-
असाधारण मदों, दर विनियमित गतिविधियों (आरआरए) और कर पूर्व लाभ			29004466	40035080
	असाधारण मदें		-	-
दर विनियमित गतिविधियों (आरआरए) और कर पूर्व लाभ			29004466	40035080
	दर विनियामक आय/(व्यय)		-	-
कर पूर्व लाभ			29004466	40035080
	कर व्यय	**27**		
i)	वर्तमान कर		9589747	12989382
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		-	-
iii)	विलंबित कर		-	-
	कर संबंधी कुल व्यय		**9589747**	**12989382**
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ			19414719	27045698
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
	अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ		-	-
कर उपरान्त अनियमित प्रचालनों से लाभ			-	-
वर्ष के लिए लाभ			**19414719**	**27045698**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
	बुनियादी		0.16	0.23
	तनुकृत		0.16	0.23
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		
	वर्ष के लिए चालू पूंजी कार्य के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान निर्माण संबंधी व्यय।	**28**		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	**29**		
	टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रशांत राजेश एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ. पंजीकरण संख्या -327475 ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या 063227

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक 10 मई, 2016

(के. एम. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन 02223301

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

नोट सं. 1 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 बनाने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किये जाते हैं और इसमें कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत लेखांकन मानदंड और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रयोज्य सीमा तक लागू होते हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को जीएपीपी के अनुसार तैयार करने के लिए जरूरी है कि प्रबंधन युक्तिसंगत और दूरदर्शितापूर्ण अनुमानों और परिकल्पनाओं का सहारा ले और ऐसा करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को प्रतिवेदित परिसंपत्तियों और देयताओं के परिमाण के साथ-साथ आकस्मिक देनदारियों पर असर डालने वाली समस्त उपलब्ध सूचनाओं और प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय के परिमाण को भी हिसाब में ले। अनुमानों में किसी भी संशोधन को आकलन की अवधि के दौरान कर लिया जाना चाहिए।

2 स्थिर परिसम्पत्तियां

2.1 मूर्त परिसम्पत्तियां

2.1.1 स्थिर परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण/निर्माण लागत में से संचित मूल्यह्रास/ऋणशोधन और किसी भी प्रकार की क्षति को घटाकर की जाती है। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्तियां पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी हों, वहां पूंजीकरण अनुमान के आधार पर किया जाता है जिसमें मध्यस्थता/न्यायालय में निपटाए जानेवाले मामलों के सिलसिले में किये जाने वाले समायोजन समेत सभी समायोजनों को शामिल किया जाता है।

2.1.2 ऐसी परिसम्पत्तियां जो कपंनी की अपनी जमीन पर नहीं बनी हैं स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल की गयी हैं।

2.1.3 पावर स्टेशनों के मामले में स्थिर परिसंपत्तियों के मूल रूप से आकलित उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने के बाद नवीकरण और आधुनीकरण पर हुए खर्च को, जिससे वर्तमान परिसम्पत्तियों के जीवनकाल और/या कार्यकुशलता में वृद्धि होती हो, संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है। वर्तमान परिसम्पत्तियों के स्थान पर अधिग्रहीत मूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया जाता है और इनके आने से सक्रिय उपयोग से हटायी गयी/विमोचित परिसम्पत्तियों को अनुपयोगी करार दे दिया जाता है।

2.1.4 अपने स्वामित्व वाली जमीन के लिए किये गये भुगतान/मुआवजे तथा पुनर्वास और इसी तरह के खर्चों से अस्थायी रूप से सृजित परिसम्पत्तियों को (इसमें अदालत से आदेश होने की तारीख तक के लिए अदालत द्वारा सुनाए गये बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज भी शामिल है) जमीन की लागत से संबंधित माना जाता है।

2.2 अमूर्त परिसम्पत्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से प्राप्त की गयी जमीन (स्वामित्व हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने या बांध में जलमग्न होने वाले क्षेत्रपर मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर नयी सुविधाएं जुटाने और परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की पूर्वशर्त के रूप में जुटाई जानेवाली सुविधाओं पर हुए खर्च को भूमि उपयोग के अधिकार के खर्च में शामिल किया जाता है।

2.2.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेअर की लागत का आकलन (जो संबंधित हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है) अधिग्रहण की लागत में से संचित ऋण परिशोधन और क्षति को कम करके किया जाता है यदि इसे मूर्त परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है।

2.3 चालू पूंजीगत निर्माणकार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य लागत आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक और सामान्य ओवरहैड तथा परियोजना निर्माण से जुड़े अन्य खर्च 'निर्माण के दौरान खर्च (ईएसी)' के अंतर्गत संचित होते जाते हैं और बाद में परियोजना के चालू हो जाने पर ये व्यवस्थित रूप से भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसम्पत्तियों में आबंटित हो जाता है।

2.3.2 परियोजना से जुड़े सामान्य जन सुविधाओं के रखरखाव, उच्चीकरण आदि के खर्च को 'निर्माण के लिए खर्च (ईएसी)' में प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के खर्च को 'चालू पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे खर्च को परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर या तो परियोजना लागत के अंतर्गत पूंजीकृत कर दिया जाता है या फिर जिस साल ऐसी परियोजना को छोड़ने का फैसला किया जाता है उस साल उसे लाभ-हानि विवरण में शामिल कर लिया जाता है।

2.3.4 जिन सुविधाओं के निर्माण के बाद उनपर कंपनी का नियंत्रण नहीं रहता, मगर जिनको बनाना परियोजना निर्माण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक होता है उन्हें 'निर्माण के लिए खर्च (ईएसी)' में भारित किया जाता है। बाद में परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ऐसी सुविधाओं के सृजन के खर्चको (जिसपर निर्माण के बाद कंपनी का नियंत्रण नहीं होता) ''लाभ-हानि विवरण'' में भारित कर दिया जाता है।

3. मशीनरी और कल-पुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ या बाद में खरीदी गयी मशीनों के पुर्जे जिनके उपयोग में अनियमितता की आशंका हो, अगर इस तरह के पुर्जों की लागत पता हो और संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी जीवनकाल की अवशिष्ट अवधि में उसका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दर और प्रविधि से पूरी तरह मूल्यह्रास हो गया हो तो उन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है। यदि इस तरह के पुर्जों की लागत ज्ञात न हो, खास तौर पर जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ ही खरीदा गया हो तो इनका मूल संयंत्र के साथ ही पूंजीकरण और मूल्यह्रास किया जाता है जो संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दर और प्रविधि से किया जाता है।

(ख) कल-पुर्जों के अवलेखित मूल्य (रिटन डाउन वैल्यू) (डब्ल्यूडीवी) को उस साल के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिनके स्थान पर नये खरीदे गये हैं, बशर्ते हटाए गये कल-पुर्जों का कोई उपयोगी जीवनकाल बचा न हो। इसी तरह पुराने कल-पुर्जों की जगह खरीद कर लगाये गये कल-पुर्जों की लागत को उस साल के लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया गया है, बशर्ते इस तरह के पुरान का कोई उपयोगी जीवनकाल शेष न हो।

(ग) जब किसी संबंधित स्थिर परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल खत्म हो जाता है और उसे इस्तेमाल से हटा लिया जाता है तो ऐसे कल-पुर्जों की लागत का मूल्यांकन शुद्ध खाता मूल्य या शुद्ध

प्राप्य मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर पुराने पड़ चुके पुर्जे बदले नहीं जाते तो उनके डब्ल्यूडीवी में से निपटान लागत को कम करके बट्टेखाते में डाला जाता है।

3.2 मशीनरी के अन्य हिस्से-पुर्जों को ''भंडार वस्तुएं और पुर्जे'' माना जाता है और वे मालसूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर नियंत्रित गतिविधियां

जहां किसी परियोजना की निर्माण-अवधि के दौरान हुए खर्च की किसी मद को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी उसे लेखांकन मानदंडों के अनुसार प्रासंगिक स्थिर परिसम्पत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत तो नहीं किया जाता मगर विनियामक यानी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा भविष्य में लाभार्थियों से शुल्क के रूप में इसकी वसूली अनुमति दे दी जाती है तो इस स्थिति में वसूली के अधिकार को विनियामक आस्ति माना जाता है और इससे हुई विनियामक आय को दर-विनियमित गतिविधियों के लेखांकन के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी निर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार मान्यता दी जाती है, बशर्ते यह इसी निर्देशात्मक टिप्पणी में बतायी गयी इस तरह की मान्यता प्रदान करने की शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यह्रास और ऋण शोधन

5.1 वर्ष के दौरान मूर्त परिसम्पत्तियों में से मूल्यह्रास/कटौतियों को उनके इस्तेमाल हेतु उपलब्ध होने/निपटान होने तक की तारीख के लिए समानुपातिक आधार पर भारित किया गया है।

5.2.1 कंपनी की चालू इकाइयों की मूर्त परिसम्पत्तियों को शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और प्रविधि के अनुसार सरल-रैखिक विधि अपनाते हुए लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, लेकिन नीचे नीति सं. 5.2.3 में इसके अपवाद दे दिये गये हैं।

5.2.2 कंपनी की चालू इकाइयों से इतर इकाइयों की मूर्त परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास को शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और प्रविधि के अनुसार सरल-रैखिक विधि अपनाते हुए परिसम्पत्तियों की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, लेकिन नीचे नीति सं. 5.2.3 में इसके अपवाद बता दिये गये हैं।

5.2.3 निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में बतायी गयी विधि से जीवन-काल और अवशिष्ट लागत (5 प्रतिशत) के आधार पर सरल रैखिक विधि अपनाते हुए प्रभारित किया गया है:

(i) संयंत्र और मशीनरी का निर्माण

(ii) कम्प्यूटर और संबंधित प्रणालियां

5.2.4 अस्थायी निर्माणों को ह्रासित मूल्य 1 रुपया मानते हुए अधिग्रहण/पूंजीकरण वर्ष में पूरी तरह मूल्यह्रासित किया गया है।

5.3 5000 रुपये से कम और 750 रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाने के वर्ष के दौरान 1 रुपया ह्रासित मूल्य के साथ पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया गया है।

5.4 अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर कम लागत की वस्तुओं का, जो परिसंपत्तियों के रूप में हैं और जिनकी लागत 750 रुपये तक है, पूंजीकरण नहीं किया गया है और उन्हें उपयोग में लाए जाने के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया है।

5.5 'अमूर्त परिसम्पत्तियों' के रूप में चिह्नित साफ्टवेयर की लागत का उसके विधिसम्मत इस्तेमाल की अवधि में या तीन वित्त वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के दौरान ऋणशोधन किया गया है जो उसकी खरीद के साल से शुरू माना जाता है।

5.6 भूमि के उपयोग के अधिकार का ऋणशोधन परियोजना के वाणिज्यिक रूप से चालू होने की तारीख से 30 साल के लिए किया गया है।

5.7.1 पट्टे में ली गयी जमीन पर अगर कोई इकाई चालू हो तो उसका ऋणशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा शुल्क विनियमन 2014 में बतायी गयी दरों और प्रविधि का अनुसरण किया गया है।

5.7.2 पट्टे वाली जमीन का ऋण शोधन, जिसमें चालू इकाई के अलावा कोई अन्य इकाई लगायी गयी हो, पट्टे की अवधि के लिए या 35 वर्ष में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए किया गया है।

5.8 पट्टे पर ली गयी जमीन पर निर्मित मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल लागत के 90 प्रतिशत तक ऋण शोधन पट्टे की शेष अवधि के लिए किया जाता है जो इस तरह की परिसम्पत्तियों के लिए सीईआरसी विनियमों में अधिसूचित प्रयोज्य दरों व प्रविधि से और ऐसी परिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से होता है।

5.9 जहां वर्ष के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, अदालत/पंचाट में मामले के निपटान, शुल्क दर में परिवर्तन या इसी तरह के किसी कारण से मूल्यह्रास वाली परिसम्पत्तियों की दीर्घकालीन लागत में बदलाव हुआ हो, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के ऋणशोधन से बचे रह गये अवशिष्ट का मूल्यह्रास भविष्य की शेष अवधि के लिए किया गया है जो सीईआसी द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत निर्धारित दर और प्रविधि के अनुसार है।

5.10 जहां किसी परिसम्पत्ति की जीवन अवधि और/या दक्षता में नवीकरण तथा आधुनीकरण के कारण बढ़ी हो, तो ऐसे मामले में ऋणशोधन से बची रह गयी अवशिष्ट राशि समेत उसपर हुए खर्च को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित संशोधित/शेष जीवनकाल के लिए आगे की अवधि में प्रभारित किया गया है।

6. निवेश

6.1 दीर्घावधि निवेश, लागत मूल्य के आधार पर किये जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर किसी भी अन्य तरह की गिरावट को हिसाब में लेने के लिए डीम्यूनिशन का प्रावधान किया गया है।

6.2 चालू निवेशों का मूल्यांकन न्यूनतम लागत पर और किसी एकल निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण के आधार पर किया गया है।

7. मालसूचियां

7.1 भंडार वस्तुओं और पुर्जों का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है जिसका निर्धारण औसत भार या वसूल किये जा सकने वाले शुद्ध मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया गया है।

7.2 पुरानी, मरम्मत न कराई जा सकने वाली और फालतू भंडार वस्तुओं के मूल्य में कमी का आकलन व्यवस्थित आधारपर कराकर लेखों में किया गया है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

8.1 विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन को शुरुआत में लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दर पर हिसाब में लिया गया है। तुलनपत्र बनाने की प्रत्येक

तारीख पर विदेशी मुद्रा में आकलित मौद्रिक वस्तुओं को उसी तारीख की विनिमय दर के अनुसार बदल कर लिखा गया है।

8.2 प्रचालित स्टेशनों के मामले में विनिमय दरों में अंतर को लाभ-हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने की अवधि के दौरान आमदनी और खर्च मान लिया जाता है और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में इन्हें ईडीसी के तौर पर दर्शाया जाता है। लेकिन 01.04.2004 से पहले के लेन-देनों के लिए स्थिर परिसम्पत्तियों/चालू निर्माण कार्यों से संबंधित देयताओं में विनिमय दर अंतर को संबंधित स्थिर परिसम्पत्तियों/चालू निर्माण कार्यो को करने की लागत में समायोजित कर दिया गया है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभों में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी संबंधी फायदे (जिसमें प्रतिपूरक अनुपस्थिति भी शामिल है) तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ शामिल हैं।

9.2 कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए एम्प्लॉयी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएन्युएशन स्कीम के लिए वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया/देय अंशदान को हिसाब में ले लिया गया है और संबंधित निधियों में उसका भुगतान किया जा चुका है। इन निधियों का संचालन अलग न्यासों द्वारा किया जाता है।

9.3 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी ग्रेच्युटी की देयता का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के अंत में कर लिया गया है और ग्रेच्युटी ट्रस्ट में राशि का भुगतान कर दिया गया है।

9.4 सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद भत्ते, सेवानिवृत्ति के अवसर पर कर्मचारी को भेंट में दिये जाने वाले स्मृतिचिह्न संबंधी देयता और अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति समेत) की देयता का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के अंत में कर लिया गया है।

10. राजस्व

10.1 (क) बिजली की बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क दरों के अनुसार हिसाब में लिया गया है। जिन पावर स्टेशनों के लिए शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, बिजली की बिक्री उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विधि और मानदंडों के आधार पर तय की गयी अस्थायी दरों से की गयी है। विदेशी मुद्रा ऋणों में विनिमय दर में बदलाव की वजह से वसूली/पुनर्भुगतान और आयकर संबंधी वसूली को वार्षिक आधार पर हिसाब में ले लिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनों/प्रतिप्रोत्साहनों को शुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार स्वीकार किया गया है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जिनके शुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों का आकलन अस्थायी आधार पर यह मानते हुए किया गया है कि दरों को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिये जाने की वजह से होने वाले समायोजनों को, हालांकि ये वस्तुगत रूप में नहीं होते, अंतिम रूप दिये जाने के साल में लागू किया गया है।

(घ) मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिमों को पिछले साल की आस्थगित आय माना जाता है और इन्हें सरल रेखा आधार पर बिक्री में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा परियोजना का कुल उपायोगी जीवनकाल 35 साल मानते हुए उसकी वाणिज्यिक संचालन की तारीख के 12 वर्ष पूरे होने के बाद 31 मार्च को समाप्त होने वाले साल में शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए किया जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श संबंधी कार्यों के राजस्व को मुआवजे के प्रतिशत वाली विधि से स्वीकार किया जाता है। मुआवजे के प्रतिशतका निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंध/निर्माण ठेके और परामर्शी कार्य को पूरा करने में आयी अनुमानित लागत'' में से ''रिपोर्टिंग की तारीख को हो चुके खर्च'' के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्राद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। लाभांश आमदनी को तभी माना जाता है जब उसे प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।

10.4 ब्याज/ग्राहक से वसूले जाने वाले अधिभार/परिसमाप्त नुकसान/ठेकेदारों को दिये अग्रिमों पर ब्याज को तभी हिसाब में लिया जाता है जब परिमापन क्षमता और संग्रहणीयता को लेकर कोई बड़ी अनिश्चितता होती है।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ वस्तुओं/पूरे किये जा चुके मगर अप्रमाणित पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं को निरीक्षण पूरा होने और कंपनी द्वारा स्वीकार किये जाने तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

11.2 भुगतान किए गए खर्चों और पहले की अवधि के खर्चों/50,000 रुपये और इससे कम मूल्य की वस्तुओं से होने वाली आमदनियों को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

11.3 बीमा दावों को उनकी वसूली की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. उधार की लागत

निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण की अवधि के दौरान अर्हक मूर्त परिसम्पत्तियों के सिलसिले में उधार की लागत का पूंजीकरण किया जाता है। उधार की अन्य लागतों को उस अवधि के दौरान खर्च में शामिल कर लिया जाता है जिसमें उन्हें व्यय किया गया था।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर का आकलन वर्ष के दौरान लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसकी गणना तुलनपत्र की तारीख को या उसके बाद की तारीख को लागू होने वाली ब्याज दरों और मूल कर कानूनों का उपयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का आकलन उस सीमा तक किया जाता है जहां तक इस बात का आश्वासन हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी जिसमें से आस्थगित कर का भुगतान कर दिया जाएगा। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में आगामी वर्षो में लाभार्थियों से इस तरह के कर की बकाया लेनदारी/देनदारी की सीमा तक राशि प्रभारित की जाती है।

14. परिसम्पत्तियों में गड़बड़ी

कंपनी अपने तुलनपत्र की हर तारीख को इस बात का आकलन करती है कि क्या बाह्य/आंतरिक संकेतकों के आधार पर नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों (सीजीयू) में गड़बड़ी की कोई आशंका तो नहीं बन रही है। अगर इस तरह का कोई संकेत हो तो कंपनी सीजीयू की वसूली जाने वाली राशि का अनुमान लगाती है। अगर लाभ-हानि विवरण में वसूली जाने वाली राशि के अधिक होने के कारण इसतरह के नुकसान की आशंका जताई गयी हो तो नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई में इस तरह की गड़बड़ी से होने वाले नुकसान की पहचान हो जाती है। अगर वसूली जानेवाली राशि में बदलाव हो या इस तरह का नुकसान बकाया न रह गया हो या इसमें कमी आयी हो तो गड़बड़ी के कारण होने वाले नुकसान के रुझान में बदलाव का संकेत मिलता है। जब भी तुलनपत्र बनाया जाता है तो इसके निर्माण की हर तारीख को दर नियंत्रित परिसम्पत्तियों का गड़बड़ी के लिए परीक्षण भी किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

अगर अतीत की किसी घटना की वजह से कंपनी की वर्तमान में देनदारियां बन रही हों और इस बात की संभावना हो कि देनदारियों के निपटान के लिए संसाधनों व्यय करने जरूरी होगी, तो इसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को कुछ प्रावधान करने होंगे। विभिन्न प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र बनाए जाने की तारीख को देनदारियों को निपटाने के बारे में प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार किया जाता है, न कि वर्तमान मूल्य के अनुसार।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधकों/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के अनुसार उद्घाटित किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधकों के अनुमानों को दर्शाते हुए इन्हें समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में समाविष्ट नहीं किया जाता है ।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखांकन मानदंडों में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये)	230000000	2300000000	230000000	2300000000
(ख)	(जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	117692309	1176923090	117692309	1176923090

(ग) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की। अतः इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।

(घ) कम्पनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में केवल एक तरह के इक्विटी शेयर मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के साथ जारी किए। मताधिकार का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है।

(ड.)	कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
	-एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी)	87092309	74.00	87092309	74.00
	मणिपुर सरकार	30600000	26.00	30600000	26.00
	कुल	**117692309**		**117692309**	

(च) शेयरधारकों के अधिकार/सीमाएं

एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा 26.9.2008 को हस्ताक्षरित प्रोमोटर करार के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं। कोई भी शेयर हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह पूर्ण रूप से उक्त प्रोमोटर समझौते के अनुरूप न हो।

टिप्पणी संख्या 3 आरक्षी और अधिशेष

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
पूंजी आरक्षी			-		-
पूंजी विमोचन आरक्षी			-		-
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा			-		-
सामान्य आरक्षी					
पिछले तुलन पत्र की तारीख को		-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण		-		-	
घटाएं : पूंजी विमोचन आरक्षी को अंतरित		-		-	
तुलन पत्र की तारीख को			-		-
बांड विमोचन आरक्षी					
पिछले तुलन पत्र की तारीख को		-		-	

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
स्व-बीमा निधि				
पिछले तुलन पत्र की तारीख को	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि				
पिछले तुलन पत्र की तारीख को	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि				
पिछले तुलन पत्र की तारीख को	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
अधिशेष*		176416283		157001564
कुल		**176416283**		**157001564**
अधिशेष*				
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	-	19414719		27045698
दर विनियमित परिसम्पत्तियों को मान्यता देने के लिए परिवर्तनकालीन प्रावधानों में से किया गया समायोजन		-		-
अग्रेणीत शेष		157001564		129955866
जोड़ें -				
बांड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
पूंजी आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
अन्य आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
स्वबीमा निधि से उपयोग की गई राशि		-		-
पश्चलिखित लांभाश पर कर		-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से पश्चलिखित		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्चलिखित		-		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		**176416283**		**157001564**
घटाएं :				
बांड विमोचन आरक्षी को अंतरित		-		-
स्वबीमा निधि को अंतरित		-		-
सामान्य आरक्षी को अंतरित		-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को अंतरित		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		-		-
लाभांश				
- अंतरिम		-		-
- प्रस्तावित		-		-
लाभांश पर कर				
- अंतरिम		-		-
- प्रस्तावित		-		-
आगे ले जाया गया शेष		**176416283**		**157001564**

टिप्पणी:- 4 दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बांड्स -						
प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंको से						
प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियो से						
प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
निदेशकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की समग्र राशि			-			-
भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की समग्र राशि		-				
31.03.2016 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की राशि			-			-
31.03.2016 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की अवधि			-			-

टिप्पणी संख्या 5-आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
आस्थगित कर देयता				
मूल्यह्रास				
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
संदिग्ध ऋणों, वस्तु सूची और अन्यों के लिए प्रावधान				
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान				
आस्थगित कर देयता		-		-
घटाएं : 2009 तक टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य	-		-	
घटाएं : आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता (निवल)		**-**		**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के बारे में लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 31.03.2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए आस्थगित कर देयता/परिसंपत्तियों के रूप में रूपये शून्य (पिछले वर्ष शून्य) राशि सृजित की गयी।

टिप्पणी संख्या 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा राशि/धारण निधि	285812	285812	-	126769	126769	-
अग्रिम प्राप्त आय						
(मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव से स्थगित देयताएं	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव खाते से स्थगित आय	-	-	-	-	-	-
	285812	**285812**	**-**	**126769**	**126769**	**-**

टिप्पणी संख्या 7 प्रावधान

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**						
	(बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान)						
	i) **छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
	ii) **आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-	-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
	iii) **टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
	iv) **स्मृति-चिन्ह (सेवानिवृत्ति पर) के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-			-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
	v) **वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	1013243			1744632	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	366824			377359	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-				1108748	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-				-	
	अंतिम शेष	**-**	**1380067**		**-**	**1013243**	
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	1380067			1013243	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
	vi) **कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	4435979			3714837	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	4294601			4435979	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	3955291			2056318	

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	636362			1658519	
	अंतिम शेष	**-**	**4138927**	4138927	**-**	**4435979**	4435979
	vii) **सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	1431219			1594971	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	1685065			1431219	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1431219			1594971	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**1685065**	1685065	**-**	**1431219**	1431219
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	12989382		-	69511032	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	9589747		-	12989382	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	12989382		-	69511032	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**9589747**	9589747	**-**	**12989382**	12989382
ग)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
घ)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
ङ)	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
च)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन				-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
छ)	**बीमांकित परिसम्पत्तियों को बहाल करने पर व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार		-			-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन					-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि					-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि					-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
ज)	**प्रावधान - अन्य**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-		
	वर्ष के दौरान संवर्धन				-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				-		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-		
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	
	कुल	**-**	**15413739**	**15413739**	**-**	**18856580**	**18856580**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

नियंत्रक कंपनी के बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/वोल्यूम III दिनांक 27, दिसंबर 2013 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने की जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों के लिए 01.01.1997 से निर्धारित किए गए वेतनमानों में विसंगतियां दूर करने के बाद 01.01.2007 से

संशोधित वेतनमान लागू करने की अनुमति दी गयी है। इसमें यह भी बताया गया कि 01.01.1997 से निर्धारित किए गए विपथगामी वेतनमान नियमित नहीं किए जाएंगे। विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 25.02.2016 के माध्यम से पुष्टि की कि 01.02.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है। एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (फीटमेंट लाभ) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे हासिल कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के देखते हुए कर्मचारियों को वेतन के साथ वैयक्तिक वेतन समायोजन का भुगतान जारी रखा गया है।

इस प्रकार ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक वेतन समायोजन के लिए ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में 1380067 रूपये (चालू वर्ष के लिए 366824 रूपये सहित) दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी सं. 8-व्यापार देय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय	926117	176180
कुल	**926117**	**176180**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या-29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां के अंतर्गत किया गया है।

टिप्पणी सं 9-अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)*		-		-
जमा राशि		-		-
ऋणों पर प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज		-		-
ऋणों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज		-		-
अग्रिम रुप में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) (टिप्पणी संख्या 6 देखें)		-		-
अदा न किये गए लाभांश		-		-
अदा न किया गया ब्याज		-		-
पूंजीगत कार्यों/अपूर्तियों के प्रति देयता		-		-
जमा/धारण निधि		285812		126769
अनुषंगियों को देय		-		-
जमा/एजेन्सी आधारित कार्यों की खर्च न की गई राशि		-		-
बांड आवेदन निधि		-		-
सांविधिक देयताएं		1699049		1751638
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं		-		-
अन्य देयताएं		12482523		8931349
जमाकारियों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं : जमाकारियों पर व्यय राशि	-	-	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों की लागत के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में व्यय की गयी राशि	-		-	
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-	-	-	-
सहायता अनुदान - लंबित उपयोग		-		-
कुल		**14467384**		**10809756**

टिप्पणी संख्या 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्यह्रास				मूल्यह्रास	
		01.04.2015	संवर्धन		कमी		अन्य समायोजन	31-03-2016	01.04.2015	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2016	31-03-2016	31-03-2015
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड*	0						0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	20225						20225	397	578	0	975	19250	19828
iii)	सड़कें और पुल	4763741						4763741	1171463	159109	0	1330572	3433169	3592278
iv)	भवन	6608704		1485257				8093961	3940691	1615306	0	5555997	2537964	2668013
v)	रेलवे साइडिंग्स	0		0				0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंग)	0		0				0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0		0				0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0		0				0	0	0	0	0	0	0
ix)	'संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें'	0		0				0	0	0	0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	94554		0				94554	82674	2425	0	85099	9455	11880
xi)	निर्माण उपकरण	7487523		0				7487523	7120505	5683	0	7126188	361335	367018
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0		0				0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0		0				0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	4230770		0				4230770	3807693	0	0	3807693	423077	423077
xv)	विमान/नौकाएं	0		0				0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	1735858		95617		97000		1734475	1017982	49947	-38711	1029218	705257	717876
xvii)	कम्प्यूटर	2402557		20000				2422557	1873006	299158	0	2172164	250393	529551
xviii)	संचार उपकरण	151933		0				151933	118456	2405	0	120861	31072	33477
xix)	कार्यालय उपकरण	930520		8490				939010	663743	24830	0	688573	250437	266777
xx)	अनुसंधान और विकास	0		0				0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य परिसम्पत्तियां	3066209		83490				3149699	1205485	51300	0	1256785	1892914	1860724
xxii)	गौण मूल्य की अचल परिसम्पत्तियां >750 और <5000 रुपये	1924126		132337				2056463	1923171	132277	0	2055448	1015	955
	कुल	**33416720**	**0**	**1825191**	**0**	**97000**	**0**	**35144911**	**22925266**	**2343018**	**-38711**	**25229573**	**9915338**	**10491454**
	पिछले वर्ष	31638232	0	1931230	0	152742	0	33416720	21533983	1470305	-79022	22925266	10491454	10104249

टिप्पणी संख्या 10.2 गोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्यह्रास				मूल्यह्रास	
		01.04.2015	संवर्धन		कमी		अन्य समायोजन	31-03-2016	01.04.2015	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2016	31-03-2016	31-03-2015
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि- इस्तेमाल का अधिकार	0						0	0	0	0	0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7850		190000				197850	7850	29669	0	37519	160331	0
	कुल	**7850**	**0**	**190000**	**0**	**0**	**0**	**197850**	**7850**	**29669**	**0**	**37519**	**160331**	**0**
	पिछले वर्ष	7850	0	0	0	0	0	7850	7849	1	0	7850	0	1

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

*3835 वर्गफुट आकार का एक भू-भाग थांगल गांव द्वारा एनएचपीसी लिमि. को दान स्वरूप दिया गया। उक्त भूमि और उस पर निर्मित अस्थायी शेड्स निगमीकरण के समय कंपनी को हस्तांतरित किए गए। भूमि कंपनी के कब्जे में है, लेकिन उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

6. परिसंपत्तियों के प्रति समायोजनों में शामिल विदेशी मुद्रा दर अंतर में निम्नांकित शामिल है : -

परिसंपत्तियों का वर्ग	31.03.2016 को (राशि रूपये में)	31.03.2015 को (राशि रूपये में)
सड़के और पुल	-	-
भवन	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंग)	-	-
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-
संयत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-
'संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें'	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-	-
निर्माण उपकरण	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-
विद्युतीय संस्थापनाएं	-	-
वाहन	-	-
विमान/नौकाएं	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-
कम्प्यूटर	-	-
संचार उपकरण	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-
अनुसंधान और विकास	-	-
अन्य परिसम्पत्तियां	-	-
अप्रचलित/अधिशेष परिसम्पत्तियां	-	-
	-	-

टिप्पणी संख्या 11.1- चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	01 अप्रैल 2015	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2016
i)	सड़कें और पुल	-				-
ii)	भवन	-	35198530			35198530
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix)	निर्माण उपकरण	-				-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-परिसम्पत्तियां	-				-
xiii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	129360099	2737596	(17388468)		114709227
xiv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	159528000				159528000
xv)	निर्माण के दौरान व्यय*	624084994	84711292			708796286
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-	-			-
	उप-जोड़ (क)	**912973093**	**122647418**	**(17388468)**	**-**	**1018232043**
	***वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें**					
	निर्माण भंडार (मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति संख्या 7 देखें)	**104195**			**-**	**104195**
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**-**			**-**	**-**
	उप-जोड़ (ख)	**104195**	**-**	**-**	**-**	**104195**
	कुल	**913077288**	**122647418**	**(17388468)**	**-**	**1018336238**
	पिछले वर्ष	800279742	112821549	(24003)	-	913077288

टिप्पणी संख्या 11.2- विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

	विवरण	01 अप्रैल 2015	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2016
i)	विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां					-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12: गैर वर्तमान निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु.)	कुल राशि (रु.)	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु.)	कुल राशि (रु.)
....शून्य ..						

टिप्पणी संख्या 13: ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क	**पूंजी अग्रिम**						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
	- अन्य	151747		151747	5822130		5822130
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	151747		151747
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	151747		151747	151747		151747
ख.	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान	-	-	-		-	-
	घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2*	-	-	-	-	-	-
ग.	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	80908	-	80908
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	1202173	1202173	-	1479393	1479393
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
	संविदाकारों /आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-	-	-	-	-	-
	- अन्य		3241600	3241600		190000	190000
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		-			-	
	ग्राहकों का बकाया निपटाने के लिए राज्य सरकार को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अन्य अग्रिम						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: अन्य संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान * 3		-	-		-	-
	अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर काटा गया कर		10513669	10513669		13568927	13568927
	कुल	**-**	**14957442**	**14957442**	**5903038**	**15238320**	**21141358**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम- **शून्य**

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कंपनियों की ओर देय अग्रिम, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो - **शून्य** (**पिछले वर्ष शून्य**)

(राशि रूपये में)

		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
*1	**संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	151747	-	151747	151747	-	151747
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**151747**	**-**	**151747**	**151747**	**-**	**151747**
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
*2	**संदिग्ध जमा राशियों के प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
*3	**संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 14.1 अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	-	-
- अन्य	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक परिसम्पत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	01-अप्रैल-2015	संवर्धन	समायोजन	परिशोधन/ हानि	31-मार्च-2016
सुबानसरी लोअर जलविद्युत परियोजना	-	-	-		-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 15: वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रू. में)	कुल राशि (रु.में)	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु.में)	कुल राशि (रु.में)
	....शून्य ..					

टिप्पणी संख्या 16 माल सूची

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)					
भंडार एवं कलपुर्जे	-		-		
मार्गस्थ भंडार/निरीक्षण लंबित	-	-	-	-	
खुले औजार		-		-	
रद्दी मालसूची		-		-	
निर्माण स्थल पर सामग्री		-		-	
संविदाकारों/निर्माताओं को जारी सामग्री		-		-	
स्वनिर्मित वीईआरर्स के लिए मालसूची		-		-	
घटाएं: अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		-		-	
	कुल	-		-	

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
*1	**अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी संख्या 17 - व्यापार प्राप्य

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)					
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)					
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-		-	
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		-		-	
अन्य व्यापार प्राप्य					
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)					
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-			
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)					
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		-		-	
	कुल	-		-	

व्याख्यात्मक टिप्पणी

कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की ओर अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया ऋण और ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
*1	**संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का ब्यौरा**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी संख्या 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क.	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु. शून्य मूल्य के हस्तगत स्टैम्प (पिछले वर्ष रु. शून्य) शामिल हैं।)	32322	10375
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
	बैंकों में शेष राशि		
	• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
	- चालू खाते में	59143	96625
	- जमा खाते में		
	तीन महीने या उससे कम परिपक्वता अविध के लिए जमा राशि	-	-
	• **अन्य बैंकों में**		
	- चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान में	-	-
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
	- जमा खाते में		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि की जमा राशियां	303653336	381775633
	जमा खाते में -अप्रदत्त लाभांश	-	-
	कुल	**303744801**	**381882633**

टिप्पणी संख्या 19 - अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
क	निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज:-				
	उपभोक्ताओं के बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-		-	
	जमा राशियां -	21488521		29342665	
	अन्य				
	अच्छे समझे गए	-		-	
	संदिग्ध समझे गए	-		-	
		21488521		29342665	
	घटाए: संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान *1	-	21488521	-	29342665
ख	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य		-		-
ग	अनुषंगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		15302037		7826772
घ	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज		-		-
ड.	वसूली योग्य दावे	241905		5000	
	घटाए: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *2	-	241905	-	5000
	कार्य प्रगति पर				
च	ग्राहक की ओर से निर्माण कार्य प्रगति पर		-		-
छ	ग्राहक की ओर से परामर्शी कार्य प्रगति पर		-		-
ज	निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियां/अप्रचलित परिसंपत्तियां		-		-
झ	समायोजन प्रतीक्षित व्यय	-		-	
	घटाएं : बट्टे खाते डाले जाने वाले ऐसे परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान, जिनके लिए मंजूरी की प्रतीक्षा है *3	-	-	-	-
त्र	बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षारत/ लंबित जांच वाली हानियां	-		-	
	घटाएं : बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षारत/ लंबित जांच वाली हानियों के लिए प्रावधान *4	-	-	-	-
j)	अन्य		-		-
	कुल		**37032463**		**37174437**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

निपटान के लिए रखी गईं अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को उनके निम्नतर बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
*1	**संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**
*2	**संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**
*3	**बट्टे खाते डाले जाने वाले परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	0	0
*4	**बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षारत/लंबित जांच वाली हानियों के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	0	0

टिप्पणी संख्या 20 - प्रचालन से राजस्व

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**बिक्री**				
	विद्युत की बिक्री	-		-	
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा दर विनिमय अंतर खाते पर बिक्री समायोजन	-		-	
	शुल्क समायोजन	-		-	
	विनियमित विद्युत समायोजन	-		-	
	विद्युत के उत्पादन से आय-कमिशनिंग पूर्व (निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित)	-	-	-	-
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम-वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		-		-
ग	**अन्य प्रचालनगत आय**				
	लाभार्थी राज्यों से प्राप्त ब्याज (शुल्क संशोधन)		-		-
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	-		-	
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-	-	-
	कुल (क-ख+ग+घ)		**-**		**-**

टिप्पणी सं. 21 - अन्य आय

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	-	-
	लांभाश-अन्य	-	-
	ब्याज-सरकारी प्रतिभूतियां (8.5% राज्य सरकारों द्वारा जारी कर मुक्त बांड)	-	-
	गैर-व्यापार		
	लांभाश आय-अन्य	-	-
	ब्याज	-	-
ख	**अन्य आय**		
	ब्याज		
	ग्राहकों से देयों के निबटारे के लिए राज्य सरकार को ऋण	-	-
	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	जमा खाता	29564192	40297907
	कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
	- अन्य	-	-
	विलंब भुगतान प्रभार	-	-
	स्व निर्मित वीईआर्स की बिक्री से आय	-	-
	व्यापार व्यवधान के कारण हानि की भरपायी	-	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
	पश्चलिखित की अपेक्षा वाली देयता/प्रावधान #	694890	1800950
	अन्य	198318	248994
	विनिमय दर अंतर	-	-
	उप-जोड	**30457400**	**42347851**
	जोड़ें/(घटाएं) : सी. ओ./क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	उप-जोड	**30457400**	**42347851**
	घटाएं : निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित आय	893208	2049944
	घटाएं : ग्राहकों/संविदाकारों से अग्रिम जमा और जमा कार्यों के प्रति अंतरित आय	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**29564192**	**40297907**
	#देयताएं/प्रावधान जिनके बाद लेखन की आवश्यकता नहीं है, का ब्यौरा		
	क) खराब और संदिग्ध अग्रिम (*1 टिप्पणी 13 के अंतर्गत)	-	-
	ख) खराब और संदिग्ध जमा (*2 टिप्पणी 13 के अंतर्गत)	-	-
	ग) अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम (*3 टिप्पणी 13 के अंतर्गत)	-	-
	घ) भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी (*1 टिप्पणी 16 के अंतर्गत)	-	-
	ङ) खराब और संदिग्ध ऋण (*1 टिप्पणी 17 के अंतर्गत)	-	-
	च) खराब और संदिग्ध दावे (*2 टिप्पणी 19 के अंतर्गत)	-	-
	छ) बट्टे खाते डाले जाने की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित (*3 टिप्पणी 19 के अंतर्गत)	-	-
	ज) बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षारत/लंबित जांच वाली हानियों (*4 टिप्पणी 19 के अंतर्गत)	-	-
	झ) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	-
	त्र) i) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान [(टिप्पणी 7 के अंतर्गत आइटम (क) vi)]	636362	1658519

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ट)	सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान [(टिप्पणी 7 के अंतर्गत आइटम (क) vii)]	-	-
ठ)	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान (उपदान, अवकाश नक़दीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिन्ह आदि)	-	-
ड)	शुल्क समायोजन के लिए प्रावधान [(टिप्पणी 7 के अंतर्गत आइटम (ड)]	-	-
ढ)	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान [(टिप्पणी 7 के अंतर्गत आइटम (च)]	-	-
ण)	अन्य	58528	142431
	कुल	**694890**	**1800950**

टिप्पणी सं. 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**		
i)	जल उपयोग शुल्क	-	-
ii)	भंडार और हिस्सेपुर्जों की खपत	-	-
ख.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
ग.	**मरम्मत और अनुरक्षण**		
-	भवन	3868887	1992805
-	मशीनरी	-	-
-	अन्य	1640069	1713114
घ.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया और भाड़ा व्यय	1838323	1355349
	दरें और कर	29190	33560
	बीमा	103695	101412
	स्वः बीमा निधि का उपयोग	-	-
	सुरक्षा व्यय	-	-
	विद्युत प्रभार	8000	39617
	यात्रा और वाहन खर्च	4109227	4262807
	वाहनों पर व्यय	828392	628978
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	272078	248127
	विज्ञापन और प्रचार	25000	-
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	140660	61449
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	952017	450654
	परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	9204165	8857372
	परामर्शी प्रभार - विदेशी	-	-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)	62000	72472
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
	परिसंम्पत्तियों पर हानि	34489	-
	स्व बीमा दावों से उत्पन्न हानियां (अधिकता खंड तक)	-	-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	26703	60705
	दान	-	-
	सीएसआर/स्थाई विकास/ सामुदायिक विकास व्यय	-	1228092
	निदेशक व्यय	-	-
	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	-	-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज	-	-
	ग्राहकों को छूट	-	-
	स्वनिर्मित वीईआर्स पर व्यय	-	-

(राशि रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	विनियमित विद्युत पर व्यय	-		-	
	घटाएं- विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर		-		-
	अन्य सामान्य व्यय		3330657		3236589
	उप जोड़		**26473552**		**24343102**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**26473552**		**24343102**
	घटाएं : निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित आय		25913826		24080275
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (i) = क से घ		**559726**		**262827**
ड.	**प्रावधान**				
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-		-
	खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान		-		-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-		-
	भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी		-		-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान		-		-
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-		-
	परियोजना व्यय के लिए प्रावधान		-		-
	अचल परिसम्पत्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान		-		-
	स्वनिर्मित वीईआर्स की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-		-
	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए प्रावधान		-		-
	अन्य		-		-
	उप जोड़		**-**		**-**
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**-**		**-**
	घटाएं : निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित आय		-		-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (ii) = ड.		**-**		**-**
	लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल (i) + (ii)		**559726**		**262827**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रांजिट कैम्प्स के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

(राशि रूपए में)

			31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
2)	लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है				
	क) सांविधिक लेखा परीक्षक				
	लेखा परीक्षक के रूप में				
	लेखा परीक्षा शुल्क	25000		22472	
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	25000	-	22472
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	-		-	
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	37000		-	
	प्रबंधन सेवाएं	-		-	
	अन्य मामले/सेवाएं	-	37000	-	-
	व्यय की अदायगी		-		50000
	ख) लागत लेखा परीक्षक				
	लेखा परीक्षा शुल्क		-		-
	खर्च की अदायगी		-		-
	कुल लेखा परीक्षा व्यय		**62000**		**72472**

टिप्पणी संख्या 23 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	46009958	46769705
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	7947262	7950562
स्टाफ कल्याण व्यय	3355115	3244796
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
उप जोड़	**57312335**	**57965063**
जोड़ें/(घटाएं): सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
उप जोड़	**57312335**	**57965063**
घटाएं - निर्माण के दौरान व्यय को अंतरित कर्मचारी लागत	57312335	57965063
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 21,28,050/-रुपये (विगत वर्ष 24,72,099/- लाख रुपये) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

2) कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी मूल रूप से एनएचपीसी लि. के कर्मचारी हैं और लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ संबंधी सभी प्रावधान एनएचपीसी लिमिटेड की लेखा-बहियों के आधार पर किए गए हैं। परन्तु, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को लेखांकन संख्या-23 'कर्मचारी लाभ व्यय' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(राशि रुपये में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
3)	उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं		
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	2931981	3201963
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	4880066	4351401

टिप्पणी संख्या 24 - वित्त लागत

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**निम्नांकित पर ब्याज -**		
	भारत सरकार का ऋण	-	-
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	नकदी ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज प्रभार	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
	बांड निर्गम/सेवा व्यय	-	-
	रायल्टी	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	5652	2240
	उप जोड़	**5652**	**2240**

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	ब्याज लागत के प्रति समायोजन समझे गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं - विदेशी मुद्रा दर विनिमय के कारण ब्याज समायोजन	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग)	**5,652.00**	**2240**
	जोड़ें / (घटाएं): सीओ / क्षेत्रीय कार्यालय / पीआईडी व्यय	-	-
	कुल योग	**5652**	**2240**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	5652	2240
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2372687	1470306
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
उप जोड़	**2372687**	**1470306**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2372687	1470306
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 26 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	-
पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	-	-
ऋणकर्ताओं से ब्याज/अधिभार	-	-
अन्य	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
वित्त लागत	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
अन्य	-	-
उपजोड़	**-**	**-**
कुल (व्यय/आय)	**-**	**-**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	-	-
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 27 कर व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	9589747	12989382
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	-	-
स्थगित कर	-	-
घटाएं: 2009 तक शुल्क अवधि के लिए वसूली योग्य	-	-
घटाएं: आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन	-	-
कुल कर राजस्व	**9589747**	**12989382**

टिप्पणी संख्या 28 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	46009958		46769705	
	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान	8094550		7950562	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	3207827		3244796	
	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		57312335		57965063
ख.	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
	भवन	3868887		1992805	
	मशीनरी	-		-	
	अन्य	1640069		1713114	
	उप-जोड़		5508956		3705919
ग.	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
	किराया	1838323		1355349	
	दरें और कर	-		8700	
	बीमा	103695		101412	
	सुरक्षा व्यय	-		-	
	विद्युत प्रभार	8000		39617	
	यात्रा और वाहन	3961324		4251298	
	वाहनों पर व्यय	828392		628978	
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	272078		248127	
	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
	मुद्रण और लेखन सामग्री	952017		430297	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	9184165		8824900	
	- विदेशी	-		-	
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	3256876		4485678	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-		-	
	उप-जोड़		20404870		20374356

(राशि रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ	**वित्त लागत**				
	निम्नांकित पर ब्याज				
	भारत सरकार का ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
	नकदी ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
	ब्याज लागत के प्रति समायोजन समझे गए विनिमय अंतर	-		-	
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-		-	
	बांड निर्गम/सेवा व्यय	-		-	
	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
	अन्य ब्याज प्रभार	5652		2240	
	उपजोड़		5652		2240
ड.	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		-		-
च	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	2372687		1470306	
	उप-जोड़		2372687		1470306
छ	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाएं- पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ज	**सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्ययः**				
	अन्य आय	-		-	
	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	-		-	
	वित्त लागत	-		-	
	प्रावधान	-		-	
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		-		-
झ	**घटाएः प्राप्तियां और वसूलियां**				
	विद्युत उत्पादन से आय - कमिशनिंग पूर्व	-		-	
	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	694890		1800950	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-		219419	
	विविध प्राप्तियां	198318		29575	
	उप-जोड़		**893208**		**2049944**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड+च+छ+ज+झ)		**84711292**		**81467940**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां : -

1. संबंधित पक्ष लेन-देन - रुपये 91.53 लाख और रु. 12.08 लाख का भुगतान क्रमशः डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार तथा कार्यालय रूम रेंट के लिए एनएचपीसी लिमि. (होल्डिंग कंपनी) को किया गया।

टिप्पणी संख्या 29- लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण:-

क) कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है-

(i) पूंजीगत कार्य
(ii) भूमि मुआवजा मामले } शून्य
(III) विवादित कर की मांग

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि रुपये शून्य। (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान उनकी प्राप्ति के बाद तुलन-पत्रक में वर्णित उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

4. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां संशोधित/निरस्त की गई:

(रुपये करोड़ में)

लेखांकन नीति	लाभ एवं हानि खाता विवरण पर प्रभाव	
	चालू वर्ष के लिए	चालू वर्ष की पूर्व अवधि के जरिए पिछले वर्ष तक
अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भूमि के बढ़े हुए मुआवजे के बारे में ब्याज राशि संबंधी लेखांकन नीति (मूल्यह्रास का निवल)	शून्य	शून्य
पावर स्टेशनों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण संबंधी लेखांकन नीति	शून्य	शून्य

5. वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू की गई लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 (वित्तीय वर्ष 2013-14 की 4.4) इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को भेजी गई, ताकि उसकी राय ली जा सके। राय प्राप्त होने के लम्बित रहते, समान लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है और उसके अनुसार 31.03.2016 तक आबंटन किए जाने योग्य निर्माण के दौरान व्यय को रुपये शून्य (पिछले वर्ष तक रुपये शून्य) के रूप में पूंजीकृत/प्रभारित किया गया है।

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं किया गया, अतः विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

7. कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, अतः सेग्मेंट रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

8. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर परिगणित आयात का मूल्य: पूंजीगत वस्तुएं हिस्से पुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय जानकारी ब्याज अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
ग)*	प्रचालन इकाइयों में काम आने वाले हिस्से पुर्जों और घटकों का मूल्य आयातित स्वदेशी	शून्य	शून्य
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन ब्याज अन्य	शून्य	शून्य

* बीमांकिक आधार

9. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण और आयात, विदेशी मुद्रा में व्यय और विदेशी मुद्रा में आय के संदर्भ में प्रकटीकरण कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि तत्संबंधी कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

11. कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रकटीकरण (टिप्पणी संख्या 22 देखें)

(i) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	सीएसआर व्यय से संबंधित शीर्ष	राशि
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	शून्य
2	शिक्षा और कौशल विकास	शून्य
3	महिला अधिकारिता/वरिष्ठ नागरिक	शून्य
4	पर्यावरण	शून्य
5	कला एवं संस्कृति	शून्य
6	भूतपूर्व सैनिक	शून्य
7	खेल	शून्य
8	राष्ट्रीय कल्याण कोश	शून्य
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	शून्य
10	ग्रामीण विकास	शून्य
11	क्षमता निर्माण	शून्य
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	शून्य
	कुल राशि	**शून्य**

(ii) अन्य प्रकटीकरण :

(क) 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसे व्यय (पूंजी अथवा राजस्व) के स्वरूप के अनुसार 'प्रदत्त' और 'अभी प्रदत्त किया जाना है' के रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

		प्रदत्त (क)	प्रदत्त किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(ख) जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, देयताओं से संबंधित सम्बद्ध लेखा शीर्ष में शामिल सम्बद्ध पार्टियों को कुल व्यय रुपये शून्य में से रुपये शून्य प्रदत्त किए जाने हैं।

12. सांविधिक देयों से संबंधित कोई राशि उनके देय होने की तारीख के बाद बकाया नहीं थी।

13. प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी द्वारा प्रयुक्त ''परिसम्पत्तियों की हानि'' का कोई संकेत नहीं है।

14. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कॉर्पोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, कॉर्पोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना अपनी सभी अचल परिसंपत्तियों, ईडीसी, निर्माण भंडार और अग्रिमों, चालू परिसंपत्तियों (नक़दी और बैंक शेष सहित) और 22 अक्टूबर, 2009 को चालू देयताओं के साथ, 23 अक्टूबर, 2009 से अधिनिगमन होने पर एक लाभकारी संस्थान के रूप में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. के नाम एवं शैली से एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित हो जायेगी। 22 अक्टूबर, 2009 तक लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन परियोजना की परिसंपत्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को कॉर्पोरेशन द्वारा उसे अंतरित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के रूप में समझा जायेगा। इसी प्रकार जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक सकल मूल्यह्रास को एनएचपीसी लिमि. द्वारा कंपनी को अंतरित मूल्यह्रास के सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

15. क) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए बकाया, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे समाधान/पुष्टि एवं सम्बद्ध नतीजतन समायोजनों के अधीन हैं। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के निर्देशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई अथवा सौंपी जाने का निर्णय की गई परियोजनाओं से संबंधित दावे भी शामिल हैं।

ख) व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयताओं, जमा राशियों, पूंजी व्यय और संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम के संदर्भ में बाहरी पार्टियों से पुष्टि हर वर्ष 31 दिसम्बर को रुपये पांच लाख या उससे अधिक की बकाया राशि के संदर्भ में प्राप्त की जाती है। 31 दिसम्बर, 2015 और 31.03.2016 को बकाया राशि की पुष्टि की स्थिति नीचे दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.12.2-15 को बकाया	पुष्टि की गई राशि	31.03.2016 को बकाया
व्यापार प्राप्य			
पूंजी व्यय और संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य से सम्बद्ध जमा राशियां, अग्रिम	1585930		1585930
व्यापार/अन्य देयताएं			
धरोहर राशि/धारण निधि देय			

प्रबंधन की राय में पुष्टि न की गई बकाया राशि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16 क) 31.03.2016 को बकाया अविवादित सांविधिक देयों का ब्यौरा, जो देय होने की तारीख से 6 महीने के भीतर जमा नहीं कराए गए।

देय का स्वरूप	राशि रुपये में	जमा कराने की निर्धारित तारीख
ईपीएफ	शून्य	
आयकर	शून्य	
बिक्री करवैट	शून्य	
सेवा कर	शून्य	
सीमा शुल्क	शून्य	
उत्पाद शुल्क	शून्य	
कार्य अनुबंध कर	शून्य	
कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	शून्य	

ख) किसी विवाद के चलते जमा न कराए गए सांविधिक देय:-

कानून का नाम	देय का स्वरूप	राशि	वर्ष जिससे सम्बद्ध हैं	फोरम जहां मामला लम्बित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	शून्य	शून्य	शून्य
बिक्री कर अधिनियमवैट अधिनियम	बिक्री करवैट	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	शून्य	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985	उत्पाद शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
कार्य अनुबंध कर	कार्य अनुबंध कर	शून्य	शून्य	शून्य
कृपया निर्दिष्ट करें	कोई अन्य शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य

ग) अचल परिसंपत्ति (भूमि को छोड़ कर) का ब्यौरा जिसके लिए कंपनी के नाम में मालिकाना विलेख निष्पादित न किए हों :

क्र. सं.	संपत्ति का ब्यौरा	अधिग्रहण का वर्ष	अधिग्रहण की लागत	लिखित मूल्य	मालिकाना विलेख निष्पादित न होने का कारण
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

17. अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में रिपार्टिंग के लिए प्रकटीकरण

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या उधार राशि/ऋण/ब्याज आदि माफ किए जाने/बट्टे खाते डाले जाने का कोई मामला रहा है। यदि हां तो उसका कारण बताएं और राशि का उल्लेख करें।	कोई नहीं
2	क्या तृतीय पक्ष के साथ रखी गई माल-सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदानों का समुचित रिकॉर्ड रखा गया।	लागू नहीं

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -327475 ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या 063227

(के. एम. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन 02223301

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक 10 मई, 2016

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपये में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कराधान पूर्व निवल लाभ	29004466		40035080	
	समायोजन				
	-ब्याज/अन्य आय	(29564192)		(40297907)	
	-बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय				
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ	(559726)		(262827)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	6183916		63456594	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	157536		476102	
	चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	4407565		(36482546)	
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(5127906)		(55964260)	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित नकदी	5061385		(28776937)	
	अदा किया गया आयकर	(9589747)		(12989382)	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित निवल नक़दी प्रवाह (क)		**(4528362)**		**(41766319)**
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि	(1918191)		(1778487)	
	चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	(101255471)		(111406263)	
	भंडार एवं कलपुर्जो में वृद्धि				
	ब्याज आय	29564192		40297907	
	ब्याज आय (पूर्व अवधि)				
	निवेश क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(73609470)**		**(72886843)**
ग)	**वित्त पोक्षण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	विविध आय				
	शेयर आबंटन/आवेदन राशि से प्राप्तियां		-		0
	अनुदान के प्रति प्राप्तियां				
	वित्त पोक्षण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**-**		**-**
	नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		(78137832)		(114653162)
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		**381882633**		**496535795**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		**303744801**		**381882633**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रशांत राजेश एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -327475 ई)

(राजेश कुमार प्रसाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या 063227

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक 10 मई, 2016

(के. एम. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन 02223301

(एम. सदागोपालन)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ-6515

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

टीसी-43/V, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरण के बारे में रिपोर्ट

हमने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति दर्शाने वाला तुलन-पत्रक, लाभ एवं हानि विवरण और उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नक़दी प्रवाह विवरण के साथ-साथ प्रमुख लेखांकन नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को लेखा-परीक्षा के लिए रखा गया था।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा परीक्षण में ऐसी प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जिनसे वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त हो सके। इसके लिए चुनी गयी प्रक्रियाएं हेराफेरी से या गलती से वित्तीय विवरण में किसी बड़ी गलत बयानी की आशंका के आकलन समेत लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर हैं। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारियों से मेल खाने वाले आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। साथ ही वह इस पर भी गौर करता है कि आंतरिक नियंत्रण, कंपनी की तैयारियों के अनुरूप हो। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के लिए कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रासंगिक होने चाहिए और उन्हें सिर्फ कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों को प्रभावी सिद्ध करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में लेखांकन में अपनायी गयी नीतियों और कंपनी के निदेशकों के लेखांकन संबंधी अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का भी आकलन किया जाता है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण जुटाए हैं वे हमारे लेखांकन संबंधी दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति और उसके लाभ तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाएं

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग) अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के शाखा कार्यालयों की लेखा-परीक्षित रिपोर्टें अपेक्षित नहीं हैं, क्योंकि कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है।

घ) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्रक, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है।

ङ) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

च) हमारी राय में, कोई ऐसे वित्तीय लेन-देन या मामले नहीं रहे हैं, जिनका कंपनी की कार्य-प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़े।

छ) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी का कोई ऐसा लंबित अदालती मामला नहीं है, जिसका प्रभाव उसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ा हो।

ii) व्युत्पादित अनुबंधों सहित कंपनी का कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिससे कोई महत्वपूर्ण हानि होने की आशंका हो।

iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रूप में कंपनी के लेखों की समीक्षा अनुलग्नक में संलग्न है।

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर नंबर-003179 सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 18.05.2016

बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों के बारे में इसी तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबद्ध अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (''कंपनी'') की 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणो की अपनी लेखा परीक्षा के संयोजन के रूप में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मागदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उसे कार्यरूप देना और उसका रखरखाव शामिल है, जो कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और सक्षम संचालन और साथ ही कंपनी की नीतियों के अनुपालन और उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा अपेक्षित भरोसेमंद वित्तीय सूचना सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से प्रचालित हों।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे मे अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आईसीएआई द्वारा जारी एवं वांछित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखांकन मानकों और तत्संबंधी मागदर्शन टिप्पणियों (''मार्गदर्शक टिप्पनी'') के अनुसार की है, ये दोनों इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं और आतंरिक नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर लागू होते है।

ये मानक और मागर्दशन टिप्पणियां हमसे यह अपेक्षा करती हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाए और उसे कार्यान्वित करें कि उससे इस बात का उपयुक्त आश्वासन मिल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचित व्यवस्था की गई और उन्हें बनाए रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में कारगर ढंग से लागू किया गया या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल रही हैं जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचित व्यवस्था और उनकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, किसी विद्यमान महत्वपूर्ण कमजोरी संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनगत सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल रहा है। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण गलत ब्यानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित, चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा से जो प्रमाण जुटाए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाना एक ऐसी प्रकिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किसी बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं और नीतियां शामिल रहती हैं जो : (1) ऐसे रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेनदेनों तथा उसके द्वारा परिसंपत्तियों के निपटान को युक्तिसंगत विस्तार के साथ, सही-सही और निष्पक्षता के साथ प्रदर्शित करने से संबंधित है; (2) इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन, आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जरूरत के अनुसार दर्ज किये गये हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकृत होने के बाद ही किये जाते हैं; (3) कंपनी के विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या परिसंपत्तियों के निपटान का समय पर पता लगाने और उसे रोकने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं और टकराव की आशंका या नियंत्रणों पर प्रबंधन के अनुचित दबाव की वजह से संभव है कि गलतियों या हेराफेरी से कोई महत्वपूर्ण गलत कथन हो जाए और उसका पता ही न चले। इसके अलावा भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी अनुमानों में जोखिम हो सकता है। भविष्य की किसी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी संभावित आकलनों में जोखिम की आशंका हो सकती है और ऐसे नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव, या नीतियों पर अमल के परिमाणस्वरूप या प्रक्रियाओं में ऱ्हास के कारण अपर्याप्त साबित हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कंपनी के पास हर लिहाज से पर्याप्त अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग का कार्य सुचारु रूप से कर रहे थे। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के बारे में कंपनी के ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में जारी किये गये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण संबंधी निर्देशात्मक टिप्पणियों के महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल कर बनाए गये हैं।

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर नंबर-003179 सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 18.05.2016

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड की लेखापरीक्षा संबंधी हमारी रिपोर्ट में वर्णित अनुलग्नक:

हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी
(i)	(क) क्या कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरों और अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखे हैं:	हां, रखे हैं।
	(ख) क्या प्रबंधन द्वारा इन अचल आस्तियों की उचित अंतराल के बाद भौतिक रूप से जांच करायी गई; क्या ऐसी जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण खामी पायी गई; यदि हां, क्या उसे लेखा-बहियों में समुचित रूप से दर्ज किया गया;	हां, भौतिक रूप से जांच की गई। कोई खामी नहीं पायी गई।
	क्या अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम कराए गए हैं, यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा दें;	ला. न.
(ii)	क्या प्रबंधन द्वारा माल सूचियों की उचित अंतराल के बाद भौतिक रूप से जांच करायी गई; क्या ऐसी जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण खामी पायी गई; यदि हां, क्या उसे लेखा-बहियों में समुचित रूप से दर्ज किया गया;	बहियों में कोई मालसूची नहीं है, अतः यह लागू नहीं होता।
(iii)	क्या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी संस्थाओं या अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत, ऋण प्रदान किए, यदि ऐसा हो तो, कृपया बताएं-	ऐसा कोई मामला नहीं।
	(क) क्या ऐसे ऋण से संबद्ध मंजूरी की शर्तें कंपनी के हितों पर विपरीत असर डालने वाली हैं;	ला. न.
	(ख) क्या मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान का समय निर्धारित किया गया है और क्या अदायगी और प्राप्तियां नियमित रूप से की जा रही हैं;	ला. न.
	क्या कोई राशि अतिदेय रही है, 90 दिन से अधिक अतिदेय रही राशि का ब्यौरा दें और क्या कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं;;	ला. न.
(iv)	क्या ऋणों, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूति के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा दें;	ला. न.
(v)	यदि कंपनी ने जमा राशियां स्वीकार की हों, तो क्या उनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 73 और 76 के प्रावधानों और अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जहां कहीं लागू हों, का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं तो ऐसे उल्लंघनों का स्वरूप स्पष्ट करें। यदि कंपनी लॉ बोर्ड या नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या अन्य ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पारित किया हो, तो उसका अनुपालन किया गया या नहीं ?	ला. न.
(vi)	क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड निर्दिष्ट किए गए हैं और क्या ऐसे लेखे और रिकॉर्ड रखे और अनुरक्षित किए गए हैं।	ला. न., चूंकि कंपनी ने उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है।
(vii)	क) क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्द्धत कर, उपकर और अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को नियमित रूप से करती रही है, यदि नहीं, तो संबद्ध वित्त वर्ष के अंतिम दिन सांविधिक देयों की ऐसी राशि का उल्लेख करें, जो देय होने के 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया हो;	हां, समय पर जमा कराए गए।
	ख) किसी विवाद के चलते यदि आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य संवर्द्धत कर जमा न कराए गए हों, तो ऐसी बकाया राशि और उस फोरम का उल्लेख करें जहां विवाद लंबित है। (किसी विभाग में प्रस्तुत प्रतिवेदन मात्र को विवाद नहीं समझा जायेगा)।	ऐसा कोई मामला नहीं।
(viii)	क्या कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से लिए गए ऋणों या उधार राशियों अथवा डिबेंचर धारकों की देय राशियों का पुर्नभुगतान करने में कोई चूक की है ? यदि हां, तो तत्संबंधी राशि और अवधि का उल्लेख करें। (वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार की बकाया राशि के भुगतान में चूक के मामलें में उधारकर्ता वार ब्यौरा दें)	ला. न.
(ix)	क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर या अन्य पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) और दीर्घावधि ऋणों के माध्यम से उगाही गई धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए वह उगाही गई थी। यदि नहीं, तो विलम्ब या चूक और परवर्ती परिशोधन, यदि कोई हो, जो प्रयोज्य हो, का ब्यौरा दें;	ला. न.
(x)	क्या वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने या इसके किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी करने का पता चला या कोई मामला प्रकाश में आया, यदि हां तो उसके स्वरूप एवं उससे संबद्ध राशि का उल्लेख करें;	धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ
(xi)	क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी अधिनियम की पांचवीं अनुसूची और धारा 197 दोनों के प्रावधानों को एक साथ पढ़ते हुए अधिदेशित अनुमोदनों के अनुसार किया गया ? यदि नहीं, तो इससे संबद्ध राशि और कंपनी द्वारा उसकी वसूली के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करें;	ला. न.

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी
(xii)	क्या निधि कंपनी ने देयता पूरी करने के लिए स्वयं की निवल धनराशि को 1:20 अनुपात में जमा कराने के नियम का अनुपालन किया और क्या निधि कंपनी देयता पूरी करने के लिए निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट अनुसार 10 प्रतिशत भारमुक्त सावधि जमा राशि जमा रखने के नियम का अनुपालन कर रही है;	ला. न.
(xiii)	क्या संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन, जहां भी लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 177 और 188 का अनुपालन करते हुए किए गए हैं और प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया;	हां
(xiv)	क्या कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमानी आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट किया और यदि ऐसा हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया और उगाही गई राशि का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया गया, जिसके लिए उसे उगाहा गया था. यदि नहीं तो तत्संबंधी राशि का उल्लेख करें और उल्लंघन का स्वरूप बताएं;	नहीं
(xv)	क्या कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नक़दी लेनदेन किया, यदि ऐसा हो, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया;	ऐसा कोई मामला नहीं।
(xvi)	क्या भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण अपेक्षित है, यदि हां तो क्या पंजीकरण प्राप्त किया गया है।	ला. न.

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 18.05.2016

अनुलग्नक : I

बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों की जांच में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण।

क्र. सं.	मार्गदर्शन	लेखा-परीक्षक का जवाब
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट मालिकाना विलेख/लीज विलेख हैं ?	शून्य
2	क्या उधारी/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते डालने के मामले रहे हैं। यदि हां, तो उसके कारण और तत्संबंधी राशि का उल्लेख करें;	शून्य
3	क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी माल सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार में प्राप्त परिसम्पत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है।	शून्य

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 18.05.2016

अनुलग्नक : II

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, लखनऊ के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित हैं कि हमने सभी जारी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
(भागीदार)
सदस्य संख्या 077833

स्थान - लखनऊ
दिनांक - 18.05.2016

31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	**2**		10000000		10000000
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	**3**		(737910)		(665784)
	(2) गैर वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	**4**		-		-
	(ख) स्थगित कर देयता	**5**		-		-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	**6**		-		-
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	**7**		-		-
	(3) वर्तमान देयताएं					
	(क) व्यापार प्राप्य	**8**				
	i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया देय			-		-
	ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के बकाया देय			113279		-
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	**9**		114428410		2040169
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	**7**		-		-
	(4) सी.ओ. से निधि	**2A**		-		-
	कुल			**123803779**		**11374385**
II.	**आस्तियां**					
	(1) गैर वर्तमान आस्तियां					
	(क) अचल आस्तियां					
	(i) गोचर आस्तियां	**10.1**	120340		-	
	(ii) अगोचर आस्तियां	**10.2**	-		-	
	(iii) चालू पूंजी कार्य	**11.1**	9918760		1155759	
	(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	**11.2**	-		-	
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	**12**	-		-	
	(ग) स्थगित कर आस्तियां	**5**	146500		218626	
	(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	**13**	-		-	
	(ङ) अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	**14.1**	-		-	
	उप-जोड़		**10185600**		**1374385**	
	(च) गैर वर्तमान आस्तियां-नियामक आस्तियां	**14.2**	-	10185600	-	1374385
	(2) चालू आस्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	**15**		-		-
	(ख) माल सूची	**16**		-		-
	(ग) व्यापार प्राप्य	**17**		-		-
	(घ) नकदी एवं बैंक शेष	**18**		113145939		10000000
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	**13**		472240		-
	(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	**19**		-		-
	कुल			**123803779**		**11374385**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**				
	वर्ष के लिए चालू पूंजी कार्य के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान निर्माण संबंधी व्यय।	**28**				
	लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण टिप्पणी संख्या 1 से 29 लेखे का अभिन्न अंग हैं।	**29**				

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(चेरियन मैथ्यू)
निदेशक

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 18.05.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
	आय			
i)	प्रचालन से राजस्व	**20**	-	-
ii)	अन्य आय	**21**	-	-
	कुल राजस्व		**-**	**-**
	व्यय			
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**	-	884410
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	**23**	-	-
iii)	वित्त लागत	**24**	-	-
iv)	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	**25**	-	-
	कुल व्यय		**-**	**884410**
	पूर्व अवधि मदें, विशिष्ट मदें, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ		-	(884410)
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	**26**	-	-
	विशिष्ट मदें, असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ		-	(884410)
	असाधारण मदें		-	-
	असाधारण मदें, दर विनियमित गतिविधियां और कर पूर्व लाभ		-	(884410)
	असाधारण मदें		-	-
	दर विनियमित गतिविधियां (आरआरए) और कर पूर्व लाभ		-	(884410)
	दर विनियमित आय/(व्यय)		-	-
	कर पूर्व लाभ		-	(884410)
	कर व्यय	**27**		
i)	वर्तमान कर		-	-
ii)	पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन		-	-
iii)	विलंबित कर		72126	(218626)
	कर संबंधी कुल व्यय		72126	(218626)
	सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ		**(72126)**	**(665784)**
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
	अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ		-	-
	वर्ष के लिए लाभ		**(72126)**	(665784)
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
	बुनियादी		₹ (0.007)	₹ (0.67)
	तनुकृत		₹ (0.007)	₹ (0.67)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		
	वर्ष के लिए चालू पूंजी कार्य के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान निर्माण संबंधी व्यय।	**28**		
	लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण	**29**		
	टिप्पणी संख्या 1 से 29 लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(चेरियन मैथ्यू)
निदेशक

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 18.05.2016

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 तैयार करने का आधार

निगम के लेखे, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 तथा प्रयोज्य सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

1.2 प्राक्कलनों का इस्तेमाल

आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए प्रबंधन को युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ऐसी समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखना होता है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और आलोच्य अवधि के दौरान आय एवं व्यय की मात्राओं पर असर डालने वाली हो। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन में किसी प्रकार के संशोधन को उस अवधि में मान्य समझा जाता है, जिसके लिए वह निर्धारित किया गया हो।

2 अचल परिसंपत्तियां

2.1 गोचर आस्तियां

2.1.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न समायोजन सहित, आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमान के आधार पर किया गया है।

2.1.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.1.3 बिजलीघरों के मामले में स्थिर आस्तियों के मूल रूप से आकलित उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने के बाद नवीकरण और जीर्णोद्धार पर हुए खर्च को, जिससे वर्तमान आस्तियों के जीवनकाल और/या कार्यकुशलता में वृद्धि होती हो, संबंधित आस्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है। वर्तमान आस्तियों के स्थान पर अधिगृहीत मूर्त आस्तियों का पूंजीकरण किया जाता है और इनके आने से सक्रिय उपयोग से हटायी गयी/विमोचित आस्तियों को अनुपयोगी करार दे दिया जाता है।

2.1.4 अपने स्वामित्व वाली जमीन के लिए किये गये भुगतान/मुआबजे के लिए अस्थायी रूप से सृजित आस्तियों (इसमें अदालत के आदेश की तारीख तक के लिए अदालत द्वारा सुनाए गये बढ़े हुए मुआबजे पर ब्याज भी शामिल है), पुनर्वास और इसी तरह के खर्चों को जमीन की लागत माना जाता है।

2.2 अगोचर आस्तियां

2.2.1 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

2.2.2 विभागीय इस्तेमाल के लिए खरीदे गए साफ्टवेयर (जो सम्बद्ध हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हों) का वर्णन संचयी परिशोधन और खराबी हानियों, यदि कोई हों, को घटा कर खरीद लागत पर किया गया है और उन्हें अगोचर आस्तियों के रूप में समझा गया है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य

2.3.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों को ''निर्माण के दौरान अन्य व्यय (ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और तत्पश्चात परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

2.3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.3.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका सृजन करना मुख्य रूप से परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर किए गए पूंजी व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है। बाद में परियोजना पूरी होने पर ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, पर किए गए व्यय को लाभ एवं हानि पत्रक में प्रभारित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी (लिखित मूल्य) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी (लिखित मूल्य) में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और वे माल सूची का हिस्सा होते हैं।

4. दर विनियमन गतिविधियां

किसी परियोजना के निर्माण की अवधि में किए गए व्यय मद को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में समझा जाता है अर्थात् लेखांकन मानकों के अनुरूप सम्बद्ध अचल आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जाता है, परंतु, फिर भी नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित अनुसार भविष्य में टैरिफ के जरिए उसे लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा और इस वसूली के अधिकार को नियामक आस्ति माना जाएगा तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दर विनियमित गतिविधियों के लिए जारी मार्गदर्शन लेखांकन टिप्पणियों के अनुसार नियामक आय समझा जाएगा, बशर्ते वह उपरोक्त मार्गदर्शन टिप्पणी में ऐसी मान्यता के लिए निहित शर्तें पूरी करता हो।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 गोचर परिसम्पतियों में संवर्धन/कमी पर मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर गोचर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 05.02.03 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में वर्णित के अनुसार निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, उनके जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को उस वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है, जिस वर्ष वे उपयोग के लिए उपलब्ध हों और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और वे इस्तेमाल के वर्ष में राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है, जिसकी गणना खरीदने के वर्ष से की जाती है।

5.6 भूमि-इस्तेमाल का अधिकार का परिशोधन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है।

5.7.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2014 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.7.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.8 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, पंचाट/अदालती मामलों के निबटारे, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

6.1 निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

6.2 वर्तमान निवेश निम्नतर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और सही मूल्य का निर्धारण किसी पृथक निवेश के आधार पर किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का मूल्यांकन, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली अचल आस्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के अंतर्गत भविष्यनिधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

9.2 पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना और भविष्यनिधि योजना के लिए वर्ष के दौरान अदा किया गया/अदा किए जाने योग्य कम्पनी के योगदान को हिसाब में लिया जाता है और सम्बद्ध निधियों को अदा किया जाता है जिनका संचालन पृथक न्यासों के जरिए होता है।

9.3 उपदान के संदर्भ में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर तय की जाती है और उसे ग्रेज्युइटी ट्रस्ट को अदा किया जाता है।

9.4 अवकाश लाभ (क्षतिपूरक अनुपस्थितियों सहित), सेवानिवृत्ति परवर्ती चिकित्सा लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों पर व्यय संबंधी देयता का वर्ष के अंत में बीमांकित आधार पर पता लगाया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा तय की गई अनंतिम दरों पर हिसाब में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व की गणना पूर्ण पद्धति के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्ण का प्रतिशत ''रिपोर्ट करने की तारीख तक आई लागत'' से लेकर ''सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं और परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत'' तक आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उसके प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाने पर मान्य समझा जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार/समापन क्षतियों/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की अग्रेणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इस तरह की हानि को लाभ एवं हानि पत्र में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, और ऐसी हानि समाप्त हो जाती है अथवा उसमें कमी आती है, तो दर्ज की गई हानि को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। दर विनियमित आस्तियों का भी हानि के संदर्भ में प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर परीक्षण किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

किसी प्रावधान को उस समय हिसाब में लिया जाता है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो और उस दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना हो और उसके संदर्भ में वास्तविक प्राक्कलन किया जा सकता हो। तुलन-पत्रक की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, और वर्तमान मूल्यों के आधार पर डिस्काउंट नहीं किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्रक की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के ताजा आकलन को शामिल करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

16. नक़दी प्रवाह विवरण

नक़दी प्रवाह विवरण सम्बद्ध लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये)	10000000	100000000	10000000	100000000
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	1000000	10000000	1000000	10000000

(ग) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की। अतः इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।

(घ) कम्पनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में केवल एक तरह के इक्विटी शेयर मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के साथ जारी किए। मताधिकार का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है।

	(ड.) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
		संख्या में	In (%)	संख्या में	In (%)
	एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी)	999993	99.99%	999993	99.99%
	कुल	999993		999993	
f)	शेयरधारक के राइट/प्रतिबंध				

टिप्पणी संख्या 2ए कॉर्पोरेट कार्यालय से निधियां (अंतरण लेखा)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
कार्पोरट कार्यालय से निधियां	-	-
सी.ओ. (एफडीवी)	-	-
आईयूटी अंतिम प्रविष्टियां-सीओ	-	-
एल-ओ मुम्बई	-	-
एल-ओ लखनऊ	-	-
आर.ओ. जम्मू	-	-
आरओ-ईटानगर	-	-
आर.ओ. सिलीगुड़ी	-	-
एल-ओ देहरादून	-	-
बैरा स्यूल	-	-
लोकतक	-	-
सलाल	-	-
टनकपुर	-	-
चमेरा- I	-	-
उड़ी- I	-	-
रंगित	-	-
चमेरा- II	-	-
दुल्हस्ती	-	-
धौलीगंगा-I	-	-
तीस्ता-v	-	-
चमेरा- III	-	-
चूटक	-	-
टीएलडीपी-III	-	-
पार्बती-II	-	-
पार्बती-III	-	-
सेवा-II	-	-
उड़ी-II	-	-
किशनगंगा	-	-
बरसर	-	-
निम्मो बाज़गो	-	-

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
टीएलडीपी -IV	-	-
तीस्ता - IV	-	-
सुबांसिरी लोअर	-	-
दिबांग	-	-
तवांग I और II	-	-
कोटलीभेल 1ए	-	-
अन्वेक्षण परियोजनाएं, उत्तराखंड	-	-
कोटलीभेल I बी और II	-	-
आर ई सेल	-	-
पवन ऊर्जा परियोजनाएं, जैसलमेर	-	-
बीआरआरपी	-	-
चेक भुगतान खाता	-	-
चेक संगृहीत राशि	-	-
केंद्रीकृत कर्मचारी भुगतान खाता	-	-
केंद्रीकृत विक्रेता भुगतान खाता	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 3- आरक्षी और अधिशेष

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2016		31 मार्च 2015
पूंजी आरक्षी		-		-
पूंजी विमोचन आरक्षी		-		-
प्रतिभूति प्रीमियम खाता		-		-
सामान्य आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं: पूंजी विमोचन आरक्षी को अंतरण	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
बांड विमोचन आरक्षी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
स्वबीमा निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
अनुसंधान एवं विकास निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते	-		-	
तुलन पत्र की तारीख को		-		-
अधिशेष*		(737910)		(665784)
कुल		**(737910)**		**(665784)**

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
*अधिशेष	-	(72126)	(665784)
लाभ एवं हानि खाता विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		-	-
दर विनियमित आस्तियों को हिसाब में लेने के लिए परिवर्तनकालीन प्रावधानों के लिए समायोजन		(665784)	-
अग्रेणीत अधिशेष			
जोड़े:		-	-
बांड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		-	-
पूंजी आरक्षी से पश्चलिखित		-	-
अन्य आरक्षी से पश्चलिखित		-	-
स्वबीमा निधि से प्रयुक्त राशि		-	-
लाभांश पर कर पश्चलिखित		-	-
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि से पश्चलिखित		-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्चलिखित (नियोजन के लिए उपलब्ध शेष)		**(737910)**	**(665784)**
घटाएं:			
बांड विमोचन आरक्षी को अंतरण		-	-
स्वबीमा निधि को अंतरण		-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरण		-	-
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि को अंतरण		-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरण		-	-
लाभांश:			
अंतरिम		-	-
प्रस्तावित		-	-
लाभांश पर कर			
अंतरिम		-	-
प्रस्तावित		-	-
अग्रेणीत शेष		**(737910)**	**(665784)**

टिप्पणी:- 4 दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपय में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बॉंडस						
- बॉंड -	-	-	-	-	-	-
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि		-			-	
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि						

31.12.2016 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की कुल राशि	-	-
31.12.2016 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की कुल अवधि	-	-

टिप्पणी सं. 5 - आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
आस्थगित कर देयता				
मूल्यह्रास				
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
संदिग्ध ऋणों, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान				
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान				
आस्थगित कर देयता		(146500)		(218626)
घटाएं: 2009 तक की अवधि के लिए वसूली योग्य	-		-	
घटाएं: आस्थगित कर देयता के प्रति आस्थिगत कर समायोजन	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता (निवल)		**(146500)**		**(218626)**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित ''आय पर करों के लेखांकन'' संबंधी लेखांकन संख्या-22 के अनुपालन में 31.12.2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए रुपये ---------- (पिछले वर्ष शून्य रुपये) का प्रावधान आस्थिगत कर देयता के रूप में किया गया है।

टिप्पणी सं. 6 - अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं - वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/धारण राशि	3674	3674	-	-	-	-
अग्रिम रूप में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
आस्थिगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से आस्थिगित आय	-	-	-	-	-	-
	3674	**3674**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 7 - प्रावधान

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**						
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
i)	**छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ii)	**आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-	-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
iv)	**स्मृति-चिन्ह के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
v)	**वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	-	-		-	-	
	घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	-		-	-	
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
vi)	**कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
vii)	**सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान समायोजित राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को			31 मार्च, 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ग)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
घ)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ड.)	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
च)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
छ)	**बीमांकृत आस्तियों की बहाली पर व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		-			-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन					-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि					-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि					-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ज)	**प्रावधान-अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/वॉल्यूम III दिनांक 27, दिसंबर 2013 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने की जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों के लिए 01.01.1997 से निर्धारित किए गए वेतनमानों में विसंगतियां दूर करने के बाद 01.01.2007 से संशोधित वेतनमान लागू करने की अनुमति दी गयी है। इसमें यह भी बताया गया कि 01.01.1997 से निर्धारित किए गए गलत वेतनमान नियमित नहीं किए जाएंगे। विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 25.02.2016 के तहत पुष्टि की कि 01.02.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है। एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे हासिल कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के देखते हुए कर्मचारियों को वेतन के साथ वैयक्तिक वेतन समायोजन का भुगतान जारी रखा गया है।

इस प्रकार 'वेतन संशोधन के लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक वेतन समायोजन के लिए 'अग्रिम भुगतान' के रूप में रूपये ..... (चालू वर्ष के लिए रूपये..... के प्रावधान सहित) दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी सं. 8-व्यापार देय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय	113279	-
कुल	**113279**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या-29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां के अंतर्गत किया गया है।

टिप्पणी सं. 9-अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)		-		-
जमा राशि		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज		-		-
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम) (टिप्पणी संख्या 6 देखें)		-		-
अदा न किया गया लाभांश		-		-
पूंजी कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		-		-
जमा/प्रतिधारण निधि		-		-
होल्डिंग कंपनी को देय		3674		-
जमा/एजेन्सी आधारित कार्यों की खर्च न की गई राशि		14416168		2040169
-		-		-
बांड आवेदन निधि		-		-
सांविधिक देयताएं		8568		-
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं		-		-
अन्य देयताएं		-		-
डिपोजित कार्यों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं: डिपोजित कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	100000000		-	
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	-		-	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-	100000000	-	-
सहायता अनुदान - लंबित उपयोग		-		-
कुल		**114428410**		**2040169**

* विमोचन, ब्याज दर, भुगतान की अवधि और प्रतिभूति का ब्यौरा टिप्पणी संख्य 4 में प्रकट किया गया है। (केवल सी.ओ. के लिए).

टिप्पणी संख्या 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2015	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31-03-2016	01-04-2015	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2016	31-03-2016	31-03-2015
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0						0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0						0	0	0	0	0	0	0
iii)	सड़कें और पुल	0						0	0	0	0	0	0	0
iv)	भवन	0						0	0	0	0	0	0	0
v)	रेलवे साइडिंग्स	0						0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाईड्रॉलिक कार्य/ (बांध, जल संवहन प्रणाली, मैकेनिकल गेट्स, सुरंगे)	0						0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0						0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0						0	0	0	0	0	0	0
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0						0	0	0	0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0						0	0	0	0	0	0	0
xi)	निर्माण उपकरण	0						0	0	0	0	0	0	0
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	0						0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	0						0	0	0	0	0	0	0
xv)	विमान/नौकाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	0						0	0	0	0	0	0	0
xvii)	कम्प्यूटर	0		176400		19900		156500	0	39162	-3002	36160	120340	0
xviii)	संचार उपकरण	0						0	0	0	0	0	0	0
xix)	कार्यालय उपकरण	0						0	0	0	0	0	0	0
xx)	अनुसंधान और विकास	0						0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य आस्तियां	0						0	0	0	0	0	0	0
xxii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये	0						0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**176400**	**0**	**19900**	**0**	**156500**	**0**	**39162**	**-3002**	**36160**	**120340**	**0**
	पिछले वर्ष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

टिप्पणी संख्या 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपय में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2015	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31-03-2016	01-04-2015	अवधि के लिए	समायोजन	31-03-2016	31-03-2016	31-03-2015
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	0						0	0			0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0						0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	पिछले वर्ष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

टिप्पणी संख्या 11.1- चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	1-अप्रैल-2015	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31-मार्च-2016
i)	सड़कें और पुल	-				-
ii)	भवन	-				-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv)	हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix)	निर्माण उपकरण	-				-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी -आस्तियां	-				-
xiii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	-	274903			274903
xiv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-				-
xv)	निर्माण के दौरान व्यय*	1155759	13008778	(4520680)		9643857
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-	-			-
	उप-जोड़ (क)	**1155759**	**13283681**	**(4520680)**	**-**	**9918760**
	***वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए निर्माण टिप्पणी संख्या 28 देखें।**					
	निर्माण भंडार (मूल्यांकन के लिए नीति संख्या 7 देखें)	-			-	-
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-			-	-
	उप-जोड़ (ख)	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**
	कुल	**1155759**	**13283681**	**(4520680)**	**-**	**9918760**
	पिछले वर्ष		1155759	-	-	1155759

टिप्पणी संख्या 12: गैर वर्तमान निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31-मार्च-2015 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (रुपये में)
--------शून्य----------						

टिप्पणी स. 13: ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
(क)	**पूंजी अग्रिम**						
	-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
	-अन्य	-		-	-		-
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	-		-	-		-
(ख)	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छी समझी गई)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझी गई)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए प्रावधान	-	-	-		-	-
	संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2*	-	-	-	-	-	-
(ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/ को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	-	-	-	-	-	-
	- अन्य		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		-			-	
	ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	अन्य अग्रिम						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान		-	-		-	-
	अग्रिम आय कर एवं स्रोत पर काटा गया कर		472240	472240		-	-
	कुल	**-**	**472240**	**472240**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -	**31 मार्च 2016 को**	**31 मार्च 2015 को**
वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम- शून्य		
ऐसे प्रतिष्ठानों तथा प्राइवेट कंपनियों की ओर देय अग्रिम, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य हो - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)		

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
*1	**संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		दीर्घअवधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घअवधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
*2	**संदिग्ध जमा राशियों के प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		दीर्घअवधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घअवधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
*3	**संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान**						
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			-	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 14.1अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	-	-
- अन्य	-	-
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 14.2 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-नियामक आस्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	01-अप्रैल-2015	संवर्द्धन	समायोजन	परिशोधन/ हानि	31-मार्च-2016
सुबानसरी लोअर जलविद्युत परियोजना	-	-	-		-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 15 वर्तमान निवेश

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (रुपये में)
	..... शून्य					

टिप्पणी सं. 16 माल सूची

(राशि रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)					
भंडार एवं कल-पुर्जे	-		-		
मार्गस्थ/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-	-	-	
खुले औजार		-		-	
रद्दी माल-सूची		-		-	
निर्माण स्थल पर सामग्री		-		-	
संविदाकर्ताओं/निर्माताओं को जारी सामग्री		-		-	
स्व-सृजित वीईआर की सूची		-		-	
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1		-		-	
	कुल	**-**		**-**	

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
*1	**अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
	अंतिम शेष	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 17 - व्यापार प्राप्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	**-**	**-**
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	**-**	**-**
अन्य व्यापार प्राप्य		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	-	-
कुल	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की ओर अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया ऋण और ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

*1	**संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का ब्यौरा**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 18 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि लाख रूपए में)

क.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क.	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी (रु....के हस्तगत स्टैम्प, पिछले वर्ष रु.शून्य शामिल हैं)।	-	-
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
	बैंकों में राशि		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	I) चालू खाते में	1597499	10000000
	II) जमा खाते में		
	तीन महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि के लिए जमा राशि	-	-
	• अन्य बैंकों में		
	- चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान में	-	-
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- जमा खाते में		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि की जमा राशियां	111548440	-
	जमा खाते में -अप्रदत्त लाभांश	-	-
	कुल	**113145939**	**10000000**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु.. (पिछले वर्ष रु..) शामिल हैं, जो अन्य एजेंसियों की ओर से कम्पनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 19 - अन्य चालू आस्तियां

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को
क)	निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याजः-				
	उपभोक्ताओं से बकाया के निवटान में राज्य सरकार को ऋण	-		-	
	जमा राशियां -	-		-	
	अन्य				
	- अच्छे समझे गए	-		-	
	- संदिग्ध समझे गए	-		-	
		-		-	
	घटाएं: संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान *1	-	-	-	-
ख)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य		-		-
ग)	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		-		-
घ)	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज		-		-
ड)	वसूली योग्य दावे	-		-	
	घटाएं संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *2	-	-	-	-
	चालू कार्य				
च)	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
छ)	परामर्शी कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
ज)	निपटान के लिए रखी गई अधिशेष आस्तियां/अप्रचलित आस्तियां		-		-
झ)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	-		-	
	घटाएं: बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *3	-	-	-	-

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
त्र)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	-		-	
	घटाएं: बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *4	-	-	-	-
ट)	अन्य		-		-
	कुल		-		-

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

- निपटान के लिए रखी गई अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को उनके निम्नतर बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
*1	**संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान**		
	प्रारम्भिक शेष	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**
*2	**संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान**		
	प्रारम्भिक शेष	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**
*3	**बट्टे खाते में डाले जाने वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**		
	प्रारम्भिक शेष	-	-
	वर्ष/अवधि के दौरान संवर्द्धन		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि		-
	वर्ष/अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**
*4	**बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षारत/लंबित जांच वाली हानियों के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		-
	अंतिम शेष	**0**	**0**

टिप्पणी सं. 20 - प्रचालन से राजस्व

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**बिक्री**				
	बिजली की बिक्री	-		-	
	घटाएं:				
	- विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-		-	
	- टैरिफ समायोजन	-		-	
	विनियमित बिजली समायोजन	-		-	
	विद्युत उत्पादन से आय -कमीशनिंग पूर्व (ईडीसी को अंतरित)	-	-	-	-
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम- वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		-		-
ग	**अन्य प्रचालन आय**				
	लाभार्थी राज्यों से प्राप्त ब्याज (शुल्क संशोधन)		-		-
	उपजोड़ ग				

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	-		-	
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-	-	-
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**-**		**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) 2009-14 की अवधि के लिए सीईआरसी शुल्क अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी दिनांक 21 फरवरी, 2014 जारी की गई थी। परन्तु, बैरास्थूल, सलाल, चमेरा-1 और लोकतक पावर स्टेशन को छोड़कर, जिनके लिए सीईआरसी ने 2014-19 की अवधि के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, शेष पावर स्टेशनों के मामले में 2014-19 की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा शुल्क का अनुमोदन लंबित रहते, बिक्री को 2009-14 की अवधि के लिए जारी सीईआरसी शुल्क अधिसूचना के अनुसार और सीईआरसी शुल्क विनियमन 2014 के अनुरूप पावर स्टेशन की पूंजी लागत के सत्यापन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, अस्थायी आधार पर हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त बिक्री को मान्यता देने के प्रयोजन से, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मैट दर का इस्तेमाल करते हुए इक्विटी पर लाभ (शुल्क का एक घटक) बढ़ाया गया है।

2) बिक्री के अंतर्गत रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की बिक्री को चालू वर्ष में अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित हैं।

3) बिक्री के अंतर्गत रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जिनके बिल अभी नहीं किए बनाए गए हैं।

4) बिक्री के अंतर्गत रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो 'सीईआरसी' द्वारा अनुमोदित अनुसार 'समकक्ष उत्पादन' खाते से संबद्ध हैं।

5) कुछ लाभार्थियों द्वारा देयों का भुगतान न किए जाने के कारण, उन्हें आबंटित विद्युत का हिस्सा सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर 2010 के संदर्भ में विनिमित किया गया है और तदनुरूप बिक्री के अंतर्गत विनियमित विद्युत की बिक्री के रूप में रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं, जो पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेची गई। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि विनियमित विद्युत की बिक्री पर व्यय को समायोजित करते हुए, अर्जित लाभ उन लाभार्थियों को भेजा जाना चाहिए, जिनकी विद्युत विनियमित की गई है। तदनुरूप रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) की राशि लाभार्थियों के बकाया देयों के प्रति समायोजित की गई है।

6) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा दिनांक 19.01.2009 को अधिसूचित शुल्क विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि चालू शुल्क अवधि के लिए शुल्क निर्धारण के लिए विचारित पूंजी लागत शुल्क अवधि के अंत में सत्यापित किए जाने के अधीन होगी, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क बढ़ या घट सकता है। तदनुरूप पर्याप्त सावधानी बरतते हुए वर्ष के दौरान लेखा बहियों में रु. .....करोड़ (पिछले वर्ष रु.....) का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी सं. 21 - अन्य आय

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
1)	**व्यापार**		
	- अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	- लाभांश-अन्य	-	-
	- ब्याज- सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बाण्ड)	-	-
2)	**गैर-व्यापार**		
	- लाभांश आय - म्युचुअल फंड	-	-
	- लाभांश आय-अन्य	-	-
	- ब्याज	-	-
ख)	**अन्य आय**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों का निपटारा करने में राज्य सरकार को ऋण	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता	4520680	-

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
-	कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	-	-
-	अन्य	-	-
विलम्ब अधिभार भुगतान		-	-
म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि		-	-
स्व-निर्मित वी.ई.आर.एस. की बिक्री से आय		-	-
व्यापार व्यवधान के कारण हुई हानि की भरपाई		-	-
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		-	-
देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #		-	-
अन्य		-	-
विनिमय दर अंतर		-	-
	उप-जोड़	**4520680**	**-**
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय / पीआईडी व्यय		-	-
	उप-जोड़	**4520680**	**-**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय		-	-
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम राशि और जमा कार्यों के प्रति अंतरित आय		4520680	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**
# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है			
क)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम (टिप्पणी 13 के अंतर्गत*1)	-	-
ख)	खराब तथा संदिग्ध जमा राशियां (टिप्पणी 13 के अंतर्गत *2)	-	-
ग)	अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम (टिप्पणी 13 के अंतर्गत *3)	-	-
घ)	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी(टिप्पणी 16 के अंतर्गत*1)	-	-
ड)	खराब और संदिग्ध ऋण (टिप्पणी 17 के अंतर्गत*1)	-	-
च)	खराब और संदिग्ध दावे (टिप्पणी 19 के अंतर्गत*2)	-	-
छ)	बट्टेखाते डाले जाने के लिए प्रतीक्षित परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित (टिप्पणी 19 के अंतर्गत*3)	-	-
ज)	जांच/बट्टेखाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां (टिप्पणी 19 के अंतर्गत*4)	-	-
झ)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	-
ञ)	पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (क) vi)	-	-
ट)	अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (क) vii)	-	-
ठ)	सेवानिवृत्ति लाभ (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिह्न आदि) के लिए प्रावधान	-	-
ड)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (ड.)	-	-
ढ)	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान (टिप्पणी 7 के अंतर्गत मद (च)	-	-
ण)	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 22 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**				
(i)	जल उपयोग शुल्क		-		-
(ii)	भंडार और हिस्सेपुर्जों की खपत		-		-
ख.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		-		-
ग.	**मरम्मत और अनुरक्षण**				
	- भवन		-		-
	- मशीनरी		-		-
	- अन्य		-		-
घ.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया और भाड़ा व्यय		164731		-
	दरें और कर		-		-
	बीमा		-		-
	स्वः बीमा निधि का उपयोग		-		-
	सुरक्षा व्यय		-		-
	विद्युत प्रभार		-		-
	यात्रा और वाहन खर्च		152550		-
	वाहनों पर व्यय		-		-
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय		99295		-
	विज्ञापन और प्रचार		-		1155759
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		2250		-
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		85408		-
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		34236		-
	परामर्शी प्रभार -विदेशी		-		-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)		60000		-
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-		-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-		-
	परिसंम्पत्तियों पर हानि		-		-
	स्व बीमा दावों से उत्पन्न हानियां (अधिकता खंड तक)		-		-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		455		-
	दान		-		-
	सीएसआर/स्थाई विकास/ सामुदायिक विकास व्यय		-		-
	निदेशक व्यय		-		-
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		-
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		-		-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज		-		-
	ग्राहकों को छूट		-		-
	स्वनिर्मित वी.ई.आर.एस. पर व्यय		-		-
	विनियमित विद्युत पर व्यय	-		-	
	घटाएं- विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर		-		-
	अन्य सामान्य व्यय		282867		884410
	उप जोड़		**881792**		**2040169**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**881792**		**2040169**
	घटाएं : निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित आय		881792		1155759
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (i) = क से घ		**-**		**884410**

(राशि रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ड.	**प्रावधान**			
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-
	खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान		-	-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-	-
	भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी		-	-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान		-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-	-
	परियोजना व्यय के लिए प्रावधान		-	-
	अचल आस्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान		-	-
	स्वनिर्मित वी.ई.आर.एस. की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-	-
	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए प्रावधान		-	-
	अन्य		-	-
		उप जोड़	**-**	**-**
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-	-
		उप जोड़	**-**	**-**
	घटाएं : निर्माण से संबंधित व्यय को अंतरित आय		-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-	-
		कुल (ii) = ड़	**-**	**-**
	लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	**कुल (i) + (ii)**	**-**	**884410**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 19.01.2009 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा दाखिल किए गए आवेदन की सत्यता के संदर्भ में सीईआरसी द्वारा संशोधित आदेश की अधिसूचना के लम्बित रहते, रुपये .... (पिछले वर्ष रु....) का प्रावधान लाभार्थी राज्यों को ब्याज के रूप में 31.03.2016 को समाप्त अवधि के दौरान लेखा बहियों में किया गया है, जो उक्त संशोधन आदेश के परिणाम स्वरूप टैरिफ में कमी होने की स्थिति में अदा करना पड़ सकता है - केवल पावर स्टेशनों के लिए।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है: -			31.3.2016 को		31.3.2015 को	
i)	**सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षक के रूप में**					
	लेखा परीक्षा शुल्क	60000		-		
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	60000	-		-
	अन्य क्षमता में					
	कराधान मामले	-		-		
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	-		-		
	प्रबंधन सेवाएं	-		-		
	अन्य मामले/सेवाएं	-	-	-		-
	व्यय की अदायगी		-			-
ii)	**लागत लेखा परीक्षक**					
	लेखा परीक्षा शुल्क		-			-
	खर्चों की अदायगी		-			-
	कुल लेखा परीक्षा व्यय		**60000**			**-**

टिप्पणी सं. 23 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	10202906	-
*उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित) *	1538047	-
स्टाफ कल्याण व्यय	346241	-
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
उप जोड़	**12087194**	**-**
जोड़ें/(घटाएं): नि.मु./क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
उप जोड़	**12087194**	**-**
घटाएं - निर्माण के दौरान व्यय को अंतरित कर्मचारी लागत	12087194	-
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत...../-रुपये (विगत वर्ष ...../- रुपये) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

(राशि रुपए में)

		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
2)	उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं		
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	777938	0
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	748623	0

टिप्पणी सं. 24 - वित्त लागत

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**निम्नांकित पर ब्याज -**		
	भारत सरकार का ऋण	-	-
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	नकदी ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज प्रभार	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
ख)	**अन्य ऋण लागत**		
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
	बांड निर्गम/सेवा व्यय	-	-
	रायल्टी	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	630	-
	उप जोड़	**630**	**-**

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग)	**विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	ब्याज लागत के प्रति समायोजन समझे गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं - विदेशी मुद्रा दर विनिमय के कारण ब्याज समायोजन	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग)	**630.00**	**-**
	जोड़ें / (घटाएं): नि.मु./ क्षेत्रीय कार्यालय/ पीआईडी व्यय	-	-
	कुल योग	**630**	**-**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	630	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	39162	-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) नि.मु./क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
उप जोड़	**39162**	**-**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	39162	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 26 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	-
पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	-	-
ऋणकर्ताओं से ब्याज/अधिभार	-	-
अन्य	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
वित्त लागत	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
अन्य	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
कुल (व्यय/आय)	**-**	**-**
जोड़ें / (घटाएं) नि.मु./क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	-	-
घटाएं: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 27 कर व्यय

(राशि रुपए में)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		-		-
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-		-
स्थगित कर	72126		(218626)	
घटाएं: 2009 तक शुल्क अवधि के लिए वसूली योग्य	-		-	
घटाएं: आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन	-	72126	-	(218626)
कुल कर राजस्व		**72126**		**(218626)**

टिप्पणी सं. 28 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

		31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	10202906		-	
	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान	1538047		-	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	346241		-	
	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		12087194		-
ख.	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
	भवन	-		-	
	मशीनरी	-		-	
	अन्य	-		-	
	उप-जोड़		-		-
ग.	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
	किराया	164731		-	
	दरें और कर	-		-	
	बीमा	-		-	
	सुरक्षा व्यय	-		-	
	विद्युत प्रभार	-		-	
	यात्रा और वाहन	152550		-	
	वाहनों पर व्यय	-		-	
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	99295		-	
	विज्ञापन एवं प्रचार	-		1155759	
	मनोरंजन और आवभगत व्यय	2250		-	
	मुद्रण और लेखन सामग्री	85408		-	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	34236		-	
	- विदेशी	-		-	
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	283322		-	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	60000		-	
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-		-	
	उप-जोड़		881792		1155759

(राशि रूपए में)

			31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ.	**वित्त लागत**				
	निम्नांकित पर ब्याज:				
	भारत सरकार का ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
	नकदी ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
	ब्याज लागत के प्रति समायोजन समझे गए विनिमय अंतर	-		-	
	हेजिंग कारोबार पर हानि	-		-	
	बांड निर्गम/सेवा व्यय	-		-	
	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
	अन्य ब्याज प्रभार	630		-	
	उप-जोड़		630		-
ड.	**प्रावधान**	-		-	
	उप-जोड़		-		-
च.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	39162		-	
	उप-जोड़		39162		-
G.	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाएं- पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-
H.	**सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
	अन्य आय	-		-	
	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	-		-	
	वित्त लागत	-		-	
	प्रावधान	-		-	
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		-		-
I.	**घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां**				
	विद्युत उत्पादन से आय - कमिशनिंग पूर्व	-		-	
	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-		-	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-		-	
	विविध प्राप्तियां	-		-	
	उप-जोड़		-		-
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड+च+छ+ज+झ)		**13008778**		**1155759**

टिप्पणी संख्या 29 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण :-

क) कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर और मात्रा परिवर्तन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि के बारे में कंपनी के खिलाफ कुल मिलाकर रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) के दावे किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा उनसे संबंधित ट्राइब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं। इसके अंतर्गत कंपनी के खिलाफ सुनाए गये पंचाट फैसलों और तत्संबंधी ब्याज देयता के रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) शामिल हैं। कंपनी ने इन मामलों को अदालत में चुनौती दी है।

प्रबंधन ने उपरोक्त दावों का मूल्यांकन किया है और आर्थिक फायदों को शामिल करके संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रु. शून्य करोड़ के प्रावधान (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) का अनुमोदन किया है तथा आकस्मिक देयताओं के रूप में रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) का अनुमान लगाया है, अर्थात् अनुमानित राशि के लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार हो सकती है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों में, जहां आर्थिक फायदों को शामिल करते हुए या तो बहिर्गमन की आशंका नहीं है, या फिर दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देयता तय नहीं की गई है। अन्य दावों/दायित्वों के निपटान में किसी प्रकार के बर्हिगमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता के संदर्भ में, कुछ भूमि विस्थापितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/अदालतों के समक्ष अधिक मुआवज़े के रूप में रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) के दावे किए हैं। इनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) का प्रावधान किया है और संसाधनों का बहिर्गमन संभाव्य न होने को देखते हुए आकस्मिक देयता के रूप में रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) का अनुमान लगाया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(iii) विवादित आयकर की मांग

विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विवादित आयकर/बिक्रीकर/सेवाकर/शुल्क संबंधी मामलों की राशि रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) है। इन मामलों का निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के आधार पर रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रुपये शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए शेष दावों अर्थात् रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

(iv) अन्य

अन्य मामलों के कारण दावों की राशि रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) आंकी गई है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। उनका निपटारा लम्बित रहते कम्पनी ने मूल्यांकन किया है और आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रत्याशित बहिर्गमन के आधार पर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) का प्रावधान किया है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न देखते हुए रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं। अन्य दावों/दायित्वों के संदर्भ में किसी बहिर्गमन की संभावना नहीं देखी गई है।

उपरोक्त को सार रूप में निम्नांकित अनुसार रखा गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2016 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2016 को आकस्मिक देयताएं	31.03.2015 को को आकस्मिक देयताएं	आकस्मिक देयताओं में वर्ष के दौरान संवर्द्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	पूंजी कार्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	भूमि मुआवजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	विवादित कर मामले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशियों को परिमाणित नहीं किया जा सका है।

ग) किसी भुगतान से संबंधित अनिश्चितताओं का पता लगाना और उन्हें प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

ड.) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में मुकदमों पर व्यय के लिए रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) अदा किए गए हैं और उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों/ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है।

कंपनी के प्रबंधन को इस बात की कोई तर्कसंगत संभावना नहीं लगती कि उपर्युक्त दावों/देनदारियों (कानूनी विवाद समेत) का अंतिम रूप से फैसला हो जाने से कंपनी की गतिविधियों या वित्तीय स्थिति संबंधी परिणामों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

2. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) है।

3. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां/पद्धतियां संवर्द्धित/संशोधित की गई:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	लाभ एवं हानि विवरणपर प्रभाव	
	चालू वर्ष के लिए	पूर्व अवधि के जरिए, पिछले वर्ष तक
अदालत द्वारा घोषित भूमि के संवर्द्धित मुआवजे पर ब्याज (मूल्यह्रास का निवल) खाते संबंधी लेखांकन नीति	शून्य	शून्य
पावर स्टेशनों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण संबंधी लेखांकन नीति	शून्य	शून्य

4. वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू की गई लेखांकन नीति संख्या 2.3.4 (वित्तीय वर्ष 2013-14 की 4.4) इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को भेजी गई, ताकि उसकी राय ली जा सके। राय प्राप्त होने के लम्बित रहते, समान लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है और उसके अनुसार 31.03.2016 तक आवंटन किए जाने योग्य निर्माण के दौरान व्यय को रुपये शून्य (पिछले वर्ष तक रुपये शून्य) के रूप में पूंजीकृत/प्रभारित किया गया है।

5. निर्माण अनुबंधों से संबंधित लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	चालू अनुबंधों पर रिपोर्ट करने की तारीख तक व्यय की गई समग्र लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि घटाते हुए)	शून्य	शून्य
2.	अग्रिम प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
3.	प्रतिधारण राशि	शून्य	शून्य
4.	संविदा कार्यों के लिए परिसम्पत्ति के रूप में ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य
5.	संविदा कार्यों के लिए देयता के रूप में ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य

नोट: यह प्रकटीकरण वर्ष के प्रारंभ में चालू अनुबंधों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए।

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. स.		31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यह्रास को छोड़ कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़ कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)*	शून्य	शून्य
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

*परंतु कम्पनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रचलित सीईआरसी (शुल्क नियम एवं शर्तें) विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दरों का प्रभाव लाभार्थियों से वसूली योग्य है। आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार वर्ष के लिए विनिमय दर अंतर स्थगित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव परिसम्पत्तियों (लाभार्थियों से वसूली योग्य) को अंतरित किया गया।

7. (क) कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन करना है। अन्य प्रचालनों जैसे अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों को 'सेग्मेंट रिपोर्टिंग' संबंधी लेखांकन मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग सेग्मेंट में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश में स्थित हैं। इसलिए भौगोलिक खंडों आधार पर सूचना देने की बात लागू नहीं होती।

8. कम्पनी अधिनियम- 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण:-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.3.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:	शून्य	शून्य
	i) पूंजीगत वस्तुएं		
	ii) कलपुर्जे		
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
	i) जानकारी		
	ii) ब्याज		
	iii) अन्य विविध मामले		
ग)*	प्रचालन इकाइयों में उपयोग में आए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य	शून्य	शून्य
	i) आयातित		
	ii) स्वदेशी		
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य
	i) ब्याज		
	ii) अन्य		

* प्रोद्भूत आधार

9. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रकटीकरण (टिप्पणी संख्या 22 देखें)

(i) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	सीएसआर व्यय से संबंधित शीर्ष	राशि
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	शून्य
2	शिक्षा और कौशल विकास	शून्य
3	महिला अधिकारिता/वरिष्ठ नागरिक	शून्य
4	पर्यावरण	शून्य
5	कला एवं संस्कृति	शून्य
6	भूतपूर्व सैनिक	शून्य
7	खेल	शून्य
8	राष्ट्रीय कल्याण कोश	शून्य
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	शून्य
10	ग्रामीण विकास	शून्य
11	क्षमता निर्माण	शून्य
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	शून्य
	कुल राशि	**शून्य**

(ii) अन्य प्रकटीकरण :

(क) 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसे व्यय (पूंजी अथवा राजस्व) के स्वरूप के अनुसार 'प्रदत्त' और 'अभी प्रदत्त किया जाना है' के रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

		प्रदत्त (क)	प्रदत्त किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(ख) जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, देयताओं से संबंधित सम्बद्ध लेखा शीर्ष में शामिल सम्बद्ध पार्टियों को कुल व्यय रुपये शून्य में से रुपये शून्य प्रदत्त किए जाने हैं।

10. प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां (वीईआर्स) से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	विवरण	अभ्युक्ति
1.	निवेश और मूल्यांकन के आधार के रुप में धारित प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां	शून्य
2.	प्रमाणन अधीन प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान उत्सर्जन कमी उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपये में)	शून्य
4.	31.03.2016 को समाप्त हुई अवधि के दौरान बेचे गए वीईआर्स की संख्या उनके मूल्य सहित	शून्य

11. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

(i)	तुलनपत्र की तारीख को किसी सप्लायर को मूलधन और उसपर देय ब्याज का भुगतान न हो पाना : - मूलधन - ब्याज	शून्य
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की राशि और वर्ष के निर्धारित दिन के बाद सप्लायर को किये गये भुगतान की राशि	शून्य
(iii)	भुगतान में देरी के साल के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज (जिसका भुगतान तो किया जा चुका है मगर वर्ष की निर्धारित तिथि के बाद) जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को नहीं जोड़ा गया है.	शून्य
(iv)	तुलनपत्र की तारीख को जुड़ चुका और भुगतान न किया गया ब्याज.	शून्य
(v)	बाद के वर्षों में भी देय बने रहे और भुगतान योग्य बकाया ब्याज की राशि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत उपर्युक्त ब्याज को वास्तव में भुगतान किये जाने की तारीख तक छोटे उपक्रमों को चुकाया जा चुका है.	शून्य

12. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने तक अस्थायी भुगतान/प्रावधानों के बाहर की मदों में से पूरे किये गये कुछ कार्यों के लिए किये गये शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) के प्रावधानों और कुछ अतिरिक्त मदों को चालू पूंजीगत कार्यों/अचल आस्तियों में शामिल किया गया है।

13. हानि विवरण में शामिल किया गया है:

क) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए बकाया, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे समाधान/पुष्टि एवं सम्बद्ध नतीजतन समायोजनों के अधीन हैं। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के निर्देशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई अथवा सौंपी जाने का निर्णय की गई परियोजनाओं से संबंधित दावे भी शामिल हैं।

ख) व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयताओं, जमा राशियों, पूंजी व्यय और संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम के संदर्भ में बाहरी पार्टियों से पुष्टि हर वर्ष 31 दिसम्बर को रुपये पांच लाख या उससे अधिक की बकाया राशि के संदर्भ में प्राप्त की जाती है। 31 दिसम्बर, 2015 और 31.03.2016 को बकाया राशि की पुष्टि की स्थिति नीचे दी गई है।

(लाख रुपए में)

विवरण	31.12.2-15 को बकाया	पुष्टि की गई राशि	31.03.2016 को बकाया
व्यापार प्राप्य			
पूंजी व्यय और संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य से सम्बद्ध जमा राशियां, अग्रिम	-	-	-
व्यापार/अन्य देयताएं	-	-	-
धरोहर राशि/धारण निधि देय	-	-	-

ग) प्रबंधन की राय में पुष्टि न की गई बकाया राशि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. बिक्री, राज्य सरकार को ऋणों पर ब्याज, कर-मुक्त बांडों पर ब्याज आय, विनमय दर अंतर, ऋणों/बांडों पर ब्याज (व्यय), आदि को कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त परामर्श के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

15. लेखांकन मानक-15 ''कर्मचारी लाभ'', लेखांकन मानक-18 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' और लेखांकन मानक-28 ''आस्तियों की हानि'' आदि से संबंधित प्रकटीकरण का निपटारा कार्पोरेट कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

16. क) 31.03.2016 को बकाया अविवादित सांविधिक देयों का ब्यौरा, जो देय होने की तारीख से 6 महीने के भीतर जमा नहीं कराए गए।

देय का स्वरूप	राशि रुपये में	जमा कराने की निर्धारित तारीख
ईपीएफ	शून्य	शून्य
आयकर	शून्य	शून्य
बिक्री कर/वैट	शून्य	शून्य
सेवा कर	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क	शून्य	शून्य
उत्पाद शुल्क	शून्य	शून्य
कार्य अनुबंध कर	शून्य	शून्य
कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य

ख) किसी विवाद के चलते जमा न कराए गए सांविधिक देय:-

कानून का नाम	देय का स्वरूप	राशी	वर्ष जिससे सम्बद्ध हैं	फोरम जहां मामला लम्बित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	शून्य	शून्य	शून्य
बिक्री कर अधिनियम/वैट अधिनियम	बिक्री कर/वैट	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	शून्य	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985	उत्पाद शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
कार्य अनुबंध कर	कार्य अनुबंध कर	शून्य	शून्य	शून्य
कृपया निर्दिष्ट करें	कोई अन्य शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य

ग) अचल परिसंपत्ति (भूमि को छोड़ कर) का ब्यौरा जिसके लिए कंपनी के नाम में मालिकाना विलेख निष्पादित न किए हों :

क्र.स.	संपत्ति का ब्यौरा	अधिग्रहण का वर्ष	अधिग्रहण की लागत	लिखित मूल्य	मालिकाना विलेख निष्पादित न होने का कारण
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

17. अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में रिपार्टिंग के लिए प्रकटीकरण

क्र.स.	निर्देश	उत्तर
1	क्या उधार राशि/ऋण/ब्याज आदि माफ किए जाने/बट्टे खाते डाले जाने का कोई मामला रहा है। यदि हां तो उसका कारण बताएं और राशि का उल्लेख करें।	कोई नहीं
2	क्या तृतीय पक्ष के साथ रखी गई माल-सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदानों का समुचित रिकॉर्ड रखा गया।	कोई नहीं

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है.

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(चेरियन मैथ्यू)
निदेशक

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 18.05.2016

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ	-	-	-	
	समायोजन :	-		-	
	ब्याज/अन्य आय	-		-	
	बट्टेखाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	-		884410	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	-	-	(884410)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन	-		-	
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(472240)			
	अन्य वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-		-	
	वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	112501520		2040169	
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-		-	
	प्रचालन से सृजित नकदी	**112029280**	-	**1155759**	
	अदा किया गया आयकर	-		-	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		**112029280**		**1155759**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-		-	
	अचल परिसंपत्तियों का संवर्द्धन	(120340)		-	
	चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	**(8763001)**		**(1155759)**	
	भंडार एवं कल पुर्जों में वृद्धि	-		-	
	ब्याज आय	-		-	
	ब्याज आय (पूर्व अवधि)	-		-	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		**(8883341)**		**(1155759)**
ग.	**वित्त पोक्षण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-		-	
	विविध व्यय	-		-	
	शेयर आवंर्टन/आवेदन निधि के प्रति प्राप्तियां			(10000000)	
	अनुदान के प्रति प्राप्तियां	-		-	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी		**-**		**(10000000)**
	नकदी/नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि (क+ ख+ग)		**103145939**		**(10000000)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		10000000		-
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**113145939**		**10000000**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विवेक अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 003179सी)

(सीए अजय कुमार भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या 077833

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष

(जयदीप चक्रवर्ती)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(चेरियन मैथ्यू)
निदेशक

(डी.शेषाद्री)
कंपनी सचिव

स्थान - लखनऊ
दिनांक- 18.05.2016

तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन (पश्चिम बंगाल) - आरसीसी बांध

Follow NHPC at :

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited https://twitter.com/nhpcltd https://www.instagram.com/nhpclimited

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर – 33, फरीदाबाद – 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2588110 / 2588500 E-mail : webmaster@nhpc.nic.in

www.sapprints.com